Fourth Series Vol. XX-No.25

Tuesday, August 27, 1968
Bhadra 5, 1890 (Saka)

# LOK SABHA
# DEBATES

–

**(Fifth Session)**

(*Vol. XX contains Nos. 21-28*)

**LOK SABHA SCRETARIAT**
**NEW DELHI**
**Price : *Re.* 1.00**

# CONTENTS

*No. 25—Tuesday, August 27, 1968/Bhadra 5, 1890 (Saka)*


| | COLUMNS |
|---|---|
| Oral Answers to Questions: | |
| *Starred Questions Nos. 691 to 694, 696, 697 and 704 | 1859—94 |
| Short Notice Question No. 13 | 1894—1905 |
| Written Answers to Questions: | |
| Starred Questions Nos. 695, 698 to 703 and 705 to 720 | 1905—26 |
| Unstarred Questions Nos. 5896 to 5911, 5913 to 5945, 5947 to 5965, 5967 to 5987, 5989 to 6003, 6005 to 6061, 6063 to 6065, 6067 to 6170, 6170-A, 6170-B, 6170-C, 6170-D, 6170-E, 6170-F and 6170-G | 1926—2133 |
| *Re.* Situation in Czechoslovakia | 2133—34 |
| Papers laid on the Table | 2134—36 |
| Message from Rajya Sabha | 2136—37 |
| Committee on Absence of Members from Sittings of the House—Seventh Report | 2137 |
| Criminal and Election Law Amendment Bill—*Introduced* | 2137—45 |
| Demands for Supplementary Grants (Uttar Pradesh), 1968-69 | 2145—2208 |
| Shri Vishwa Nath Pandey | 2146—51 |
| Shri Atal Bihari Vajpayee | 2151—54 |
| Shri Sheo Narain | 2154—60 |
| Shri Mahant Digvijai Nath | 2160—68 |
| Shri Maharaj Singh Bharati | 2171—80 |
| Shri Mohan Swarup | 2180—86 |
| Shri K. C. Pant | 2186—2200 |
| Uttar Pradesh Appropriation (No. 3) Bill, 1968—*Introduced* and *passed* | 2208—17 |
| Statutory Resolution *re* Continuance of President's Proclamation in respect of Uttar Pradesh | 2217—2296 |
| Shri Vidya Charan Shukla | 2217—25 |
| Shri Ranga | 2225—33 |
| Shri R. K. Sinha | 2233—38 |
| Shri Ramji Ram | 2238—46 |
| Shri B. N. Kureel | 2246—52 |

| | COLUMNS |
|---|---|
| Shri K. K. Nayar | 2252—56 |
| Shri Chandrika Prasad | 2256—61 |
| Shri Jageshwar Yadav | 2261—65 |
| Shri Ghayoor Ali Khan | 2265—69 |
| Shri Chandra Jeet Yadav | 2269—74 |
| Shri Raghuvir Singh Shastri | 2274—80 |
| Shri Sharda Nand | 2280—84 |
| Statutory Resolution *re* Continuance of President's Proclamation in respect of West Bengal | 2296—2302 |
| Shri Vidya Charan Shukla | 2296—2302 |
| Discussion *re* Electricity Corporation | 2302—24 |
| Shri Jyotirmoy Basu | 2302—07 |
| Shri N. Dandeker | 2307—10 |
| Shri S. S. Kothari | 2310—12 |
| Shri Shashi Bhushan | 2312—13 |
| Shri Indrajit Gupta | 2313—15 |
| Shri Rabi Ray | 2315—17 |
| Dr. K. L. Rao | 2318—24 |


*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question as actually asked on the floor of the House by that Member.

## LOK SABHA

*Tuesday, August 27, 1968*
*Bhadra, 5, 1890 (Saka)*

*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.*

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### EXPORT OF FILMS TO CEYLON

+

*691. SHRI M. S. OBEROI:
SHRI D. C. SHARMA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Ceylon has recently decided to restrict the import of Tamil and Hindi films from India; and

(b) if so, its impact on the film industry and how much loss of foreign exchange will have to be suffered on this account?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) and (b). Government of Ceylon have not imposed any restrictions as such on the import of Tamil and Hindi films from India. However, on account mainly of its foreign exchange difficulties, a 20% cut in import of all foreign films was made with effect from January 1, 1968. Import licences for this item are now issued subject to remittances against Foreign Exchange Entitlement Certificates. This is likely to result in reduction in import of Indian films also into Ceylon.

SHRI M. S. OBEROI: May I ask the hon. Minister whether during his brief visit to Ceylon, he had an opportunity to learn something further about this matter on the restriction of Indian films by Ceylon and what was the reaction of the Government of Ceylon?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: This does not apply to Indian films alone; it applies to all foreign films imported into Ceylon. This matter did not come up for discussion. If and when there is any discrimination against the Indian films, the matter will be taken up with the Ceylon Government.

SHRI S. KANDAPPAN: I want to know if these restrictions are based on their fear that the cultural impact of these films supersedes the Ceylonese culture. After independence, the relations between India and Ceylon have not developed on proper lines. The Government of India seems to be oblivious to the fact that they are zealous in guarding the Buddhist culture that is there. This has come after their ban on relaying the Hindi songs and Tamil songs and Telugu film songs from Radio Ceylon. That was somehow resolved some time back. Are the Government making any consistent efforts to see that the Ceylonese are not under any imaginary fear complex that we are having some kind of cultural imposition on them?

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: As I have said, nothing like that has come to the notice of the Government of India. If there are discriminatory steps taken against Indian films alone, the Government will look into that matter.

### ALLOCATION OF STEEL SHEETS TO BARREL FABRICATORS

*692. SHRI SITARAM KESRI: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 462 on the 23rd July, 1968 and state:

(a) the reasons for allocating steel sheets to barrel fabricators as per assessed capacities when Government were unable to allocate steel to original fabricators even on one shift basis due to acute shortage of steel sheets;

(b) the reasons for undertaking assessments of capacities in 1964 when it was admitted that shortage of steel sheets was a continuing problem; and

(c) whether the assessments under such circumstances have resulted in recognition of fresh capacity of M/s. Hind Galvanising and unauthorised expansion of M/s. Standard Drum & Barrel Manufacturing Company?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BHANU PRAKASH SINGH): (a) Allocation of steel has all along been made to all Steel Processing Industries on the basis of their single shift assessed capacities.

(b) Attention is invited to the reply given to Lok Sabha Starred Question No. 1698 on the 7th May, 1968.

(c) The circumstances in which the capacities of the units have been recognised have already been explained in reply to Lok Sabha Starred Question No. 250 on the 24th November, 1967.

**श्री सीताराम केसरी** : इस सदन में बैरल्स के बारे में कई बार प्रश्न और उत्तर हुए हैं। कल भी बैरल्स के बारे में इंडियन आयल की तरफ से प्रश्नोत्तर हुए। 1964 में जब आप ने बैरल्स के बारे में असेसमेंट किया उस के कब्ल आप 3,000 टन मन्थली स्टील देते थे। यह 3,000 टन रा मैटीरियल आप जिस फैब्रिकेटर को देते थे उस की कपैसिटी 45,000 टन ऐनुअल थी, जिस का अर्थ है पौने चार हजार टन मन्थली। मैं जानना चाहता हूं कि किस वजह से आप ने 3,000 टन रा मैटीरियल के न रहते हुए आप ने पुनः असेसमेंट के लिये आर्डर दिया और उस आर्डर के अन्तर्गत हिन्द गल्वेनाइजिंग को, जो फैब्रिकेटर्स का नया फर्म था, रिकग्जाइज किया जबकि रा मैटीरियल की कमी की वजह से यह बैन्ड लिस्ट में था और कोई नया फर्म क्रिएट नहीं होना था? मैं जानना चाहता हूं कि आप 3,000 टन रा मैटीरियल पूरा नहीं कर पाये थे फिर भी आप ने कैसे पुनः असेसमेंट का आर्डर दे दिया?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : मैं इन बातों का जवाब देता हूं। सब से पहले कंफ्यूजन से असेस्ड कपैसिटी और लाइसेंस्ड कपैसिटी में। जहां तक स्टील देने का ताल्लुक था, 1946–47 में कंट्रोल आर्डर के मातहत जितनी कंज्यूमर इंडस्ट्रीज के लोग स्टील इस्तेमाल करते थे उन को हम असेस्ड कपैसिटी पर स्टील दिया करते थे। लाइसेंस्ड कपैसिटी का खयाल तो 1951 के बाद जब लाइसेंस देने का सवाल आया तब आया। 1963-64 में जिस के बारे में आनरेबल मेम्बर ने सवाल पूछा है एक मीटिंग हुई रिप्रेजेन्टेटिव्ज आफ आयल कम्पनीज ऐंड मैनुफैक्चरर्स आफ दीज बैरल्स की। उन दोनों की मीटिंग्स के बाद तय हुआ कि उन को 4700 पर मन्थ बैरल चाहिए और जो उन को स्टील दिया जाता है वह सिर्फ 3,000 बैरल्स के लिये दिया जाता है। तब सवाल हुआ कि आया दूसरों को दिया जाये या जो लोग बैरल बनाते हैं उन्हीं की कपैसिटी बढ़ाई जाय। उस वक्त जो जो काम लोग मैनुफैक्चरिंग का काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि हमारी कपैसिटी जितनी असेस्ड कपैसिटी है उस से ज्यादा है। उसके बाद एक कमेटी मुकर्रर हुई जिसने इस को देखा और यह कहा कि अगर उन को ज्यादा स्टील दिया जाय तो वह हर महीने 4700 बैरल बना सकते हैं। इस लिये स्टील देने की कपैसिटी 3,000 से बढ़ा कर 4700 की गई। उसी के बेसिस पर यह स्टील दिया गया है और उन्होंने बनाया है। उस के बाद जो एक कम्पनी का सवाल था, तो वह भी रजिस्टर्ड कम्पनी थी और थोड़ी सी

मशीनरी और लगा देने से वह बना सकती थी।

**श्री सीताराम केसरी :** मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि उस समय जो मंत्री थे और जिन लोगों ने यह रि-असेसमेंट आर्डर किया, मेरा खयाल है कि उस में बहुत बड़ा घपला रहा है। आप ने जो 1964 में असेसमेंट किया उस के आधार पर आप, ने जिस फर्म को 16,000 टन का अलाटमेंट किया और हिन्दु गल्वनाइजिंग का 3,000 किया बाद में उस को 16,000 से घटा कर 9,000 कर दिया और हिन्द गन्वनाइजिंग का 6,000 कर दिया और स्टेन्डर्ड वाले का जिस का 5,000 था उस को 8,000 कर दिया। इस से स्पष्ट पता चलता है कि हिन्द गल्वनाइजिंग को फेवर करने के लिए असेसमेंट किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में कोई प्रापर एन्क्वायरी या प्रोब करेंगे जिस से जो गड़बड़ियां हुई हैं वह खत्म हो जाये और सब को बराबर जस्टिस मिल सके?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** इस के मुताल्लिक मुनासिब यह होगा कि इस वक्त में कुछ न कहूं क्योंकि रिट-पिटीशन हाई कोर्ट में पेन्डिग है जिस में तमाम सवाल उठाये गये हैं। जब उस का कोई फैसला हो जायेगा तब नये लाइसेंस और असेस्ड कपैसिटी का पता चल जायेंगा।

**श्री जार्ज फरनेन्डीज :** मंत्री महोदय इस मामले को जितना मामूली बतला रहे हैं उतना मामूली यह नहीं है। असल में 1962 में बंगाल के उन दिनों के मुख्य मंत्री श्री पी० सी० सेन ने केन्द्रीय सरकार को लिख कर यह प्रयास किया कि हिन्द गल्वनाइजिंग की जो कपैसिटी है उस को बढ़ाया जाय और उन को अलग किस्म बैरल बनाने की इजाजत दी जाय। चाहा न चूंकि उस वक्त यह सारा बैन्ड दी थ लिस्ट में था इस लिये मिनिस्ट्री की ओर से यह कहा गया कि यह कपैसिटी नहीं वढ़ाई जा सकती है और हिन्द गल्वनाइजिंग को यह कंट्रैक्ट नहीं दिया जा सकता है। उस के बाद 1963 में जब पी० सी० सेन के पत्र के आधार पर इस कम्पनी को नया लाइसेंस देने ने दिक्कत आई तब यह रि असेसमेंट वाला एक नया तरीका सरकार ने खोज निकाला और हिन्द गल्वनाइजिंग की कपैसिटी को बढ़ाने का प्रयास किया। मेरे पास कामर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की जो नोटिंग थी वह मौजूद है। उस में लिखा हुआ है कि :

"The Chief Minister of West Bengal, in his letter to the Minister of Industries has urged that Hind Galvanising and Engineering Co. Private Ltd., should be allowed to undertake manufacture of 40 to 45 gallons of standard steel drums. At present, under their registration certificate, they can only manufacture drums of four to five gallons and up to 10 gallons only of 60 and 90 gallons."

एक तो मैं इसको सभा-पटल पर रखने की आप से इजाजत मांग रहा हूँ।

लेकिन आप आग इसको देखें। श्री चारी के नोट में जो कि 26-3-63 का है कहा गया है यह बता कर कि क्यों नहीं किया जा सकता है :

"In these circumstances, it is not possible to agree to the proposal of Hind Galvanising and Engineering Company. A letter to the Chief Minister of West Bengal is placed below."

अगर मैं यह कहूं कि बंगाल के मुख्य मंत्री ने यह वसीला लगाने का जो प्रयास किया, इस में जब वह असफल रहे तो क्या उसके बाद इस में से रास्ता निकालने के लिए आपने यह नया रि-एसेसमेंट का तरीका निकाला, यह सही नही है? क्या यह बदतमीज़ी यहां पर नहीं की गई है?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : मैंने पहले भी कहा है कि हमें दो चीजों का फर्क करना चाहिए। एक एसेसमेंट कैपेसिटी और एक लाइसेंस्ड कैपेसिटी है। जब तक लाइसेंसिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस नई हुआ था...

**श्री मधु लिमये** : खत लिखा था या नहीं लिखा था...

SHRI F. A. AHMED: Let me deal with the question in my own way. On the basis of assessed capacity, they were given these sheets for the purpose of manufacturing drums. But later on when between the representatives of the oil company and the representatives of the manufacturers it was found that they were not manufacturing drums according to the requirements, it was decided that it should be considered whether new units should be registered for the purpose of manufacturing or the existing units have the capacity to manufacture this. There was an examination and it was found that the existing units had capacity to manufacture drums. In spite of the fact that this letter was there, the matter was examined on the basis of merits and it was found that this unit — Messrs Hind Galvanising and Engineering Company — was registered for small drums and heavy duty barrels and with a little addition of machinery only, they could also contribute to the manufacture of drums. Therefore, they were also given the sheets and asked to manufacture.

**श्री जार्ज फरनेंडीज** : पत्र का खुलासा नहीं हुआ है। क्या कोई ऐसा पत्र भेजा है जिस में यह कहा है कि यह नहीं हो सकता।

SHRI F. A. AHMED: I have said that this letter was taken into consideration. After examination, it was decided that this unit which was in a position to manufacture it could be given the sheets.

MR. SPEAKER: He has said that the letter was taken into consideration. The hon. member has read it and it has entered into the record.

**श्री जार्ज फरनेंडीज** : सभा-पटल पर इसको रखने की मुझे इजाजत दी जाए।

**श्री मधु लिमये** : इनको आप रखने दीजिये। हम भी जानना चाहते हैं कि पत्र क्या है। सवाल पूछ रहे हैं और मंत्री महोदय जवाब दे रहे हैं, हम जानना चाहते हैं पत्र क्या है।

MR. SPEAKER: I will consider it.

**श्री मधु लिमये** : पूरा पत्र नहीं आया है।

**श्री अब्दुल गनी दार** : क्या इंडियन आयल कम्पनी जोकि पब्लिक सैक्टर कंसर्न है इसको भी गैलवेनाइज्ड शीट्स रखने का हुक्म मिला था और उसने भी इनका बहुत सा स्टाक अपने पास रखा था? बजाय इसके कि इनका वह ड्रम बनाने में जिस की उसे अजहद जरूरत थी, इस्तेमाल करती, उसने अपने इस स्टाक को एसो को जोकि यू० एसी० ए० की कम्पनी है, फारेन कम्पनी है, दे दिया, क्या यह ठीक है? क्या यह भी ठीक है या नहीं है कि उस वक्त उसने कोई इसके लिए टैंडर काल नहीं किये और बिना टैंडर काल किये हुए ही उसे दे दिये? ऐसा क्यों किया गया? जो नुकसान हुआ, उसके लिए जो भी आथोरिटी जिम्मेदार है, जिसने टैंडर भी काल नहीं किये और अपनी जरूरतों को भी पूरा नहीं किया और एक विदेशी कम्पनी को जोकि आई० ओ० सी० को अपनी सरग-मियों से नुकसान पहुंचाती है, इनको दे दिया है, उसके खिलाफ आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं?

[ کیا انڈین آیل کمپنی جو کہ ایک پبلک سیکٹر کنسرن ہے اسکو بھی گیلوینائزڈ شیٹس رکھنے کا حکم ملا تھا اور اس نے بھی اس کا بہت سا سٹاک اپنے پاس رکھا تھا بجائے اس کے کہ ان کا وہ قدرم بنانے

میں جس کی کہ اسے ازحد ضرورت تھی استعمال کرتی اس نے آپ اسٹاک تو ایسو کو جو کہ یو - ایس - اے - کی کمپنی ہے - فارین کمپنی ہے دے دیا- کیا یہ ٹھیک ہے - کیا یہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے کہ اس وقت اس نے کوئی اس کے لئے ڈیلنڈر کال نہیں کئے اور بنا ڈیلنڈر کال کئے ہوئے ہی اسے دے دیا - ایسا کیوں کیا گیا - جو نقصان ہوا اس کے لئے جو بھی اتھارٹی ذمہ وار ہے - جس نے ڈیلنڈر بھی کال نہیں کئے اور اپنی ضرورتوں کو بھی پورا نہیں کیا اور ایک ودیشی کمپنی کو جو کہ آئی - او - سی - کو اپنی سرگرمیوں سے نقصان پہنچاتی ہے ان کو دے دیا ہے - اس کے خلاف آپ کیا ایکشن اپنے جا رہے ہیں - ]

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : यह सवाल इससे ताल्लुक नहीं रखता है । पैट्रो-कैमिकल इंडस्ट्री से, अगर आई० ओ० सी० ने कुछ ऐसा किया है, इसके बारे में इनफर्मेशन ले कर मैं दे सकता हूं ।

SHRI S. M. BANERJEE: Sir, every time this question is put to the Ministry of Petroleum and Chemicals they say that it is under the Ministry of Industrial Development. The entire question of barrels and drums is in doldrums.

MR. SPEAKER: What is the use of arguing now about it? The matter is before the Estimates Committee. Let them report to us.

**श्री अब्दुल गनी दार** : मैंने यह जानना चाहा है कि मिनिस्ट्री ने जिन को इजाजत दी थी इम्पोर्ट करने की उनको ऐसी भी इजाजत दी थी कि वे जिस को चाहें माल को बेच दें या जैसे फरमाया उनकी एक्च्युअल जरूरतों को देख कर या उनकी कैपेसेटी को देख कर ही हमने यह इजाजत दी थी? अगर उसने आपके हुक्म को भंग किया है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह खुद कंज्यूम करे, ऐसा नहीं किया है तो उसके खिलाफ आप क्या एक्शन लेने जा रहे हैं?

[ میں نے یہ جاننا چاہا ہے کہ منسٹری نے جن کو اجازت دی امپورٹ کرنے کی ان کو ایسی بھی اجازت دی تھی کہ وہ جس کو چاہیں مال کو بیچ دیں یا جیسے فرمایا انکی ایکچوئل ضرورتوں کو دیکھ کر یا ان کی کپیسٹی کو دیکھ کر ہی ہم نے یہ اجازت دی تھی - اگر اس نے آپ کے حکم کا بھنگ کیا ہے - اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے وہ خود کنزیوم کرے - ایسا نہیں کیا ہے تو اس کے خلاف آپ کیا ایکشن اپنے جا رہے ہیں - ]

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद** : जहां तक मेरी इनफर्मेशन है सही स्टील उन्हीं लोगों को दिया जाता था जो स्टील प्रासेसिंग इंडस्ट्रीज हैं । जहां तक मेरा इल्म है, इंडियन आयल कम्पनी स्टील प्रासेसिंग इंडस्ट्रीज नहीं है । अगर उसने कुछ एलोकेशन लिया तो उसकी बाबत मैं नोटिस चाहता हूं और पूछ कर ही बता सकता हूं । लेकिन मेरी इनफर्मेशन यह है कि वह स्टील प्रासेसिंग इंडस्ट्री नहीं है ।

**श्री क० ना० तीवारी** : बैरल्ज और ड्रम्ज की मुल्क की जरूरतें कितनी हैं? साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि प्रोडक्शन की एग्जिस्टिंग कैपेसिटी

क्या है? क्या यह सही है कि कैपेसेटी के मुताबिक अगर उनको कोटा दिया जाए तो देश की जो जरूरतें हैं वे पूरी हो सकती हैं? क्या यह भी सही है कि उनको केवल चालीस परसेंट ही कोटा दिया जाता है इस वास्ते वे एक शिफ्ट को भी पूरा नहीं चला पाते हैं? अगर पूरा कोटा दिया जाए तो वे डबल शिफ्ट काम करेंगे और ज्यादा लेबर एम्प्लाय होगी, क्या यह सही नहीं है: इस तरह से क्या कंट्री की जो नीड्ज हैं वे पूरी नहीं हो जाएंगी?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद :** जहां तक हमारे पास फ़िगर्ज हैं; टोटल कैपेसेटी करीब 56,000 टन की है और रा मैटीरियल जो दिया गया है 1966 में वह इस प्रकार है:

भारत बैरल्ज को 9877 टन
स्टैंडर्ड ड्रम को 7899 टन
इंडस्ट्रियल कंटेनर्ज को 2528 टन हिन्द गैलवैनाइजिंग कम्पनी को 5966 टन स्टील कम्पनी कंटेनर्ज को 529 टन।

**श्री क० ना० तीवारी :** मैंने यह पूछा है कि डबल शिफ्ट काम करने की जो उनकी कैपेसेटी है उसका क्या 40 परसेंट ही उनको नहीं जाता है और 60 परसेंट उनको नहीं मिलता है? यदि सैंट परसेंट दिया जाए तो जो देश की आवश्यकतायें हैं, वे क्या पूरी नहीं हो सकती हैं?

INDO-AFGHAN TRADE AGREEMENT

\+

*693. SHRI N. R. LASKAR:
SHRI ANBU CHEZHIAN:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Governments of India and Afghanistan have signed a new trade agreement for the year 1968-69;

(b) if so, the main features, thereof;

(c) whether this agreement is likely to increase the quantum of trade between the two countries; and

(d) if so, in what respects?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) A statement showing the main features of the new Indo-Afghan Trade Arrangement is placed on the Table of the House.

STATEMENT

*Main features of Indo-Afghan Trade Arrangement for* 1968-69.

(i) Imports into India of asafoetida, cumin seeds and medicinal herbs of Afghanistan origin will be allowed freely;

(ii) Imports of Afghan dry and fresh fruits into India will be permitted subject to quantitative ceilings;

(iii) Not less than 15% of the counter-exports by the importers in India, in payment for items covered by (i) & (ii) above, will be in the form of non-traditional goods *i.e.*, items other than textiles, tea, spices and coir products, and in accordance with the E.P. procedures of the Reserve Bank of India; and

(iv) Imports of wool and cotton from Afghanistan, and exports from India of items such as machinery, machine tools, automobiles iron and steel construction material etc., specified in the Trade Arrangement will be allowed against payments in free foreign exchange.

(c) Yes, Sir.

(d) The New Trade Arrangement is likely to result in expansion of the overall Indo-Afghan Trade, and also in the diversification of India's exports in non-traditional items.

SHRI N. R. LASKAR: Sir, with regard to parts (c) and (d) of the question, I would like to know the percentage of increase in our exports as a result of this new Trade Agreement?

SHRI DINESH SINGH: That will depend on the performance during the year.

SHRI N. R. LASKAR: Sir, when our hon. Minister visited recently the State of Afghanistan their Commerce Minister, Mr. Noor Ali expressed the concern of his Government at the extremely adverse effect of the closure of the land route on the Afghan trade and economy. He said that his govern-

ment had been making persistent efforts to have the land route reopened. May I know what our Government is doing in this regard?

SHRI DINESH SINGH: This was a matter which had been discussed with the Commerce Minister of Afghanistan. It is a matter with which we are also very deeply concerned. We are very anxious that the land route should be opened but with our present relations with Pakistan we are making very little headway in this matter. But we on our side are keen and the discussion that we had with the Afghan Commerce Minister shows that we are interested.

SHRI BAL RAJ MADHOK: Afghanistan is a land-locked country and there is no access for it to sea because of the forcible occupation of Pakhtoon area by Pakistan. So, its natural outlet to sea has been barred by Pakistan and it is preventing even direct access to Afghanistan by road by India. Because of the great importance of Indo-Afghan relations from the political and commercial point of view, may I know whether the Government of India will see that it provides subsidised air transport to Afghanistan for export of its goods to India and, secondly, whether the Government will liberalise its terms for imports that we get from Afghanistan?

SHRI DINESH SINGH: The Government of India is not proposing giving any subsidy for air transport of goods between India and Afghanistan......

SOME HON. MEMBERS: Shame, shame.

SHRI DINESH SINGH: ..... because the sea route is open and goods are travelling. I fail to understand the shame part of it, because it is the taxpayer who will have to subsidise this.

SHRI SRADDHAKAR SUPAKAR: Besides the air route, may I know if there is any other trade route to Afghanistan?

SHRI DINESH SINGH: I mentioned about the sea route to Afghanistan just now.

SHRI RANGA: The hon. Minister was just now saying that he was objecting to the suggestion of subsidy because he was afraid that the taxpayer would have to pay for it. Is it not a fact that it is at the cost of the tax-payer that all these incentives for exports are being given at present? Why is it in this particular case alone my hon. friend wants to trot out that as a very cheap reply?

SHRI BAL RAJ MADHOK: Misplaced love.

SHRI DINESH SINGH: The hon. Acharyaji knows very well that whenever there is the question of the utilisation of the money, which is the tax-payers' money, we have to be very careful about its spending and although certain export facilities have been given; there is no need felt so far in this case. That is why I said 'No'. It is not as if in my discretion I can give subsidy. In consideration of all aspects we felt that the money should not be spent.

SHRI HEM BARUA: Is it not a fact that during his recent visit to Kabul the hon. Minister discussed this question of reopening of the land route? If he did not, how does he propose to improve the trade relations between Afghanistan and India, which is a very important matter?

SHRI DINESH SINGH: I have said in my earlier reply that I have discussed this matter.

SHRI HEM BARUA: He had discussed it. He had discussion with the Afghan Government about the land route. We know it. We just want to know the outcome of that discussion.

SHRI DINESH SINGH: It is not in the hands of either Afghanistan or us to open a land route. We only agreed that every effort should be made to achieve this.

श्री ग़फ़ूर अली खां : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब मिनिस्टर साहब हाल ही में काबुल तशरीफ़ ले गये थे, तो वहां पर उन्होंने 1968–69 के लिए नये तिजारती मुआहिदे के अलावा और कोई

पायदार तिजारत का मुआहिदा अफ़गानिस्तान से किया है; अगर हां, तो वह क्या है।

**श्री दिनेश सिंह :** जी नहीं। और कोई वायदा नहीं किया है।

SHRI SHRI CHAND GOYAL: India has very close trade relations with Pakistan and in fact most of the consumer goods in Afghanistan are exported from India to Afghanistan. May I know whether Government has got any survey conducted to find out as to in what fields and for what Indian goods there is a market in Afghanistan so that we can increase our exports to Afghanistan and that of Afghan goods to India?

SHRI DINESH SINGH: The hon. Member mentioned that we had very close relations. I would like to say that we have still better relations than what we had in the past.

SHRI PILOO MODY: After your visit?

SHRI BAL RAJ MADHOK: We want them to be still better.

SHRI DINESH SINGH: I do not know about my visit. There have been some romantic speculations beyond what.... *(Interruption)*

SHRI J. B. KRIPALANI: Did this romance take place in Afghanistan or beyond Afghanistan?

SHRI DINESH SINGH: Leaving out the element of speculation in the whole question, what I had said is substantiated by facts and figures. Our trade with Afghanistan ten years ago was of the order of Rs. 3.35 crores and last year it went up to Rs. 7.50 crores. It is certainly an increase by any standard. So far as the question of making a study of the Afghan market is concerned, this is being done by the traders there and by our mission. There is a long list attached to the agreement about the goods which can be sold from India to Afghanistan.

SHRI SHIVAJIRAO S. DESHMUKH: You are well aware, Sir, of recent press reports about our efforts to undertake commercial sales of small arms and army equipment to Malaysia and South East Asian countries. Has the hon. Commerce Minister had any talks about commercial sales of small arms and defence equipment to Afghanistan?

SHRI DINESH SINGH: No, Sir.

**श्री महाराज सिंह भारती :** जैसा कि मंत्री जी ने बताया है, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध चाहे कितने ही मधुर और रोमान्टिक क्यों न हों, लेकिन, बीच में जो पाकिस्तान पड़ा हुआ है, वह न तो अफ़गानिस्तान से रोमांस करना चाहता है और न हम से और वही लैंड रूट है। अगर लैंड-रूट खुल भी जाये, तो इस बात की कोई गारण्टी नहीं है कि आता हुआ माल किसी दिन ज़ब्त नहीं कर लिया जायेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्तर्गत यूरोप से ले कर मलेशिया तक अन्तर्राष्ट्रीय रोड़वेज़ की एक योजना बनाई गई है। वह सड़क अफ़गानिस्तान और हिन्दुस्तान में से हो कर गुज़रती है। क्या सरकार ने कभी इस बात का प्रयास किया है कि ऐसी व्यवस्था की जाये कि उस सड़क से दो देशों के माल के गुज़रने पर कोई पाबन्दी नहीं लगाई जायेगी, सिवाये कस्टम वगैरह के कायदों के और संयुक्त राष्ट्र संघ इस बात की गारण्टी करे?

**श्री दिनेश सिंह :** जी हां। प्रयास ज़रूर किया है। माननीय सदस्य जिस सड़क की बात कह रहे हैं—एशियन हाई-वे की, जिस के बारे में एकाफ़े में बात चीत हो रही है, उस के पीछे भी यही विचार है कि उस के ज़रिये खुली तिजारत हो सके और उस में कोई रोक-टोक न हो, अलावा उन नियमों के, जो हर एक अपने यहां बना सकता है।

## BLACK-LISTING OF MESSRS. AMINCHAND PYARELAL

*694. SHRI ABDUL GHANI DAR: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the firm of M/s. Aminchand Pyarelal was black-listed during 1963-64;

(b) if so, for what period, how many times and on what grounds;

(c) the grounds on which the order of black-listing the said firm was withdrawn; **and**

(d) whether any Chief Minister sent a D.O. letter to the Union Government in their favour and, if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) to (c). During 1963-64, the firm of Messrs. Amin Chand Pyarelal was not black-listed by the Department of Iron & Steel. However, an order under the Standardised Code, banning them and their associates for a period of two years was issued by the Iron and Steel Controller on 31st July, 1963. The ground for banning the firm and their associates was the failure on the part of M/s. Surrendra Overseas (Private) Limited, an associate of Messrs. Amin Chand Pyarelal, to account for 724 tonnes of Steel Rounds of substandard quality, imported by them in 1957. The ban order was not withdrawn during, but was allowed to expire at the end of, the currency of the two-year period, *viz.,* on 31st July, 1965.

(d) According to information available, no letter was addressed by any Chief Minister to the Union Government regarding the ban order of 31st July, 1963, against M/s. Amin Chand Pyarelal.

**श्री अब्दुल गनी दार :** क्या वजीर साहब बताएंगे कि अमी चंद प्यारे लाल को एक बार नहीं दो बार ब्लैक लिस्ट पर किया गया और दो बार फिर उन को व्हाइट लिस्ट पर लाया गया? अक्तूबर में उन को ब्लैक लिस्ट पर किया गया और जनवरी में व्हाइट लिस्ट पर लाया गया। तो इन दो महीनों में सरकार को क्या उन पर यकीन हो गया कि जिस की वजह से उन को ब्लैक लिस्ट से व्हाइट लिस्ट पर किया गया ?

दूसरे, क्या यह सच है कि इस सिलसिले में पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री प्रताप सिंह कैरों ने अपना डी० ओ० लखा था जो डी० ओ० कि "हिस्टारिक एन्क्वायरी आफ्टर वारेन हेस्टिंग्ज" में छप भी गया था और जिस का ज़िक्र राज्य सभा में बार-बार चलता रहा और सरकार ने माना कि उन्होंने डी० ओ० लिखा तो क्या उन के डी० ओ० की वजह से उन को ब्लैक लिस्ट से व्हाइट लिस्ट पर किया गया ?

[ کیا وزیر صاحب بتائیں گے کہ امی چند پیارے لال کو ایک بار نہیں دو بار بلیک لسٹ پر کیا گیا اور دو بار پھر ان کو وھائٹ لسٹ پر لایا گیا : اکتوبر میں ان کو بلیک لسٹ پر کیا گیا اور جنوری میں وھائٹ لسٹ پر لایا گیا - تو ان دو مہینوں میں سرکار کو کیا ان پر یقین ھو گیا کہ جس کی وجہ سے ان کو بلیک لسٹ سے وھائٹ لسٹ پر کیا گیا -

دوسرے کیا یہ سچ ھے کہ اس سلسلے میں پنجاب کے بھوت پورو مکھیہ منتری شری پرتاپ سنگھ کیروں نے اپنا ڈی - او لکھا تھا جو ڈی - او - کہ ھسٹورک انکوائری افٹر وارن ھسٹنگز میں چھپ بھی گیا تھا اور جس کا ذکر راجیہ سبھا میں بار بار چلتا رھا اور سرکار نے مانا کہ انہوں نے ڈی - او - لکھا تو کیا ان کے ڈی - او - کی وجہ سے ان کو بلیک لسٹ سے وھائٹ لسٹ پر کیا گیا-

**इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री प्र० चं० सेठी)** : अध्य होदय, जैसा कि उत्तर में कहा गया है इस फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। लेकिन इनके साथ बिजनेस सस्पेंड करने का आदेश 1962 में दिया गया जो अभी तक कार्यान्वित है। इस के बाद 1963–64 में इन का बिजनेस बैन किया गया। वह आर्डर 1965 में एक्सपायर हो गया। इस के पश्चात् 1966 में फिर पी० ए० सी० की रिपोर्ट के बाद इनका बिजनेस 3 साल के लिए बैन किया गया। वह आज भी कार्यान्वित है। जहां तक ब्लैक लिस्ट का ताल्लुक है फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया। जहां तक पंजाब के भूत-पूव मुख्य मंत्री श्री प्रताप सिंह कैरो का ताल्लुक है, उन्होंने इन की ब्लैक लिस्टिंग के सम्बन्ध में कोई पत्र नहीं लिखा। हां, इंडस्ट्रिअल लाइसेंसिंग के सम्बन्ध में उन के कुछ पत्र थे।

**श्री अब्दुल गनी दार** : क्या वजीर साहब बताएंगे कि इन का, बदकिश्मती से दो मिनिस्टर साहबान के साथ ताल्लुक रहा : एक दफा सरदार स्वर्ण सिंह ने उन को ब्लैक लिस्ट पर किया और एक दफा श्री मनु भाई शाह ने इन को ब्लैक लिस्ट पर किया। ब्लैक लिस्ट होने के बाद इन्होंने तरह-तरह की और फर्मों के नाम से, सुरेन्द्र ओवरसीज़ एजेन्सी का तो आप ने जिक्र किया, लेकिन कई और फर्में बना कर उन के नाम से इम्पोर्ट लाइसंस लेने में यह काफ़ी कामयाब रहे, क्या यह सरकार की नोटिस में है यदि था है तो जब उन को ब्लैक लिस्ट किया गया तो जो फर्म उन्होंने नये नाम से बनाई उन को फिर से इजाजता क्यों दी गई ?

[ کیا وزیر صاحب بتائیں گے کہ ان کا بدقسمتی سے دو منسٹر صاحبان کے ساتھ تعلق رہا - ایک دفعہ سردار سورن سنگھ نے ان کو بلیک لسٹ کیا اور ایک دفعہ شری منو بھائی شاہ نے ان کو بلیک لسٹ پر کیا - بلیک لسٹ ہونے کے بعد انہوں نے طرح طرح کی اور فرموں کے نام سے سرینڈر اوورسیز ایجنسیز کا تو آپ نے ذکر کیا لیکن کئی اور فرمیں بنا کر ان کے نام سے امپورٹ لائسنس لینے میں یہ کافی کامیاب رہے - کیا یہ سرکار کے نوٹس میں ہے - یدی ہے تو جب ان کو بلیک لسٹ کیا گیا تھا تو جو فرمیں انہوں نے نئے نام سے بنائیں ان کو پھر سے اجازت کیوں دی گئی - ]

**श्री प्र० चं० सेठी** : मैं ने तो बताया कि यह ब्लैक नहीं हुए। उन के साथ बिजनेस का सस्पेंसन और बैनिंग हुआ और जो हुआ वह अमी चंद प्यारे लाल ग्रूप के साथ हुआ और वह आर्डर कार्यान्वित रहा।

**श्री रवि राय** : अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं अभी चन्द प्यारे लाल के बारे में सदन में बहुत चर्चा हो चुकी है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं यह ब्लैक लिस्ट करने और उन के साथ बिजनेस पर बैन लगाने, इन दोनों में क्या अन्तर है ? और दूसरे, अमी चंद प्यारे लाल की और से कांग्रेस दल या दूसरे दलों को राजनैतिक चन्दे के

रूप में कितना रुपया दिया गया, इसका ब्योरा मंत्री जी देंगे ?

**श्री प्र० चं० सेठी :** अध्यक्ष महोदय, ब्लैक लिस्टिंग और बैनिंग या सस्पेंशन आफ बिजनेस का जहां तक ताल्लुक है इस के सम्बन्ध में डाइरेक्टोरेट जनरल आफ सप्लाइ ऐंड डिस्पोजल्स के द्वारा बनाया हुआ एक स्टैंडाइज्ड कोड है, उस के मुताबिक यह कार्यवाही की जाती है। जब किसी फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाता है तो उस के बारे में सारी जानकारी सब मिनिस्ट्रीज़ को सर्कुलेट कर दी जाती है और उस के बाद उन मिनिस्ट्रीज़ के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह भी उस फर्म से कोई ताल्लुक न रखें। जहां तक बैनिंग का ताल्लुक है वह इनफार्मेशन भी सारी मिनिस्ट्रीज को दी जाती है लेकिन उन के लिए आवश्यक नहीं है कि वह अमल तौर पर वैसा करें, वह अपनी इच्छा के अनुसार उस पर कार्यवाही करें या न करें, यह उन के ऊपर छोड़ा जाता है। यह अन्तर दोनों में है। जहां तक राजनैतिक पार्टियों को चन्दा देने का ताल्लुक है मेरे पास उस की जानकारी नहीं है। आम तौर पर सभी पार्टियों को इस तरह का चन्दा लोग देते हैं ?

SHRI S. M. BANERJEE: In this House a question was raised that they wanted an import licence for certain imported articles to complete the Park Hotel in Calcutta. We were assured that this would not be given to them because there were serious charges against this particular firm. But the Hotel has gone up as the Government's promises have gone down. We have seen that in Calcutta. I would like to know whether it is a fact that a bold declaration has been made by one Mr. Jit Paul that since his company and himself have stood 90 per cent of the expenses of Durgapur Congress last year, there is no power on earth which can possibly.... (*Interruptions*)

Mr. SPEAKER: Has he said that he has stood 90 per cent of the expenses of Durgapur Congress?

SHRI S. M. BANERJEE: He has said to many.....

MR. SPEAKER: It is something very strange.... (*Interruptions.*)

SHRI S. M. BANERJEE: My question is this. He has made a statement, when the question was raised by Mr. Limaye and others in this House, that all the Opposition combined together will not be able to beat him because certain Ministers are in his left and right pockets and he has paid a huge amount to Congress coffers....

MR. SPEAKER: He may ask his question.

SHRI S. M. BANERJEE: I want to know why an import licence was given to complete the Hotel, whether there were any restrictions and if so, why those restrictions were not followed, and what was the amount paid to the Congress both for elections and for Durgapur Congress.

SHRI P. C. SETHI: I have no information about this.

SHRI S. M. BANERJEE: No information?

MR. SPEAKER: How can the Steel Ministry have information about Hotels?

Mr. Tiwary.

SHRI D. N. TIWARY: There were serious charges against this firm. May I know whether, at any time in the past, the matter of Aminchand Pyarelal was sent to the Vigilance Commission and their opinion obtained and, if so, what was their opinion?

SHRI P. C. SETHI: The entire deals relating to this firm and others have been gone into by the Sarkar Committee. Their report has come. Their report was also sent to the Vigilance Commission and the Vigilance Commission has concurred with the entire report of the Sarkar Committee.

As far as certain transactions are concerned which relate to contravention of foreign exchange regulations, the matter has been referred by the Sarkar Committee to the Reserve Bank of India and they in their turn have referred the matter to the C.B.I. for inquiry. That inquiry is still going on.

SHRI UMANATH: The latest investigation with regard to the shady deals of this company and its *modus operandi* was by the Sarkar Committee, and that Committee at various places has consistently mentioned that this shady deal was possible because that firm was in a position to get advance information of any intended transactions either by the public sector companies or by the Ministry itself. It has held so in that report. I understand that subsequent to 1961 the Government is in possession of a CBI investigation report about the shady deal of this company which mentions two important dignitaries being the recipients of financial favours from this company, one belonging to the Cabinet level and the other, another very important..... (*Interruptions*)

SHRI S. M. BANERJEE: This is a very serious charge. He should mention the names.

MR. SPEAKER: Not necessary.

SHRI UMANATH: My information is that the CBI investigation report which is in the hands of the Government mentions Mr. Swaran Singh and Mr. Hukam Singh, who is a Governor, as being recipients of financial favours from this company. I am mentioning this because the Sarkar Committee holds that this company has been receiving advance intimation from higher-ups and all those things. My question now is whether the Government placed this CBI investigation report before the Sarkar Committee in order to help it to come to a proper conclusion as to the real culprits behind the entire shady deal. If they had not placed it, I would like to know from the hon. Minister whether the reason was to prevent the committee from catching hold of the real culprits.

SHRI P. C. SETHI: All the relevant papers and records which were asked for by the committee were sent to them.

**श्री मधु लिमये** : "आस्क्ड फौर नहीं, उन का सवाल दूसरा है। क्या सारे कागतजात खुद आपने रखे"

SHRI P. C. SETHI: I am sorry that the hon. Member is making such remarks about the Ministers and the hon. Governor. No such thing has been said by the Sarkar Committee. On the other hand, the Sarkar Committee has exonerated the two Ministers, Shri Swaran Singh and Shri C. Subramaniam.

SHRI UMANATH: I am referring to the CBI report.

SHRI P. C. SETHI: The Sarkar Committee has not said anything about them. On the contrary, they have said.....

SHRI UMANATH: He is diverting my question. My question was this. Government are in possession of a CBI report. Let him say whether it is true or not. Secondly, I would like to know whether that report was placed before the Sarkar Committee. If it was not placed I would like to know whether the reason was to prevent the real culprits being traced. Let him come out with the CBI report.

SHRI P. C. SETHI: All concerned papers and reports necessary were put before them.

SHRI UMANATH: He is trying to go away from the question. I want a categorical answer in regard to the CBI report.

SHRI P. C. SETHI: I am not trying to go away from the question. Everything which was possible and which was there was placed before them.

SHRI UMANATH: My question has not been answered. I am not asking whether every paper was connected and it was placed. My question is whether the CBI report was placed before them.

MR. SPEAKER: He need not repeat it. The question is very clear. If the hon. Minister has information, let him answer. If he does not have information, let him say that he has no information.

SHRI P. C. SETHI: I do not know to which CBI report the hon. Member is referring. All the connected papers were placed before the committee; they have gone into all the reports, and this matter was referred to the Vigilance Commission, before, and it was

referred to the Commission, even after the inquiry committee's report; so, the Vigilance Commission was in the picture throughout.

SHRI UMANATH: Will he place the CBI report before the House?

MR. SPEAKER: Can the House presume that the CBI report was placed before the Central Vigilance Commission?

SHRI P. C. SETHI: I do not know to which CBI report he is referring. The entire matter was placed before the Vigilance Commission and the inquiry committee and the Vigilance Commission has gone into it, and the Sarkar Committee has gone into it, and the Sarkar Committee's report has also been sent to the Vigilance Commission and the Vigilance Commission has completely concurred with the report.

SHRI INDER J. MALHOTRA: Some time back, the Central Government ordered an inquiry regarding the issue and utilisation of stainless steel quota in Jammu and Kashmir State, and this firm was also involved in it. May I know whether the hon. Minister is aware of this fact that such an inquiry had been ordered, and if so, what has happened to that inquiry?

SHRI P. C. SETHI: I want notice.

**श्री शिवनारायण**: अभी चन्द प्यारे लाल का बीच में दो वर्ष के लिये सस्पेन्शन था—क्या यह सही है कि उन के जिम्मे सरकार का 195 लाख रुपया इन्कमटैक्स का बाकी था, इस लिये उनको सस्पेंड किया गया था, ब्लैक-लिस्ट किया गया था? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह रुपया वसूल हुआ या नहीं?

MR. SPEAKER: How can the Steel Minister answer about income-tax?

SHRI SHEO NARAIN: They said that the firm was going to be suspended. Why was it suspended. What happened to the income-tax arrears?

MR. SPEAKER: I know that the hon. Member's question is very important, but the Steel Minister cannot answer it. That is the only difficulty. In regard to income-tax how can the question be answered by the Steel Minister?

SHRI SHEO NARAIN: This relates to Aminchand Pyarelal.

MR. SPEAKER: Everything pertaining to Aminchand Pyarelal cannot be answered by one Minister.

SHRI S. M. BANERJEE: He wants to know whether this was one of the causes for blacklisting. He should answer this.

MR. SPEAKER: If the hon. Minister can answer it, I have no objection.

SHRI S. M. BANERJEE: He should answer the question.

**श्री एस० एम० जोशी**: वह पूछ रहे हैं कि क्या यह भी एक कारण था या नहीं?

**श्री प्र० चं० सेठी**: ब्लैक-लिस्ट तो उन का हुआ ही नहीं, उन के साथ बैनिंग हुआ था.... (**व्यवधान**)...

**श्री कंवर लाल गुप्त**: इस फर्म के खिलाफ़ सी० बी० आई० ने कितने बार एन्क्वायरी की और किन किन एलीगेशन्ज पर की? सी.बी.आई. की फाइण्डिंग्ज़ क्या हैं तथा उन फाइण्डिंग्ज़ के आधार पर सरकार ने उन पर क्रिमनल केस क्यों नहीं चलाया?

SHRI P. C. SETHI: I could not say about the all Government Departments and all the CBI reports and on all the subjects. This is a bigger question which would involve perhaps other Ministries also.

SHRI KANWAR LAL GUPTA: What are the main findings of the CBI? Tell him to tell us the main findings of the CBI.

SHRI P. C. SETHI: In what respect and in what connection? Unless the particular reference is given, how can I say?

SHRI RANGA: Arising out of his answer concerning the CBI reports in regard to this infamous firm of Aminchand Pyarelals, would the hon. Minister, since he does not have the information now, look into all those records and be good enough to place those recommendations on the Table of the House as soon as possible, if not immediately during this session at least by the time we come back for the next session?

Shri S. M. Banerjee has already referred to it, and, therefore, I need not mention names of those great dignitaries. Would the hon. Minister be good enough to say specifically one thing? In regard to these allegations that have been made, this is not the first time that these allegations have been made. This is not the first time that these names have been mentioned in this House; several times in the past they have been mentioned, and the Ministers concerned also had something to say in this House.

Would the hon. Minister be good enough to say whether that particular CBI report was placed before the Sarkar Committee and whether also, after the CBI concludes its report on the query made by the Reserve Bank of India, that report would be placed before that commission and whether both these reports or their summaries would be placed on the Table of the House?

SHRI P. C. SETHI: I have already stated that with regard to the foreign exchange infringement, the matter is being investigated by the CBI. With regard to the imports that this party has done in excess of what they were allowed to do, about two or three cases relating to these imports are under inquiry by the CBI.

As regards the other question about the other subjects on which the CBI has inquired into the working of this firm, I shall certainly collect the information and place it on the Table of the House.

**श्री रवि राय**: इस रिपोर्ट में दो डिगनेटरीज के नाम हैं या नहीं?

SHRI P. C. SETHI: Which report?

**हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल**

†696. **श्री ओंकार सिंह**:

**श्री जगन्नाथराव जोशी**:

**श्री राम गोपाल शालवाले**:

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल में हाल ही में केवल मध्य प्रदेश के ही इंजीनियरों की नियुक्ति की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण भूमिगत तारों के मामलें में एक लाख रुपये तक की हानी हुई है और अपेक्षित दस्तावेजों के समय पर बम्बई पत्तन में न पहुंचने के कारण हानि के रूप में एक लाख रुपये की हानि हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसी लापरवाही के कारण 30,000 रुपये के मूल्य की 4,700 लिटर वार्निश भी नष्ट हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो दोषी पाये गये अधिकारियों के नाम क्या हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फ़खरुद्दीन अलीअहमद)**: (क) से (घ): एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

(क) हेवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लि०, भोपाल द्वारा पिछले 10 वर्षों में लगभग 500 स्नातक अप्रैंटिस इंजीनियरों की अखिल भारत के आधार पर भर्ती की गई थी। तथापि, हाल ही में केवल मध्य प्रदेश के आवेदकों में से तथा कम्पनी के निम्न पदों से पदोन्नति के द्वारा 31 इंजीनियरों के एक दल का चयन किया गया था। ऐसा इसलिए हुआ कि केवल इसी राज्य से कई सौ अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों ने आवेदन दिये थे और आवश्यकता कम व्यक्तियों की होने के कारण व्यवस्थापकों ने इन्हीं उम्मीदवारों तक चयन सीमित रखा। व्यवस्थापकों के इस निर्णय का सरकार ने अनुमोदन नहीं किया और व्यवस्थापकों ने अब इसकी पुष्टि कर दी है कि भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जायगी।

(ख) दिसम्बर, 1960 में कम्पनी ने 594,798 रु० के मूल्य के जमीन के नीचे बिछाये जाने वाले केबलों के लिये आर्डर दिया था। अगस्त, 1961 में 55,088 रु० के मूल्य के केबलों की पूर्ति हो जाने के बाद शेष के लिये आर्डर रद्द कर दिया गया था क्योंकि जो माल दिया गया वह सन्तोषजनक नहीं समझा गया और 648.600 रु० की लागत के

केबलों के लिये एक दूसरी कम्पनी को एक नया आर्डर दे दिया गया था। तुरंत आवश्यकता के कारण ऊंची दर पर केबल खरीदने से 108,890 रु० अधिक खर्च करने पड़े।

कम्पनी ने 94,028.48 रु० विलम्ब शुल्क दिया है। लोहा तथा इस्पात नियंत्रक से कहा गया है कि इसमें से 25,698.96 रु० का दायित्व वह बर्दाश्त करें क्योंकि विलम्ब शुल्क का यह अंश उनके कार्यालय के जरिये कागजात भेजने में विलम्ब का द्योतक है।

(ग) देश में साधनों से 4,700 लिटर 'थर्मो हार्योनिंग वार्निश' खरीदी गई थी। खरीदने के समय उसकी किस्म सन्तोषजनक थी किन्तु उपयोग में देरी होने से और वार्निश की अवधि समाप्त हो गई और वह इस्तेमाल नहीं की जा सकी। फलस्वरुप लगभग, 30,000 रु० की हानि हुई।

(घ) इंजीनियरों की नियुक्त के बारे में व्यवस्थापकों के निर्णय का सरकार ने अनुमोदन नहीं किया है और व्यवस्थापकों ने अब इसकी पुष्टि कर दी है कि भविष्य में इस प्रकार की कार्रवाई की जायगी।

(2) ऊंची कीमतों पर केबलों की खरीद के संबंध में व्यवस्थापकों ने जांच का आदेश दे दिया है जिससे उत्तरदायित्व निश्चित किया जा सके और जांच के परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है। जहां तक विलम्ब शुल्क का संबंध है, कम्पनी से इसकी जांच करने के लिए कहा गया है कि इतना अधिक विलम्ब शुल्क क्यों हुआ और इस बात का सुनिश्चय करने के हेतु कारगर कारवाई करने के लिए कहा गया है कि भविष्य में इस प्रकार का विलम्ब-शुल्क फिर न लगने पाये।

(3) वार्निश का समय से इस्तेमाल न किये जाने के प्रश्न की जांच पड़ताल करने के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों की एक विभागीय समिति नियुक्त की गई थी। समिति का यह मत था कि पेंट और वार्निश की कुछ मदों के लिए अधिक मांग-पत्र (इन्डेंट) दिये गए और ऐसा क्रय प्रक्रियाओं वस्तु सूची नियंत्रण तथा परियोजना के प्रारम्भिक चरणों में अपर्याप्त अनुभव के कारण हुआ। इसके अलावा अधिक उत्पादन के लक्ष्य का अनुमान लगाया था जिसके फलस्वरूप यह माल अधिक परिमाण में खरीदा गया। समिति द्वारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुझाये गये उपाय लागू कर दिये गये हैं।

**श्री ओंकार सिंह**: क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार की पौलिसी के मातहत तीसरी श्रेणी तथा पांचवी श्रेणी के अलावा अन्य सभी कमचारी भारतीय स्तर पर रखे जाने चाहियें। लेकिन वहां पर इस पालिसी के बजाय प्रान्तीय स्तर पर लोगों को रखा गया है—इस का कारण क्या है? यदि इस में भारत सरकार के नियम का उलंघन हुआ है तो भविष्य में इस को बचाने के लिये सरकार ने क्या किया है?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद**: जैसा कि जवाब में बतलाया गया है अभी तक 500 इन्जीनियर्स रखे गये हैं जिनको आल-इण्डिया बेसिज पर लिया गया था। लेकिन अभी हाल में 31 इन्जीनियर्स और लिये गये हैं, जिनको प्रमोशन के बेसिज पर लिया गया है या मध्य प्रदेश से लिया गया है। मध्य प्रदेश से इस लिये लिया गया था कि वहां पर बहुत सारे इन्जीनियर्स अन-एम्पलायड थे। गवर्नमेन्ट ने उन को लिखा है कि ऐसी एप्वाइन्टमेन्ट्स प्राविन्स के बेसिज पर नहीं होनी चाहिये, बल्कि आल इण्डिया बेसिज पर होनी चाहियें। कम्पनी ने इस बात को मान लिया है कि आइन्दा वह इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब भी वह रेपटमेन्ट करेंगे—आल इण्डिया बेसिज पर करेंगे।

**श्री ओंकार सिंह**: वहां पर जो हानि हुई है, उस हानि की जांच और उस से बचने के लिये क्या सरकार कोई कमेटी मुकर्रिर करने को तैयार है, जिससे कि भविष्य में इस प्रकार की हानियों और त्रुटियों से बचा जा सके तथा वह रिपोर्ट सदन के सामने पेश हो?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद**: जहां तक केबल्ज खरीदने का ताल्लक है—ज्यादा

कीमत पर खरीदे गये और एक फर्म से न लेकर दूसरी फर्म से लिये गये—हम ने उन से कहा है कि कम्पनी इस में जांच करें और रेस्पोन्सिबिल्टी फिक्स करे कि किस की वजह से यह सब हुआ है। जब उसकी रिपोर्ट आयेगी तब इस के बारे में मालूम होगा। यह मामला एस्टीमेट्स कमेटी में भी जानेवाला है, उनकी रिपोर्ट आने पर जो कार्यवाही जरूरी समझेंगे करेंगे।

**श्री राम गोपाल शालवाले**: भूमिगत तारों में जो एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है—उस नुकसान में किन लोगों का हाथ था। क्या यह सच है कि इस बड़े कारखाने में कुछ पाकिस्तानी तत्व काम करते हैं और उन पाकिस्तानी तत्वों के कारण इस प्रकार का नुकसान हुआ है? यदि यह सच है, तो इतने महत्वपूर्ण कारखाने में इस प्रकार के जो लोग काम करते हैं, उन की जांच के लिये क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है, अगर नहीं की है, तो क्या अब करने का इरादा है?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद**: मैंने पहले सवाल का जवाब दे दिया है कि हम इंक्वायरी कर रहे हैं कि नुकसान के लिए कौन कौन जिम्मेदार हो सकते हैं। उसकी इंक्वायरी होगी और एस्टिमेटस कमेटी की भी रिपोर्ट आयेगी, फिर गौर किया जायेगा। इस बात की इतला मेरे पास नहीं है कि नुकसान किसी पाकिस्तानी की वजह से हुआ है या कोई पाकिस्तानी इस कारखाने में काम कर रहा है।

**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह**: क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश के जो इंजीनियर्स हेवी एलेक्ट्रिकल्स, भोपाल की सर्विस में लिए गए हैं वे उन इंजीनियर्स में से थे जो अन्तर्प्रान्तीय चमोली योजना का काम पूरा हो जाने के कारण बेकार हुए हैं?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद**: आजकल बहुत सारे इंजीनियर्स जिन्होंने कि हाल में पास किया है उनको भी नौकरी नहीं मिल रही है और कुछ पुराने भी बेकार होंगे। दोनों सूरतों में हो सकता है कि बेकार हों।

**राजनैतिक दलों को धन दिया जाना**

*697. **श्री बृज भूषण लाल**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितनी कम्पनियों में 25 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी लगी हुई है;

(ख) 1966–67 में इन कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को कितनी-कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) राजनीतिक दलों को दी गई इस राशि में कितनी विदेशी पूंजी शामिलहै;

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATH REDDI): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**राजनैतिक दलों को धन दिया जाना**

*704. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**:
**श्री जि० ब० सिंह**:
**श्री राम सिंह अयरवाल**:

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है जिनमें सरकार अथवा ऐसी संस्थाओं के 25 प्रतिशत अंश हैं, जिनमें सरकारी पूंजी लगी हुई हैं;

(ख) 1966–67 में उक्त कम्पनियों ने राजनीतिक दलों को कितनी धनराशि दान में दी; और

(ग) उक्त धनराशि में सरकारी तथा सार्वजनिक धनराशि का औसत कितना है?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAGHUNATH REDDI): (a) to (c). The information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

SHRI S. M. BANERJEE: Previously the notice was only 10 days; now it is 21. You know how questions come up. They are all by ballot, and

in the process some are lost. Even then, the Minister says that the information is being collected. Kindly advice us what we have to do

MR. SPEAKER: We will have it again. We will postpone it, if it is the desire of the House. I will do that so that it does not lapse.

SOME HON. MEMBERS: Yes.

MR. SPEAKER: Let them get the information: we will take it up on some other day.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): If hon. members want correct information, it will have to be collected from nearly 30,000 companies.

SHRI S. M. BANERJEE: So what?

SHRI F. A. Ahmed. These figures have to be collected by the Registrar; then they have to be verified with records in the Ministry. Unless and until I am sure about the correct information, it will not be possible to give it. But I did have some survey of companies; if that will satisfy hon. members, that can be given. But if they want exact information, it cannot be done within such a short time.

SHRI S. M. BANERJEE: He can give incorrect information and then correct it.

MR. SPEAKER: I do not think it will be possible even in the next two or three days to collect it. Shri Brij Bhushan Lal.

**श्री बृज भूषण लाल**: अध्यक्ष महोदय, अखबारों को पढ़ने से पता चल रहा है कि कम्पनीज जो डोनेशन्स पोलिटिकल पार्टीज को दे रही हैं उसको कानून द्वारा रोका जा रहा है। तो मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कांग्रेस बीस वर्षों से इस देश में हुकूमत कर रही है, अब क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि एक कानून बनाकर कम्पनीज को डोनेशन्स देने से रोका जा रहा है? ऐसा तो नहीं है कि उन कम्पनीज ने दूसरी पोलिटिकल पार्टीज को भी डोनेशन्स देना शुरू कर दिया हो. इसलिए इस चीज को रोकने के लिए सरकार कानून लाना चाहती है?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद**: यह खयाल गलत है कि चूंकि कम्पनीज ने दूसरी पार्टीज को डोनेशन देना शुरू कर दिया इसलिए कानून लाया जा रहा है बल्कि कानन इसलिए लाया जा रहा है कि हम चाहते हैं कि कम्पनीज का जो पैसा हो वह ज्यादा से ज्यादा कम्पनीज के डेवलपमेन्ट में लगे या जो लोग उसमें इन्वेस्टमेन्ट करते हैं उनको उसका प्राफिट मिले।

**श्री बृज भूषण लाल**: यह जो कम्पनीज पोलिटिकल पार्टीज को डोनेशन्स देती हैं इसमें फारेन मनी भी शामिल है और जो फारेन मनी शामिल है उसका असर पोलिटिकल पार्टीज और इन्डिवीजुअल्स पर है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता, तो मैं जानना चाहता हूं कि उसको राकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं?

**श्री फखरुद्दीन अली अहमद**: यह तो सवाल ऐसा है कि कि जो ऐसी कम्पनीज हैं जिनमें फारेन हिस्सा है तो उसी हिस्से के प्रपोर्शन में कन्ट्रीब्यूशन देते हैं तो उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा जब इस तरह का कानून बना रहे हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी**: अध्यक्ष महोदय, सरकार जो कम्पनियों का चन्दा रोकने के लिए बल ला रही है, अच्छा है बल्कि उसे जल्दी आना चाहिए था लेकिन मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उनके पास पूरी जानकारी है, कुछ चीजें समाचार-पत्रों में छपी हैं, वे सही हैं या नहीं?

एक प्रेस रिपोर्ट यह है:

"In more than 400 companies each having over Rs. 50 crores paid up share capital, the public sector companies have got more than 25 per cent shareholdings. Out of every crore paid as donation to political parties, Rs. 25 lakhs are paid by the Government to the political party."

क्या सरकार इस जानकारी की पुष्टि करने की स्थिति में है?

SHRI F. A. AHMED: As I have said earlier, unless the entire information is with me, it may not be possible for me to confirm or contradict it.

SHRI LOBO PRABHU: Will the Ministry collect information about other donations? Would it also collect information about foregin contributions to them? Will it also collect information on the contribution given by trade unions to their representatives? Because, the principle should be that if one side gives up the donation or assistance it gets, the other sides should also give up the same.

SHRI F. A. AHMED: I do not know what the hon. Member means. There are no organisations through which foreign countries make these contributions, so far as my ministry is concerned. I have no organisation through which this information could be collected. If there is a feeling that some contribution is coming from outside, it is for the hon. Member to direct his question to the ministry concerned and they will certainly supply him information.

SHRI K. LAKKAPPA: Is it a fact that certain sections of the Congress headed by Mr. S. K. Patil.... (*Interruptions.*)

MR. SPEAKER: Yesterday also I requested you not to bring in the names of persons who are not here to defend themselves.

SHRI K. LAKKAPPA: ...headed by big congress leaders who were defeated in the general elections but who are in the working committee are putting pressure to stop legislation being enacted to prevent donations by big industrialists who are in the hands of these congress leaders? What action is this government taking to resist that pressure?..... (*Interruptions.*)

MR. SPEAKER: Please allow the Minister to reply. Otherwise, the allegation goes unchallenged.

श्री मधु० मा० खां० : क्या ये सारे प्रतिबन्ध हम लोगों के लिए ही हैं?

SHRI F. A. AHMED: The hon. Member is entitled to have his opinion. Other persons including the Congressmen are entitled to have their opinion. Government cannot take any action against people holding a different opinion.

SHRI TENNETI VISWANATHAM: The hon. Minister says it is a matter of opinion. We want to know whether they are going to introduce legislation or not.

SHRI F. A. AHMED: It is already before the House.

## SHORT NOTICE QUESTION

### STOPPAGE OF PRODUCTION IN ZINC SMELTER AT UDAIPUR

SNQ 13. SHRI BHOLA NATH MASTER:
SHRI YASHPAL SINGH:
SHRI KANWAR LAL GUPTA:
SHRI NAVAL KISHORE SHARMA:
SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI:

Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the production in Zinc Smelter at Udaipur has been stopped thereby resulting in unemployment of workers;

(b) whether it is also a fact that huge stocks have piled up; and

(c) if so, the steps Government propose to take to meet the situation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI P. C. SETHI): (a) The production in the Zinc Smelter has been temporarily stopped but no permanent or regular employee has been retrenched.

(b) There has been accumulation of stocks as under:—

| | | |
|---|---|---|
| Zinc ingots | | 4938 tonnes |
| Cadmium | ... | 23 ,, |
| Superphosphate | ... | 18650 ,, |

(c) Steps are being taken by the Government to review and restrict the import of zinc and superphosphate to the minimum. Import of cadmium has been restricted. In the case of zinc, arrangements are being made to divert a part of the stocks for galvanising purposes. Efforts are continuing to clear the stock of superphosphate. Hon'ble Chief Minister of Madhya Pradesh Government has assured to take 15,000 tonnes of superphosphate, on an immediate basis. With these measures the factory is expected to resume production from 15th September, 1968.

**श्री भोला नाथ मास्टर**: अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में एक मात्र यह पबलिक सैक्टर में इंडस्ट्री है जोकि सिलवर कैड्मिम और लैड प्रोड्यूस करती है और जहां तक इन तीन चीजों का सम्बन्ध है इन की सेल की कोई प्राबलम नहीं है। इस के अलावा वहां जिंक और सुपरफासफेट का भी प्रोडक्शन होता है। अभी यह जनवरी के महीने में उस जिंक स्मैलटर ने प्रोडेक्शन वर्क शुरू किया था और उस के इनआगुरेशन के सिलसिले में हमारे माननीय उपप्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने यह कहा था :

"We have been dependent for our zinc requirements on import which caused a great drain on our scarce foreign exchange resources. I am particularly happy that the quality of this metal is superior to the one guaranteed under the agreement with French experts."

इस की तारीफ़ 6 महीने पहले हो चुकी थी और उस जिंक स्मैलटर का प्रोडक्शन भी 200 परसैंट अधिक बढ़ गया है उस के बारे में जो रिपोर्ट हम में सरकुलेट की गई थी उस में कहा गया था :

"Hindustan Zinc Limited, since its inception, has strived to attain optimum production and has succeeded spectacularly having no public or private unit in India capable of claiming a similar result."

हमारे यहां रोजाना सवाल उठाये जाते हैं कि पबलिक सैक्टर में जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं वह पूरी तौर से प्रोडेक्शन नहीं कर पा रही हैं लेकिन यह हिन्दुस्तान जिंक लिमिटैड ही एक ऐसी कंसर्न है जोकि औप्टिमम प्रोडक्शन कर रही थी। जिंक और सुपरफासफेट फर्टिलाइजर के अत्याधिक इकठ्ठा हो जाने के कारण इस फैक्टरी को लैटर हाफ औफ़ जूलाई में अर्थात् 6 महीने बाद बंद कर देना पड़ा और जैसा कि मंत्री साहब ने बतलाया उस के काम को यकायक रोक देना पड़ा। मैं इस सवाल को दो हिस्सों में ही पूछना पसन्द करूंगा क्योंकि एकदम जवाब देने में मुश्किल होगी। जैसा कि उन्होंने बतलाया कि उन के पास जिंक इनगौट्स का 5,000 टन स्टाक ऐक्युमिलेटैड है, जिंक कैथोड्स 2,000 टन के करीब है, सुपरफासफेट के बारे में बाद में मैं पूछूंगा, अभी मैं जिंक के बारे ही सवाल करूंगा। अब जिंक की पबलिक सैक्टर और टिस्को-इस्को में खपत कुल 30,100 टन की है अर्थात् आयरन ऐंड स्टील गैलवेनाईजिंग में 22,100 टन की जरूरत है, डिफेंस में 5,000 टन की जरूरत है और पोस्ट ऐंड टेलीग्राफ़्स में 3,000 टन की जरूरत है। मेरा सवाल है कि खास तौर पर जब पबलिक सैक्टर में ही इस की इतनी आवश्यकता है तो यह इतना स्टाक पड़ा हुआ कैसे रह गया ?

**श्री प्र० च० सेठी**: यह बात सही है कि इस फैक्टरी ने उत्पादन कार्य शुरू करके उस का प्रोडक्शन बहुत शीघ्र ही फुल रेटेड कैपेसिटी को पहुंच गया और उत्पादन के प्रारम्भिक दिनों में 118 और 119 परसेंट उन्होंने प्रोडक्शन किया और वह बहुत ही संतोषजनक था। उस में कठिनाई यह उत्पन्न हुई कि इस वक्त उस फैक्टरी की 80,000 टन की सुपरफौसफेट पैदा करने की क्षमता है और जिंक वह 18,000 टन पैदा कर सकती है। इस समय तक उन्होंने 43,000 टन सुपरफौसफेट पैदा किया जिसमें से उन्होंने 23,000 टन बेच दिया है और कोई 18–20 हजार टन उन के पास अभी भी स्टाक विद्यमान है। अब उन के पास यह गुंजाइश नहीं है कि उस सुपरफौसफेट का और स्टाक कर सकें। वैसे सुपरफौसफेट के जमा स्टाक को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। हांलाकि मध्यप्रदेश गवर्नमैंट ने उस का 25,000 टन लेने को कहा था लेकिन मध्यप्रदेश गवर्नमैंट के चीफ़ मिनिस्टर ने उस में से 15,000 टन सुपरफौसफेट इम्मिजियेट बेसिस पर उठाने का विश्वास दिलाया है। मुख्य मंत्री से जो इस सम्बन्ध में हम ने वार्ता की थी उसी के परिणामस्वरूप उन्होंने कृपा करके यह आदेश दे दिया है और बाक़ी का बचा हुआ 10,000 टन भी बाद में वह उठवा लेंगे। इस प्रकार से वहां जो स्टाक के एक्युमिलेशन की दिक्कत हो गयी है वह इस तरह कम हो जायगी। जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में बतलाया। इस फैक्टरी के 15 सितम्बर 1968 से प्रोडक्शन रिज्यूम करने की आशा है।

जहां तक कि वह जिंक का ताल्लुक है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे पब्लिक सैक्टर का जिंक प्रोडक्ट बहुत अधिक प्योर है और उस में 99.95 परसेंट जिंक है और यह बहुत अच्छी क्वालिटी का जिंक होने के कारण यह डिफक्ल्टी पैदा हो गयी कि रूरकेला प्लांट जोकि मुख्य रूप से जिंक का कस्टमर था उस ने कहा कि हमारे प्रोडक्ट में चूंकि लैड की इम्प्योरिटी कम है इसलिए वह इसे गैलवेनाइजिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते है। वह उस के लिए इनफ़ीरियर क्वालिटी का जिंक चाहते हैं इस बारे में बातचीत की गई और यह तय पाया गया कि फिलहाल गैलवेनाइजिंग के लिए 100 टन का ट्रायल आर्डर जिंक का प्लेस करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां तक हो सकें जिंक इम्पोर्ट कम से कम 6 महीने न की जाय और अपनी जिंक को खपाया जाय।

**श्री भोला नाथ मास्टर**: मेरा दूसरा प्रश्न सुपरफौसफेट के बारे है। यह सुपरफौसफेट का हमारे यहां 20,000 टन से अधिक का स्टाक हो गया है। अमरीका से भी बहुत ज्यादा सुपरफौसफेट मंगाया जा रहा है और मुझे बतलाया गया है कि जून के महीने से बराबर बम्बई पोर्ट में हमारे जहाज खड़े हुए हैं जिनके लिए कि 7 लाख रुपया डैम्रेज का दिया जा रहा है। अमरीका इस बात की कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा सुपरफौसफेट वह हमें सप्लाई करे तो मैं जानना चाहता हूं कि जबकि हमारे यहां खुद उस का स्टाक जमा पड़ा हुआ है तो यह अमरीका से सुपरफौसफेट मंगाना कब बंद किया जायगा?

जो बिजली हिन्दुस्तान जिंक लिमिटैड को दी जा रही है वह ज्यादा पैसे में दी जा रही है अर्थात् डी सी एम को दो पैसे के हिसाब से दी जा रही है जबकि पब्लिक सैक्टर में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटैड को 10 पैसे के हिसाब से बिजली दी जाती है। इसी तरीक़े से केरल स्टेट में

कोमिन को ढाई पैसे के हिसाब से बिजली दी जा रही है और यहां जिंक लिमिटेड को दस पैसे के हिसाब से दे रहे हैं। यह सुपरफौसफेट यू० पी० गवर्नमैंट और अन्य सरकारें क्या इसीलिए नहीं उठा रही हैं कि हमारा प्रोडक्ट उन को महंगा पड़ता है?

**श्री प्र० चं० सेठी** : अंतिम प्रश्न का मैं पहले उत्तर दूंगा। जहां तक यह बिजली का सवाल है बिजली के रेट के सम्बन्ध में राजस्थान गवर्नमैंट से हमारी बातचीत चल रही है। माननीय सदस्य राजस्थान से आते हैं और मैं उन से निवेदन करूंगा कि वह भी राजस्थान गवर्नमैंट से बिजली का रेट कम करने के बारे में बातचीत करें और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें।

जहां तक सुपरफौसफेट के यहां पर आयात करने का प्रश्न है जो जानकारी मैंने फुड ऐंड एग्रीकलचर मिनिस्टरी से प्राप्त की है उस के अनुसार जहां सन् 1967–68 में हमारे यहां पांच लाख टन के करीब सुपर-फौसफेट की आवश्यकता थी सन् 1968-69 में 6 लाख 50 हजार टन की आवश्यकता होगी। यहां जो सुपरफौसफेट का उत्पादन हुआ उस के बारे में स्थिति यह है कि उस का टार्गेट 2 लाख 70 हजार टन का था लेकिन वह यहां 2 लाख टन ही पैदा हुआ और इसलिए बाकी का हमें बाहर से मंगाना पड़ा और कोई साढ़े 3 लाख टन के करीब हम ने आयात किया। स्वेज नहर के बंद होने के कारण वह माल देर से आया इसलिए किसान लोग उसे उठा नहीं पाये और इस कारण यह लास्ट इयर का कैरीओवर किया गया और परिणामस्वरूप इस साल जहां हम 3 लाख और 30 हजार टन मंगाने वाले थे उस को घटा करके हम ने इस साल केवल 1 लाख 36 हजार टन ही मंगाया। इस तरह से हम अपने आयात को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और यह तय किया गया है कि अपने यहां की उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए ही केवल हम उतना ही आयात करेंगे जितना कि बिलकुल आवश्यक होगा। हम इम्पोर्ट को जहां तक हो सके कम करने की कोशिश में हैं और केवल उतना ही मंगायेंगे जितना कि बिलकुल मंगाना आवश्यक होगा। यह मंत्रालयों के बीच में हुई बातचीत में निश्चय किया गया है।

**श्री यशपाल सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को डिमान्ड ऐंड सप्लाई के प्रपोर्शन का पहले से पता था या नहीं? अगर उस को पता था तो अभी पिछले दिनों इस सदन में माना गया है कि जो सुपरफौस्फेट हम यहां पैदा करते हैं और जो बाहर से मंगाते हैं उस की कीमत में 450 रु० का फर्क है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर डिमान्ड ऐंड सप्लाई के प्रपोर्शन का पता पहले से कर लिया जाता तो हम को कितना फायदा हो सकता था और इस कारखाने की रुकावट से जो नुकसान हमारा हुआ है उस को हम किस हद तक बचा सकते थे?

**श्री प्र० चं० सेठी** : जो सुपरफौस्फेट प्राइवेट सेक्टर वाले बेचते हैं उन की कुल बेचने की कीमत 320 रु० है और जो हम बेच रहे हैं वह उस से सस्ती है। तब 450 रु० का फर्क कैसे आया यह मेरी समझ में नहीं आया।

**श्री कंवरलाल गुप्त** : हमारी एक साल की जिंक की रिक्वायरमेंट 65 हजार टन की है और इस 65 हजार टन के लिये अप्रैल से ले कर जूलाई तक यानी पांच महीने में हम ने 51,508 टन जिंक इम्पोर्ट किया है और केवल 13,492 टन जिंक जो यहां के कारखानों का बना हुआ पड़ा रह गया वह इस्तेमाल होगा। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना

चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जो फर्टिलाइजर, जिंक या दूसरी चीजें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वह हम अमरीका के दबाव के कारण कर रहे हैं? श्री रघुनाथ सिंह ने, जो कि जिंक कारपोरेशन के चेअरमैन हैं, जो कुछ 19 तारीख को कहा है उस को मैं आप की आज्ञा से पढ़ देता हूं। उन्होंने कहा है कि :

"Mr. Singh said, it is known that the United States of America has a stock of more than a billion tonnes of fertilisers representing their one year's production. It is also believed that they are using strong political and economic pressure on developing countries for buying their fertiliser. Re-financing of our loans were made subject to our purchasing their fertiliser."

क्या यह बात सही है कि हमारे लोन्स के रिफाइनेन्सिंग की जो शर्तें लगी हुई हैं उन की वजह से हमें फर्टिलाइजर खरीदना पड़ रहा है? अगर यह सही है तो क्या सरकार इसे बन्द करेगी ताकि यहां के कारखानों का बना हुआ माल इस्तेमाल हो सके?

**श्री प्र० चं० सेठी**: जहां तक जिंक की आवश्यकता का ताल्लुक है, इस वर्ष जिंक की आवश्यकता 85 से 88 हजार टन की आंकी गई है, 65 हजार टन की नहीं। जहां तक आयात का सवाल है, मैं कहना चाहता हूं कि इस समय देश की उत्पादन क्षमता 18 हजार टन उदयपुर की है और करीब 10 हजार टन प्राइवेट सेक्टर की है, इस तरह से लगभग 27–28 हजार टन की है।

**श्री कंवरलाल गुप्त**: 38 हजार टन।

**श्री प्र० चं० सेठी**: 38 हजार टन अगले साल हो जायेगी, इस साल 28 हजार टन की है। इस लिये इस क्षमता को ध्यान में रख कर इम्पोर्ट को तय किया गया। लेकिन बीच में जिंक की काफी शार्टेज थी। एक वक्त में 1966 के आस पास जिंक की कमी की वजह से सारा गल्वनाइजिंग का काम बन्द सा था। 1966 में जब ओपन किया तब ओपन जनरल लाइसेंस की तहत ऐक्चुअल यूजर्स को अनरेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस दिये गये। उन के पिछले क्षमता के ऊपर चूंकि उस समय जिंक की कमी थी इस लिये जिंक का आयात किया गया। यह जो उत्पादन हुआ है वह इस साल हुआ है। उन लाइसेंसों में से कुछ लाइसेंस मैटीरियलाइज हो रहे हैं। लेकिन अब यह तय हुआ है कि देश की उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखते हुए जिंक का आयात किया जायेगा। और अब तक जो एम० एम० टी० सी० अलग करता था और ऐक्चुअल यूजर्स अलग करते थे उन की एक सेंट्रलाइजड एजेन्सी हो इस का पूरा ध्यान रखा जायेगा और देश की उत्पादन क्षमता का ध्यान रख कर आयात किया जायेगा।

**श्री कंवरलाल गुप्त**: अमरीका के प्रेशर और श्री रघुनाथ सिंह की बात जो मैंने कोट किया उस के बारे में मंत्री महोदय का क्या कहना है?

**श्री प्र० चं० सेठी**: हमें अपनी क्षमता के अनुसार मंगाना है, हम किसी के प्रेशर की वजह से नहीं मंगायेंगे।

**श्री नवल किशोर शर्मा**: मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब हमारे देश में जिंक की रिक्वायरमेंट काफी है और जिंक का प्रोडक्शन भी कम है तब क्या यह कारण नहीं है कि हमारे यहां के जिंक की खपत इसलिए कम है कि हमारे यहां की पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज इंडियन जिंक को इस्तेमाल इस लिये नहीं करतीं कि फारेन इम्पोर्टेड जिंक उस से सस्ता पड़ता है? यदि ऐसा है तो क्या मंत्री महोदय ने इस विषय पर विचार किया है कि इंडियन

जिंक की जो कीमत है उसे फारेन जिंक के मुकाबले में कम किया जाये और यदि हां तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जाने पर विचार किया है, यदि किया है तो क्या ? मंत्री महोदय इस का ब्योरा देंगे।

**श्री प्र० चं० सेठी** : यह बात सही है कि बाहर से आने वाला जिंक यहां से सस्ता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि लोगों को जो जिंक दिया जाये उस में इंडियन जिंक के साथ साथ इम्पोर्टेड जिंक भी दिया जाये ताकि वह दोनों का इस्तेमाल कर के अपना काम कर सकें।

**श्री ओंकारलाल बोहरा** : यह जो प्लैन्ट उदयपुर में लगाया गया है उस की अन्डरटेकिंग के समय उस का 90 प्रतिशत कम्प्लीशन हो चुका था और पिछले 3 वर्षों में बाकी 10 प्रतिशत कम्प्लीट हुआ है और उस पर काफी खर्च किया गया है। मेरे प्रश्न के उत्तर में यहां पर बतलाया गया कि सरकार को पता नहीं है कि उस की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या हैं। जिंक के बारे में, सुपरफौस्फेट के बारे में और दूसरी उन चीजों का उत्पादन होता है उन के बारे में बतलाया गया है कि चूंकी हम ने कम्पनी को मेटल कारपोरेशन को अभी तक मुआवजा नहीं दिया है इस लिए उन के कास्ट आप प्रोडक्शन के बारे में नहीं बतलाया जा सकता। दूसरी बात यह है कि वहां पर ओवर स्टाफ रखा गया है जिस की वजह से खर्च बढ़ रहा है। जरूरत यह थी कि जब कोलेबोरेटर्स से ऐग्रीमेंट हुआ था उस में यह शर्त रखी जाती कि पूरे समय में उत्पादन को बढ़ायेंगे। लेकिन आप ने इमिजिएटली उत्पादन कर के और ओवर स्टाफिंग कर के यह स्थिति पैदा कर दी है। मैं जानना चाहता हूं कि जो ओवर स्टाफिंग है क्या आप उस की छंटनी करेंगे ?

**श्री प्र० चं० सेठी** : मेरी जानकारी के मुताबिक वहां ओवर स्टाफिंग नहीं है। रही बात यह कि जिस फैक्ट्री का फुल उत्पादन तीसरे साल में जा कर होना चाहिये था अगर वह पहले साल में ही उस को पूरा कर ले तो यह कोई गुनाह या नुक्सान की बात नहीं है। जहां तक इस फैक्टरी की कास्ट आफ प्रोडक्शन निकालने का ताल्लुक है उस की अकांउटिंग इस लिये नहीं हुई है कि कम्पेन्सेशन का सवाल अभी तय नहीं हुआ है। यह मामला कोर्ट में चला गया है, इस लिये उस के हिसाब का फाइनलाइ-जेशन नहीं हुआ है।

SHRI N. K. SOMANI: It has become patently clear that because of the irresponsible issuance of free licences by the Commerce Ministry for the import of 50,000 tons of zinc this year alone, the indigenous plant capacity is being forced to remain idle and there is absolutely no coordination between these two Ministries, which is entirely at the cost of foreign exchange and an infant public sector project. To my mind the only chance is that India should be able to develop the export of zinc in times to come. While the cost of imported zinc is Rs. 2,800 per tonne, our cost of production comes to Rs. 3,200 per tonne which is inclusive of excise duty and the high cost of power charged by the Rajasthan Electricity Board. In this context, may I know from the Government of India whether it will take steps to export zinc in the near future by cutting down the excise duty and also bringing down the rate of power which is being charged in Rajasthan ?

SHRI P. C. SETHI : Our requirement of zinc in 1967-68 is 80,000 tonnes; in 1968-69 it is 88,00 tonnes and in 1969-70 it will be 96,800 tonnes. Our total available production next year will be only 38,000 tonnes. Therefore, there is hardly any scope for trying to export. As far as the import of zinc is concerned, the price is Rs. 2,300 per tonne and a counterveiling duty of Rs. 500 is

put over it. Therefore, from that point of view also we will have to heavily subsidise if we try to export. So, there is no chance of export. Our requirements are also much higher than our production.

SHRI THIRUMALA RAO: Is it not a fact that while units like DCM are able to produce and sell their products to Congress Governments, a public sector project is not able to sell its stock to Congress Governments? What is the snag here? Why is it that the private sector is able to command a better market than our own institutions? Will the Minister explain why it is so?

SHRI P. C. SETHI: As far as the cost of superphosphate of Hindustan Zinc is concerned. we are able to produce it cheaper than private sector parties. It is true that we were depending on their supplies to give to Madhya Pradesh 25,000 tonnes and Rajasthan 10,000 tonnes. We are trying in the other States also but they could not materialise. Our selling price is comparatively much cheaper than the selling price of the private sector parties. But I would admit that the sales organisation of Hindustan Zinc has not yet picked up and there is scope for improving the sales organisation.

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### नायलोन तथा स्टेनलेस स्टील का आयात

*695. **श्री रामवतार शास्त्री** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नायलोन तथा स्टेनलैस स्टील की वस्तुओं के आयात पर या तो प्रतिबंध है या उनके आयात पर अत्यधिक आयात शुल्क तथा अन्य कर लगाये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन वस्तुओं के निर्माण के लिये बहुत से भारतीय उद्योगपतियों ने नेपाल में कारखाने स्थापित किये हैं ; और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) क्या भारत-नेपाल सीमा पर निर्बाध व्यापार की सुविधा का लाभ उठा कर इन उद्योगपतियों ने ये वस्तुएं भारत को भेज कर सरकार के लिये कठिनाइयां पैदा कर दी हैं ; और

(घ) क्या इससे भारत में उद्योग पतियों में असंतोष पैदा हो गया है ; और यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरैशी) :**

(क) से (घ) : भारत में नायलोन के आयात पर 23.94 रु० प्रति कि०ग्रा० से लेकर 52.05 प्रति कि०ग्रा० के मध्य सीमा-शुल्क लिया जाता है। स्टेनलैस स्टील की चादरों पर सीमा-शुल्क 100 प्रतिशत है। इन दोनों मदों का आयात भारत के राज्य व्यापार निगम के माध्यम से किया जाता है।

2. उपलब्ध जानकारी के अनुसार नेपाल में स्टेनलैस स्टील के बर्तन बनाने वाले 5 कारखाने हैं। इन सभी कारखानों के मालिक नेपाली राष्ट्रिक हैं। संश्लिष्ट कपड़ा बनाने वाले कारखानों की संख्या 4 बताई जाती है। इनमें से दो भारतीय राष्ट्रिको के हैं।

3. सरकार को शिकायतें मिली हैं कि कुछ वस्तुओं का, जो नेपाली कच्चे माल पर आधारित नहीं होती, भारत में शुल्क रहित आयात इन वस्तुओं के स्वदेशी निर्माताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

### INQUIRY COMMISSION ON BIRLA GROUP OF INDUSTRIES

*698. SHRI UMANATH:
SHRI KAMESHWAR SHINGH:
SHRI A. SREEDHARAN:
SHRI P. GOPALAN:

SHRI P. RAMAMURTI :
SHRI K. ANIRUDHAN

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 549 on the 23rd July, 1968 and state :

(a) whether Government have considered the question of appointment of a Commission of Inquiry on the Birla Group of Industries ;

(b) if so, the decision taken in the matter ;

(c) when the Commission is likely to start functioning ; and

(d) if reply to part (a) above be in the negative, when the decision is likely to be taken and the reasons for the delay ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) The nature of the appropriate machinery to be set up is still under the consideration of Government.

(b) and (c). Do not arise.

(d) An early decision is now expected. The reason for the delay is that there are still some allegations concerning various Ministries on which Government have yet to take a final view.

PROSECUTION OF M/S. GUZDAR KAJORA COAL MINES LTD. AND M/S. CALCUTTA SAFE DEPOSIT CO. LTD.

*699. SHRI INDRAJIT GUPTA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4337 on the 19th March, 1968 and state :

(a) the action taken up to date by the Registrar of Companies against M/s. Guzdar Kajora Coal Mines Ltd. for offences under Sections 143, 150, 193, 285, 292, 297, 301, 303 and 307 of the Companies Act;

(b) The progress made with the prosecutions pending against M/s. Calcutta Safe Deposit Co. Ltd. for similar offences ;

(c) whether Government are aware that thousands of small and medium depositors will be ruined if the firm mentioned in part (b) above is asked to wind up; and

(d) how Government propose to protect the interests of these depositors?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) As stated in reply to the Unstarred Question No. 4337 of 19th March, 1968, it was decided that under the circumstances no useful purpose would be served by launching prosecutions under different sections mentioned which appeared to have been contravened. It was considered that the better course would be to apply to the Court for winding up of the company. The liquidator can have a thorough probe and appropriate action as may be called for thereafter will be taken. Necessary steps for winding up are being taken and it is expected to move the Court shortly.

(b) This company did not contravene all the Sections mentioned in (a) excepting Section 285 relating to not holding the Board of Directors meeting periodically. For the reasons stated in (a) above, no prosecution was launched for this and other technical defaults but it was decided to apply to Court for winding up of this Company also. For defaults under Sections 210 and 220 in respect of filing the company's accounts for the years 1964-65 onwards, the company and its directors were convicted for default in 1964-65. The case relating to 1965-66 is pending and prosecution for 1966-67 accounts is being launched.

(c) It is seen from the published balance-sheets of the Calcutta Safe Deposit Co. Ltd. that it has not accepted any deposits from the members of the public.

(d) Does not arise.

EXPENDITURE ON ADVERTISEMENTS BY INDIAN RAILWAYS

*700. SHRI PREM CHAND VERMA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the budget allotment and the actual expenditure incurred on advertisements in newspapers during the year 1966-67 and 1967-68 and the amount provided for in the budget estimates for the year 1968-69;

(b) the names of newspapers which received advertisements from Indian Railways (all Railways) and the amount paid to each newspaper during the years 1966-67 and 1967-68 for publishing classified and display advertisements, separately; and

(c) the basis of selection of newspapers for releasing Railway advertisements?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) A statement of actual expenditure incurred on newspaper advertising during the years 1966-67 and 1967-68 is laid on the table of the Sabha. [*Placed in Library. See No. LT—1930/68.*] Since railway advertising is decentralised actual expenditure incurred by each railway/administration has been shown separately.

The information regarding the budget provision for these years as well as 1968-69 is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

(b) These particulars are being collected and will be placed on the table of the Sabha.

(c) Railway advertisements are released to newspapers which are used by the Directorate of Advertising and Visual Publicity of the Ministry of Information and Broadcasting, taking into account the circulation and standing of the newspapers, the area in which they circulate, their readership, the subject of the advertisement and other relevant factors.

UNLOADING OF COAL AND WOOD AT AJMERE GATE AND TUGHLAKABAD SHEDS (N. RLY.)

*701. SHRI GADILINGANA GOWD: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railway wagons carrying coal and wood are not unloaded at the Ajmere Gate and Tughlakabad sheds for several days;

(b) whether it is a fact that the Railway employees in connivance with the big traders evade the demurrage on the coal and wood wagons;

(c) whether any Officer has made surprise checks as to why the wagons are not unloaded on the fixed date; and

(d) if not, whether Government propose to depute any Officer to see that the wagons are cleared and the big traders are not given an undue weightage?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) No Sir, most of the wagons are unloaded within the prescribed free time.

(b) No such cases have come to notice.

(c) and (d). As stated in answer to part (a), most of the wagons are released within the prescribed free time.

Inspections are carried out by both officers and Inspectors.

CLOSURE OF INDUSTRIAL UNITS IN U.P.

*702. SHRI ONKAR LAL BERWA:
SHRI K. M. KOUSHIK:
SHRI S. P. RAMAMOORTHY:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of Industrial units which were closed down in U.P. due to recession;

(b) how many of those units have since started functioning;

(c) the break-up of units which are still lying closed;

(d) whether the units which have started functioning are producing to their full capacity or even according to the pre-recession capacity; and

(e) what steps have been taken to see that the closed units start functioning before long?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (e). The required information is being collected from the Government of U.P. and will be laid on the Table of the House.

**राज्य व्यापार निगम**

*703. **श्री शारदा नन्द :**
**श्री श्रीगोपाल साबू :**
**श्री टी० पी० शाह :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम के कार्य संचालन के बारे में कभी जांच कराई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) राज्य व्यापार निगम ठीक तरह से कार्य करती रहे, इसके लिये पिछले एक वर्ष में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) गत छः महीनों में राज्य व्यापार निगम से कितने अधिकारियों का तबादला किया गया है और उन अधिकारियों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) उनके तबादले के क्या कारण हैं?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)**: (क) से (ग) . अप्रैल, 1968 में सरकार ने राज्य व्यापार निगम की व्यापारिक तकनीकों तथा पद्धतियों और इसके वर्तमान संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की है जिससे उसकी कार्य-दक्षता को और भी सुदृढ़ बनाने और सुधारने के लिए अपेक्षित उपाय किये जा सकें। समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है।

(घ) और (ङ.) : निम्नलिखित चार अधिकारियों को, उनके कार्यकाल की समाप्ति पर, उनके मूल विभागों में वापिस भेज दिया गया :—

1. श्री पी० के० सेशन, प्रभागीय प्रबन्धक
2. श्री एन० एल० सहदेव, प्रभागीय प्रबन्धक
3. श्री डी० एन० नंदी, उप-क्षेत्रीय प्रबन्धक
4. श्री एस० एस० गुलाटी, सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक

श्री बी० पी० पटेल तथा श्री जी० एस० स्याल ने अपना कार्यकाल पूरा हो जाने पर क्रमशः अध्यक्ष तथा निदेशक के अपने पदों का कार्यभार छोड़ दिया।

CENTRAL ORGANISATION FOR FOREIGN PROCESSES AND KNOW-HOW

*705. SHRI CHENGALARAYA NAIDU:
SHRI D. N. PATODIA:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to create a Central Organization to look after the purchases of foreign processes and know-how;

(b) if so, the purpose of the said organization;

(c) whether the organisation will help the Foreign Investment Board, recently set up by Government, to regulate the foreign collaboration; and

(d) whether the various Ministries are opposed to the organization because this will curtail their powers?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (c). The Government are considering the feasibility of procuring know-how and technology on a centralised basis in respect of certain manufacturing sectors and processes. The object of such centralised

procurement, wherever this is found practicable, is to avoid repetitive purchase of such know-how through different parties, involving heavy foreign exchange liabilities, and to encourage indigenous research and technological development. The question of utilisation of various existing agencies for this purpose is under consideration. It may not be practicable for any one organisation to procure, assimilate and transmit to others technological know-how in various specialised fields of industry.

(d) Does not arise.

AGREEMENT WITH EUROPEAN COMMON MARKET COUNTRIES

*706. SHRI S. C. SAMANTA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the arrangements arrived at with the European Common Market countries for giving facilities to India on items other than on handloom, cotton and silk fabrics;

(b) the nature of facilities being given by them;

(c) the value of Indian goods likely to be exported to the European Common Market and the advantages expected to be accrued to India therefrom; and

(d) the further prospects of any increase in such exports?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT*—1931/68.]

**दिल्ली में स्थापित नये उद्योग**

*707. **श्री कंवर लाल गुप्त:** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में गत दो वर्षों में कितने नये उद्योग स्थापित किये गये हैं तथा सरकार ने उन्हें किस प्रकार की सहायता दी है;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक उद्योग दिल्ली से बाहर जा रहे हैं क्योंकि यहां पर सरकार की ओर से उद्योगों को कोई सुविधायें उपलब्ध नहीं है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को दिल्ली उद्योगपतियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):** (क) गत दो वर्षों में दिल्ली में 3 बड़े और 182 छोटे कारखाने स्थापित किए गये हैं। सरकार आयातित कच्चे माल, पुर्जा, फालतू पुर्जा व दुर्लभ माल प्राप्त करने में सहायता देती है। छोटे कारखानों को दी जाने वाली सहायता के अधीन किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत मशीनों की खरीद दिल्ली वित्त निगम से ऋण, कुटीर एवं लघु उद्योगों निगम से राज्य सहायता अधिनियम के अन्तर्गत ऋण तथा उद्योगों को दूसरे स्थानों पर लेके जाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत जमीन खरीदने। कारखाने बनाने के लिए ऋण की सुविधाएं भी सम्मिलित हैं।

(ख) 1966 से पूर्व स्थापित बड़े क्षेत्र के केवल तीन कारखानों ने अपना स्थान दिल्ली से फरीदाबाद बदलने के लिए सरकार से अनुमति मांगी क्योंकि उन्हें और बड़े स्थान की आवश्यकता थी। अपना स्थान बदलने के लिए उन सबको अनुमति दे दी गयी है। किसी छोटे कारखाने द्वारा स्थान बदलेजाने के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ). जमीन प्राप्त करने में कठिनाइयों तथा जमीन व कच्चे माल की ऊंची कीमतों के बारे में दिल्ली

राज्य के अधिकारियों को उद्योगपतियों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। जहां भी संभव हुआ है, दिल्ली राज्य अधिकारियों द्वारा सहायता दी गई है।

MANUFACTURE OF TENNIS BALLS

*708. SHRI S. S. KOTHARI: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the existing installed capacity for the manufacture of tennis balls is sufficient to meet the demand for such balls in the country and that the existing producers have represented to Government that the total installed capacity could not be used owing to the shortfall in the imports of felt required for such manufacture; and

(b) what arrangements Government are making to ensure that adequate supply of imported felt is made available to the existing manufacturers of tennis balls to enable them to achieve full production?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) Existing installed capacity for the manufacture of tennis balls is not considered adequate to meet the envisaged demand. M/s. Indian Rubber Manufacturers Ltd. have represented regarding shortage of imported melton cloth (felt) for the manufacture of tennis balls.

(b) Import of raw materials, including felt, is being permitted keeping in view the availability of foreign exchange.

HOURS OF EMPLOYMENT REGULATIONS FOR RUNNING STAFF

709. SHRI BRIJ RAJ SINGH KOTAH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state whether it is a fact that the present Hours of Employment Regulations for the Railway Running staff are not conducive to efficient running of trains?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): The provisions of the Hours of Employment Regulations are based on a detailed consideration of all aspects like proper operation of train services, requirements of staff etc. and it would not be correct to say that the present rules are not conducive to efficient running of trains.

TRADE AGREEMENT WITH AUSTRALIA

*710. SHRI S. K. TAPURIAH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether any trade agreement has been reached or is under negotiation with Australia following the Prime Minister's visit to that country; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

MEDICAL FACILITIES TO RAILWAY EMPLOYEES

*711. SHRI MANIBHAI J. PATEL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there are no arrangements for medical treatment of those Railway employees and their families who reside far away from the Railway Hospitals and Health Units;

(b) whether any other assistance is given to such employees who cannot avail of the medical facilities from the Railway hospitals and medical units; and

(c) whether the Railway employees who are residing 1½ miles away from the Hospitals and Health Units in Delhi have opted for the CGHS dispensaries located near their residences and, if so, the number thereof and the reasons for not accepting their requests?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) Railway employees residing in a place

remote from a Railway hospital/ Health Unit or a Railway Doctor may make their own arrangements for any medical attendance they may require.

(b) Such employees are entitled to reimbursement of expenditure for medical attention at non-Railway medical institutions, to the extent permissible under rules.

(c) Railway employees numbering 1731 desired to avail of the CGHS Scheme facilities at Delhi/New Delhi. The possibility of coming to an arrangement with CGHS authorities for this purpose was explored, but they did not agree to accommodate the Railway staff under their scheme, on a contributory basis.

EXPORT PROMOTION SCHEMES

*712. DR. RANEN SEN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have reviewed the working of the various Export Promotion Incentive Schemes and their effect on India's export performance;

(b) whether Government intend to continue these Schemes; and

(c) the annual expenditure incurred by Government on these Schemes?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH): (a) and (b): Yes, Sir.

(c) The expenditure incurred by Government on cash assistance schemes during the year 1967-68 is Rs. 16.47 crores.

SUPPLY OF RAILS AND RAIL WAGONS TO U.S.S.R.

*713. SHRI BABURAO PATEL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Soviet Prime Minister, when he visited India, merely gave promise to buy "any number of rails and railway wagons" from us, but did not place any definite order either for rails or for wagons;

(b) the precise steps taken by Government after the Soviet Premier Kosygin's promise to get the Soviet Government's actual order and with what result and for what value; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH): (a) to (c). When the Soviet Prime Minister visited India in January, 1968, he expressed interest in buying railway wagons from India on a long-term basis. In pursuance of this, M/s. Machinoimport, Moscow have signed a Protocol with the State Trading Corporation of India Ltd., for supply of 54,000 Railway Wagons upto 1975.

The Soviet Union is also interested in buying steel rails and other steel products and it has signed an agreement with Hindustan Steel Ltd., for supply of 600,000 tonnes steel sections during 1968-70.

**रुपये में भुगतान वाले देशों से टायरों का आयात**

*714 **श्री राम चरण**: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टायरों का आयात करते समय, "रुपये में भुगतान" क्षेत्र से भारी तादाद में टायरों का आयात करने के प्रश्न पर पूरी तरह विचार नहीं किया गया था; और

(ख) क्या यह भी सच है कि ये आयातित टायर भारत में बने टायर की अपेक्षा बहुत घटिया थे, और क्या इन टायरों का मूल्य भी भारत में टायरों से अधिक था?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)**: (क) जी, नहीं। रुपया-भुगतान क्षेत्रों से टायर आयात करने से पूर्व सरकार ने मांग तथा पूर्ति की स्थिति का ध्यान-पूर्वक मूल्यांकन कर लिया था। उस समय देश में विद्यमान कमियों को पूरा करने के लिये आयात करना आवश्यक समझा गया था।

(ख) आयातित टायरों की विशिष्टियां देश में बने टायरों की अपेक्षा मामूली घटिया थीं। आयातित टायरों के भारत में पहुंचते समय के मूल्य भारतीय टायरों के सूची-दर्ज मूल्यों से कम थे। परन्तु स्वदेशी उद्योग के हितों को सुरक्षित करने तथा वास्तविक प्रयोक्ताओं द्वारा आयातित टायरों का पुनः विक्रय रोकने के उद्देश्य से आयातित टायरों के बिक्री मूल्य देश में बने टायरों के मूल्यों के स्तर पर निर्धारित कर दिये गये थे।

MESSRS. BHARAT BARREL AND DRUM MANUFACTURING CO. (P) LTD., BOMBAY

*715. SHRI S. M. BANERJEE: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1652 on the 30th July, 1968 and state:

(a) the reasons for not accepting the findings of the technical officers in respect of the assessed capacity of the bitumen drum plant of M/s. Bharat Barrel and Drum Manufacturing Co. (P) Ltd., Bombay;

(b) the date on which the said company was informed that assessed capacity of its bitumen drum plant has not been considered for acceptance;

(c) the reasons for not distributing bitumen drum sheets also *pro rata* to licensed capacities of bitumen drum fabricators in the interest of industry; and

(d) whether Government propose to inform the Joint Plant Committee to take into consideration the licensed capacity of bitumen drum plant of the said firm?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) As already explained in reply to parts (c) and (d) of the Lok Sabha Unstarred Question No. 1652 on the 30th July, 1968, the findings of the technical officers in respect of the capacities of the bitumen drum plant of the firm were not considered for acceptance as certain matters needed further examination, arising out of the report of the technical officers on the assessment of oil barrel capacity undertaken during 1965. This examination has not been completed yet.

(b) The firm was informed in letter dated 26-5-66 that no revision of capacity was possible for bitumen drums.

(c) Bitumen drum sheets are issued to Oil Refineries/Oil Companies, as the demand of these sheets starts with the envisaged production of bitumen by the Refineries. Sheets are made available according to requirements for packing bitumen produced by the Refineries.

(d) The Joint Plant Committee have been informed of the licensed capacity of M/s. Bharat Barrel & Drum Manufacturing Co. (P) Ltd., for bitumen drums and also the production of bitumen drums reported by the firm during 1966.

FOREIGN INVESTMENT

*716. SHRI JYOTIRMOY BASU: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state what adjustments were made immediately after devaluation in the book value of assets and corresponding entries relating to loans and other outstanding debts in the books of Companies in which there were foreign investments?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): The Government of India has, *vide* its Notification No. GSR 129 dated the 3rd January 1968, a copy of which was laid on the Table of the House on 27-2-1968, amended the provisions of Schedule VI of the Companies Act, 1956 with a view to enabling the companies to make adjustment in the value of the fixed assets purchased by them from a country outside India consequent to a

change in the rate of exchange at any time after the acquisition of the assets if any liability in respect of the acquisition of such assets remained unpaid on the date of the devaluation and in respect of which increased payment had to be made. It is not possible to state what adjustments have already been made or may be made since the issue of the Notification by thousands of companies which may be concerned as there is no requirement that they should specifically mention in their balance-sheets the additions made to the original cost as a result of devaluation.

**ट्रैक्टरों और शक्ति-चालित हलों का निर्माण**

*717. **श्री महाराज सिंह भारती** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1967-68 में वास्तव में केवल 11,400 ट्रैक्टर ही बने थे जबकि उनकी उत्पादन क्षमता 30,000 ट्रैक्टर है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) इस वर्ष स्थिति कैसी है और इस वर्ष कितने ट्रैक्टर बनाये जाने की सम्भावना हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि 1967-68 में 26,000 शक्ति चालित हल प्रति वर्ष बनाने के लिए लाइसेंस दिये गयें थे जबकि केवल 585 ऐसे हल वास्तव में बने थे ; और

(ङ.) यदि हां, तो कृषकों को शक्ति चालित हल उपलब्ध कराने के लिए क्या योजना बनाई गई है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) इस समय देश में पांच एकक ट्रैक्टरों का निर्माण कर रहे हैं जिनकी कुल लाइसेंस प्राप्त/ स्वीकृत क्षमता 30,000 ट्रैक्टर प्रति वर्ष है। फिर भी उनकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 16,000 प्रति वर्ष तक सीमित है। इसमें से इन कारखानों ने 1967-68 में 11,394 ट्रैक्टर तैयार किए।

(ख) अपनी पूरी स्थापित क्षमता तक पहुंचने के लिये ट्रैक्टर बनाने के विद्यमान कारखानों को अभी और मशीनें लगानी हैं। अपेक्षित मशीनों का आयात करने के लिये उन्हें आवश्यक विदेशी मुद्रा संबंधी सहायता दे दी गई हैं और अब वे अपनी निर्माण क्षमता बढ़ाने में लगे हुए हैं। अतिरिक्त मशीनें लग जाने से उनसे आशा की जाती है कि वे आगामी दो या तीन वर्षों के अन्दर अपनी सम्पूर्ण लाइसेंस प्राप्त क्षमता तक उत्पादन करने लगेंगे।

(ग) देश में 1968-69 के दौरान लगभग 19,000 से लेकर 20,000 ट्रैक्टरों तक उत्पादन होने लगने की आशा है।

(घ) मार्च, 1968 के अंत तक शक्ति चालित हलों का निर्माण करने के लिए तीन फर्मों को लाइसेंस दिए गए थे जिनकी कुल लाइसेंस क्षमता 14,000 प्रति वर्ष है। लाइसेंस प्राप्त इन तीन एककों में से अभी तक केवल एक में उत्पादन शुरू हुआ है। 1967-68 में इस एकक की उत्पादन संख्या 479 थी।

(ङ.) शक्ति चालित हल उद्योग के शीघ्र विकास को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से इस उद्योग को उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस देने वाले उपबन्धों से 7 फरवरी, 1968 से मुक्त कर दिया गया है। लाइसेंस हटा दिए जाने के बाद कुछ योजनाएं मिली हैं जो विचाराधीन हैं। पहले लाइसेंस प्राप्त स्वीकृत एककों से यह कहा जा रहा है कि वे जितनी जल्दी से जल्दि हो सके अपनी अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करें।

SUPPLY OF NATURAL RUBBER

*718. SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the manufacturers of rubber goods have complained about the difficulty in securing supplies of natural rubber at controlled price;

(b) whether natural rubber is in short supply;

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the steps taken to ensure adequate supply of natural rubber to the manufacturers?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Yes, Sir.

(b) to (d). Owing to unusually heavy and continuous rains in Kerala during the current monsoon Season and consequent interruption in tapping operations, there has recently been some set-back in the indigenous production of natural rubber, which, even under normal conditions, is not adequate to cover the full requirements of the rubber goods manufacturing industry. The matter is receiving attention.

IMPACT OF CLOSURE OF SUEZ CANAL ON INDIA'S TRADE

*719. SHRI BAL RAJ MADHOK: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the value of India's exports to and imports from the U.S.A., U.S.S.R., U.K., Japan, U.A.R. and Israel during the first half of the year 1968, country-wise;

(b) the proportion of this trade handled by the State Trading Corporation;

(c) the additional cost on imports during the same period because of closure of Suez Canal;

(d) the steps taken to diversify India's foreign trade and to cut down imports from the countries situated on the West of the Suez Canal; and

(e) whether any steps have been taken to utilise the port of Eilat for transhipment of goods through Israel as an alternative to the Suez Canal?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH): (a) to (e). A Statement is laid on the Table of the House.

A statement showing the value of India's exports to and Imports from the U.S.A., USSR, U.K., Japan, U.A.R. and Israel & STC's share in them for the period January—April, 1968, (for which the data is available) is attached. It is not possible to state precisely the additional cost incurred on imports by India as a result of the closure of the Suez Canal, but it is estimated that additional expense of about 22.5 million Rupees per month on account of higher freight charges to be paid for our imports from the Western countries.

It is the policy of the Government to diversify India's Foreign trade product-wise and country-wise as far as possible. The import policy is aimed at meeting the country's basic needs, its developmental requirements and at providing raw materials for export-based industries with due regard to import substitution. It is also aimed at securing imports from the most advantageous sources.

The Government of India is not aware of any such step.

STOCKS OF COAL

*720. SHRI HIMATSINGKA: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the large stocks of coal at the pit-heads in Bihar, Assam and Andhra Pradesh;

(b) if so, the latest accumulation of coal stocks in each of these States; and

(c) the steps taken by Government with a view to ensuring the smooth working of the collieries in these States?

STATEMENT

*(Value in Rs. lakhs)*

| Sl. No. | Country | TOTAL IMPORTS (Jan-April '68) | IMPORT BY STC (Jan-April '68) | TOTAL EXPORTS (Including Re-Exports (Jan-April, 1968) | EXPORT BY STC (Jan-April 1968) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S.A. | 2,54,94 | 659·86 | 70,89 | 7·96 |
| 2 | U.S.S.R. | 45,45 | 394·89 | 40,35 | 87·05 |
| 3 | U.K. | 50,40 | 1·16 | 62,35 | 6·04 |
| 4 | Japan | 40,13 | — | 52,31 | 24·36 |
| 5 | U.A.R. | 12,78 | 22·15 | 4,87 | — |
| 6 | Israel | Negl. | — | 4 | — |

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI P. C. SETHI) : (a) Government are aware of the large stocks of coal at the pit-heads in Andhra Pradesh. While the stocks in Bihar are somewhat on the high side, the coal stocks in Assam are insignificant.

(b) The latest position of coal stocks in these States is as under:

*(In million tonnes)*

| State | March | April (Provl.) | May (Provl.) | June (Provl.) |
|---|---|---|---|---|
| Bihar | 2·600 | 2·600 | 2·660 | 3·040 |
| Assam | 0·002 | 0·002 | 0·004 | 0·007 |
| Andhra Pradesh | 1·037 | 0·940 | 0·950 | 1·060 |

(c) Necessary steps are taken to ensure the supply of empties as far as available matching with the demand. In respect of Andhra Pradesh coal stocks, the bulk of which is slack, the position of its disposal is under the consideration of the Singareni Collieries Co. Ltd.

**बम्बई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर लोगों द्वारा दुर्व्यवहार**

5896. **श्री मीठा लाल मीना :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशन पर ऐसे बहुत से व्यक्ति हैं जो अपने विषय में कुछ भी जानकारी देने से इंकार कर देते हैं और इस प्रकार वे विवश कर देते हैं कि उन्हें थाने में ले जाया जाय ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दो महीने पहले गार्ड ने जनरल मैनेजर से एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत की

थी जिसने एक संसद् सदस्यके साथ दुर्व्यवहार किया था ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** (क) जी हां।

(ख) और (ग) . जी हां, अमृतसर जाने वाली फ्रंटियर मेल गाड़ी के गार्ड से राज्य पुलिस को एक पत्र मिला था । यह पत्र श्री मीठालाल मीना, संसद् सदस्य ने उसे दिया था। पत्र में संसद् सदस्य ने शिकायत की थी कि बम्बई सेन्ट्रल स्टेशन पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके साथ आपत्ति-जनक व्यवहार किया। आरोपों की जांच करने पर उस व्यक्ति की पहचान न हो सकी, इसलिए इस विषय में आगे कार्य-वाही नहीं की जा सकी। फिर भी, सभी पुलिस अधिकारियों को सतर्क कर दिया गया है कि जो व्यक्ति इस तरह का समाज-विरोधी व्यवहार करते पाये जायें, उनके नाम दर्ज कर लिये जायें और यह सुनिश्चित किया जाय कि भविष्य में ऐसी घटना न हो।

EXPORT OF ART SILK CLOTH

5897. **SHRI BABURAO PATEL:** Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact the Rayex and the State Trading Corporation have together secured export orders worth Rs. 5.10 crores for the Art Silk Cloth ;

(b) if so, the value of goods exported so far, country-wise ;

(c) the amount of profits expected on the deal and the exact share of Rayex in the profit; and

(d) the names and addresses of the commission agents, in India and overseas, with the percentage of commissions allowed to them on the above transactions and the mode and currency of payment of the commission ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Yes, Sir.

(b) Value of goods exported country-wise is:

| | |
|---|---|
| Belgium | Rs. 37,300 |
| Canada | Rs. 9,33,400 |
| Total | Rs. 9,70,700 |

(c) There is no profit earned on export of art silk fabrics. Rayex which is business associate of STC for the export of Rayon fabrics, gets one per cent as business commission.

(d) There are no commission agents in India and overseas. Business was secured by the Joint Sales Team from the foreign buyers and the orders have been distributed to Registered Associates of Rayex for supply on account of STC/Rayex.

BALANCE OF TRADE

5898. **SHRI BABURAO PATEL:** Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the annual statistics of our exports and imports in rupees during the last three years, country-wise with annual differences in trade balances;

(b) the precise steps taken to increase exports and balance the trade in the case of countries with an unfavourable trade balance;

(c) the items of import in which we are still very badly dependent on foreign countries, with the names of the countries and the annual value of such imports in rupees;

(d) whether steps can be taken to cut down such imports to attain a favourable trade balance; and

(e) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH): (a) A statement showing statistics of exports and imports during the last three years with annual differences in

trade balances is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1916/68.]

(b) The following steps are taken to increase the exports:—

(1) Negotiation of trade agreements;

(2) Opening abroad of offices of Export Promotion Councils and Commodity Boards;

(3) Participation in Trade-Fairs and Exhibitions;

(4) Deputation of Study and Sales Teams;

(5) Conducting of market surveys in foreign countries;

(6) Facilitating the setting up of industries abroad by the Indian Entrepreneurs;

(7) Exchange of Trade Delegations and discussions.

(c) A statement is attached.

(d) and (e). It is the policy of the Government to permit import of such items only which are essential to the economy of the country and are not produced in sufficient quantity to meet the demand. Import Policy is constantly under review with due regard to the increasing indigenous production and import substitution and suitable changes are made as and when necessary.

PRODUCTS LYING UNSOLD IN HINDUSTAN STEEL LTD.

5899. SHRI BABURAO PATEL: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) the quantity, variety and the value of products of the Hindustan Steel Limited lying unsold for want of demand;

(b) whether it is a fact that some of the products were manufactured without previously ascertaining the demand and saleability of the products in the market, particularly merchant mill products and billets;

(c) if not, the reasons why these products are lying unsold in a seller's market; and

(d) the steps taken to dispose of these products now rusting in the yards?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) The stocks of materials which Hindustan Steel Limited are finding difficult to dispose of are of the order of 2,78,500 tonnes valued approx. at Rs. 100 million. These mostly comprise arisings and defectives and small quantities of bars, structurals and untested blooms (mixed).

(b) to (d). Most of the unsold products being of the nature of arisings, their production is unavoidable. Special steps including reduction in price, wide publicity and attempts of exports have been taken for their early disposal.

RATES IN REFRESHMENT DINING CARS ON MADRAS-DELHI ROUTE

5900. SHRI G. S. REDDI:
SHRIMATI B. RADHA BAI:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the reasons why in Refreshment cars in all trains from Madras to Delhi public is charged 0.11 paise extra as Maharashtra sales tax between Wardha and Nagpur, while there is no such additional charge in other States through which the trains pass;

(b) whether the Railway authorities propose to order uniform rates in the Refreshment Cars throughout up to the destination;

(c) whether it is a fact that Rs. 1.30 are charged for meals in the Refreshment rooms and Rs. 1.80 in Refreshment Dining Cars, while the menu, quantity of rice and chappatis and the service also are the same and even better in the refreshment rooms; and

(d) if so, the reasons for disparity in rates?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) and (b). Railways have instructions to recover Sales Tax, wherever leviable, at rates prescribed by each State, on sales made in each State whether in the Refreshment Cars or in the static catering units.

To eliminate the necessity of recovering Sales Tax in mobile catering units passing through different States at rates varying from State to State, the suggestion to prescribe uniform rates inclusive of Sales Tax for items sold in the Refreshment Cars and other mobile units is being examined.

(c) and (d). Charge for a vegetarian meal is Rs. 1.30 when served in the Refreshment Room/Restaurant, and Rs. 1.80 when served in Dining/Restaurant/Buffet Cars and train compartments on all Indian Railways. On the meals served in train compartments from a static or mobile unit, a service charge of 50 P. per meal is levied in view of the additional expenses incurred by the Railways on staff, etc. There is no difference in the menu prescribed for meals whether served from static establishments or mobile units.

ALL INDIA RAILWAY COMMERCIAL CLERKS ASSOCIATION, SECUNDERABAD

5901. SHRI G. S. REDDI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the All India Railway Commercial Clerks' Association, Secunderabad Division has voiced its grievances several times to the Railway Administration about their due arrears;

(b) whether the grievances of staff, such as arrears, night duty allowance, provision for staff quarters, stoppage of all *ad hoc* promotions in higher grade etc., have been represented; and

(c) if so, the action taken thereon?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) to (c). On the South Central Railway, as on other Railways, there are recognised Unions which take up matters concerning staff through the Permanent Negotiating Machinery and appropriate action is taken by the Railway Administration.

No representation from this unrecognised sectional association, referred to in the question, has been received by the Railway.

RAILWAY SCHOOLS AT LALLAGUDA AND KAZIPET

5902. SHRI G. S. REDDI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the South Central Railway Commercial Clerks' Association Zonal Body, Secunderabad has sent any memorandum to the Railway Administration in the matter of schools in this sector;

(b) whether the Railway Schools at Lallaguda and Kazipet on the South Central Railway have been degraded; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) No.

(b) and (c). With the adoption of revised pattern of educational set up introduced by the Government of Andhra Pradesh, the Middle Schools up to VIII standard, which are now under reference, were either to be upgraded by addition of IX and X classes or downgraded by deletion of VIII class. As the children of Middle Schools in these two places were already going over to the non-Railway Schools after completion of standard VIII and as the financial implications were large, it was decided not to upgrade these schools, but to abolish Class VIII in these Schools. The Schools at Vijayawada and Bitragunta were upgraded in the process.

BANSAPANI-PARADEEP RAIL LINK

5903. SHRI G. C. NAIK: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the proposed Bansapani-Paradeep railway line in the State of Orissa has been surveyed;

(b) if so, the estimated cost;

(c) whether it is getting top priority and when the work is likely to be taken up;

(d) when the survey of the line was started and when the same was completed; and

(e) the total expenditure incurred thereon?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes.

(b) About Rs. 46 crores.

(c) This line is not being considered for construction at present. However, for the movement of iron ore for export *via* Paradeep port, construction of a new Broad Gauge line from Cuttack to Paradeep has been taken up.

(d) The survey was sanctioned in 1963 and completed in 1965.

(e) About Rs. 12 lakhs.

PRIORITY TO COMMODITIES FOR WAGON ALLOTMENT

5904. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that while commodities like cigarettes, tobacco, coffee and betelnuts are given class 'C' priority for wagon allotment, steel furniture needed for home, hospital and offices is given 'E' class priority;

(b) whether Government are aware that steel furniture are more important than cigarettes; and

(c) if the reply to parts (a) and (b) above be in the affirmative, the steps proposed to be taken to rectify the anomaly?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes. However, sponsored movements of steel furniture on account of Central and State Governments and Public Undertaking can also take place in item 'C' priority.

(b) and (c). The aim of the Preferential Traffic Schedule is three-fold, namely, to effect movement of various kinds of traffic, such as, foodgrains, fertilisers, salt etc., and finished products and raw materials for basic industries, such as cement, iron and steel etc., according to their urgency and importance, to provide for movement of all other commodities in varying quantities in item 'E' priority subject to quotas fixed and to ensure that all types of traffic have their share in the available transport capacity to meet the needs of the overall economy of the country in a more satisfactory manner.

IRON AND STEEL PRODUCTION

5905. SHRI VIRENDRAKUMAR SHAH: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether targets for the iron and steel industry have been fixed for the Fourth Five Year Plan;

(b) if so, the additional production capacity as envisaged to be created in the public and the private sectors;

(c) the break-up of the envisaged iron and steel production in the public and the private sectors during the Plan period;

(d) the outlays for the steel programme for the Fourth Five Year Plan and resources available and the estimated requirements for the same; and

(e) the export targets proposed to be fixed under the Plan for the industry?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) No, Sir.

(b) to (c). Do not arise.

रेलवे उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक स्कूलों के मुख्य अध्यापक

5906. श्री मीठा लाल मीना : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि रेलवे उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक स्कूलों

के मुख्य अध्यापकों को राजपत्रित अधिकारी नहीं समझा जाता है जबकि विभिन्न राज्यों में उच्चतर माध्यमिक और माध्यमिक स्कूलों के मुख्य अध्यापकों को राज्यपत्रित अधिकारी समझा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; तथा क्या भविष्य में इसे दूर करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** (क) से (ग). रेलवे के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को अवैतनिक राजपत्रित दर्जा दिया गया है और वे उन सुविधाओं को पाने के हकदार हैं जो सुविधा पासों, सुविधा टिकट आदेशों और मकान के आबटंन के सम्बन्ध में राजपत्रित अधिकारियों को सामान्यत: दी जाती हैं। रेलवे के बहुत से विभागों में वरिष्ठ पर्यवेक्षक अराजपत्रित सेवा में हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए रेलवे के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को राजपत्रित अधिकारियों के रूप में वर्गीकृत करने का औचित्य नहीं है।

PUNCTUALITY OF 342 DN. TRAIN

5907. SHRI ABDUL GHANI DAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the percentage of punctuality of 342 Dn. train during May, June and July, 1968 separately and the reasons for its late running; and

(b) the details of the steps taken to maintain the punctuality of this train?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) 13% in May, 10% in June and 13% in July, 1968.

Late running of 342 Dn. Passenger is caused by a variety of factors which include displaced crossings with other trains running late *e.g.*, 37 Up Punjab Mail, 341 Up Passenger, 1 JNK Passenger, 1 FB Passenger etc. This train also gives precedence to 38 Dn. Punjab Mail near Bhatinda. Late running of these other trains has been caused largely on account of failures of control and tele-communication caused by thefts of copper wire, etc. Difficulties encountered on the saturated Rohtak-Shakurbasti single line section also contribute to the unpunctual running of this train.

(b) This service is already designated as a suburban service on the Rohtak-Delhi section and given preference in the matter of crossings and precedences. Every feasible effort is made to ensure the punctual running of 342 Dn. Passenger and all avoidable detentions are taken up for corrective and punitive action in order to improve its running.

PUNCTUALITY OF 1 *DKR* AND 2 *DKR* (NORTHERN RAILWAY)

5908. SHRI ABDUL GHANI DAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the percentage of punctuality of 1 DKR at New Delhi and 2 DKR at Rohtak during this year;

(b) the details of the steps taken to avoid the late running of this local train;

(c) the action taken against the persons responsible for starting this train late from terminus point Rohtak and Safdarjang New Delhi respectively; and

(d) if no action has been taken, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) The percentage punctuality of 1 DKR at New Delhi and 2 DKR at Rohtak during January, 68 to July, 68 was 46.5 and 37 respectively.

(b) to (d). Late running of these trains was due to frequent control failures caused by thefts of copper wire, teething difficulties felt in connection

with the installation of power signalling in Delhi area and also because of difficult movement over the congested Rohtak-Shakurbasti single line section. Every feasible effort is being made to ensure the punctual running of these trains and all avoidable detentions are taken up for corrective and punitive action.

1 DKR passenger ex. Rohtak is worked by the incoming engine of 2 DKR passenger. At present, since there is no suitable engine turn-table at Rohtak, this incoming engine has to be sent from Rohtak to Jind for turning and brought back to Rohtak. An analysis has indicated that the existing margin available between the arrival of 2 DKR and the departure of 1 DKR is often insufficient for this purpose, especially when detentions to the engine take place on the busy Jind-Rohtak section. In order to reduce the incidence of late starts to 1 DKR Passenger ex. Rohtak, works are in hand for the provision of an engine turn-table of requisite capacity for turning the engine at Rohtak itself.

In order to reduce the incidence of late starts to 2 DKR ex. Delhi Safdarjang, the existing margin of 30 minutes from the arrival of 1 DND Passenger at Safdarjang the rake and engine of which are utilised to work 2 DKR is being increased to 50 minutes.

As a result of these steps, it is expected that the performance of both the trains will improve.

TRAIN FROM DELHI TO ROHTAK

5909. SHRI ABDUL GHANI DAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9825 on the 7th May, 1968 regarding introduction of a train from Delhi to Rohtak between 11.10 a.m. and 4.40 p.m. and state:

(a) the progress made in the matter; and

(b) the time expected to be taken to introduce a day-time train on this chord?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) and (b): The question of introduction of a mid-day train between Delhi and Rohtak has been re-examined but not found operationally feasible at present due to movement difficulties on the Rohtak-Shakurbasti single line section and over the Delhi/New Delhi/Sadar Cabin triangle.

QUOTA OF RAW FILMS TO FILM PRODUCERS

5910. SHRI KASHI NATH PANDEY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the quota of Raw Films allotted to (1) Shri Mohan Sehgal, (2) Shri P. S. Veerapa, (3) Shri N. N. Sippy (4) Shri Mohan Kumar (5) Rajshri Picture (P) Ltd., (6) Mahmood Production (7) Shri V. Shanta Ram (8) Subodh Mukerjee Productions (9) Shri Joy Mukerjee (10) Shri H. S. Rawal, during the last three years;

(b) whether any complaints have been received against these Film Producers that they have misused the raw films quota allotted to them during the said period; and

(c) if so, the action taken by Government against them?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

TRADE DELEGATION TO IRELAND

5911. SHRI RAMACHANDRA VEERAPPA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a High Level Trade delegation is likely to visit Ireland; and

(b) if so, when a programme for its departure is likely to be finalised?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

RAILWAY QUARTERS FOR WOMEN AND SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES EMPLOYEES

5913. SHRI SIDDAYYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that since 1958 there were orders to the effect that special consideration should be shown in the allotment of Railway quarters to women and Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees;

(b) if so, whether those orders have been withdrawn; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes.

(b) Yes.

(c) The orders were not found practicable and could not be implemented without making discrimination against the rest of the staff.

FIRST CLASS COACHES ATTACHED TO TRAIN NOS. 1067 AND 1068

5914. SHRI SIDDAYYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the age of the first class coaches which are attached to trains Nos. 1067 and 1068 between Mysore and Bangalore on the Southern Railway:

(b) whether it is a fact that condemned and overage first class coaches are attached to these trains and the journey over the small distance is uncomfortable; and

(c) if so, what steps are being taken to improve the situation?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) There are 10 1st Class coaches for these trains and their age particulars are as follows:

| | | |
|---|---|---|
| Under 10 years old | — | 3 coaches |
| Between 31 to 40 years old | — | 5 ,, |
| 48 years old | — | 1 coach |
| 58 years old | — | 1 ,, |
| | | 10 |

(b) Condemned coaches are not used. Overaged coaches are attached to these trains as on several other trains also. But these coaches are maintained to the required standard.

(c) In view of (b) above, the question does not arise.

IMPROVEMENT OF STATIONS AT MYSORE, NANJANGUD AND CHAMARAJNAGAR STATIONS

5915. SHRI SIDDAYYA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether any schemes have been taken up to improve the railway stations at Mysore, Nanjangud and Chamarajnagar; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) No.

(b) Does not arise.

**बरौनी जंकशन पर गरहड़ा रेलवे यार्ड के चारों ओर लोहे की चारदीवारी**

5916. **श्री क० मि० मधुकर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी जंकशन पर गरहड़ा यार्ड के चारों ओर लोहे की उपयुक्त चारदीवारी न होने के कारण रेलवे सम्पत्ति को प्रति वर्ष कितनी हानि हो रही है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उक्त यार्ड के चारों ओर उपयुक्त घेरा न होने के कारण कुछ रेलवे कर्मचारी और पास के गांवों के कुछ समाज-विरोधी व्यक्ति मिल कर रेलवे सम्पत्ति को उपरोक्त हानि पहुंचाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उक्त यार्ड के चारों ओर लोहे की चारदीवारी लगा कर रेलवे सम्पत्ति की इस लूट को रोकने का है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो वहां पर उक्त घेरे के कब तक लगाये जाने की संभावना है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** (क) से (घ). 1967–68 के वर्ष में गरहड़ा यार्ड में 3,993 रुपये की रेल सम्पत्ति की हानि हुई, जिसमें से 1,251 रुपये की सम्पत्ति बरामद की गयी। 1967–68 में 79 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

(ङ) गरहड़ा विन्यास यार्ड के चारों ओर एक चारदीवारी बनाने का प्रस्ताव 1969–70 के निर्माण कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है।

**पूर्व रेलवे में साहिबगंज लूप लाइन पर केबिन**

5917. **श्री क० मि० मधुकर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान साहिबगंज लूप लाइन पर कोलगोंग और शिवनारायणपुर के बीच बमानगाम पर केबिन न बनाये जाने के सम्बन्ध में लोगों को होने वाली कठिनाई की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार साहिबगंज लूप लाइन पर मिर्जा चौकी और पीर पैन्ती स्टेशनों के बीच अमापाली गांव में एक केबिन बनाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** (क) और (ख). सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय कोलगोंग और शिवनारायणपुर के बीच बमानगाम में और मिर्जाचौकी की ओर पीरपैंती स्टेशनों के बीच अमापाली में नये स्टेशन खोलने के प्रस्तावों से है। इन प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

(ग) सवाल नहीं उठता।

**डाल्टनगंज से होकर जाने वाली गाड़ियां**

5918. **श्री क० मि० मधुकर :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डालटनगंज जैसे महत्वपूर्ण स्थान से होकर केवल एक ही गाड़ी जाती है अर्थात् गोमोह से देहरी-ग्रोन-सोन को जाने वाली गाड़ी, जिससे डालटनगंज के यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बरवाडीह से गोमोह को जाने वाली गाड़ी डालटनगंज से होकर नहीं जाती है, जिसके परिणामस्वरूप डालटनगंज जाने वाले यात्रियों को कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं होती, जो बरवाडीह, धनबाद और कलकत्ता को जाने वाली गाड़ियों से आते हैं और इनमें से कोई भी गाड़ी डालटनगंज होकर नहीं जाती है ;

(ग) यदि उपरोक्त भागों (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) क्या सरकार का विचार डालटनगंज से गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ाने का है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** (क) इस समय डाल्टनगंज स्टेशन पर डेहरी-ग्रान-सोन के रास्ते ग्राने-जाने वाली दो जोड़ी सवारी गाड़ियां अर्थात् 1 जी डी/2 जी डी गोमो-डेहरी-ग्रान-सोन सवारी और 1 बी डी एम/2 बी डी एम बरवाडीह–मुगलसराय सवारी गाड़ियां ठहरती हैं।

(ख) 1 जी बी/2 जी बी सवारी गाड़ियां गोमो और बरवाडीह के बीच चलती हैं। डाल्टनगंज बरवाडीह–डेहरी-

आन-सोन खण्ड पर स्थित है न कि गोमो बरवाडीह खण्ड पर। बरवाडीह, धनबाद और हवड़ा से डाल्टनगंज आने-जाने वाले यात्री 1 जी डी/2 जी डी सवारी गाड़ियों और सम्बद्ध गाड़ियों (धनबाद और कलकत्ता के लिए गोमो में गाड़ी बदलकर) से यात्रा कर सकते हैं।

(ग) से (ङ) : इस समय डाल्टनगंज पर जितना और जिस तरह का यातायात होता है, उसे देखते हुए वर्तमान गाड़ियां पर्याप्त हैं। अतिरिक्त गाड़ी चलाने के लिए अभी यातायात की दृष्टि से औचित्य नहीं है।

**मोतीहारी और चपड़ा के बीच रेलवे लाइन**

5919. **श्री क० मि० मधुकर** : क्या रेलवे मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी इस बात पर विचार किया है कि क्रमशः चम्पारन और सारन जिलों के मुख्यालयों मोतीहारी और चपड़ा को नारायणी नदी पर एक पुल बना कर सीधे रेल से मिला कर क्या लाभ (जनता तथा सरकार दोनों को) पहुंचेगे ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार मोतीहारी और चपड़ा को सीधे रेल द्वारा मिलाने की योजना पर विचार करने का है ; और

(ग) उपरोक्त योजना के लाभ तथा हानि के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) से (ग). इस रेलवे लाइन के लिए अतीत में कोई छान-बीन नहीं की गयी है। धन की कमी के कारण छपरा और मोतीहारी के बीच एक नयी सीधी रेलवे लाइन बनाने, जिसमें गण्डक नदी (नारायणी) पर एक मूल्यवान पुल का निर्माण शामिल है, के प्रश्न पर विचार करना सम्भव नहीं है।

MANUFACTURE OF MOTOR CYCLES, SCOOTERS AND TYRES

5920. SHRI B. K. DASCHOWDHURY: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the names and addresses of the Companies which are manufacturing motor cycles and scooters;

(b) the total number of Motor Cycles and scooters being manufactured by them and their break-up, company-wise; and

(c) the names of the companies which are manufacturing scooter and motor cycle tyres?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) and (b). The names and addresses of the companies manufacturing scooters and motor-cycles in the large scale sector and the number of such vehicles produced by them during 1966, 1967 and up to July, 1968 are as indicated below:—

| Name & address of the Company | Model of the vehicle | Production in Nos. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1966 | 1967 | 1968 (Jan-July) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. M/s. Automobile products of India Ltd. Bhandup, Bombay-78. | Lambretta scooter | 8,632 | 13,270 | 9,609 |
| 2. M/s. Bajaj Auto Ltd. Chinchwad, Poona-19. | Vespa scooter | 10,389 | 15,982 | 11,177 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. M/s. Enfield India Ltd. Royal Enfield Bulding, Tiruvottiyur, Madras-19. | Fantabulus scooter | 1.950 | 1,044 | 289 |
| | Motor Cycles (Sherpa/Enfield) | 6,359 | 6,405 | 5,808 |
| 4. M/s. Ideal Jawa (India) Pvt. Ltd. Industrial Estate, Mysore-2. | Motor cycles (Jawa) | 9,397 | 8,735 | 5,293 |
| 5. M/s. Escorts Ltd., 18/4, Mathura Road, Faridabad (Haryana). | Motor cycles (Rajdoot) | 9,283 | 8,108 | 5,284 |

(c) The names of the companies manufacturing scooter and Motor cycle tyres are given below:

| *A. Scooter Tyre Manufacturers* | *B. Motor cycle tyre Manufacturers* |
|---|---|
| 1. M/s. Dunlop India Ltd., Calcutta. | 1. M/s. Dunlop India Ltd. Calcutta. |
| 2. M/s. Firestone Tyre and Rubber Co. of India Pvt. Ltd., Bombay. | 2. M/s. Firestone Tyre and Rubber Co. of India Pvt. Ltd., Bombay. |
| 3. M/s. Ceat Tyres of India Ltd., Bombay. | 3. M/s. Madras Rubber Factory Ltd., Madras. |
| 4. M/s. Madras Rubber Factory Ltd., Madras. | 4. M/s. Inchek Tyres Ltd. Calcutta. |
| 5 M/s. Inchek Tyres Ltd., Calcutta. | |

LOSS OF RAILWAY PROPERTY

5921. SHRI ABDUL GHANI DAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the value of Railway property lost by theft, sabotage, accidents and due to mismanagement or use of inferior material during the last four years?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): Loss to Railway property during the years 1963-64 to 1966-67 was as follows:—

| | |
|---|---|
| (i) Theft | Rs. 1,29,07,014/- |
| (ii) Sabotage | Rs. 24,17,009/- |
| (iii) Accidents | Rs. 3,29,54,304/- |
| (iv) Due to mis-management or use of inferior material. | Rs. 1,000/- |

**विदेशों में भारतीय चलचित्रों का वितरण**

5922. **डा० सूर्य प्रकाश पुरी :**
**श्री रामावतार शर्मा :**

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकटवर्ती देशों में, विशेषतया अरब देशों में भारतीय चलचित्र तथा गीत बहुत लोकप्रिय हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन चलचित्रों का वितरण गैर-सरकारी अभिकरणों के माध्यम से किया जाता है जो इस सुविधा का दुरुपयोग भी करते हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस प्रबंध को अपने हाथों में लेने की संभावना पर विचार कर रही है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)**: (क) जी, हां।

(ख) यद्यपि चलचित्रों का वितरण गैर-सरकारी अभिकरणों के माध्यम से किया जाता है तथापि किसी संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिये समुचित संरक्षण हैं।

(ग) जी, अभी नहीं।

**लक्ष्मी वर्कशाप, कोटा के फोरमैन के विरुद्ध शिकायत**

5923. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 19 जुलाई, 1968 को एक फोरमैन द्वारा एक हैड क्लर्क को चाटा मारे जाने के फलस्वरूप लक्ष्मी वर्कशाप, कोटा के कर्मचारियों में बहुत क्षोभ है और उनको तथा जनरल मैनेजर को तार भी भेजे गये थे ;

(ख) क्या तीन वर्ष पूर्व भी उन्होंने एक क्लर्क को चाटा मारा था ;

(ग) क्या पांच वर्ष पूर्व इस फोरमैन ने एक लुहार को भी चांटा मारा था और उच्च न्यायालय में लुहार ने फोरमैन के विरुद्ध मुकदमा जीता था ;

(घ) यदि हां, तो इस फोरमैन के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाएं न घटें इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) एक बयान सलंग्न है।

(ख) से (ग). सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**विवरण**

19-7-68 को कोटा के माल डिब्बा मरम्मत कारखाने में एक घटना हुई जिसमें उस कारखाने के सहायक बिजली फोरमैन, श्री रंगनाथन और उनके जूनियर क्लर्क, श्री राममूर्ति वर्मा ने एक दूसरे पर मार-पीट करने का आरोप और प्रत्यारोप लगाया। कारखाने में काम करने वाले बिजली विभाग के कर्मचारी उसी दिन शाम को बिजली इंजीनियर से मिले और उन्हें बताया कि श्री रंगनाथन, सहायक बिजली फोरमैन ने श्री राममूर्ति वर्मा को पीटा है। दूसरे दिन, अर्थात् 20-7-68 को, सहायक बिजली फारमैन ने भी सहायक बिजली इंजीनियर के पास शिकायत भेजी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उनके क्लर्क श्री राममूर्ति वर्मा ने उन्हें 19-7-68 को पीटा। इस पर सहायक बिजली इंजीनियर ने कोटा मण्डल के कल्याण निरीक्षण को पूरे मामले की जांच करने के लिए नामित किया है। अभी इस मामले की जांच हो रही है। ऐसा लगता है कि इस सम्बंन्ध में कोई तार नहीं मिला है।

OFFICERS, CLASS III AND CLASS IV EMPLOYEES IN RAILWAYS

5924. SHRI KARTIK ORAON: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the total number of officers in the various scales and the number of tribals among them on the Railways; and

(b) the total number of Class III and Class IV employees in the various scales and the number of tribals among them?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) and (b). The information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

UTILISATION OF MANAGING AGENCY PERSONNEL

5925. SHRI S. K. TAPURIAH: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry recently organised a two day

conference in New Delhi, to study the repercussions of the abolition of the Managing Agency System, wherein they demanded that the services of the existing managing agency personnel should be fully utilised till the expected emergence of professionalised management;

(b) if so, Government's reaction to this demand;

(c) whether any demand has also been made about the remuneration to be paid to the managerial personnel; and

(d) if so, what was the precise demand and Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (d). The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry organised an All India Conference of Company Secretaries and Executives on the 20th and 21st of July, 1968. Government have not so far received a copy of the proceedings of the Conference and are therefore not aware whether the Conference has passed any resolution or made any demand of the nature mentioned in (a) and (c) of the question. However, in the welcome address by Shri G. M. Modi, President of the Federation, he made the remark that: "It will be wrong to abolish the managing agency system". He also pleaded for letting the companies free to fix managerial remunerations. In the context of the decisions already taken, Government will examine the recommendations of the Conference when received.

OFFICERS IN PUBLIC UNDERTAKINGS

5926. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total number of class I and class II officers from Bihar in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi and other industries of the Union Government and what is their proportion to the total number of such officers; and

(b) the proportion of such officers belonging to the States in which public sector undertakings are situated to the total number of such officers employed in those undertakings?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

CHARGEMEN AND FOREMEN ON RAILWAYS

5927. SHRI GADILINGANA GOWD:
SHRI RAM SWARUP VIDYARTHI:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1772 on the 24th November, 1967 regarding the wage structure of Chargemen and Foreman *versus* those working in the Government Undertakings and state:

(a) whether the information has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes.

(b) Though the designations "Foremen" and "Chargemen" are commonly used both on the Railways as well as in the other Government Undertakings, the nature of duties, responsibilities and workload attached to the posts so designated in the other Govt. undertakings are different as they are engaged in different manufacturing processes of varying magnitudes. The pattern of organisation is also different. In some cases the scales of pay of Foremen and Chargemen on the Railways are lower than those of similar staff in the other Govt. Undertakings, in others they are similar, and in yet others they are higher. Moreover, the scales of pay of Foremen and Chargemen on the Railways are based on the recommendations made by the Second Pay Commission for Central Government employees. They are accordingly commensurate with their

duties and responsibilities. Any comparison between Railway Workshops and other Govt. Undertakings is not apt, as the duties responsibilities, qualifications, method of recruitment, avenue of promotion, type of work, workshop facilities, etc., are not always similar.

(c) Does not arise.

SOYABEAN OIL STOCK WITH STATE TRADING CORPORATION

5928. SHRI J. MOHAMED IMAM: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the State Trading Corporation has been holding huge stocks of soyabean oil to the extent of 60,000 tonnes imported from the U.S.A. under the P.L.-480 programme;

(b) whether it is a fact that much of this oil is unsold and unfit for edible purposes; and

(c) if so, the amount of loss incurred on this account?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) The STC had a stock of 30,603 tonnes of Soyabean Oil on the 20th August, 1968. A consignment of 27,188 tonnes is expected to be received in a few days.

(b) and (c). No, Sir. Since April 1968, 37,661 tonnes of oil has been sold, of which 14,581 tonnes has been despatched and the rest is in the process of being despatched. The oil is fit for edible purposes. There has been no loss in the import or sale of Soyabean oil.

**भिलाई इस्पात कारखाने में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारी**

5929. **श्री राम सिंह अगरवाल :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1968 को समाप्त होने वाली पांच वर्षों की अवधि में भिलाई इस्पात कारखाने के प्रत्येक विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया तथा कितने अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किया गया तथा उनमें इस समय कितने प्रतिशत अन्तर हैं ;

(ख) यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कर्मचारियों की संख्या कम है तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनके निर्धारित कोटे को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**इस्पात, खान तथा धातु मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री रामसेवक):** (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

CONVERSION OF LOANS TO PRIVATE COMPANIES INTO EQUITY SHARES

5930. DR. RANEN SEN: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have any proposal to introduce legislation to enable the conversion of loans extended by the financial institutions to private companies, into equity shares in the event of default by such companies; and

(b) if so, when the legislation is expected to be introduced?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) and (b). The matter is under examination.

EXPORT OF H.M.T. PRODUCTS

5931. SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the products of the Hindustan Machine Tools

Ltd., are being exported to the United States and other West European countries;

(b) if so, the total quantity exported during the last five years and the foreign exchange earned therefrom, country-wise; and

(c) the total exports of the products of the Hindustan Machine Tools Ltd., if any, to other foreign countries during the last five years and the foreign exchange earned therefrom during that period, country-wise?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) Yes, Sir.

(b) and (c). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See No. LT-1917/68.*]

TRADE RELATIONS WITH MANGOLIA

5932. SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India has trade relations with Mangolia;

(b) if so, the items of exports and imports with that country at present and the annual amount of foreign exchange earned therefrom; and

(c) if the reply to part (a) be in the negative the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Yes, Sir.

(b) As the Trade Agreement with Mangolia was concluded only on 13th February, 1968, no trade transactions in appreciable quantities leading to foreign exchange earning appear to have taken place as yet. The Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics published statistics for 1967-68 indicate that total imports from and exports to Mangolia was of the order of Rs. 120 and Rs. 657 respectively.

(c) Does not arise.

ISSUE OF LICENCES FOR NEW INDUSTRIES

5933. SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many new licences have been issued since January, 1968 for starting new industries and to whom;

(b) whether any complaints were received against any Company which got the licence or licences before January, 1968;

(c) whether these complaints have been settled; and

(d) if not, the reasons why new licences were issued to such companies whose past was not free from complaints?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) During the period January to June, 1968, 18 licences have been issued under the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, for the establishment of new industrial undertakings.

Particulars of licences issued from time to time are published in the following periodicals:—

(i) The "Weekly Bulletin of Industrial Licences, Import Licences and Export Licences";

(ii) The "Indian Trade Journal", and

(iii) The "Journal of Industry and Trade".

Copies of these publications are supplied to the Parliament Library and are also available for sale to public.

(b) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

TOP PUBLISHING HOUSES IN INDIA

5934. SHRI SHIVA CHANDRA JHA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND

COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Tatas have spread themselves in the book publishing enterprise;

(b) if so, in which publishing houses; and

(c) which are the ten top publishing houses in the country and what is their total paid-up capital in those companies separately?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (c). Information sought for in respect of publishing houses registered under the Companies Act, 1956, is being collected and it will be laid on the Table of the House.

**फिल्मों का निर्यात तथा आयात**

5935. **श्री ओंकार लाल बोहरा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार की नीतियां कहां तक इस सामान्य जनभावना की जिम्मेदार हैं कि विदेशों को फिल्मों का निर्यात करने का सरकार का पहला ध्येय विदेशी मुद्रा का अर्जन करना है, न कि विदेशों में भारत की झांकी प्रस्तुत करना ;

(ख) क्या यह सच है कि "इवनिंग इन पेरिस" "नाइट इन लन्दन" तथा "चाइना टाउन" इत्यादि जैसी फिल्मों के निर्यात से हमारे सांस्कृतिक आदर्श खतरे में पड़ गये हैं ; और

(ग) विदेशों से कितनी फिल्मों का आयात किया गया है, उन पर कितना धन खर्च किया गया है, तथा 1965–66, 1966–67 और 1967–68 में भारतीय फिल्मों का निर्यात करने से कितना मुनाफा हुआ है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) :** (क) यद्यपि सरकार फिल्मों के निर्यात से विदेशी मुद्रा के अर्जन को बढ़ाने के लिए उत्सुक है, पर साथ ही वह, विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए भी उतनी ही चिन्तित है।

(ख) जी, नहीं !

(ग) लम्बाई ('000) मीटरों में
मूल्य करोड़ रुपये में

| | आयात | | निर्यात | |
|---|---|---|---|---|
| | लम्बाई | मूल्य | लम्बाई | मूल्य |
| 1965–66 | 2359 | 0.22 | 6842 | 1.70 |
| 1966–67 | 8149 | 0.71 | 4384 | 1.36 |
| 1967–68 | 4675 | 0.53 | 10077 | 3.89 |

भारतीय फिल्मों के निर्यात से कमाये गये मुनाफों के विषय में जानकारी नहीं रखी जाती।

BARREL MANUFACTURING UNITS

5936. SHRI SITARAM KESRI: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 462 on the 23rd July, 1968 and state:

(a) whether the increased demand of barrels has been successfully met by undertaking assessments in 1964 as contemplated by Government; and

(b) whether information asked for in parts (b) and (c) of Starred Question No. 1698 dated the 7th May, 1968 has since been collected and, if so, the main features thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) As explained in reply to Lok Sabha Starred Question No. 1698 on the 7th May, 1968, the assessments were undertaken with a view to meeting the increased requirements of barrels. The extent of satisfaction of the demand would no doubt depend upon the availability of raw material from time to time.

(b) Full details are not readily available and they are being still collected.

ALLOCATION OF RAW MATERIAL TO BARREL AND DRUM INDUSTRY

5937. SHRI SITARAM KESRI: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 190 on the 30th July, 1968 and state:

(a) whether Government are allocating raw material to any industry as per licensed capacity;

(b) if so, the reason why raw material to Barrel and for Drum industry is not being allocated on the basis of licensed capacity; and

(c) whether the original barrel fabricators could meet the requirements of consumers to any extent subject to the availability of raw materials and whether it was appropriate to undertake assessments to achieve needed supply of 4700 tonnes per month which could have been easily met by the original fabricators?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) and (b). The licensed capacity is generally the basis to be taken into account at the time of allocation of raw material. However, in respect of steel processing industries, allocation of steel was being made on the basis of assessed capacities (steel consuming capacities), even before the coming into force of the Industries (D & R) Act, 1951. The same procedure has been continued in respect of these industries after the said Act, came into force. The drum and barrel industry is also one such steel processing industry.

(c) The position has already been explained in replies to Lok Sabha Starred Question No. 1698 on 7-5-68.

ALLOCATION OF STEEL SHEETS TO BARREL FABRICATORS

5938. SHRI SITARAM KESRI: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 461 on the 23rd July, 1968 and state:

(a) the date when the Joint Plant Committee was advised to adjust the quantity of steel sheets received short by various fabricators in 1966-67 *pro rata* to their assessed capacity;

(b) the reasons for deviating from the usual practice of allocating raw material to fabricators *pro rata* to their capacities and allocating it in proportion to orders then with them;

(c) whether the particulars of pending orders furnished by the fabricators were verified before the steel sheets were allotted to them on the basis of orders;

(d) whether such deviation in making allocations was a right course adopted by Government; and

(e) the reasons for undertaking assessments of capacities resulting in hardships to the original fabricators who started receiving lesser raw materials than what they were receiving before when Government were aware that needed supply rate of 4700 tonnes per month could never be achieved?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (d). The circumstances in which a different practice was adopted during 1966-67 for the purpose of allocation have already been explained in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 461 on the 23rd July, 1968. The Joint Plant Committee were advised suitably by the Dte. General of Technical Development in their letters dated 21/23-11-1967 and 11-1-1968 regarding short allocations to made up. Information in respect of part (c) is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

(e) Reference is invited to replies to Lok Sabha Starred Question No. 1698 on the 7th May, 1968.

INDUSTRIAL LICENCE TO I.O.C. FOR MANUFACTURING BARRELS AND DRUMS

5939. SHRI SITARAM KESRI: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1639 on the 30th July, 1968 and state:

(a) whether a final decision has since been taken on the application of the Indian Oil Corporation; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

FOREIGN EXCHANGE FOR IMPORT OF LIQUOR

5940. SHRI SRADHAKAR SUPAKUR: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the total amount of foreign exchange allotted in 1967-68 for import of liquor from abroad; and

(b) the total value of liquor imported?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Licences worth Rs. 23.46 lakhs were issued for import of liquor etc., during the year 1967-68.

(b) The total value of liquor imported during the year 1967-68, amounted to Rs. 36.92 lakhs which cover import made for defence requirements and un-authorized imports not included in the licences.

COMMITTEE FOR BOKARO STEEL PLANT

5941. SHRI ANBUCHEZHIAN:
SHRI R. K. SINHA:
SHRI CHENGALRAYA NAIDU:
SHRI MANIBHAI J. PATEL:
SHRI N. R. LASKAR:

Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a Committee consisting of high officials has been appointed to expedite the execution of the Bokaro Steel Plant and to devise ways of economising the construction works;

(b) if so, the names and designations of the members of the Committee

(c) the main task of the Committee; and

(d) when the Committee is expected to submit its report?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) and (b). The Government of India have constituted a Committee consisting of the following persons to examine various aspects of the scope for economy in the construction of the Bokaro Steel Plant:

(1) Shri S. S. Jagota, Adviser (Production), Ministry of Finance, Bureau of Public Enterprises.

(2) Shri K. B. Rao, Adviser (Industry & Mineral), Planning Commission.

(3) Shri M. B. Silgardo, Chief Engineer, Central Engineering and Design Bureau, Hindustan Steel Limited.

(4) A representative of Messrs. M. N. Dastur & Co.

(5) Shri J. C. Luther, Director, Department of Iron & Steel, Ministry of Steel, Mines & Metals—Convenor.

(c) and (d): The terms of reference of the Committee are:

(i) to examine the requirements of land for the plant and ancillary facilities on the basis of an ul-

timate capacity of 5—6 million ingot tonnes of the steel plant,

(ii) to study the phased requirements of personnel of various categories and their training programmes and to suggest modifications or improvements;

(iii) to explore the possibility of economy in the construction of housing and other amenities, specifically by construction of multi-storeyed buildings and in other ways;

(iv) to explore the possibilities of economies in other related fields.

The Committee is expected to submit its report to Government by the end of October, 1968.

DEPOSITS OF IRON IN HARYANA

5942. SHRI ANBUCHEZHIAN:
SHRI CHENGALARYA NAIDU:
SHRI N. R. LASKAR:
SHRI S. R. DAMANI:
SHRI RANJIT SINGH:
SHRI S. S. KOTHARI:

Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that rich deposits of iron have been found in the Tosham area in Haryana;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is also a fact that preliminary investigations have revealed that iron-content of the ore is more than 50 per cent; and

(d) whether in Mahendergarh also rich deposits of iron ore have been found?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) Small occurrences of iron ore has been reported only from Tosham area, Hissar district of Haryana.

(b) and (c). The width of the iron ore band varies from 0.08 metres to 0.50 metres and has got a strike length of 50 metres. The approximate reserves are reported to be of the order of 2,500 tonnes. The iron percentage in the samples analysed so far varies from 39.2 to 58.8 per cent.

(d) The iron ore reserves in the Dhanota-Dhancholi and Chappra-Antri-Beharipur areas are reported to be of the order of about 2—4 million tonnes to a depth of 50 metres. The iron content is about 60 per cent.

DEMAND FOR NON-FERROUS METALS

5943. SHRI SRADHAKAR SUPAKAR: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether any assessment of the total market demand for non-ferrous metals in the country has been made recently; and

(b) if so, the total supply of non-ferrous metals and the percentage of shortage therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) and (b). Yes, Sir. The demand for non-ferrous metals in the country is being assessed by the Planning Group on Non-Ferrous Metals set up in connection with the formulation of developmental plans for the Fourth Plan commencing from April 1969. The estimated demand for and indigenous supply of non-ferrous metals for 1969-70 and 1973-74, in respect of metals for which the assessment is being made, is indicated below. The figures are tentative and will be finalised after further consideration in the Planning Commission. It may be stated that indigenous supplies will be augmented by imports subject to the availability of foreign exchange:—

Estimated demand for and indigenous supply of Non-Ferrous Metals—in tonnes

| Metal | 1969—70 | | 1973—74 | |
|---|---|---|---|---|
| | Demand | Indigenous production (including scarp availability) | Demand | Indigenous production (including scarp availability) |
| Aluminium | *184,000 | 137,000 | 315,000 | 359,000 |
| Copper | 84,900 | 19,200 | 124,300 | 50,300 |
| Zinc | 96,800 | 38,000 | 141,700 | 106,000 |
| Lead | 66,600 | 16,700 | 97,400 | 50,400 |

(*includes provision for exports also)

PRODUCTION OF CEMENT

5944. SHRI SRADHAKAR SUPAKAR: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total increase in the production capacity of cement after its decontrol; and

(b) whether the target of production for the Third Five Year Plan has been reached?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) 2.59 million tonnes.

(b) No, Sir.

INDIA'S TRADE WITH CEYLON

5945. SHRI SRADHAKAR SUPAKAR: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether there is any increase in the earnings from our trade with Ceylon in the recent years; and

(b) the steps taken by Government for increasing the volume of trade with Ceylon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) No, Sir.

(b) Apart from concluding a Trade Agreement with Ceylon, Government of India extended a line of credit of Rs. 20 million to the Government of Ceylon in February, 1966 for import of consumer goods and another credit of Rs. 50 million in August, 1967, for import of machinery, machine tools etc., from India. It has also been decided to set up a Joint Committee on Economic Cooperation charged with the task of formulating and pursuing continuously measures for closer cooperation between the two countries in economic and commercial fields. An exhibition of Indian export products is being held shortly in Colombo to enable the importers in Ceylon to see for themselves the wide range of goods being produced by the Indian industries. Tender notices and export opportunities to Ceylon are being given wide publicity in India so that our manufacturers/exporters could quote for supplies required by that country.

DISTRIBUTION OF IMPORTED COTTON

5947. SHRI J. M. BISWAS: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the Indian Cotton Mills Federation has submitted a scheme for the distribution of foreign cotton among the mills;

(b) if so, the main features of the scheme; and

(c) whether Government have approved the scheme?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Yes, Sir.

(b) The main features of the scheme are:—

(i) Mills will be eligible to receive allocations of foreign cotton (global and PL-480) on the basis of their spindles working during any of the years 1965, 1966 and 1967;

(ii) Giving choice to the mills to indicate their requirements of global cotton from any of the sources of supply;

(iii) Mills exercising option to import foreign cotton will execute in favour of ICMF guarantees for importing cotton as may be allocated to them which would be forefeited in the event of default;

(iv) Allotments made will be for *bona fide* consumption. However, imported PL-480 cotton will be allowed for sale, loan or transfer.

(c) The scheme is receiving the attention of the Government.

EXPORT OF MANGOES

5948. SHRI J. M. BISWAS: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have explored the possibility of increasing export of mangoes to foreign countries;

(b) if so, the steps being taken in this direction; and

(c) the quantity and the value of mangoes exported during the last year?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Yes, Sir.

(b) The following steps have been taken to increase the export of mangoes:

(i) A Mango Delegation was sent to some of the European countries in 1966 to explore the marketing possibilities of Indian mangoes in those countries.

(ii) AIR INDIA are giving some special freight concession for export of mangoes to foreign countries.

(iii) Some small consignments of mangoes were sent by sea by the S.T.C. during 1967 in order to investigate the feasibility of exporting mangoes on a commercial scale to European countries.

They had also sent sample parcels of mangoes to our Commercial Representatives in European countries for distribution to selected departmental stores and hotels for gauging the demand.

In order to give wide publicity to our mangoes, two brochures were also prepared by them and distributed to departmental stores and consumers in European countries.

(iv) Central Food Technical Research Institute, Mysore, provides technical assistance for developing the techniques of export of mangoes.

(c) 1075 tonnes of mangoes of the value of Rs. 18.19 lakhs were exported during the last year (1967-68).

**बिहार में दिये गये औद्योगिक विकास ऋण**

5949. **श्री रामावतार शास्त्री**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दस वर्षों में वर्ष 1957 से 1967 तक बिहार सरकार ने औद्योगिक विकास के लिये बिहार में कितना तथा किन-किन व्यक्तियों, फर्मों तथा कम्पनियों को ऋण दिये थे ;

(ख) उक्त अवधि में सरकार ने कुल कितनी राशि के ऋण दिये थे और किसी कम्पनी को कम से कम तथा अधिक से अधिक कितना ऋण दिया गया था

(ग) क्या यह सच है कि वे ऋण कई नकली फर्मों, कम्पनियों तथा व्यक्तियों को दिये गये थे और कई एकको ने ऋण लेने के बावजूद औद्योगिक संस्थान स्थापित नहीं किये ;

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और क्या सरकार का विचार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का है ; और

(ङ०) यदि हां, तो क्या ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):** (क) से (ङ). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा समस्तीपुर में रेलवे क्वार्टर**

5950. **श्री रामावतार शास्त्री :**
**श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के कर्मचारियों के लिये मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर में क्वार्टर बनाए गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी अलग-अलग संख्या क्या हैं ;

(ग) कितने क्वार्टरों में बिजली, बिजली के पंखों तथा शौचालयों की व्यवस्था की गई है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि मुजफ्फरपुर में 100 से अधिक क्वार्टरों, दरभंगा में 100 क्वार्टरों और समस्तीपुर के 150 क्वार्टरों में शौचालयों की व्यवस्था नहीं की गई है ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) इन क्वार्टरों में शौचालयों की व्यवस्था कब तक कर दी जायेगी ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मू० पुनाचा) :** (क) जी हां।

(ख) मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर में बनाये गये क्वार्टरों की कुल संख्या क्रमशः 717, 239 और 1127 है।

(ग) मुजफ्फरपुर दरभंगा और समस्तीपुर में क्रमशः 378, 9 और 432 क्वार्टरों में बिजली और बिजली के पंखों की व्यवस्था की गयी है।

मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर में क्रमशः 697, 205 और 1094 क्वार्टरों में शौचालय की व्यवस्था की गयी है।

(घ) मुजफ्फरपुर, दरभंगा और समस्तीपुर में क्रमशः 20, 34 और 33 क्वार्टरों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है। परन्तु इन क्वार्टरों के लिए सामुदायिक टट्टियां मौजूद हैं ?

(ङ) जिन क्वार्टरों में शौचालय नहीं है, वे आमतोर पर पुराने और अमानक ढंग के हैं।

(च) धन उपलब्ध होने पर अमानक क्वार्टरों को विभिन्न चरणों में मानक टाइप में परिवर्तित किया जाता है।

**पूर्वोत्तर रेलवे के कैरिज कर्मचारी वृन्द को रात्रि भत्ता**

5951. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, नरकटियागंज, सोनपुर और बरौनी में पूर्वोत्तर रेलवे के कैरिज कर्मचारिवृन्द को 1 अक्तूबर, 1962 से 1 अप्रैल, 1967 तक की अवधि के लिये रात्रि भत्ता की बकाया राशि नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) बकाया राशि का भुगतान करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** :(क) से (ग) : 1-8-62 से 1-4-67 तक सवारी और मालडिब्बा डिपो की नामित कोटियों के कर्मचारी रात की ड्यूटी भत्ता पाने के पात्र थे बशर्ते उन्होंने जानेवाली या यात्रा समाप्त करके आने वाली 16 से अधिक मालगाड़ियों की जांच कर ली हो। इस मापदंड के आधार पर बरौनी जंकशन, समस्तीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और नरकटियागंज स्थित सवारी और मालडिब्बा डिपो के कर्मचारी शुरू में भत्ता पाने के पात्र नहीं थे। बाद में, इस संबंध में जो छानबीन की गयी, उसके फलस्वरूप यह देखा गया कि गाड़ियों की संख्या बढ़ जाने के कारण नरकटियागंज और दरभंगा स्थित सवारी और मालडिब्बा डिपो के कर्मचारी क्रमश: 1963 और 1965 से भत्ता पाने के हक़दार थे। कर्मचारियों की संख्या और उनको दी जानेवाली रकम का हिसाब लगाया जा रहा है और आशा है सितम्बर 1968 के अंत तक इसका भुगतान पूरा कर दिया जायेगा।

जिस आधार पर रात की ड्यूटी का भत्ता दिया जाता है, उसे 1-4-1967 से और उदार बना दिया गया है। अब 470 रुपये तक वेतन पाने वाले श्रेणी III और IV के सभी कर्मचारी, जो काम के घंटों से संबंधित विनियमों के अन्तर्गत "निरन्तर" या "गहन" कोटि में वर्गीकृत किय गये हैं, रात्रि का भत्ता पाने के पात्र हैं और इस के अनुसार उन्हें भत्ते की अदायगी की जा रही है।

COMMITTEE OF SMALL-SCALE RUBBER CULTIVATORS

5952. SHRI P. P. ESTHOSE:
SHRI K. M. ABRAHAM:
SHRI E. K. NAYANAR:
SHRI VISWANATHA MENON:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 312 on the 23rd July, 1968 and state:

(a) whether the Committee appointed to go into the problems of the small scale rubber cultivators has submitted its report;

(b) if so, the details of the report; and

(c) the decision taken thereon?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Yes, Sir.

(b) In their report, the Committee, which was required to go into the economics of small holdings of rubber of and below 4 hectares, have commented at length on the present state of such holdings and made recommendations to improve their economic condition. Their main observations and recommendations relate to replanting of low yielding areas with high yielding planting materials, extension of assistance intended for the benefit of small holders to the small holdings licensed by the Government of Kerala, encouraging enlargement of small uneconomic units, expansion of nurseries to meet increasing demands for high yielding planting materials in the future, organising regional tappers training schools, popularising smaller and cheaper smoke houses among individual small holders, organising co-operative processing centres in areas where there is a concentration of rubber holdings, increasing the quantum of replanting subsidy to small growers, encouragement to rubber marketing societies by increased financial assistance and better marketing facilities, etc.

(c) The Committee's recommendations are being examined.

**भारत में मीट्रिक प्रणाली लागू करना**

5953. **श्री बृज भूषण लाल :**
**श्री भारत सिंह चौहान :**
**श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**
**श्री राम गोपाल शालवाले :**

**क्या वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सारे भारत

में मीट्रिक प्रणाली लागू की गई है किन्तु मद्रास में नहीं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी)** : (क) मद्रास सहित सारे देश में मीट्रिक प्रणाली कानूनी तौर पर अनिवार्य हो गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ADOPTION OF MODERNISED TECHNIQUES FOR RAILWAY ADVERTISEMENTS

5954. SHRI PREM CHAND VERMA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state whether the Railways have adopted any modernised techniques for Railway advertisements and, if so, the details of such techniques and the result of their adoption?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): Presumably, the member refers to the different media of mass communication which the Railways could take advantage of. The Railways are making use of all media of mass communication like the press, radio, cinema slides, films, exhibitions and publications like posters, stickers, folders, brochures and pamphlets.

The publicity through the various media is intended to bring about greater awareness among the people of the services rendered by the railways in the life of the nation. It is, however, difficult to assess the results.

APPROVED ADVERTISING AGENCIES OF INDIAN RAILWAYS

5955. SHRI PREM CHAND VERMA: Will the Minister for RAILWAYS be pleased to state:

(a) the names of advertising agencies on the approved list of each Railway, both Indian and with foreign collaboration, together with their proprietorship etc.;

(b) when was the list of approved advertising agencies drawn last, what was the criteria for approving them and what were the specific requirements for approval;

(c) how much agency commission was paid to each agency (by each Railway separately) during the last five years, year-wise; and

(d) the interval after which this list is revised and when its revision is due next?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) Services of the advertising agencies may be commissioned on the Railways for two purposes:

(i) for securing revenues by way of commercial advertisements for Railway media like station premises, publications etc.; and

(ii) for preparing art work for advertisements, publications, exhibitions, etc. as well as for handling display advertisement campaigns wherever this is considered advantageous.

For purposes of commercial advertising through railway media, all advertising agencies which are members of the 'Advertising Agencies Association of India' and those accredited to the Indian and Eastern Newspapers Society are automatically recognised by the Zonal Railways. There is no separate list of approved advertising agencies kept by the Railways.

No approval or recognition is accorded to any advertising agency which may be utilised by the Zonal Railways for the purposes of getting art work prepared.

In line with Government policy in this regard services of advertising agencies which have an element of foreign collaboration are not utilised by the Railways for such work;

(b) Does not arise.

(c) Information is being collected and will be placed on the table of the Sabha as soon as possible.

(d) Does not arise.

STAFF IN COMMERCE MINISTRY

5956. SHRI PREM CHAND VERMA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether any survey of the staff employed in his Ministry was made during the year 1967-68;

(b) if so, the number of surplus hands found in each class and the policy proposed to be adopted in respect of them;

(c) the number of additional hands employed by his Ministry during the period from the 1st April to 30th June, 1968 (class-wise) and the number of new posts of Gazetted Officers created during this period; and

(d) the details of surplus staff working with Ministers, Ministers of State, Deputy Ministers etc. for which proper sanction has not been obtained?

THE MINISTER OF COMMERCE (SHRI DINESH SINGH): (a) Survey of some Directorates and Sections of the Ministry of Commerce was conducted towards the close of 1967-68. However, findings of the survey were received in the current financial year.

(b) The net effect of implementation of the recommendations of the survey as on date is that 5 Class III officials are surplus. In accordance with the current instructions, such staff is required to be placed at the disposal of the Surplus Cell of the Ministry of Home Affairs for redeployment.

(c) During the period 1-4-68 to 30-6-68, the following additional hands were employed:—

| Class | No. of officers |
|---|---|
| I | 4 |
| II | 6 |
| III | 3 |
| Total | 13 |

During the same period, 7 Gazetted posts were created.

(d) Nil.

CORRUPTION, BRIBERY AND THEFT CASES IN RAILWAY MINISTRY

5957. SHRI PREM CHAND VERMA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of cases discovered during the period from 1st April to 20th June, 1968 involving corruption, bribery, theft and other criminal offences in his Ministry;

(b) the number of officials (class-wise) and non-officials involved, separately;

(c) in how many cases prosecution was launched and how many cases were referred to C.B.I.;

(d) how many cases were caught in 1967-68, how many of the cases resulted in conviction and against how many persons departmental action was taken, giving details; and

(e) what concrete steps have been taken to prevent such cases?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) to (e). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

बाढ़ों के कारण आसाम में रेलवे यातायात का अस्तव्यस्त होना

5958. श्री रामावतार शर्मा:
श्री शिव कुमार शास्त्री:

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आसाम में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण कई स्थानों पर रेलवे यातायात अस्तव्यस्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गत वर्ष में बाढ़ द्वारा हुई तबाही को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष हानि न होने देने और यातायात को अस्तव्यस्त होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कोई सुरक्षात्मक उपाय किये गये थे;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) बाढ़ से इन स्थानों पर हुई क्षति का अनुमान क्या है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) और (ख) : जी हां। नौ स्थानों पर रेल यातायात अस्त-व्यस्त हो गया था। जहां जहां आवश्यक जान पड़ा, रेलवे लाइनों की हिफाजत के लिए बचाव के उपाय किये गये हैं ;

(ग) सवाल नहीं उठता ;

(घ) लगभग 1.59 लाख रुपये।

STANDARDISATION OF ALLOYS AND SPECIAL STEEL PRODUCED IN INDIA

5959. SHRI GADILINGANA GOWD:
SHRI N. SHIVAPPA:
SHRI K. M. KOUSHIK:

Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that alloys and special steel produced in the country are not according to the standards and this has made the products unpopular and less competitive in the Indian markets;

(b) whether the products are facing similar handicaps in foreign markets also;

(c) the total production of these products in India and how much of it is being consumed in India and how much of it is exported;

(d) the total imports of these products every year; and

(e) whether steps have been taken to standardise these products to increase their competitiveness.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) No, Sir. It is not a fact that all the alloys and special steels produced in the country are of substandard quality. Generally, the quality of the products of alloy steels plants is quite satisfactory, but the products of some others may not be of the same standard. The question of materials becoming unpopular and less competitive due to substandard quality does not, therefore, arise.

(b) Does not arise, as no exports of these categories of steel have been made to foreign countries.

(c) Information is not readily available.

(d) The total imports of tool, alloy and special steel during the last three years have been as under:

| Year | Quantity M/T | Value (Rs. in thousand) | |
|---|---|---|---|
| 1965—66 | 129,459 | 204,931 | |
| 1966—67 | 85,552 | 235,054 | Post Devaluation. |
| 1967—68 | 81,704 | 271,353 | |

(e) The Indian Standards Institute has standardised most of the alloy and special steels and has issued a number of pamphlets. Indian manufacturers have been advised to manufacture such steel according to ISI specifications.

EXPORTS TO LATIN AMERICA

5960. SHRI GADILINGANA GOWD: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that our exports to Latin America had fallen down considerably during the year 1967-68 and, if so, the value thereof; and

(b) the reasons for this decline and the measures being taken to improve the position?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Yes, Sir. Our exports declined from Rs. 9.94 crores in 1966-67 to Rs. 5.44 crores during 1967-68.

(b) Jute goods form the bulk of our exports to these countries. Jute industry has in the last few years developed greatly in Brazil and Peru. Under the LAFTA (Latin American Free Trade Association) Treaty, their jute goods enter the other Latin American countries free of import duties and this has affected our exports adversely. Government are taking all necessary measures to diversify our exports to Latin America. Trade Agreements have re-

cently been concluded with Argentina and Brazil. India has participated in the Pacific International Trade Fair at Lime (Peru). A representative of the S.T.C. has been sent to Uruguay to discuss supply of railway equipment. Visits of other Indian Trade & Export Promotion Delegations to Latin American countries are being planned.

SUPPLY OF COAL WAGONS IN DELHI

5961. SHRI GADILINGANA GOWD: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the retail businessmen in Delhi were not supplied coal wagons in June, 1968 by the wholesale dealers;

(b) whether it is also a fact that when the prices in summer season are low, proper supplies of coal wagons are withheld by the big dealers resulting in acute shortage;

(c) whether it is also a fact that the big businessmen keep their wagons unloaded at the New Delhi Railway Station Yard at Ajmere Gate for several days;

(d) whether there is a large scale black-marketing in the sense that the coal wagons are not supplied to the actual clients but to others in the market and they realise higher prices;

(e) whether any drastic action has been taken by cancelling the licences of such traders; and

(f) if not, the remedial measures adopted in order to ensure proper coal supply to the citizens of Delhi?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) and (b). No, Sir. The shortage was due to supply of less wagons by Railways for coal in June, 1968 on account of diversion of a large number of wagons for the movement of foodgrains.

(c) No, Sir.

(d) to (f). Though the control on distribution and prices of coal and coke has been lifted, the importers in Delhi are required to deliver coal/coke only either to licensed retailers or actual consumers like industries, hotels etc. to ensure that by and large the prices of coal/coke remain within reasonable bounds.

With a view to maintaining regular and adequate supplies of coal, Delhi Administration have retained the licensing of dealers and the system of planning procurement by allocating wagons to suitable importers. The quota of wagons allocated to the importers is reduced if they fail to procure even 50% of their quota and the wagons thus released are allotted to other importers or fresh entrants in the trade. At present, supplies of coal/coke to Delhi are adequate to meet the local demands.

PROMOTION OF CLERKS IN THE CHIEF COMMERCIAL SUPERINTENDENT'S OFFICE E. RAILWAY, CALCUTTA

5962. SHRI NAMBIAR:
SHRI C. K. CHAKRAPANI:
SHRI MOHAMMAD ISMAIL:
SHRI GANESH GHOSH:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of Clerks of the Chief Commercial Superintendent's Office, Claims Branch, Eastern Railway, Calcutta working in the lowest grade for the last 15 years have not been promoted to higher grades;

(b) if so, the total number of such clerks;

(c) whether Government have received any representation from the clerical staff;

(d) if so, the main points of their representation; and

(e) the action taken thereon?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes.

(b) 93.

(c) to (e). In this connection, attention is invited to the assurance

fulfilled in the Lok Sabha in respect of Unstarred Question No. 4577 dated 22-12-67 asked by Sarvshri Bhagaban Das, Nambiar, K. M. Abraham and K. Ramani.

ACCUMULATION OF OVER-CHARGE SHEETS IN FOREIGN TRAFFIC ACCOUNTS OFFICE, WESTERN RAILWAY, DELHI

5963. SHRI NAMBIAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7265 on the 26th July, 1967 and state:

(a) whether it is a fact that more than one thousand over-charge sheets have again been accumulated in the Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway, Delhi due to shortage of staff;

(b) whether it is a fact that there is a shortage of staff as per duty lists in the office; and

(c) the steps taken by Government against the injustice to the staff of the Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway, Delhi?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) The flow of receipts, disposals and outstandings of over-charge sheets are not uniform. The number outstanding in the third week of August was 640 mainly on account of very heavy receipts from May, 1968 to July, 1968.

(b) No.

(c) Does not arise.

SURPLUS STAFF IN FOREIGN TRAFFIC ACCOUNTS OFFICE, WESTERN RAILWAY, DELHI

5964. SHRI NAMBIAR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased refer to the reply given to Unstarred Question No. 8173 on the 23rd April, 1968 and state:

(a) the number of staff declared surplus in each Branch separately in the Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway, Delhi; and

(b) if the staff is not sitting idle without any work, how it has been declared surplus?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a)

| | |
|---|---|
| Goods Branch | 34 |
| Coaching Branch | 8 |

(b) The staff have become surplus on account of simplification and mechanisation of Traffic Accounts procedure. However, pending their absorption against alternative posts, they are being utilised for other work.

LOSS TO DURGAPUR STEEL PLANT

5965. SHRI ONKAR LAL BERWA:
SHRI K. M. KOUSHIK:
SHRI D. N. PATODIA:

Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the estimated loss that the Durgapur Steel Plant is likely to suffer during 1968-69 would be nearly double the loss that was suffered by the Plant during 1967-68;

(b) if so, the causes therefor; and

(c) the total amount of steel products which remain unsold with the Plant?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) and (b). It is not possible to indicate the losses for 1968-69 at this stage. It would depend on the production programme, marketing and other factors.

(c) The stock of saleable steel with the Durgapur Steel Plant as on 1-7-1968 was about 57,000 tonnes.

**विदेशी सहयोग**

5967. **श्री शारदानन्द :**
**श्री श्रीगोपाल साबू :**
**श्री टी० पी० शाह :**
**श्री कंवर लाल गुप्त :**

**क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी सहयोग द्वारा चल रहे कारखानों की संख्या कितनी है और उनके द्वारा उत्पादित माल का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में चल रहे ऐसे कारखानों की अलग अलग संख्या क्या है, उनमें कितनी विदेशी मुद्रा लगी है और सहयोगी करारों के अन्तर्गत इस समय भारत में इनमें कितने विदेशी काम कर रहे हैं; और

(ग) गत वर्ष के दौरान विदेशी सहयोग के मामलों में कमी करने तथा इसको पूर्णतया समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)**: (क) और (ख). इसमें अत्यधिक समय लगेगा और जानकारी एकत्र करने में भी काफी समय लग जायगा।

(ग) उन क्षेत्रों में विदेशी सहयोग के लिए अनुमति नहीं दी जाती जिन में या तो देश में ही जानकारी उपलब्ध है अथवा निकट भविष्य में हीं उसके विकास किए जाने की सम्भावना होती है। सहयोग के लिए स्वीकृति देते समय देश के अन्दर ही अनुसन्धान और विकास करने पर अधिक बल दिया जाता है। विदेशी सहयोग के लिए सरकार की स्वीकृति देते समय एक शर्त यह लगाई जाती है कि भारतीय कम्पनी को एक डिजाइन और अनुसंधान संगठन की स्थापना करनी चाहिये जिससे सहयोग की अवधि में ही आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सके और करार की अवधि बढ़ाने के लिए स्वीकृत नहीं दी जायेगी।

SELECTION OF CONSOLE OPERATORS IN MACHINE SECTIONS OF NORTHERN RAILWAY HEADQUARTERS

5968. SHRI SATYA NARAIN SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9909 on the 7th May, 1968 and state:

(a) whether it is a fact that the person employed as console operator was nominated without any selection and the selection of the said post was held only after the question was raised in the Lok Sabha;

(b) if so, the reasons thereof;

(c) the reasons for deviation from the prescribed minimum qualifications;

(d) whether some more qualified staff available in the office represented for considering their applications for the eligibility for selection; and

(e) if so, the action taken by Government on the representations of the staff?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) to (c). When the posts of Console Operators were originally sanctioned for the Northern Railway in February, 1967, no minimum educational qualifications were prescribed for filling them, but it was laid down that the staff should possess Unit Record Machine background and take the standard aptitude test for computer work of the suppliers of the equipment. Out of 12 senior persons with the Unit Record Machine background, only 2 came up to the standard by the aptitude test. One of them later signified that he did not wish to be considered for the post and pending a final selection the other was posted as Console Operator as a temporary arrangement when the computer was commissioned in May, 1967. In August, 1967, general orders were issued laying down the qualifications for the posts of Console Operators and it was also specifically laid down in those orders that "staff already selected on the basis indicated earlier should not however be disturbed". The employee who was posted as Console Operator in May, 1967 after passing aptitude test was granted similar relaxation.

Before the Question No. 9909 was was replied to in the Lok Sabha on 7-5-1968, steps had already been taken to process a selection on the basis of the orders issued by the Railway Board in August, 1967, and eligible staff were sent up for the aptitude test on 27-2-1968. All the eligible staff who had applied were considered for selection.

**इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड**

5969. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
**श्री जि० ब० सिंह :**
**श्री जगन्नाथराव जोशी :**
**श्री राम सिंह अयरवाल :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-काय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि कुछ वर्ष पूर्व इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ने अपने अंशधारियों को 17 प्रतिशत लाभ दिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1966 में लाभांश कम करके 8 प्रतिशत कर दिया गया था और 1967–68 में यह शून्य हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और तथ्य जानने के पश्चात् सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)**: (क) तथा (ख) । हां, श्रीमान्। 31 मार्च, 1964 से 31 मार्च, 1966 को समाप्त होने वाली 3 वर्षों में कम्पनी द्वारा इसके साधारण हिस्सों के सम्बन्ध में 17 प्रतिशत की दर से लाभाश की घोषण की गई थी। 1966–67 तथा 1967–68 के वर्षों के तदनुरूप आंकड़े 8.5 प्रतिशत तथा शून्य है।

(ग) निर्पेक्ष पद से, कम्पनी द्वारा 31 मार्च, 1967 की वर्ष समाप्ति को घोषित लाभांश गत वर्ष के ही समान थे। परन्तु वर्ष के मध्य 1.1 के समानुपात से बोनस हिस्से निर्गमन करने से, कम्पनी को साधारण हिस्सा पूंजी के दो गुने हो जाने के कारण, साधारण हिस्सा पूंजी के संबंध में घोषित लाभांश की दर, 8.5 प्रतिशत हो जाने से आधी कम हो गई । 31 मार्च 1968 की वर्ष समाप्ति के लिये, कम्पनी के निदेशक मंडल ने करारोपण से पहले लाभ में, 1966–67 में 5.5 करोड़ रुपये से 1967–68 में 1 करोड़ रुपये, हास हो जाने के कारण, कोई लाभांश की घोषण न करने का निर्णय किया। निदेशकों ने, लाभ में हास मुख्य रूप से न्यूनतर उपादन, न्यूनतर व्यौगरावर्त एवं श्रम मूल्य में वृद्धि, उपारोपण किया है। तदनुसार, 23 जुलाई, 1968 को कम्पनी ह्रास प्रेषित नोटिस में, निदेशक मंडल ने संकेत किया है कि पूंजी खर्च एवं ऋण अदायगी दोनों के संम्बन्ध में, पहले तथा अपरिहार्य बचन, कम्पनी को घटे हुये रोकड़ प्रसाधनों के वितरण का प्रतिषेध करते हैं।

वर्तमान में, सरकार के पास, उपलब्ध, सामग्रीपर, सरकार की ओर से कोई कार्यवाही, अपेक्षित नहीं है।

TRADE WITH SOUTH KOREA

5970. SHRI R. K. SINHA:
SHRI K. P. SINGH DEO:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether talks were recently held with a Delegation of the Republic of Korea (South Korea) for the expansion of trade between the two countries;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the total quantum of trade India is currently having with South Korea and North Korea, separately?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) and (b). Yes, Sir. An Official Trade Delegation from the Republic of Korea held talks with an Indian Trade Delegation from the 6th to the 8th August 1968, on matters relating to expansion of trade and economic co-operation between the two countries. Copies of the Agreed Minutes of Discussions held between the two Delegations as also copies of the Joint Press Release issued after the trade talks, have been placed in the Parliamentary Library.

(c) Our exports to and imports from the Republic of Korea during 1967-68 were of the order of Rs. 133.49 lakhs and Rs. 40.51 lakhs, respectively. During the same period, our exports to and imports from North Korea were Nil.

INDO-CZECHOSLOVAKIA AGREEMENT FOR SUPPLY OF MACHINERY FOR ANDHRA PLANT

5971. SHRI CHENGALRAYA NAIDU:
SHRI N. R. LASKAR:
SHRI ANBUCHEZHIAN:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that an agreement between India and Czechoslovakia has been signed for the supply of machinery for the Andhra Plant;

(b) if so, the main features thereof;

(c) the amount of assistance provided by the Government of Czechoslovakia under the agreement; and

(d) the items that will be manufactured by the Bharat Heavy Plate and Vessels Ltd.?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) Yes, Sir.

(b) The Skodaexport, Foreign Trade Corporation, Czechoslovakia, with whom the company have executed the agreement, will supply machinery, equipment and instruments inclusive of standard accessories, anchoring material and spare parts and special accessories accompanying documentation for the production purposes of the plant. They will also provide technical co-operation at the erection of the machinery and equipment which shall be delivered by them.

(c) The total purchase price FOB European port of the machinery, equipment and instruments, including standard accessories, anchoring material and spare parts and special accessories to be delivered by M/s. SKODAEXPORT under the Agreement amounts to Rs. 2,02,27,994 which will be met out of the credit granted by the Government of Czechoslovakia Socialist Republic to the Government of India under the "Economic Agreement 1959" and

(d) The company will manufacture equipment required by fertilizer, petrochemical and other chemical industries like columns of various types, pressure vessels, heat-exchangers and Dished ends etc.

AGREEMENT FOR POWER SUPPLY TO ALUMINIUM PLANT, KORBA

5972. SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether the Bharat Aluminium Company has entered into any firm agreement with the Madhya Pradesh Electricity Board in respect of the power supply to its proposed Aluminium Plant at Korba; and

(b) if not, the reasons therefor and when they propose to do it?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) and (b). Negotiations between the Bharat Aluminium Company Ltd., New Delhi, and the Madhya Pradesh State authorities in connection with finalisation of an agreement for supply of electric power for the Korba (Madhya Pradesh) Aluminium Project have reached an advanced stage and the agreement is likely to be concluded shortly.

COAL SUPPLY FOR SATPURA THERMAL POWER STATION

5973. SHRI BHARAT SINGH CHAUHAN: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state whether the National Coal Development Corporation would be completing the arrangements for additional raising of coal from the Patharkheda Coalfields in time so as to meet the full requirement of the Satpura Thermal Power Station of the Madhya Pradesh Electricity Board?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): The National Coal Development Corporation have made necessary arrangements to meet the phased requirements of the Satpura Thermal Power Station from the Patharkheda Colliery and on present indications, no difficulty is envisaged. Action is also being taken for driving of a new pair of inclines at the colliery for supplying likely future increase in requirements of coal of the Satpura Thermal Power Station of the Madhya Pradesh Electricity Board.

CRISIS IN SMALL SCALE NITRIC ACID INDUSTRY

5974. SHRI SAMAR GUHA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that small scale nitric acid industry is facing a serious crisis as a result of four-fold increase in the price of sodium nitrate;

(b) whether 60 per cent rise in import duty for sodium nitrate this year has caused this crisis;

(c) whether such an abnormal rise in the price of sodium nitrate, which is the main chemical used for the production of nitric acid, is likely to lead to closure of many small scale acid industries in the country; and

(d) if so, what steps Government have taken or propose to take to help the small manufacturers of nitric acid?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) and (b). There has been an increase in the price of Sodium Nitrate due to the imposition of Customs Duty on the Chemical which is now imported for Industrial use and which was earlier imported free of duty as a fertilizer. Representations have been received from Small Scale Units about the non-availability and high price of Sodium Nitrate.

(c) and (d). To help the Small Scale Units, the State Trading Corporation has already arranged for the import of 1800 tons of Sodium Nitrate.

**औद्योगिक, विकास महानिदेशालय में रजिस्टर्ड कारखाने**

5975. **श्री मोलहू प्रसाद** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1968 तक औद्योगिकीय विकास महानिदेशालय में कौन कौन से कारखाने रजिस्टर्ड हुए और प्रत्येक कारखाना किस किस तारीख को रजिस्टर किया गया था ;

(ख) इन कारखानों द्वारा कौन कौन से वस्तुओं का तथा प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाता है ;

(ग) सरकार द्वारा इन कारखानों को ऋण अथवा अनुदान के रूप में किस आधार पर सहायता दी जाती है ;

(घ) क्या इन कारखानों के उत्पादन पर सरकार का कोई नियंत्रण है ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रत्येक कारखाने के कितने प्रतिशत उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)**: (क) तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पास दर्ज औद्योगिक एककों के नाम (1) इंजीनियरिंग स्टोर्स तथा (2) केमिकल एंड मिसलीनियस स्टोर्स के देशी निर्माताओं की पुस्तिकाओं में समय-समय पर प्रकाशित होते रहते है और ये समूल्य प्रकाशन हैं।

(ख) इन एककों द्वारा तैयार की गई वस्तुओं का उपर्युक्त प्रकाशनों में उल्लेख दिया गया है । विभिन्न कारखानों का वार्षिक उत्पादन औद्योगि कविकास के महानिदेशालय की वार्षिक रिपोर्टों में किया जाता है और ये भी समूल्य प्रकाशन है।

(ग) सरकार द्वारा इन एककों को कोई भीऋण या अनुदान नहीं दिया जाता ।

(घ) और (ङ). जी, नहीं। अप्रत्यक्ष रूप से केवल इतना ही कि ऐसे कच्चे माल की मात्रा का उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जिनका औद्योगिक विकास महानिदेशालय द्वारा या तो इस लिए किया जाता है कि वे आयातित वस्तुएं हैं या उनकी कमी है।

**केन्द्रीय लघु उद्योग निगम, इन्दौर**

5976. **श्री मोजहू प्रसाद**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लघु उद्योग निगम, इन्दौर में स्थित लघु उद्योग सेवा संस्था ने 1966–67 और 1967–68 में उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में स्थित लघु उद्योगों को किस रूप में कितना ऋण, सहायता अथवा अनुदान दिया और इन उद्योगों के नाम क्या है ;

(ख) इन उद्योगों को 1968–69 में कितना ऋण सहायता अथवा अनुदान देने का प्रस्ताव है और इनके नाम क्या है ; और

(ग) इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)**: (क) लघु औद्योगिक एककों को लघु उद्योग सेवा संस्थानों से सीधे वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। इस प्रकार लघु उद्योग सेवा संस्थान, इन्दौर द्वारा लघु एककों को कोई भी ऋण या अनुदान नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

**कैपिटल फाइनैन्स आफ इण्डिया (प्राइवेट) लिमिटेड दिल्ली**

5977. **श्री जि० ब०सिंह :**
**श्री टी० पी० शाह :**
**श्री बृज भूषण लाल :**
**श्री रामावतार शास्त्री :**
**श्री शारदा नंद :**

क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैपिटल फाइनैन्स आफ इण्डिया (प्रा०) नामक वित्त नियोजक तथा मोटर गाड़ी व्यापार फर्म किस तारीख को स्थापित की गई थी तथा उपर्युक्त कम्पनी में कितने व्यक्तियों के पास कितने कितने अंश हैं तथा दिल्ली में इस के कार्यालय कहां कहां पर है ;

(ख) क्या यह सच है कि अंशधारियों द्वारा मांग किये जाने के बावजूद भी उन्हे अंशों की राशि नहीं लौटाई जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस बात का पता लगनें का है कि उपर्युक्त कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने कैपिटल फाइनेन्स आफ इण्डिया (प्रा०) में जमा की गई धनराशि से 14 एफ० कनाट प्लेस, नई दिल्ली स्थित भारत स्टील इण्डिया लिमिटेड के लगभग 5 लाख रुपये के अंश खरीद लिये हैं तथा इस अंशपूंजी से अपने लिये एक मकान बनवा लिया है ;

(ङ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार हस्तक्षेप करने का है कि कैपिटल फाइनेन्स आफ इण्डिया लिमिटेड अपने अंशधारियों को अंश पूंजी लौटा दे ; और

(च) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** : (क) कैपीटल फाइनेन्स आफ इन्डिया (प्रा०) लिमिटेड, मूल रूप से 4 अप्रेल 1946 को लाहौर में पंजीकृत की गई एवं विभाजन के शीघ्र पश्चात, विस्थापित

व्यक्ति (ऋण-समायोजन) अधिनि के अन्तर्गत भारत में, पुनरुज्जीवित की गई थी। इस कम्पनी के हिस्सेधारी एवं, उन में से प्रत्येक का धारण निम्नलिखित है:—

| | |
|---|---|
| आर० पी० कपूर | 3,300 |
| श्रीमती राज कपुर | 200 |
| मास्टर भारत कपूर | 100 |

कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय, ए–2/1 सफदरगंज ऐक्सटेंशन में स्थापित है। कम्पनी कार्य विभाग को, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के सिवाय, अन्य किसी कार्यालय के संधारण करने की कोई सूचना नहीं है।

(ख) कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत हिस्सेधारियों के, वापिस करने की मांग करने पर भी, एक कम्पनी की हिस्सा पूंजी वापिस नहीं की जा सकती।

(ग) कम्पनी अधिनियम में, हिस्सा पूंजी के वापिस करने का, जब तक कि कम्पनी अपनी पूंजी का, जो इसकी आवश्यकताओं से अधिक है, घटाने का प्रस्ताव न करे, प्रतिषेध है। जब कम्पनी का परिसमागन हो जाता है, तो हिस्सेधारी केवल, यदि कुछ अतिरेक हो, तो उसनें से हिस्सा बटा सकते है।

(घ) कम्पनी ने, भारत स्टील ट्यूब लिमिटेड के 5 लाख रुपयों के मूल्य के हिस्से खरीदे हैं। कम्पनी कार्य विभाग को, कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक द्वारा एक भवन निर्माण कराने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ङ) और (च)। सरकार के पास, कम्पनी से हिस्सेधारियों की हिस्सा पूंजी को वापिस करने की मांग करने की, कोई शक्ति नहीं है। जैसा कि ऊपर (ख) तथा (ग) में वर्णन किया गया है, कि एक कम्पनी अपनी हिस्सा पूंजी को वापिस नहीं कर सकती।

**रेलवे सम्पत्ति की हानि**

5978. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष में कितने मूल्य की रेलवे सम्पत्ति चोरी गई, खोई गई या क्षतिग्रस्त हुई ;

(ख) इसके परिणामस्वरूप रेलवे विभाग ने कितनी रकम मुआवजे के रूप में दी ;

(ग) कितना माल बरामद हुआ और इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, और

(घ) गत एक वर्ष में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

UPGRADING OF POSTS IN MECHANICAL WORKSHOPS AT SAMASTIPUR

5979. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1658 on the 30th July, 1968 and state:

(a) whether upgrading of posts in the case of mechanical workshops at Samastipur and of the remaining employees at Gorakhpur and Izat Nagar has since been done; and

(b) if not, the reasons for the delay and the time limit for the actual implementation of the orders for upgrading of posts at Samastipur?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

LOCATION OF A RAILWAY DIVISIONAL HEADQUARTERS AT SAMASTIPUR/MUZAFFARPUR

5980. SHRI BHOGENDRA JHA: Will the Minister of RAIWAYS be pleased to state:

(a) the comparative figures of the total number of Railway employees,

the total acreage of railway land, the total number of the arrival and departure of trains, hospital and other medical facilities, facilities for directly catching trains for various directions at Samastipur and Muzaffarpur stations ;

(b) what are the other factors which are taken into account for deciding about the location of the Divisional Headquarters of Railway; and

(c) the decision taken by Government to locate the office of the Divisional Superintendent at either of the above two places and the reasons therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—1918/68.]

(b) Considerations of operational and administrative efficiency primarily govern the selection of the divisional headquarters.

(c) A Notification on the divisionalisation of the North Eastern Railway issued on 13-6-68 has subsequently been cancelled by another Notification dated 4-7-1968. Thereafter no final decision on the proposals to divisionalise the North Eastern Railway has yet been taken.

CLEARANCE OF FOODGRAINS BY RAILWAYS FROM PUNJAB, HARYANA AND RAJASTHAN

5981. SHRI BRIJ RAJ SINGH (Kotah): Will the the Minister of RAILWAYS be pleased to state the total tonnage of foodgrains cleared by Railways from Punjab, Haryana and Rajasthan upto the end of June, 1968 ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : During the period from April to June 1968, 15,89,279 tonnes of foodgrains were cleared by rail from Punjab, Haryana and Rajasthan States.

FOREIGN-OWNED TEA COMPANIES IN INDIA

5982. SHRI B. K. DASCHOWDHURY : Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8329 on the 23rd April, 1968 and state :

(a) whether the information regarding the amount of foreign exchange allowed annually during the last five years and the amount of profits remitted abroad annually during that period by the Foreign-owned Tea Companies in India has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The requisite information has to be collected from different sources and is expected to take some time.

ISSUE OF LICENSES

5983. SHRI B. K. DASCHOWDHURY : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9134 on the 30th April, 1968 and state :

(a) whether information regarding the issue of licences to the various firms has since been collected ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not. the reasons for the delay?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (c). As the data required is to be collected from a large number of sources it has not yet been possible to obtain complete information.

ISSUE OF LICENCES TO MAFATLAL GROUP OF INDUSTRIES

5984. SHRI B. K. DASCHOWDHURY : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to

Unstarred Question No. 9135 on the 30th April, 1968 and state:

(a) whether the information regarding the issue of licences to Mafatlal Group of Industries has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (c). As the information has to be collected from a large number of sources, it has not yet been possible to obtain complete information.

FOREIGN AND INDIAN-OWNED TEA COMPANIES

5985. SHRI B. K. DASCHOWDHURY: Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8179 on the 23rd April, 1968 and state:

(a) whether the information regarding the foreign and Indian-owned tea companies with their capital investments has since been collected;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons for the delay?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The required information has to be collected from different sources. This is expected to take some more time.

RATE OF INDUSTRIAL GROWTH

5986. SHRI S. K. TAPURIAH: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a tentative decision has been taken by Government on the rate of industrial growth to be achieved in the Fourth Five Year Plan;

(b) if so, what is the tentative rate decided upon;

(c) what will be the estimated outlay in the Public and Private sectors for achieving such rate of industrial growth; and

(d) what is the likely rate of industrial growth to be achieved during the current financial year?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) and (b). During the meeting of the National Development Council held in May 1968 it was generally felt that a rate of growth of 8 to 10 per cent should be aimed at in working out the details of the Fourth Five Year Plan.

(c) The targets for the Plan along with outlay both in the public and private sectors required for fulfilling these targets will be decided when the Plan is finalised.

(d) It may be possible to achieve growth of 5 to 6 per cent during the current financial year.

INCREASE IN ROYALTY ON MINERALS

5987. SHRI S. K. TAPURIAH: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether Government have lately decided to increase the royalty rates on major minerals except coal and iron ore;

(b) if so, the extent of increase in each case; and

(c) how far this will increase the cost of production of each of the ores and how it is likely to affect the exports of the different minerals?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) and (b). The requisite information was laid on the Table of the House on 23-7-1968 in reply to Unstarred Question No. 410 by Shri Hardayal Devgun.

(c) There has been practically no increase in the royalty rates in respect of important export-oriented minerals like iron ore, manganese ore, mica, coal, diamond and precious and semi-precious stones which constituted 95%

of the export value of minerals during 1967. In respect of the remaining minerals, it is not possible to assess the effect of the increase in royalty rates on the cost of production and export of the minerals as the rates have been increased recently.

ADVANCE INCREMENTS TO SPORTSMEN OF INDIAN RAILWAYS

5989. SHRI MANIBHAI J. PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry have issued orders to grant advance increments to such sportsmen of the Indian Railways who represented the Railways and secured positions in the National Championship ;

(b) if so, whether it is a fact that some of the Northern Railway sportsmen who secured first positions in the recent National Championship have not been granted increments, whereas those employees representing other than Northern Railway and who secured 2nd and 3rd position have been granted increments ; and

(c) if so, the names of such employees who have been thus ignored and the reason therefor ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes.

(b) and (c). Keeping in view the overall performance of the sportsmen concerned, his contribution in winning the Championships and the fact that they had already received concrete recognition earlier, it was decided not to grant advance increments. As these cases are dealt with by various Railway Administrations on the merits of each case, it is not possible to state whether such an anomaly has arisen.

ACCOMMODATION TO RAILWAY MINISTERIAL STAFF

5990. SHRI MANIBHAI J. PATEL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of Railway Ministerial staff working in the Northern Railway Headquarters, Divisional and extra Divisional Offices stationed at Delhi and New Delhi who have been provided with Railway accommodation ;

(b) the number of such members of the staff, mentioned in para (a) above, who have not been provided with any accommodation ;

(c) whether there is a proposal under consideration for treating the staff of this category along with the Central Government employees for the purpose of allotment of accommodation ; and

(d) if not, the steps being taken by the Railway administration to provide accommodation to these employees ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) 1,148.

(b) 4,253.

(c) No.

(d) It is proposed to construct more quarters for staff on a programmed basis within the funds available for the purpose.

DIVERSION OF GOODS TRAFFIC TO ROAD TRANSPORT

5991. DR. RANEN SEN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the Railways have suffered a loss of revenue due to the diversion of goods traffic to road transport in the recent years ;

(b) if so, the extent of loss suffered last year ;

(c) the likely loss in the current year ; and

(d) the steps taken to prevent this loss ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) During recent years, the railways have lost some traffic to road transport and this necessarily means loss of some potential revenue to the Railways.

(b) and (c). Apart from the steady development of road transport, the volume of traffic offering is subject to numerous and diverse factors, among them, the level of production and marketable surpluses and the general health of the economy. It is extremely difficult to segregate the effect of road competition on railway traffic and earnings. While there are indications of such competition having affected the revenues of the Railways, it is not possible to form with any degree of precision, an estimate of the loss of earnings due to that.

(d) The Railways continuously strive to improve the quality of service. Some aspects that receive constant attention are timely supply of wagons and reduction in transit time. Super-Express Goods services have been introduced between important pairs of points, like New Delhi and Carnac Bridge, New Delhi and Madras, New Delhi and Howrah, Wadi Bunder and Madras, Wadi Bunder and Shalimar, so that the goods reach the destination within the shortest possible time. On the Central Railway, some extra fast goods trains have been introduced; they reach the destination in the same time as fast passenger trains. Various measures have been adopted to prevent losses and damages during transit. Tea Specials, being run from Upper Assam to Calcutta, are escorted by R.P.F. staff to ensure safety of the goods in transit. Reduced station to station rates are also quoted wherever commercially justified. Collection and delivery services are organized to provide to the customer integrated rail-*cum*-road transport. A Mobile Booking service has been introduced in Calcutta area; thereby goods shed facilities have been virtually extended to the premises of traders. A Garden Collection Service has been introduced in certain tea gardens in Assam. Container services have been introduced between Bombay-Ahmedabad, Bombay-New Delhi, Gwalior-New Delhi and New Delhi-Kanpur, to provide door to door service and eliminate costly packing and at the same time save damage and pilferage in transit. A Marketing and Sales Organization has been set up on each Railway, for conducting market research and prospecting and development of traffic.



CONSULTANCY SERVICE IN COLLABORATION WITH A CANADIAN FIRM

5992. DR. RANEN SEN :
SHRI CHENGALRAYA NAIDU :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether a Canadian firm has submitted a proposal to set up a consultative service in India in collaboration with a Bombay firm ;

(b) if so, the main features of the proposal and the terms offered by the Canadian firm in this respect; and

(c) what decision has been taken by Government thereon ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) Yes, Sir.

(b) The main features of the proposal are : (1) An Indian Company will be set up to provide consultancy engineering services in the fields of hydro, thermal and nuclear power engineering; and (2) The Canadian firm will hold majority shares in the equity capital of the proposed new company.

(c) The proposal is under consideration of the Government.

ELECTRIFICATION OF KANPUR-DELHI SECTION

5993. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is proposed to complete the electrification of the Kanpur-Delhi section of Howrah-Delhi line by the next year ; and

(b) if so, the estimated cost thereon ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) No target date has been fixed for the completion of the work of electrification of Kanpur-Delhi section. However, Kanpur-Tundla section for which the work is already in progress, is expected to be energised sometime in 1970-71. The electrification of the section between Tundla-Delhi has not been sanctioned.

(b) The cost of electrification of Kanpur-Tundla section exclusive of the cost of rolling stock is Rs. 15.1 crores. The estimated cost of electrification of the Tundla-Delhi section has not yet been worked out.

### Telephone Facilities at Manned Level Crossings

5994. SHRI YASHPAL SINGH : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of manned level-crossing not provided with telephonic facilities and the percentage thereof to the total manned level crossings. and

(b) by what time these crossings are likely to be provided with this facility ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) The number of manned level crossings not provided with telephonic facilities is 11,685 and the percentage thereof to the total manned level crossings is 81.1%

(b) Based on traffic and safety considerations level crossings within station limits and Municipal limits as well as those between stations are being provided with telephones. It is not, at present, proposed to provide this facility at all manned level crossings.

### Import of Playing Cards for use in Modern Clubs

5995. SHRI BABURAO PATEL : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the year 1966-67 1,79,32,000 packets of playing cards were imported into the country for the use of our modern Clubs ;

(b) whether the precious amount of foreign exchange required for importing this luxury item could not be used for something essential and life-saving ;

(c) the names and addresses of the importers to whom licences were given for its imports during the year 1966-67 : and

(d) the reasons why import licences for foreign cards are at all issued, when plenty of good quality playing cards are produced in India ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) No, Sir. Only 17,932 packets of playing cards were imported during 1966-67.

(b) to (d). Import of playing cards has been banned since January, 1957. The nominal imports reported in the Trade Accounts include confiscated smuggled goods and imports made as advertising matter supplied free of charge, upto Rs. 400 without an import licence under O.G.L. IV.

### Blacklisting of Messrs Bharat Barrels

5996. SHRI S. M. BANERJEE : Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 54 on 23rd July, 1968 regarding blacklisting of M/s. Bharat Barrels and state :

(a) whether the standardised code of blacklisting provides any clause to continue a firm on the blacklist when in respect of the same facts the firm has been honourably acquitted by a Court of Law ; and

(b) if not, the reason why the case of M/s. Bharat Barrels is being treated on a different footing and their blacklisting is not withdrawn on the ground that special leave application of the State of Maharashtra is pending before the Supreme Court ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) and (b). The Standardised Code does not provide for automatic revocation of blacklisting orders on acquittal by a Court of Law. Each such case has to be considered and decided on merits. M/s. Bharat Barrel and Drum Manufacturing Company (P) Ltd., have already obtained an interim order from the High Court of Punjab staying the operation of the blacklisting orders against them. In compliance with this Order, the blacklisting orders have been kept in abeyance with effect from 23-6-66. As the High Court has still to pass a final judgement on this case, and also considering the fact that the State of Maharashtra has filed an appeal in the Supreme Court against the acquittal of the firm, the blacklisting orders have not yet been revoked in this case.

M/S. HIND GALVANIZING AND ENGINEERING CO.

5997. SHRI S. M. BANERJEE: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 372 on the 23rd July, 1968 and state:

(a) whether mere representations of M/s. Hind Galvanizing and Engineering Co. entitled them to get their fresh capacity recognised by Government even though the Industry was on the banned list;

(b) whether Government could recognise any other capacity in any industry which is on the banned list;

(c) whether Government allowed to manufacture oil barrels since 1962 condoning all their irregularities which they committed till August, 1964 when their fresh capacity was finally approved;

(d) whether Government would verify from M/s. Aminchand Pyarelal and Ramkrishan Kulwantrai as to whether free sale steel sheets were purchased by M/s. Hind Galvanizing and Engineering Co. from them; and

(e) the preiod during which quota meant for small drums was utilised for maunfacturing oil barrels by M/s. Hind Galvanizing?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (c). The circumstances in which the capacity of M/s. Hind Galvanizing and Engineering Co. (P) Ltd., for the manufacture of oil barrels was recognized have already been explained in reply to Lok Sabha Starred Question No. 250 on the 24th November, 1967.

(d) It is not proposed to make any verification.

(e) Due to shortage of 24 to 26 gauge steel sheets during October, 1963—March, 1964 period, a special quota of 10,000 tonnes of 16 to 20 gauge steel sheets was made available for distribution to the small drum manufacturers who could utilise the same. Along with the other manufacturers M/s. Hind Galvanizing was allocated 1,600 tonnes of 16 to 20 gauge steel sheets for this purpose. Since the special quota of thicker gauge sheets could be utilised only by a few firms, it was decided to make adjustments for this special allocation against future entitlements of the allottees. Accordingly quotas of all units including M/s. Hind Galvanizing had been adjusted according to their entitlement for the period 1966-67.

It has been also ascertained that the firm had received from 1962 to August, 1964, a total quantity of 509.642 tonnes of steel from other sources as against their reported consumption of 672.300 tonnes during the same period, which meant that they had utilised the balance quantity of steel out of DGTD's allocation for drums and containers Industry.

M/S. COOPER ALLEN CO., KANPUR

5998. SHRI S. M. BANERJEE: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Defence Ministry

has finally decided to take over M/s. Cooper Allen Company, Kanpur;

(b) if not, when a decision is likely to be taken; and

(c) the reasons for delay?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (c). The proposal for taking over the Cooper Allen and North-West Tannery Units of the British India Corporation is being examined by the Ministry of Defence. It is not possible to indicate at this stage when a final decision would be taken.

ALL INDIA RAILWAY GUARDS' COUNCIL

5999. SHRI S. M. BANERJEE:
SHRI G. C. NAIK:
SHRI D. AMAT:
SHRI MAHENDRA MAJHI:
SHRI P. L. BARUPAL:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the demands submitted by the All-India Railway Guards' Council have been finally considered by Government;

(b) if so, what demands have been conceded; and

(c) if none, the reason for this abnormal delay?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) to (c) Representations on behalf of the Guards on Indian Railways have been received from different sources relating to revision of their pay Scales, revision of Rates of Running Allowance, treating a part of running allowance as pay for the purpose of reckoning the Dearness Allowance, providing better avenues of promotion etc.

In regard to the review of running allowance, a committee was set up by the Government to review the Rules and Rates of Running Allowance of all categories of running staff (including Guards) and the Committee's report which has recently been submitted is under examination. Some other matters are still under consideration.

COKE PRODUCTION BY DURGAPUR PRODUCTS LTD., WEST BENGAL

6000. SHRI JYOTIRMOY BASU: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) the total value of coke produced by the Durgapur Coke Oven plant under the management of Durgapur Products Ltd., West Bengal from 1960-61 to 1967-68, year-wise;

(b) the total value of unsold stock of cokes produced by the Durgapur Coke Oven plant from 1960-61 to 1967-68 year-wise; and

(c) the profit or loss in rupees incurred during the same period, year-wise?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

FOREIGN ADVISERS AND EXPERTS ATTACHED TO VARIOUS MINISTRIES

6001. SHRI JYOTIRMOY BASU: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state the total number of (i) advisers, and (ii) experts from each foreign country attached to each Ministry of the Government of India year by year from 1955 to 1967?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

FOREIGN INVESTMENT IN INDUSTRIES IN INDIA

6002. SHRI JYOTIRMOY BASU: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COM-

PANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the private foreign business investment in India up-to-date, industry-wise ;

(b) the share of private foreign business investment in the total investment of each industry in the private corporate sector ; and

(c) the share of American, British and West German private business investment in the total private foreign investment in each industry up-to-date ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) A statement giving information in Annexure I is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1919/68.]

(b) The information in this form is not available.

(c) A Statement giving the information in Annexure II is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—1919/68.]

**कृषि संबंधी औजारों का निर्माण**

6003. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषि संबंधी औजारों तथा उनके फालतू पुर्जों के निर्माण पर कोई किस्म का नियंत्रण नहीं है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है,

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत सी फर्में एक ही प्रकार के फालतू पुर्जे बना रही है और जब कि दुसरी फर्मों द्वरा बनाये गये फालतू पुर्जे कृषि औजारों में ठीक नहीं बैठी तो किसान को मरम्मत में बहुत कठिनाई होती है,

(घ) क्या प्रतियोगिता के अभाव के कारण उत्पादन की लगत में वृद्धि कर के विभिन्न कारखानों द्वारा घटिया प्रकार के पुर्जे बनाये जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो कृषी संबंधी औजारों के निर्माण के बारे में कौन सी नीति अपनाने का सरकार का विचार है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)** (क) (ख) और (ङ) . कृषि औजारों और फालतु हिस्सों का निर्माण बड़े क्षेत्र लघु क्षेत्र तथा देश के विभिन्न भागों की अन्य वर्कशापों में किया जा रहा है । भारतीय मानक संस्था ने कृषि औजारों के अनेक विशिष्ट विवरण जारी किये हैं। जिससे उत्पादों की किस्म का सुनिश्चय किया जा सके और उनके स्तर कायम रखे जा सकें। तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पास दर्ज फर्मों द्वारा तैयार किये गये कृषि औजारों और उनके फालतू पुर्जे की किस्म के बारे में अभी तक कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है चूंकि सारे देश में इस प्रकार के औजार और उनके फालतू पुर्जे का निर्माण करने वाले बहुत से एकक हैं अत: इस उद्योग पर सम्पूर्ण रूप से किस्म नियंत्रण लगा सकना और उसे लागू करना व्यावहारिक नहीं है।

(ग) और (घ) : मुख्य औजार बनाने वाली फर्मों के अतिरिक्त फर्मों के द्वारा विशेष रूप से लघु क्षेत्र द्वारा निर्मित हिस्सों के फिट होने में कुछ कठिनाइयों उत्पन्न हो सकती हैं। फिर भी, इस क्षेत्र में निर्माताओं की संख्या अधिक होने के कारण उपभोक्ता को अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिए अपनी पसन्द के फालतू पुर्जों के उपयुक्त तथा विश्वसनीय निर्माता को चुनने की काफी गुंजाइश है।

**मेरठ और हापुड़ सैक्शन पर चान्दसारा स्टेशन पर कर्मचारियों और यात्रियों के लिए भवन**

6005. **श्री महाराज सिंह भारती :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेरठ-हापुड़ लाइन पर चांदसारा स्टेशन पर कर्मचारियों और यात्रियों के लिए इमारत न बनाने के क्या कारण है ;

(ख) क्या सरकार इस स्टेशन को बन्द करना चाहती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो स्टेशन के लिये इमारत न बनाने के क्या कारण है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) चांदसारा हाल्ट पर पहले ही एक स्लीपर हट बनाया जा चुका है जिससे टिकट घर एवं प्रतीक्षा शेड का काम लिया जाता है। कर्मचारियों और यात्रियों के लिए और जगह की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह केवल ठेकेदार द्वारा परिचालित एक हाल्ट स्टेशन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए सवाल नहीं उठता।

EXPORTS OF GOODS MANUFACTURED BY NEW AND HEAVY ENGINEERING INDUSTRIES

6006. SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the goods manufactured by the new and heavy engineering industries which have started moving in the export market are posing serious problems of transportation, storage and shipping; and

(b) if so, the steps taken to solve these problems ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) There are certain problems of transportation, storage and shipping in regard to some of the products of these industries.

(b) These problems which are of individual character are sought to be resolved from time to time in consultation with the concerned authorities.

EXPORT OF JUTE TO ARGENTINA

6007. SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India is gradually losing its jute markets to Brazil in Argentina;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps, if any, Government have taken to maintain our exports to Argentina ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) and (b). Preferential treatment enjoyed by Brazillian goods in Argentina has considerably affected our jute exports to that country.

(c) Government is looking into this matter.

STANDARD DRUM AND BARREL MFG. CO.

6008. SHRI GEORGE FERNANDES : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 374 on the 23rd July, 1968 and state :

(a) the reasons for taking the new machine namely semi-automatic body former and welder into consideration while fixing the capacity of the Standard Drum and Barrel Mfg. Co. to 14,538 tonnes, when it was not in operation at the time of assessment in 1964 ;

(b) whether the lists of machinery indicate that there is vast difference both in the number and type of machinery which they had in the years 1957, 1961 and 1964; and

(c) if so, the reasons for stating while replying to Unstarred Question No. 5231 on the 26th March, 1968 that there was no difference in their plant and machinery on the basis of which their capacity was assessed at 6,100 tonnes in 1961 and 14,538 tonnes in 1964 ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) The new machine had been installed by the firm and was on trial. Although at the time of inspection the firm failed to show the performance of the machine, its

capacity as per the manufacturer's literature was taken into consideration and in this connection attention is invited to reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 1271 on the 20th February, 1968.

(b) and (c). It is considered that there is not much difference either in number or in type of the machines available with the firm in these years, although in 1964 the firm had installed an imported semi-automatic drum welding and body forming machine.

M/S. STANDARD DRUM AND BARREL MFG. CO. AND M/S. HIND GALVANIZING

6009. SHRI GEORGE FERNANDES: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 374 on the 23rd July, 1968 and state:

(a) When assessment reports are not secret documents, is it not desirable for Government to lay on Table of the House the assessment reports of M/s. Standard Drum and Barrel Manufacturing Co., for the years 1961 and 1964 to ascertain the actual facts;

(b) the reasons for recognition of a fresh capacity of M/s. Hind Galvanizing and allowance of unauthorised expansion to M/s. Standard Drums and Barrel when it has been admitted that increase in production of barrels was not substantial due to shortage of 18 gauge steel sheets; and

(c) whether M/s. Standard Drum and Barrel shifted their machinery which they had in 1956-57 for manufacturing oil barrels from Sewri to Trombay in 1959?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) As already explained, the assessment reports from the technical officers were obtained only to enable the Govt. to take a decision. It is not, therefore, considered necessary to place them on the Table of the House.

(b) The circumstances in which the capacities of the two units in question were organised have already been explained in reply to the Lok Sabha Starred Question No. 250 on the 24-11-1967.

(c) The information in this regard which is being collected, also in pursuance of the Lok Sabha Unstarred Question No. 1655 on the 30th July, 1968, will be laid on the Table of the House.

M/S. HIND GALVANIZING & ENGINEERING CO. PVT. LTD.

6010. SHRI GEORGE FERNANDES: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to the Unstarred Question No. 373 on the 23rd July, 1968 and state:

(a) whether Government will lay on the Table a copy of the Registration Certificate of M/s. Hind Galvanizing & Engineering Co. Pvt. Ltd;

(b) whether M/s. Indian Galvanising Co., possessed machinery for manufacturing bitumen drums also and the same were sold to M/s. Hind Galvanizing and Engineering Co;

(c) whether bitumen drums could be manufactured in 5/10 gallons small drum manufacturing plant;

(d) if not, whether it indicates that Government have again sanctioned a fresh capacity to them for manufacturing bitumen drums; and

(e) how a capacity of 200 tonnes for manufacturing bitumen drums annually could be bifurcated from 5/10 gallon small drum plant?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) A copy of the Registration Certificate is laid on the Table of the House. [*Placed in Library See* No. LT-1920/68.]

(b) to (e). The complete plant sold by M/s. Indian Galvanising Company was capable of manufacturing all types of light duty drums including 5/10

gallon drums which are made from 24/26 gauge steel sheets. Since bitumen drums are manufactured from 24 gauge steel sheets, the firm could undertake the manufacture of asphalt and bitumen drums also. The proposal of the firm that out of their capacity for small drums, 200 tonnes may be earmarked for asphalt and bitumen drums was therefore, agreed to.

M/S. HIND GALVANIZING & ENGINEERING CO.

6011. SHRI GEORGE FERNANDES: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 372 on the 23rd July, 1968 and state:

(a) whether receipt of orders from the Defence Department entitles a firm to get their fresh capacity recognised by Government even during pendency of the industry on the banned list;

(b) whether orders on M/s. Hind Galvanizing and Engineering Co., were placed directly by the parties referred to as Defence Department parties or through the Defence Department;

(c) if through the Defence Department, whether the Defence Department had approached the then licenced barrel fabricators for the supply of barrels to these parties; and

(d) if so, whether these fabricators had expressed any difficulty in their requirement?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) The circumstances in which the capacity of M/s. Hind Galvanising and Engineering Co., (P) Ltd., was recognised for the manufacture of oil barrels have been already explained in reply to Lok Sabha Starred Question No. 250 on the 24th November, 1967.

(b) to (d). Information is not available.

M/S. STANDARD DRUM AND BARREL MANUFACTURING CO.

6012. SHRI GEORGE FERNANDES: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1655 on the 30th July, 1968 and state:

(a) whether Government would lay on the Table of the House a copy of the application dated 21st August, 1958 of M/s. Standard Drum and Barrel Manufacturing Co., for effecting substantial expansion as well as for change of location from Sewri to Trombay;

(b) the reasons for granting substantial expansion to them when sufficient capacity already existed in the industry;

(c) whether the rest of the information has since been collected; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) A copy of the application without enclosures is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1921/68.]

(b) The substantial expansion referred to is in respect of manufacture of a new item *viz.*, Asphalt Drum for which the firm had applied, in view of their contract with M/s. Standard Vacuum Refinery Co., of India Ltd., Bombay for supply of drums to the latter. The matter was considered in all its aspects and as particularly the production of asphalt would help in cutting down imports, it was decided to grant to the firm licence for manufacture of bitumen drums with a capacity of 3,000 Nos. per day.

(c) and (d). The information is not yet ready and is expected to be laid on the Table of the House soon.

WAKF PROPERTY IN DELHI

6013. SHRI BAL RAJ MADHOK: Will the Minister of INDUSTRIAL

DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the estimated value of the Wakf property in the Union Territory of Delhi;

(b) the additions made to this property during the last two years; and

(c) the total annual income from the Wakf property in Delhi and what are the main heads on which it is spent?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) The estimated value of the Wakf property so far included in the lists of wakfs published under Section 5(2) of the Wakf Act, 1954 in the Union Territory of Delhi is about Rs. 5,45,13,000. More than two thirds of this valuation relates to mosques, dargahs, etc.

(b) Nil, Sir.

(c) The total annual income from the Wakfs in Delhi is Rs. 11,15,000 (approx). The income is required to be spent on the purposes for which the wakfs have been created. Out of the said amount a sum of Rs. 3,00,000 per annum is received by the Wakf Board which is spent mainly on the following heads:—

1. Maintenance of mosques and graveyards.

2. Maintenance and aids to the Religious/Academic/Medical Institutes.

3. Maintenance of Orphanages.

4. Aids and stipends to widows and handicaps.

5. Scholarships to poor students.

6. Expenses on funeral of unclaimed Muslim dead bodies.

7. Any other purpose specially mentioned in the Wakf-Deed.

REVISION OF PAY SCALE OF ENGINE DRIVERS

6014. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the reasons why the pay scales of Engine Drivers have not been revised as that of Station Masters and Assistant Station Masters specially when the Engine Drivers' basic pay was more than that of Station Masters before the Pay Commission's recommendations?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): The scales of pay of Station Masters and Assistant Station Masters were revised due to increase in their responsibilities consequent upon the increase in the tempo of traffic on railways. No such revision was considered necessary in the case of Engine Drivers.

DUTY HOURS OF DRIVERS AND GUARDS OF GOODS TRAINS

6015. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the time spent by Drivers and Guards of Goods trains in loco sheds and yards before starting of Goods trains and time spent, after arrival at destinations, in handing over charge of train's engine is not counted in duty hours; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) No, the period spent from the time Guards and Drivers 'sign on' is counted as duty.

(b) Does not arise.

SEASONAL TRANSFERS OF SUBORDINATES ON THE RAILWAYS

6016. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Railway Board has issued a circular ordering that there should be no seasonal transfers of subordinates;

(b) whether the Railway Board has also ordered that the seniority of Checking Staff shall be on the Divisionel basis; and

(c) the reasons why the checking staff is being transferred from midrainy season?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) No. There are, however, orders about pe-

riodical transfers in respect of certain categories of staff who come into contact with the public. These orders have been kept in abeyance for some time. There is no ban on individual transfers being ordered in the interest of the administration.

(b) No. But each Zonal Railway has its own procedure about seniority lists being maintained on Divisional or all-Railway basis.

(c) This part of the question is not clear. There are no instructions that transfers should not be ordered in the rainy season.

ENQUIRIES ON COMPLAINTS RECEIVED BY RAILWAY OFFICIALS

6017. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the reasons why the Railway officials do not call or inform the complainants while making enquiries on complaints and the reasons why they give the decisions favouring their subordinates and contractors; and

(b) whether the Indian Railways would consider following the rules of justice and call the complainants to substantiate their charges at the time of making enquiries on the basis of their complaints?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) and (b). Complainants are called to attend enquiries in cases where their presence is necessary to ascertain the facts. In other cases where the facts can be ascertained by reference to records etc. without requiring the complainants to be present at the enquiry, they are not called. Decisions on complaints are arrived at on merits of each case after collecting all the necessary evidence and information. Cases of favouring subordinates or contractors in this matter are liable to be taken up severely.

FOREIGN INVESTMENT BOARD

6018. SHRI P. C. ADICHAN:
SHRI CHANDRA SHEKHAR SINGH:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 326 on the 23rd July, 1968 and state:

(a) whether it is a fact that Government propose to group industries into two lists, namely, those in which no foreign collaboration is to be allowed and those in which foreign collaboration will be permitted; and

(b) if so, the main features of the Scheme?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) Yes, Sir.

(b) Government propose to group industries into two lists, *viz.*, those in which no foreign collaboration is to be allowed and those in which foreign collaboration will be permitted. These lists will be published and reviewed from time to time, and at least once a year. For the industries in which foreign collaboration is to be permitted, and where royalty rates are proposed, standardised rates of royalties will be indicated for the various industries to facilitate quick disposal of applications for foreign collaboration.

UPWARD REVISION OF IRON AND STEEL PRICE

6019. SHRI HIMATSINGKA:
SHRI DHIRESHWAR KALITA:
SHRI S. S. KOTHARI:

Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to increase the price of iron and steel;

(b) if so, the precise nature of the proposal;

(c) the reasons for upward revision of iron and steel price and whether it is mainly prompted by the idea to eliminate losses in the Public Sector Steel Plants; and

(d) whether the manufacturers of engineering goods have represented

against the said move and, if so, what are their basic contentions and Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) to (d). The Joint Plant Committee have recently announced revised prices for various categories of iron and steel with effect from July 31, 1968. These prices are higher than those prevailing until then. There is no other proposal at present under consideration to increase the price of various categories of iron and steel.

All the main producers, including Hindustan Steel Limited has asked for increase in the prices of various categories of iron and steel. Representations were also received from associations representing the manufacturers of engineering goods that the prices of various categories of iron and steel should not be allowed to increase as the engineering industry was already hit by recession, idle capacity due to lack of orders, labour troubles etc. After taking all relevant factors into account including the representations from the manufacturers of engineering goods, it was felt that keeping the market conditions in view and the increase in the cost of production owing to increases in the prices of coal, the rate of Railway Freight, of excise duty of sales-tax, of wages and dearness allowance, of royalty etc., there was a case for some increase in the prices of iron and steel.

EXPORT OF CAR PARTS TO ITALY

6020. SHRI HIMATSINGKA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the Federation of the Indian Chambers of Commerce and Industry had recommended that Government should invite a delegation of Italian importers to see for themselves the progress that has been made in the automobile industry in India with a view to exploring the potential of car parts exports to that country; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) A recommendation to this effect has been made not by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry but by an Indian Trade Delegation which visited Italy in January, 1968.

(b) The question has been taken up with the Italian Government and efforts are being made to persuade them to sponsor a composite Italian delegation including importers of automobile components and ancillaries to visit India.

IMPACT OF DEVALUATION OF INDIAN RUPEE ON EXPORTS

6021. SHRI HIMATSINGKA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the extent to which the devaluation of the rupee in 1966 has succeeded in boosting exports during the years 1966-67 and 1967-68;

(b) the comparative export figures for these two years *vis-a-vis* those during the preceding two pre-devaluation years;

(c) the extent to which imports during the years 1966-67 and 1967-68 have declined as compared to the preceding year;

(d) whether the said figures show a total failure of devaluation of the rupee;

(e) if so, the main reasons therefor; and

(f) the steps being taken to ensure that the devaluation does bear the results aimed at during the next year?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) to (c). A comparative statement showing exports and imports during the years 1964-65 to 1967-68 is enclosed.

(d) to (f). During 1966-67 *viz.*, the devaluation year, exports were adversely affected by (1) unprecedented drought conditions which reduced the

quantum of agricultural products available for export, (2) foreign exchange difficulties during 1965-66 resulting in the slowing down of the investment programme of local industries, and (3) recession in Western Europe. These factors, combined with the unsettlement that came in the wake of devaluation interfered with the full realisation of the benefits of devaluation, during 1966-67. It is possible that our exports would have fallen still further but for the inbuilt general incentive of 57.5% provided by devaluation to the export trade. The uptrend in exports witnessed during 1967-68 is continuing in the current year. Exports during the first three months, *viz.*, April—June, 1968 at Rs. 308.08 crores show a rise of 14.4% when compared with exports during the corresponding period of last year. In fact, these compare favourably with the best corresponding period of exports in the recent past, *viz.*, April—June, 1964 at Rs. 309 crores in terms of the present rupee. Devaluation and other favourable factors like good agricultural crop and export promotion measures (*e.g.*, cash assistance, import replenishment schemes, credit facilities, tax concessions etc.) are expected to lead to a considerably higher level of exports during the year 1968-69.

India's imports during the year 1967-68 at Rs. 1,974.28 crores showed a fall of 5% as compared to imports during 1966-67. Devaluation provided a built-in disincentive to imports. During the three months of the current financial year, *viz.*, April—June, 1968, India's imports at Rs. 520.43 crores are lower by Rs. 6.30 crores when compared with the corresponding period of the previous year.

STATEMENT

*Comparative Statement showing exports and imports during the years 1964-65 to 1967-68.*

(Value in Rs. crores)

| Year | Exports including re-exports | Imports |
|---|---|---|
| 1964-65 | 1,285.67 | 2,124.72 |
| 1965-66 | 1,268.88 | 2,218.43 |
| 1966-67 | 1,156.58 | 2,078.36 |
| 1967-68 | 1,198.67 | 1,974·28 |

Note: Figures upto 1965-66 have been arrived at by escalating pre-devalued rupees by 57.5%.

COMMITTEE ON PRICE OF COAL

6022. SHRI HIMATSINGKA: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether a committee, set up in March this year to go into the question of pricing of coal had entered a deadlock;

(b) if so, the circumstances leading to this deadlock;

(c) whether the talks have since been set going once again; and

(d) if so, when the report of the Committee is expected?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL,

MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) to (d) The Committee was set up with a limited purpose of looking into and recommend a reasonable and fair price that should be payable by the Railways and Steel Plants having regard to all available material on the subject. As a decision had to be taken quickly Government itself considered the matter further. Ultimately agreements were reached regarding price of coal supplied to the Railways, Steel Plants, Washeries and Cokeries.

**बदरपुर के निकट गाड़ी और ट्रक की टक्कर**

6023. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 जुलाई 1968 को दिल्ली में बदरपुर रेलवे क्रासिंग के निकट एक गाड़ी और ट्रक में टक्कर हो गई जिस के परिणामस्वरूप तीन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण थे ; और

(ग) इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय उस दुर्घटना से है जिस में 30-7-68 को मध्य रेलवे के फरीदाबाद और तुगलकाबाद स्टेशनों के बीच समपार फाटक नं० 579 पर एक ट्रक डाउन पलवल-दिल्ली शटल के साथ टकरा गया था।

(ख) दुर्घटना का कारण यह था कि जब फाटक का चौकीदार अप दिशा से आने वाले एक ट्रक को गुजरने के बाद फाटक बंद कर रहा था तब, इससे पहले कि चौकीदार को डाउन लाईन का फाटक बन्द करने का मौका मिलता, डाउन दिशा से अचानक एक दूसरा ट्रक आ गया जिसके ड्राइवर ने फाटक के चौकीदार की चेतावनी के बावजूद ट्रक को पीछे हटाने से इंकार कर दिया।

(ग) इस समपार पर गेट सिगनल की व्यवस्था करने का विचार है।

MANUFACTURE OF SCOOTERS

6024. SHRI RAGHUVIR SINGH SHASTRI: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received a proposal from the Rajasthan Government this year for the setting up of a factory which would manufacture about 50,000 scooters each year and the selling price of each such scooter would be Rs. 2,000 each;

(b) if so, whether the above proposal has been approved; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) No such proposal has been received this year. However, an application for the establishment of a factory in Rajasthan for the manufacture of scooters was received from the Govt. of Rajasthan (State Enterprises Deptt.), Jaipur on 30th August, 1965. The scheme envisaged the manufacture of 173 c.c. scooters to be designed in collaboration with M/s. Lepage Consulting Engineers, Belgium with an initial capacity of 2000 units in the first year, going up to 60,000 units per annum in the fifth year. The price of the proposed vehicle was indicated as Rs. 2,260 in the first year coming down to Rs. 1,710 in the 9th year.

(b) and (c). The scheme was considered along with other similar schemes and was not considered suitable for licensing. It has accordingly been rejected.

**पाकिस्तान का रूस के साथ व्यापार करार**

6025. **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने हाल ही में रूस से एक करार किया है जिस के अन्तर्गत पाकिस्तान रूस को कच्ची ऊन, कपड़े, जूतों, फलों के रस, तम्बाकू, पटसन की वस्तुओं आदि का निर्यात करेगा ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय भारत इन में से अधिकांश वस्तुओं का रूस को निर्यात कर रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस से उस देश को हमारे निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

**वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शाफी कुरेशी)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सोवियत संघ को उक्त वस्तुओं के हमारे निर्यातों पर विशेष मात्रा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है ।

EXPORT OF STEEL PRODUCTS

6026. SHRI D. N. PATODIA: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether the Hindustan Steel Limited has negotiated any agreement with the Government of Iran for the supply of steel products;

(b) whether it is a fact that the prospects of export of steel products during 1968-69 are bright; and

(c) if so, what are the chief features of the agreement and the prospects of export of steel products to other countries during 1968-69?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) No agreement has been negotiated with the Government of Iran for supply of steel products. Iranian State Railways have invited tenders for steel products from time to time to which Hindustan Steel, Ltd., have quoted. The material is supplied against tenders awarded to Hindustan Steel, Ltd.

(b) and (c). Yes, Sir. A target for export of Iron and Steel by Hindustan Steel, Ltd., has been fixed for a value of Rs. 37 crores during the year 1968-69. HSL have recently booked firm orders for supply of the following categories of iron and steel to the countries shown against them:

| | | |
|---|---|---|
| Pig Iron | — | Japan & South Korea. |
| M.S. Billets | — | Ceylon, Iran, Japan, South Korea, Taiwan and Okinawa. |
| Rails | — | Ghana, Malaysia, New Zealand, Turkey and Iran. |
| Bars and Structurals | — | USSR and various West Asian and South East Asian countries |

DEMAND OF COAL

6027. SHRI RAM SWARUP VIDYARTHI: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether it is fact that the National Coal Development Corporation did not estimate the demand of coal in the country which resulted in a great loss to the industry;

(b) whether the Corporation now proposes to estimate the demand of coal in order to avoid further loss to the industry; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) to (c). The Corporation do not estimate the demand of coal in the country as a whole, but they do estimate periodically the demand of coal produced in their own collieries, which they would continue

to do. They also make estimates of the probable level of demand for their coal for one or two years ahead on the basis of information regarding expected increase/decrease in demand by their present and prospective customers

RAILWAY LINE BETWEEN BAHRAICH AND JARWAL ROAD STATIONS

6028. SHRI RAM SWARUP VIDYARTHI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government conducted a survey for opening a Railway line between Bahraich city (U.P.) and Jarwal Road Stations on the North Eastern Railway in order to shorten the route substantially;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that opening of such a line would fetch road traffic considerably and also minimise the hardships being faced by the public residing in this backward area adjoining Nepal; and

(d) if so, the action taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) and (d). The Railways are not aware of any hardship being faced by the public in this area due to lack of rail transport facilities.

FORGING OF RAILWAY RECEIPTS BY A REWARI FIRM

6029. SHRI RAM SWARUP VIDYARTHI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether complaints have been received that Railway Receipts involving more than 2 crores of Rupees have been forged by some firm of Rewari; and

(b) if so, the action taken in the matter and, if no action has been taken, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes, Sir. In January, 1968, a complaint was received in the Vigilance Directorate of the Railway Board regarding a fraud allegedly committed by a firm of metal merchants of Rewari by forging a large number of Northern Railway Goods Receipts for drawing bank advances to the tune of more than two crores of rupees. A similar information was received by the Vigilance Branch of the Northern Railway.

(b) The Railways are not involved in the case inasmuch as no goods were booked nor any delivery claimed. The allegation was that on the basis of the forged Railway Receipts advances were drawn from banks which were later on repaid but the accused firm was enabled to have at any time a large sum of money at their disposal. As the Railways were not involved, the investigation of the case could not be taken up by the Vigilance Organisation of the Railway. The Central Bureau of Investigation who were requested to take up the investigation also expressed their inability as the matter was within the jurisdiction of the authorities of the State Govt. and not that of the C.B.I. The Northern Railway authorities, therefore, have addressed the Inspector General of Police, Haryana, in the matter. The Railway Board have also addressed the Chief Secretary to the Govt. of Haryana in the matter.

VICTIMISATION OF NATIONALIST TRADE UNION WORKERS

6030. SHRI RAM SWARUP VIDYARTHI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain nationalist trade union workers have been victimised on the Central Railway taking advantage of the economy drive sponsored by Government;

(b) if so, the names of those workers;

(c) whether it is also a fact that one post of Hospital Steward attached to the Byculla Hospital (Headquarters Hospital) has been surrendered and a prominent worker of the Madhya Railway Karamchari Sangh

has been transferred, whereas the post of Steward at Bhusawal (a small hospital) continues to operate; and

(d) if so, the reasons therefor and remedical measures taken to remove the irregularily?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) and (d). There were two posts of Hospital Stewards on the Central Railway—one at Byculla and the other at Bhusawal. The temporary post at Byculla was surrendered from 1-7-68. Consequently the person who was officiating against the post at Byculla, had to be transferred to Bhusawal reverting the incumbent of the post of Steward at Bhusawal to his parent department.

CHIRAWA/DABLA-KHETRI RAIL LINK

6031. SHRI BENI SHANKER SHARMA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9911 on the 7th May, 1968 and state:

(a) whether the revised traffic appreciation report of the Chirawa/Dabla-Khetri Rail link project, submitted by the Western Railway, has been examined with a view to decide on the construction of a railway line to connect the Khetri Copper Project with the main line at Dabla on the Rewari-Reengus section; and

(b) if so, the decision taken in the matter?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) and (b). The examination of the revised traffic appreciation report of the Chirawa/Dabla-Khetri rail link project is in progress and is expected to be completed quite soon.

INDO-CEYLON AGREEMENT ON TEA

6032. SHRI BENI SHANKER SHARMA:

SHRI D. C. SHARMA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 352 on the 23rd July, 1968 and state:

(a) whether any talks were also held for renewing the Indo-Ceylon trade agreement; and

(b) if so, the outcome thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) and (b). Indo-Ceylon Trade Agreement, which was concluded in October 1961, is valid until it is modified or terminated by either country by giving three months notice. The visit of the Ceylonese Delegation in May-June, 1968 was availed to review the flow of trade between the two countries and it was agreed that every effort should be made to expand and diversify the trade exchanges to the mutual advantage. It was also decided to set up a Joint Committee on Economic Co-operation charged with the task of formulating and pursuing continuously measures for closer co-operation between the two countries in the economic and commercial fields.

SEMINAR ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

6033. SHRI BENI SHANKER SHARMA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state: (a) whether the Seminar on International Commercial Arbitration held in Delhi has recommended a network of national arbitration councils and regional associations to be developed in all the Industrialised countries and the establishment of a strong and efficient system of arbitration as a prelude to the same:

(b) whether the suggestion has been considered; and

(c) if so, with what result?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Yes, Sir. The Seminar has recommended the development of Commercial Arbitration Centres and regional associations in the countries of the world.

(b) and (c). We have already established 'The Indian Council of Arbitration' in India. The recommendations of the seminar are under examination.

ASSISTANCE TO TEXTILE INDUSTRY

6034. SHRI BENI SHANKER SHARMA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state: (a) whether Government have decided to give a grant of Rs. 5 crores to the Indian Cotton Mills Federation to be distributed as cash assistance to promote textile exports;

(b) if so, the nature of such help given during the last year; and

(c) how far it is going to help in promoting exports of cotton textiles?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) to (c). Government have decided to make a grant to the Indian Cotton Mills' Federation at a flat rate of 5 per cent of the FOB value of the exports of cotton textiles effected during 1968-69. No financial assistance was given to the Federation for this purpose last year. With the assistance given by Government to the Federation from April 1968, exports of cotton textiles, both mill-made and handloom are expected to increase to Rs. 120 crores during 1968-69.

**उत्तर प्रदेश की शाखा लाइनों पर चोरी के मामले**

6035. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री शिव कुमार शास्त्री :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की कुछ शाखा लाइनों पर चोरी का विधि उल्लंघन की अन्य घटनाओं के मामले बढ़ रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने उनके कारणों का पता लगाया है ; और

(ग) उन्हें रोकने के लिये कौन सी विशेष व्यवस्था की गई है ?

12—5 LSD/68

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** (क) जी हां, कुछ शाखा लाइनों पर।

(ख) और (ग). घटनाओं में वृद्धि का कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति में आम गिरावट है। रेलवे परिसर और रेल गाड़ियों में कानून और व्यवस्था बनाये रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/राज्य सरकारी रेलवे पुलिस की है। अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए हर समय सरकारी रेलवे पुलिस से निकट सहयोग रखा जाता है और जब कभी कोई गम्भीर अपराध होता है और किसी विशेष क्षेत्र अथवा गाड़ी में आपराधिक गतिविधियों बढ़ जाती हैं, तो निवारक उपाय बरतने के लिए तुरंत उस ओर सरकारी रेलवे पुलिस का ध्यान दिलाया जाता है। चूंकि इन मामलों से रेलों का भी गहरा सम्बन्ध है, इसलिए रेलें निम्नलिखित उपाय कर रही हैं :—

(i) यार्डों, माल, पार्सल और पारवहन शेडों आदि में चौबीस घंटे रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

(ii) प्रभावित खंड़ों पर माल गाड़ियों में नियमित रूप से पहरेदारों की व्यवस्था की जाती है।

(iii) आपराधिक गतिविधियों पर निकट से निगरानी रखने के उद्देश्य से अपराध आसूचना इकट्ठी करने के लिए सादी पोशाक में रेलवे सुरक्षा दल और अपराध आसूचना शाखा के कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

(iv) बदनाम खंडों और स्थलों पर सशस्त्र कर्मचारियों द्वारा गश्त और पहरे की भी व्यवस्था है।

(v) लाउड स्पीकरों और प्रचार के अन्य साधनों द्वारा यात्रा करने वाली जनता को सावधान किया जा रहा है कि वे अपराधियों से अपनी सम्पत्ति को बचाकर रखें।

**दिल्ली से यात्री गाड़ी का मुरादाबाद देरी से पहुंचना**

6036. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री शिव कुमार शास्त्री :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से रवाना होने वाली सवारी गाड़ी मुरादाबाद में प्रायः देरी से पहुंचती है ;

(ख) गत तीन महीनों में उपर्युक्त गाड़ी कितनी बार मुरादाबाद समय पर पहुंची; और

(ग) क्या सरकार को विदित है कि चंदौसी तथा अन्य स्थानों पर जाने वाले यात्रियों को उपर्युक्त गाड़ी के देरी से पहुंचने के कारण बहुत कठिनाई का सामना करन पड़ता है?

**रेलवे मंत्री श्री (चे० मु० पुनाच्चा) :** (क) से (ग) मई से जुलाई, 1968 तक के तीन महीनों में, दिल्ली से मुरादाबाद तक चलने वाली सवारी गाड़ियां, अर्थात् 2 एम डी, 4 एम डी, 6 एम डी और 376 डाउन क्रमशः 31, 56, 37 और 10 बार मुरादाबाद ठीक समय पर पहुंचीं। इसी अवधि में, मुरादाबाद स्टेशन पर मुरादाबाद-चन्दौसी गाड़ियों और 2 एम० डी०और 4 एम०डी० सवारी गाड़ियों के बीच मेल लेने की स्थिति तो सन्तोषजनक रही, लेकिन मुरादाबाद-चन्दौसी गाड़ियों और 376 डाउन सवारी गाड़ी के बीच मेल लेने की स्थिति सन्तोषजनक नहीं रही।

**चंदौसी में रेलवे प्रशिक्षण स्कूल**

6037. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री शिव कुमार शास्त्री :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चंदौसी में रेलवे प्रशिक्षण स्कूल का पर्याप्त विस्तार किया गया है ;

(ख) क्या इसके और विस्तार करने के बारे में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** (क) अभी हाल में कोई विस्तार नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि गाजियाबाद का लोकोट्रेनिंग स्कूल मई, 1967 में चन्दौसी स्थानान्तरित कर दिया गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

**उत्तर प्रदेश में नये उद्योग**

6038. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
**श्री शिव कुमार शास्त्री :**

क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में कोई नये उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है :

(ख) क्या इस बारे में राज्य सरकार से कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):** (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना अभी अन्तिम रूप से तय की जानी है। उत्तर प्रदेश में इस योजना की अवधि में स्थापित किये जाने वाले नये उद्योगों के बारे में योजना बन जाने के पश्चात् ही जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। राज्य सरकार से इस संबंध में कुछ सुझाव मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है।

**गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में तेल-इंजिनों का निर्माण करने वाले कारखाने**

6039. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल-इंजिनों का निर्माण करने वाले कारखानों के लिये, जो इस समय गाजियाबाद नगर में चल रहे हैं, शहर से बाहर कुछ भूमि आरक्षित की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जिन कारखानेदारों ने इस प्रयोजन के लिये यह भूमि खरीदी थी, वे पानी और बिजली की सुविधायें न होने के कारण इस भूमि का अब तक प्रयोग नहीं कर सके हैं ; और

(ग) यदि हां, तो वहां पर इन सुविधाओं की कब व्यवस्था की जायेगी ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य-मंत्री (श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद)** : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायगी।

SETTING UP OF TEXTILE MILLS IN BURMA BY S.T.C.

6040. SHRI D. C. SHARMA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the State Trading Corporation has offered to set up two complete textile mills against a global tender floated by the Government of Burma;

(b) whether the same has since been awarded to the State Trading Corporation; and

(c) if so, the terms and conditions thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Yes, Sir.

(b) The result is not yet known.

(c) Does not arise.

LOSS TO RAILWAY PROPERTY DURING HOLI FESTIVAL

6041. SHRI KARTIK ORAON: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a large number of window panes of Railway compartments on all the Railways were damaged during the Holi festival this year; and

(b) if so, the total loss sustained by the Railways and the action taken to prevent recurrence of such damage to railway property?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes except on Southern, South Central, South Eastern and Western Railways.

(b) Rs. 43,000 approximately. Maintenance of law and order within Railway premises and in Railway trains is the responsibility of State Government and State Government Railway Police and such incidents are immediately reported to the Government Railway Police for necessary action.

PAYMENTS MADE TO ASSOCIATED ELECTRICAL INDUSTRIES LTD. (U.K.)

6042. SHRI NARENDRA KUMAR SALVE: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state the amount paid to the Associated Electrical Industries Limited of the United Kingdom under the various clauses of agreement entered into between the Government of India and the Associated Electrical Industries besides whatsoever has been paid in lump sum in the beginning?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): A copy of the Agreement was laid on the Table of the House in reply to unstarred question No. 3004 answered on the 6th August, 1968. The amounts paid to Messrs. Associate Electrical Industries Ltd.,

under the various clauses of section XVI of the Agreement are as under:—

| S. No. | Clause Na. | Amount (Rs. inlaks.) |
|---|---|---|
| 1. | XVI (a) | 53·33 upto 31-3-67 |
| 2. | X V(b) | 37·48 upto 31-3-67 |
| 3. | XVI (c) | 24·44 upto 31-3-67 |
| 4. | XVI (d) | 264.07 upto 31-3-67 |
| 5. | XVI (e) | Nil |
| 6. | XVI (f) | Nil |
| 7. | XVI (g) | 11.64 upto 31-3-68 |

### HEAVY ELECTRICALS (I) LTD.

6043. SHRI NARENDRA KUMAR SALVE: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Heavy Electricals (I) Ltd., has entered into any purchasing agency agreement with the Associated Electrical Industries Ltd., for plant and machinery;

(b) whether it is a fact that on account of this, the consultants themselves acted as agents and suppliers as well; and

(c) if so, the reasons motivating such agreement?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) Yes, Sir. A Purchasing Agency Agreement was concluded on the 18th August, 1958 amongst the President of India, Heavy Electricals (India) Ltd., and Associated Electrical Industries Ltd., U.K., for purchase of certain items of machine tools, plant and equipment required for implementation of Phase I of the Project.

(b) and (c). Under this agreement, certain items of equipment were also bought from the AEI or their subsidiaries. These items were of a proprietary nature, specially designed to suit the processes and tests evolved by them and which processes had been adopted by Heavy Electricals (India) Ltd., wherever the equipment was not of proprietary nature, competitive quotations were obtained from other manufacturers also.

### PAYMENT OF CONSULTANT FEE TO ASSOCIATED ELECTRICALS INDUSTRIES LTD.

6044. SHRI NARENDRA KUMAR SALVE: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total amount paid or payable as consultation fee to the Associated Electrical Industries Ltd., in respect of its agreement with the Heavy Electricals (I) Ltd.;

(b) whether it is a fact that there is a great divergence between Government and the Heavy Electricals (I) Ltd., about the total amount to be paid to the consultants; and

(c) if so, the reasons for such discrepancy involving crores of rupees?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) The total amount paid to Messrs. Associated Electrical Industries Ltd., under the Technical Consultants Agreement, up to the 31st March, 1967 is Rs. 3.88 crores. A substantial further amount would be required to be paid to the consultants during the remaining period of the Agreement up to November, 1970.

(b) and (c). This is apparently based on the Twelfth Report of the Committee on Public Undertakings on Heavy Electricals (India) Ltd., wherein it has been stated that, during evidence before the Committee in December, 1967, the Chairman of the Company said that the total payment to the Consultants would amount to about Rs. 6 crores whereas the Ministry's representative stated that this amount would be about Rs. 8.03 crores. The estimate mentioned by the Chairman was exclusive of the income tax liability of the company on the salaries etc., payable to the specialists, which is estimated at Rs. 2

crores approximately. The apparent divergence between the two estimates is thus due to this element of income tax.

CONSULTANTS FOR HEAVY ELECTRICALS (I) LTD.

6045. SHRI NARENDRA KUMAR SALVE: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any Departmental Committee has been appointed with legal and financial experts to go into the implications of the various provisions of the agreement and the payments which have been made to the Associated Electrical Industries Ltd.; the consultants for the Heavy Electricals (I) Ltd.; and

(b) if so, what are the findings of the Committee?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) and (b). The appointment of such a Committee has been recommended by the Committee on Public Undertakings in its report on Heavy Electricals (India) Ltd., presented to Parliament in April, 1968. This is under consideration.

SURVEY OF ITEMS MANUFACTURED BY AND NEEDS OF PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS

6046. SHRI NARENDRA KUMAR SALVE: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether any co-ordinating agency exists at the Centre which could at the time of coming up of new projects, ensure that the items to be manufactured by such new projects would include also those specialised items which might be needed by other Public Sector undertakings and which are importing those materials;

(b) whether it is a fact that many public sector undertakings had to import raw materials for their plants although there are Public Sector Undertakings manufacturing the same material but not of the same specifications as needed by the former undertakings; and

(c) if so, whether Government propose to undertake a comprehensive survey of the items being produced by various Public Sector Undertakings and the needs of all Public Sector Undertakings which could be fulfilled indigenously?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) and (c). While setting up any new project, the production capabilities envisaged are carefully examined, taking into account the demand for and supply of the products in question in the country, including that of the existing public enterprises, likely the foreign exchange saving that would accrue by the setting up of the project, etc. The Bureau of Public Enterprises in the Ministry of Finance tenders advice on the project proposals of the Central Government and suggests, wherever necessary, the modifications to be effected to such proposals, keeping in view the above factors. For this purpose, the Bureau keeps a constant watch of the items being produced by the various Public Enterprises, their special requirements, etc.

(b) As a rule, no public undertaking is allowed to import raw materials which are available in the country either from another Public Undertaking or from any other indigenous sources. It is only in cases where critical raw materials, just as machinery or components, of the requisite or acceptable specifications are not indigenously available that Public Undertakings are obliged to go in for import of such critical material.

INDIAN BUREAU OF MINES

6047. SHRI LOBO PRABHU: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) the reasons for the delay in the fixation of seniority of the staff of the Indian Bureau of Mines which was amalgamated with the Geological Survey of India more than three years ago; and

(b) why the officers of the Bureau were not consulted in the framing of mineral exploration programmes?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) The Exploration Wing of the Indian Bureau of Mines was transferred from the Indian Bureau of Mines to the Geological Survey of India only with effect from 1-1-1966, and not more than three years ago.

Fixation of seniority of staff is a part of the process of integration of the erstwhile staff of the Indian Bureau of Mines with the staff of Geological Survey of India, necessitating amendment to the recruitment rules. With regard to Class I and II Drilling Posts the rules have been amended. Similar action is in hand about rest of the staff.

(b) Mineral exploration programmes of the Geological Survey of India are discussed and framed by the Central Geological Programming Board. The Bureau is represented in the Board.

KHETRI COPPER PROJECT

6048. SHRI LOBO PRABHU: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) the reasons for the delay in taking action on the report submitted in 1965 on the Khetri-Copper Project;

(b) the number of drill holes for water put down since 1956 and how many of them are in operation; and

(c) why copper deposits at Singhbhum are not exploited even with our own equipment?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) It is presumed that the reference is to the report submitted by the Exploration Wing of the Geological Survey of India (formerly of the Indian Bureau of Mines) on Madhan-Kudhan and Kolihan investigations. These deposits are being developed by the Hindustan Copper Ltd., for exploitation as a part of the Khetri Copper Complex.

(b) It is presumed that the Hon'ble Member wants information about Tube Wells sunk in the Khetri Copper Project. The Geological Survey of India had put 28 pilot holes in connection with the investigations for supply of water for Khetri Copper Project, 12 Nos. tube-wells have been sunk since 1966 for the main Water Supply Scheme in Chaonra-Jodhpura. All are expected to be operated by 1970 when the main water supply scheme is scheduled to be completed 4 Nos. tube-wells have been sunk for township water supply in Khetri-Singhana river basin. 2 of these wells are in operation and the remaining two wells sunk in 1968 are likely to be commissioned shortly. In addition, 5 tube-wells at Chaonra-Jodhpura and 2 Nos. tube-wells at Khetri Copper Project were sunk as test well by Geological Survey of India. Tube-wells at Khetri-Singhana river basin are in operation while the five tube-wells at Chaonra-Jodhpura area will be commissioned along with the twelve others.

(c) The scheme for the exploitation of the Rakha Copper Deposits in Singhbhum is under consideration of the Government.

IMPORT AND EXPORT OF ALUMINIUM, SPECIAL STEEL AND NON-FERROUS METALS

6049. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the quantity and the value of aluminium, Special steel and non-ferrous metals imported during the years 1966-67 and 1967-68 with sources of supply; and

(b) the quantity and the value of exports of any of the above items during the same period and the names of countries to which exported?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) and (b) Statements are laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—1922/68.]

INDIA'S TRADE WITH EAST EUROPEAN COUNTRIES

6050. Shri S. R. DAMANI: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India's trade with the East European countries is on the decline since the last three years;

(b) if so, the gap between our export plans to those countries and the actual achievements; and

(c) whether India is continuing to import such items from these countries in which India is self-sufficient and, if so, the details of such items?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) and (b). There has been some fall in our trade with East European countries in the last three years. This fall however has been more because of the decrease in our imports which is mainly attributable to the increasing industrial self-sufficiency achieved in the country. Whereas imports from these countries in 1967 were about 26% less than in 1965, exports were less only by approximately 3%. Prospects of exports have in fact been steadily improving and there has been a steady diversification of India's exports to these countries. Exports to these countries are thus developing according to our plans within the frame-work of bilateral trading arrangements.

(c) Only those commodities are imported by India from these countries on which clearance from indigenous angle has been obtained from the concerned department of the Government of India.

STANDING COMMITTEE OF THE CENTRAL ADVISORY COUNCIL OF INDUSTRIES

6051. SHRI S. R. DAMANI: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the outcome of the meeting of the Standing Committee of the Central Advisory Council of Industries held on the 2nd July, 1968; and

(b) the suggestions, if any, made by the Committee to help industries which have not recovered so far from the recession?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (F. A. AHMED): (a) and (b). The Standing Committee of the Central Advisory Council of Industries at its last meeting held on the 2nd July, 1968, reviewed the current industrial situation in the country and also considered certain matters having a bearing on the industrial licensing policy. The deliberations of the meeting were more in the nature of exchanging views with the industry on these matters. The various suggestions/observations relating to supply of raw materials, import substitution, export promotion, expansion of marketing facilities, and the need for arousing cost consciousness etc., made in the meeting are under the consideration of Government.

EXPORT OF PEPPER

6052. SHRI RAMACHANDRA ULAKA:
SHRI DHULESHWAR MEENA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the export of pepper has decreased considerably during the last three months; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

WOOLLEN HOSIERY UNITS

6053. SHRI RAMACHANDRA ULAKA:
SHRI DHULESHWAR MEENA:

Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the number of woollen hosiery

production units in different parts of the country at present; and

(b) their total annual production?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) 1,046.

(b) The total annual production of woollen hosiery is estimated at 9.5 lakh kgs. in 1967.

EXPORT OF COFFEE

6054. SHRI RAMACHANDRA ULAKA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the target fixed for the export of coffee for the year 1967 was attained; and

(b) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) and (b). As against the export target of 42,000 tonnes recommended by the Sub-Group on Coffee of the Working Group on Plantation crops for the year 1967/68, the actual exports of coffee during that year were 33,949 tonnes valued at Rs. 18.15 crores.

EXPORT OF TILES

6055. SHRI RAMACHANDRA ULAKA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the export of tiles has gone down; and

(b) if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Yes, Sir.

(b) (i) Increase in indigenous production of tiles in the main foreign markets of Malaysia, Singapore and Ceylon and use of cheaper substitutes like cement Tiles.

(ii) High Ocean freight.

OVER/UNDER BRIDGES IN RAJASTHAN AND ORISSA

6056. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of over-bridges and under bridges proposed to be taken up by Government in Rajasthan and Orissa States separately during 1968-69; and

(b) the details thereof and the amount allotted for the purpose?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) (i) There is no proposal for the construction of road over/under bridge in Rajasthan during 1968-69.

(ii) Two road overbridges are proposed to be taken up in Orissa during 1968-69.

(b) Two road overbridges in Orissa State are as under:—

(i) Overbridge at Jajpur-Keonjhar Road Railway Station at Km. 336/7 on Panikoili-Keonjhar Road S. H. II near the existing level crossing.

(ii) Overbridge near the existing level crossing at M. 133/7 of Raipur-Vizianagram line (Kesinga Station Yard—S.H. II).

Both the schemes are still in the preliminary stage of finalisation. A provision of Rs. 3 lakhs has been made in the 1968-69 budget towards Railway's portion of the cost of the work of road overbridge at Kesinga only.

COTTAGE INDUSTRIES IN RAJASTHAN AND ORISSA

6057. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether any schemes have since been formulated to encourage cottage industries in the states of Rajasthan and Orissa during the year 1968-69; and

(b) if so, the details thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) and (b). The information is being

collected and will be laid on the Table of the House.

SUPPLY OF AMBAR CHARKHAS TO RAJASTHAN AND ORISSA

6058. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the exact number of Ambar Charkhas supplied to Rajasthan and Orissa separately during the year 1967-68;

(b) the number out of them in operation actually during that year; and

(c) the total quantity of yarn provided for this purpose during the same period?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) to (c). 150 Ambar Charkhas have been supplied to Orissa during 1967-68. All these had been in operation and produced 2,704 kilograms of yarn during the same period.

(NOTE: Under part (c) of the Question presumably the word "provided" should have been produced because the charkha produces yarn and yarn is not provided for the charkha).

Similar information regarding Rajasthan is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

गुना-माक्सी रेलवे लाइन

6059. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुना माक्सी सेक्शन पर नई रेलवे लाइन बनाने पर अब तक कितना धन व्यय किया गया है तथा इस धन के कब तक पूरा होने की संभावना है;

(ख) क्या उपर्युक्त काम से सम्बन्धित गुना कार्यालय को बन्द किया जा रहा है तथा उसके वहां के कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर भेजा जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस काम को अधूरा छोड़ने का सरकार का विचार है; और

(घ) इस सम्बन्ध में लोगों तथा उनके प्रतिनिधियों द्वारा किये गये विरोध के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**रेलवे मंत्री (श्री चे०मु० पुनाचा)**: (क) जून, 1968 तक इस लाइन पर कुल लगभग 5.40 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। रकम और यातायात की स्थिति को देखते हुए इस लाइन को यथासमय पूरा किया जायेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

राजेन्द्र नगर और इन्दौर स्टेशनों के बीच यात्री गाड़ी को जलाने का प्रयत्न

6060. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाल में पश्चिम रेलवे के मऊ-उज्जैन सेक्शन में राजेन्द्र नगर और इन्दौर स्टेशनों के बीच एक यात्री गाड़ी को पेट्रोल से आग लगाने का प्रयत्न किया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि इस घटना में नक्सलबाड़ी प्रकार के साम्यवादी लोगों का हाथ है; और

(ग) इस घटना की जांच करने तथा अपराधियों को दण्ड देने के लिए क्या कार्य-वाही की गई है?

**रेलवे मंत्री (चे० मु० पुनाचा)**: (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) इन्दौर की सरकारी रेलवे पुलिस ने 25-7-68 को अपराध सं० 136/68 के रूप में भारतीय रेल अधिनियम की धारा 128 और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 436/511 के अन्तर्गत एक

मामला दर्ज किया है और जांच की जा रही है। पुलिस ने अब तक कोई गिरफ्तारी नही की है।

**हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलोर**

6061. **श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड बंगलौर द्वारा वार्षिक उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और गत वर्ष इस कारखाने में कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) पिछले वर्ष उपर्युक्त कारखाने में कितनी और कौन-कौन सी घड़ियां बनाई गई थी, कितनी घड़ियां देश में बेची गई थीं, कितनी घड़ियों का निर्यात किया गया था, और इन घड़ियों में कितने प्रतिशत विदेशी पुर्जे लगाये गये थे ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फ़ख़रुद्दीन अली अहमद) :** (क) वर्ष 1967–68 में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के वार्षिक उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य तथा मशीनी औजारों एवं घड़ियों का उत्पादन निम्न प्रकार था :

| | इकाई | लक्ष्य | उत्पादन |
|---|---|---|---|
| मशीनी औजार | संख्या | 2,178 | 1,809 |
| घड़ियां | ,, | 2,50,000 | 2,50,000 |

जानकारी नीचे दी जाती है :

| वर्ष | घड़ियों के नाम | निर्मित घड़ियों की संख्या |
|---|---|---|
| 1967–68 | सिटीजन | 59,079 |
| | सोना | 197 |
| | जनता | 1,19,649 |
| | जनता (ल्यूमिनस) | 14,533 |
| | पायलट | 4,360 |
| | सुजाता | 42,490 |
| | जवान | 9,692 |
| | Total | 2,50,000 |

वर्ष 1967–68 में देश में बेची गयीं घड़ियों की संख्या 2,44,492,

वर्ष 1967–68 में निर्यात की गयी घड़ियों की संख्या–931,

घड़ियों में इस्लेमाल में लाये जाने वाले विदेशी पुर्जों का प्रतिशत 16 प्रतिशत।

**व्यापारियों की गैर-सरकारी स्थायी सलाहकार समिति**

6063. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के व्यापार को बढ़ाने के लिए अनुभव प्राप्त भारतीय व्यापारियों की एक स्थायी गैर-सरकारी सलाहकार समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) :** (क) जी, नहीं।

(ख) सरकार ने पहले ही दो उच्च शक्ति प्राप्त सलाहकार निकाय गठित किये हैं जिनके नाम हैं : (1) व्यापार बोर्ड तथा (2) व्यापार सलाहकार परिषद् इन निकायों में अनुभवी भारती व्यवसायियों का समुचित प्रतिनिधित्व है।

**लाइसेंस नीति**

6064. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाइसेंस विभाग देश की औद्योगिक प्रगति में बाधा डाल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लाइसेंस नीति में कोई परिवर्तन करने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):**

(क) से (ग). औद्योगिक लाइसेंस नीति को और अधिक उदार बनाने के कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं हैं।

PURCHASE OF FERTILIZERS FOR FOREIGN COUNTRIES

6065. SHRI BAL RAJ MADHOK: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India has to pay higher price including freight on the chemical fertilisers imported from East European countries than those imported from U.S.A. and Canada;

(b) whether it is also a fact that chemical fertilisers at still cheaper rates are available from Israel and Formosa; and

(c) if so, why fertilisers are being purchased at higher rates from East European countries?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) and (b). No, Sir.

(c) Does not arise.

CONSTRUCTION OF BANSAPANI-JORURI RAILWAY LINE IN ORISSA

6067. SHRI G. C. NAIK: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have received any memorandum from the Mine Owners Association, Bansapani (Keonjhar District in Orissa) regarding their willingness to reimburse the cost of construction of the Bansapani-Joruri railway line;

(b) whether the line has already been surveyed and the construction cost estimated;

(c) if so, its estimated cost and when the work will be taken up; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) to (d). No specific memorandum has been received by the Railway Board from the Mine Owners Association, Banspani, expressing their willingness to bear the cost of the Banspani-Joruri line.

There is no justification for the construction of this line as a railway branch line. A preliminary engineering survey was, however, carried out in 1964-65 for this line as a part of the Banspani-Nayagarh-Paradeep Survey. Later, at the instance of the Mineral & Metals Trading Corporation, an estimate for Rs. 294 lakhs for the construction of this 6 mile long line as a private siding was forwarded to them for their further consideration. It is up to the Mineral & Metals Trading Corporation to ask for this siding after entering into suitable agreements with the Mine owners.

**जापान के सहयोग से शक्ति-चालित हलों का निर्माण**

6068. **श्री रामावतार शास्त्री**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जापान की फर्मों के सहयोग से शक्ति चालित हलों का निर्माण करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद):** (क) और (ख). जापान के सहयोग से शक्ति चालित हलों के निर्माण की निम्नलिखित चार योजनाएं सरकार द्वारा मंजूर की जा चुकी है:—

1. मेसर्स कृषि इंजिन्स प्रा०लि०, हैदराबाद। — भक्तिु शक्ति चालित हल।
2. मेसर्स वी०एस०टी० मोटर्स लि० बंगलोर। — भितसुविशी शक्ति चालित हल:

3. मेसर्स जे० के० काटनसतोह शक्ति स्पिनिंग ऐण्ड वीविंग चालित हल : मिल्स लि०, कानपुर

4. मेसर्स एफ० डब्ल्यू० कुबोता शक्ति हिलजर्स लि० कलकत्ता। चालित हल :

जापान के सहयोग से शक्ति चालित हल बनाने के दो और प्रस्ताव प्राप्त हुए है। एक प्रस्ताव "राबिन" शक्ति चालित हल बनाने के लिए मेसर्स इण्डेक्विप इंजीनियरिंग लिमिटेड, अहमदाबाद से और दूसरा "यनमार" शक्ति चालित हल बनाने के लिए मेसर्स शेताकारी सहकारी सखा कारखाना लिमिटेड, सांगली से प्राप्त हुआ है। इन फर्मों से विस्तृत योजनाओं की प्रतीक्षा की जा रही है।

SUPPLY OF STRUCTURES AND EQUIPMENTS BY H.E.C., RANCHI TO BOKARO STEEL PLANT

6069. SHRI KARTIK ORAON: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that it will be too difficult for the Heavy Engineering Corporation, Ranchi to honour their commitments to supply structures and equipments to the Bokaro Steel Ltd., by 1971;

(b) if so, how the Bokaro Steel Ltd., will be able to honour their commitments to Government and to the public; and

(c) the total commitments made by the H.E.C. to supply structures and equipments to the Bokaro Steel Ltd., the yearly target planned and the actual targets achieved during 1966-67, and 1967-68 and 1968-69 so far; and

(d) the actual saleable production achieved during 1966-67, 1967-68 and 1968-69 so far?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (c). The Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi had to supply 98,852 tonnes of mechanical equipment, technological structures and machine tools to Bokaro Steel Plant. Equipment and structures are to be supplied starting from the second quarter of 1968. The supplies are to be progressively completed by the third quarter of 1971. Supplies of machine tools will be made from September, 1968 and continue till September 1969. The fulfilment of supplies on the basis of the above schedule would depend on various factors including availability of steel and other materials and the supply of completing equipment etc. from the USSR in time, though the delivery schedule is very tight, every effort is being made to supply such items according to requirements of Bokaro Steel Plant. 876 tonnes of mechanical equipment and 1739 tonnes of structures totalling 2615 tonnes have been supplied to Bokaro till the end of July, 1968.

(d) The actual saleable production in the plants of Heavy Engineering Corporation Ltd., is as follows:—

| | 1966-67 | 1967-68 | 1968-69 (upto July) |
|---|---|---|---|
| Heavy Machine Building Plant | 14307 tonnes | 14656 tonnes | 6991 tonnes |
| Foundry Forge Plant | 5058 tonnes | 9088 tonnes | 3911 tonnes |
| Heavy Machine Tools Plant | 7 Nos. | 15 Nos. | 2 Nos. |

PROMOTION OF ASSISTANT ENGINEERS IN THE HEAVY MACHINE BUILDING PLANT OF H.E.C., RANCHI

6070. SHRI KARTIK ORAON: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the Heavy Machine Building Plant of the Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi, the criterion for promotion of Assistant Engineers on the 17th December, 1965 was seniority for those joining before June, 1962 as per the date of their joining, whereas the criterion for promotion of Assistant Engineers on the 23rd March, 1967 was not seniority as per the date of their joining but having the basic pay of Rs. 480 p.m.; and

(b) if so, how Government propose to remove this disparity in the promotion policy?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMAD): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

HEAVY ENGINEERING CORPORATION LTD., RANCHI

6071. SHRI KARTIK ORAON: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a person has been posted at Delhi as an officer on special duty on the pay roll of the Heavy Engineering Corporation Ltd., Ranchi;

(b) if so, what is his function and why he is not put on the project and what improvement has been brought about by bringing him in;

(c) whether it is also a fact that one Chief Engineer (Project) has been appointed to the Heavy Machine Building Plant and has only a skeleton staff when in fact there is another Chief Engineer, Headquarters, while on the other hand the post of Chief Engineer (Technical) is lying vacant for a long time; and

(d) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

EXPORT OF CHILLIES

6072. SHRI K. SURYANARAYAN: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the quantity of chilles exported to the various countries from the year 1966 to 30th June, 1968;

(b) the quantity purchased by the State Trading Corporation of India and the Food Corporation of India during the above period from the growers in the various States;

(c) the stocks held by Government and the traders in the various States; and

(d) the arrangements made so far to clear the stocks from the godowns and the traders?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI):

(a) Exports of chillies to principal destinations from the year 1966 to 31st July, 1968 (latest figures available) have been as follows:—

| Country | Year | | Qty. in M. Tonnes (January-May, 1968) |
|---|---|---|---|
| | 1966 | 1967 | |
| 1 | 2 | | 3 |
| Ceylon | 5935 | 8619 | 3235 |
| Nepal | 174 | 206 | 43 |
| Kuwait | 25 | 44 | 15 |

| 1 | | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| U.K. | 2 | 57 | 120 |
| USA | — | 120 | 65 |
| Others | 25 | 520 | 971 |
| Total | 6161 | 9566 | 4449 |

(b) 3078 Quintals of chillies were purchased by Food Corporation of India in Andhra Pradesh during the period 24-2-68 to 8-3-68. The quantity purchased by State Trading Corporation during 1967-68 was one metric tonne.

(c) and (d). Govt. had no information regarding stocks of chillies held by traders/State Governments and arrangements made to clear stocks.

MANUFACTURE OF LIQUOR

6073. SHRI K. SURYANARAYANA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the installed capacity in the country for the manufacture of liquor as on the 15th August, 1947 and the present capacity thereof as on the 15th August, 1967; and

(b) the number of new licences granted in the various States during the Second and Third Five Year Plans for the manufacture of Liquor and the number of new licences proposed to be granted therefor during the Fourth Five Year Plan?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**मध्य रेलवे पर खानपान तथा खोमचा लगाने की नई योजना**

6074. **श्री गं० च० दीक्षित**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मध्य रेलवे पर 'खानपान तथा खोमचा लगाने' की एक नयी योजना आरम्भ करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को कब चालू किया जायेगा और इसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) से (ग): मध्य रेलवे पर खानपान तथा खोमचे की कोई नयी योजना लागू करने का विचार नहीं है। रेल प्रशासन को स्थायी अनुदेश हैं कि खानपान और खोमचे की वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत यात्री जनता को बेहतर सेवा प्रदन करने के लिए लगातार प्रयास किया जाय। रेलवे खानपान और यात्री सुविधा समिति ने हाल में भारतीय रेलों में खानपान के प्रश्न की जांच की थी और रेलों पर खानपान की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। उसकी कुछ सिफारिशें मानी जा चुकी हैं और इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए मध्य रेलवे सहित सभी रेलों को अनुदेश जारी किये गये है। अन्य सिफारिशों की जांच की जा रही है।

**मध्य रेलवे में गाड़ियों का विलम्ब से चलना**

6075. **श्री य० चं० दीक्षत**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे में पिछले छः महीनों से यात्री गाड़ियां विलम्ब से चल रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सुधार किये जाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** (क) पिछले 6 महीनों में मध्य रेलवे में मेल/एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियों के समय पर चलने का प्रतिशत नीचे बताया गया है :—

| महीना | ठीक समय पर चलने का प्रतिशत | | | |
|---|---|---|---|---|
| | बड़ी लाइन | | मीटर लाइन | |
| | मेल/ एक्सप्रेस | सवारी गाड़ी | मेल/ एक्सप्रेस | सवारी गाड़ी |
| फरवरी, 68 | 74.5 | 61.9 | — | 91.6 |
| मार्च, 68 | 72.9 | 57.8 | — | 92.6 |
| अप्रैल, 68 | 69.0 | 64.9 | — | 75.8 |
| मई, 68 | 59.2 | 54.7 | — | 64.2 |
| जून, 68 | 54.7 | 56.9 | — | 48.3 |
| जुलाई, 68 | 66.0 | 58.3 | — | 61.3 |

(ख) मध्य रेलवे में सवारी ढोने वाली गाड़ियों के विलम्ब से चलने के कई कारण हैं जो इस प्रकार हैं—बिना सोचे-विचारे खतरे की जंजीर खींचना, दूर-संचार और अन्य आवश्यक उपस्करों की चोरी—जिसकी वजह से कन्ट्रोल और सिगनल व्यवस्था आदि में खराबी आ जाती है—आदि। इनके फलस्वरूप व्यस्त खंडों पर गाड़ियों के निर्धारित समय पर चलने में बाधा पड़ती है और एक गाड़ी के विलम्ब से चलने के कारण प्रतिक्रिया के रूप में बहुत सी गाड़ियों के चालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(ग) सवारी ढोने वाली गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। सवारी ढोने वाली गाड़ियों को ठीक समय से चलाने के लिए मंडल से लेकर रेलवे बोर्ड तक सभी स्तरों पर विशेष निगरानी रखी जाती है और परिहार्य अवरोध के सभी मामलों में शोधक और दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। समय-समय पर गाड़ियों के ठीक समय पर चलाने के लिए अभियान भी चलाये जाते हैं।

### Export of Rail Wagons

6076. **SHRI GANESH GHOSH:** Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Governments of South Korea, Kenya, and Hungary have placed orders for the supply of Railway Wagons valued at about Rs. 11.87 crores;

(b) if so, the names of the industrial firms in our country who have been given the responsibility to manufacture these wagons; and

(c) the value of orders placed with each of these firms?

**THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI):** (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Details are given below:—

| Name of the Firm | No. of Wagons | Value | Order placed by |
|---|---|---|---|
| M/s. Braithwaite & Co. (India) Ltd., Calcutta; and M/s. K. T. Steel Industries (P) Ltd., Bombay | 1050 | Rs. 7·67 crores | South Korea and Hungary |
| M/s. Textile Machinery Corporation Ltd., Calcutta | 500 | Rs. 2·55 crores | Hungary |
| M/s. Jessep & Co., Ltd., Calcutta | 247 | Rs. 1·65 crores | Kenya |

**हनुमानगढ़ जंक्शन और हनुमानगढ़ नगर के बीच रेलवे पुल**

6077. **श्री प० ल० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घग्गर नदी की बाढ़ से रेलवे लाइन को बचाने के लिये हनुमानगढ़ जंक्शन तथा हनुमानगढ़ नगर के बीच नीचे का पुल बनाने पर कितनी राशि व्यय की गयी थी ;

(ख) घग्गर नदी में बाढ़ के कारण हनुमान गढ़ और सूरतगढ़ के बीच लाइन टूटनें से और पिछले वर्ष बाढ़ के परिणामस्वरूप रेलवे यातायात के अस्त-व्यस्त हो जाने से रेलवे को कितनी हानि हुई थी ; और

(ग) सूरतगढ़ और अनूपगढ़ के बीच रेलवे लाइनों पर मिट्टी के कार्य पर तथा अतिरिक्त मजदूरों पर कुल कितना खर्च किया गया था जिनको बाढ़ के कारण क्षति हुई थी और जिसके फलस्वरूप रेलवे यातायत अस्त-व्यस्त हो गया था।

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**:

(क) 11.77 लाख रुपये।

(ख) लाइन टूट जाने से 58.4 हजार रुपये की क्षति हुई। रेल यातायात अस्त-व्यस्त होने से कितनी हानि हुई, इसका अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) लगभग 19 हजार रुपये।

**बीकानेर डिवीजन में स्टेशनों पर बिजली लगाना**

6078. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीकानेर डिवीजन के कितने स्टेशनों पर बिजली नहीं लगाई गई है तथा किन किन स्टेशनों पर 31 दिसम्बर, 1968 से पहले बिजली मुहैया किये जाने की संभावना है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**:
116। पाटली और सलेमगढ़ मसानी।

**उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन के डिप्टी फोरमेन**

6079. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन के एक डिप्टी फोरमैन के कदाचार के बारे में रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री को कोई पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या उन्हें पता है कि अवैध परितुष्टि के रूप में एक बड़ी रकम ले लेने के पश्चात् उत्तर रेलवे के मैकेनिकल विभाग के अधिकारियों ने उसे आश्वासन दिया है कि उनके विरुद्ध कोई जांच नहीं की जायेगी ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त डिप्टी फोरमैन का अनियमिततायें करने के लिये तबादला कर दिया गया था ; और

(घ) उक्त तबादले को स्थगित करने के क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**:
(क) रेल उप मंत्री को दो पत्र मिले थे, एक 8–6–68 का और दूसरा 2–8–68 का, लेकिन इन दोनों पत्रों में भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाये गये थे।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रारम्भ में 3–8–68 को उक्त डिप्टी फोरमैन का स्थानान्तरण लखनऊ से किया गया था जहां वह जूनियर लोको निरीक्षक के पद पर काम कर रहा था। स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से और इसलिए किया गया था क्योंकि उसके कर्मचारियों ने उसके विरुद्ध कुछ शिकायतें की थी जिनमें रूखे और अशिष्ट व्यवहार के आरोप लगाये गये थे और साथ ही उसके द्वारा कुछ अनियमित काम किये जाने की भी शिकायत थी। काम की आवश्यकताओं को देखते हुए

21-9-67 को उसे स्थानीय व्यवस्था के रूप में डिप्टी फोरमैन के पद पर लखनऊ वापस स्थानान्तरित कर दिया गया।

चूंकि उसकी जगह पर नियमित रूप से काम करने के लिए एक उपयुक्त वरिष्ठ व्यक्ति चुना जा चुका है, इसलिए 12-7-68 को उसकी जगह चुने हुए व्यक्ति को रखने का आदेश जारी कर दिया गया है।

(घ) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय हाल के उस आदेश से है जिसके अनुसार 12-7-68 से लखनऊ के डिप्टी फोरमैन की जगह एक उपयुक्त वरिष्ठ व्यक्ति को रखा गया है। चूंकी वह व्यक्ति, जो डिप्टी फोरमैन की जगह काम करने के लिए चुना गया है, छुट्टी पर चला गया है, इसलिए उसके छुट्टी से लौटते ही उक्त आदेश पर अमल किया जायेगा।

TELEPHONE OPERATORS IN D.S'S. OFFICE, NORTHERN RAILWAY

6080. SHRI YASHPAL SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether some Telephone Operators are engaged against TLAs in the D.S. Office, N. R. Exchange and if so, what is the strength and the date of their posting;

(b) whether it falls within the power of the executive officer to appoint the daily rated ministerial staff;

(c) whether it is also a fact that in spite of economy these appointments were not made with the approval of the Audit and Account authorities; and

(d) whether such appointments in excess of the sanctioned strength have not adversely affected the economy?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

FIRE IN TELEPHONE EXCHANGE OF D.S'S OFFICE, NEW DELHI

6081. SHRI YASHPAL SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether in his reply to Unstarred Question No. 9988 given on the 7th May, 1968 regarding the fire in Telephone Exchange of the Divisional Superintendent's Office, New Delhi he stated that the Railway suffered no loss because it was the concern of the P & T Department;

(b) whether in the reply to Unstarred Question No. 841 given by the Minister of Communications on the 25th July, 1968, he had held the Railway Operator responsible for the loss;

(c) if so, which Ministry has suffered the loss; and

(d) what action has been taken against the Operator who caused the breaking out of fire by placing an electric heater on the PABX Board?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes.

(b) No, the responsibility was not fixed squarely.

(c) Ministry of Communications.

(d) According to the investigation made by a Senior Scale Railway Officer, it was found that the fire was caused by the over-heating of the Board due to short-circuiting of worn-out wires as the Board was very old. Accordingly, no action has been taken against the operator.

**जमशेदपुर में छोटे तथा बड़े पैमाने के उद्योग**

6082. **श्री लखन लाल कपूर**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि बिहार में जमशेदपुर तथा आदित्यपुर में लघु तथा बड़े उद्योगों के लिए दिये गये ऋण अब तक इन उद्योगों में नहीं लगाये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी धन का दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)**: (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस**

6083. **श्री एस० एम० जोशी** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ऐसी वस्तुओं के आयात के लिये भी जिन का देश में उत्पादन होता है परन्तु जिन्हें सरकार विदेशों में उत्पादित वस्तुओं की तुलना में घटिया समझती है, लाइसेंस देती है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में ऐसी किन किन वस्तुओं के आयात के लिये सरकार द्वारा लाइसेंस जारी किये गये हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों में कुल कितनी मात्रा में उक्त वस्तुओं का आयात किया गया है तथा उनका वस्तुवार मूल्य क्या है ;

(घ) क्या सरकार का विचार यह नहीं है कि इस के परिणामस्वरूप भारत के निर्यात पर कुप्रभाव पड़ता है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस नीति को बदलने का है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शाफ़ी कुरेशी)** : (क) से (ग): सरकार की सामान्य नीति यह है कि उन मदों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती, जिनका देश में उत्पादन होता है अथवा जिनके लिये उत्पादन क्षमता बेकार पड़ी हुई है। परन्तु विशेष प्रयोजनीय मशीनें तथा अत्यन्त विशिष्ट मदें इसके अपवाद हैं, जहां मांगकर्त्ता की विशिष्ट आवश्यकताएं वैकाल्पिक विशिष्टयों द्वारा भी पूरी नहीं हो सकतीं तथा उन मदों के विषय में भी अपवाद है। जहां भारतीय पूर्तिकर्त्ता निहित आर्थिक प्रयोजन को पूरा करने के लिये समय पर वस्तुओं की पूर्ति नहीं कर सकता। ऐसी मदों को विशिष्टतया बताना सम्भव नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) फिर भी, आयात नीति की सतत समीक्षा की जाती रहती है तथा स्वदेशी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए यथावश्यक उचित परिवर्तन किये जाते हैं।

DAILY WORKING HOURS AT BANDA LOCO SHED (C. RLY.)

6084. SHRI SURAJ BHAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the daily working hours of Banda Loco Shed, Central Railway are 12 hours without any break ;

(b) whether it is also a fact that the daily working hours in all other sheds/ shops all over the country are 8 hours :

(c) if so, the reason for this discrimination against the staff of Banda Loco Shed : and

(d) whether Government propose to consider the desirability of paying overtime allowance to the staff of Banda for the extra hours of work performed by them ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) Under the Hours of Employment Regulations the staff of the loco shed at Banda on the Central Railway have, on the basis of the workload on them, been classified as 'Essentially Intermittent' and they have been rostered to perform duty for 12 hours a day which include certain periods of inaction, as prescribed in the Rules.

(b) No.

(c) Does not arise.

(d) They are entitled to overtime payment at 1½ times the ordinary rate of pay when they work beyond 75 hours a week, as "Essentially Intermittent" staff.

ENGINEERING EXPORT PROMOTION COUNCIL

6085. SHRI G. S. REDDI : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the representation made by the Chairman, Engineering Export Promotion Council of Calcutta about the lack of facilities for the increased export of their heavy engineering goods ;

(b) if so, the types of goods that are exportable and the quantity thereof ;

(c) the amount of foreign exchange likely to be earned by their exports ;

(d) whether Government propose to provide the facilities as early as possible ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) Problems faced by the exporters of engineering goods have been brought to the notice of Government by the Engineering Export Promotion Council from time to time.

(b) and (c). Heavy engineering is not a well defined classification. The exportable items in this category may include transmission line towers, cranes & hoists, structural fabrication, industrial plants & machinery, machine tools railway wagons & coaches, etc. The expected export earnings from these items during 1968-69 are estimated at Rs. 13 crores. Quantitywise forecast is not possible.

(d) and (e). The facilities requested for by the exporters from time to time are constantly under review and such assistance as is considered reasonable and adequate is given.

RAILWAY DEVELOPMENT IN N.E.F.A.

6086. SHRI ABDUL GHANI DAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether any detailed survey has been undertaken in the NEFA area for the purpose of Development of railways in that area ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if no survey has been undertaken, the reasons therefor and by what time it would be done ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Due to the present difficult financial position no new line is likely to be taken up for construction in the NEFA area for development purposes in the 4th Plan. Any survey carried out now for a new line in this area would become out of date if at all its construction is to be considered only at a distant future date. Hence no survey is proposed to be undertaken at present.

**जमालपुर रेलवे वर्कशाप**

6087. **श्री लखन लाल कपूर :**
**श्री क० लकप्पा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नियमों के उपबन्धों के विरुद्ध जमालपुर रेलवे वर्कशाप ऊष्मा-उपचार (हीट ट्रीटमेंट) वर्कशाप में अधिकारी अकुशल कर्मचारियों से कुशल कर्मचारियों का काम ले रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):**

(क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

**रेलवे वर्कशाप, जमालपुर**

6088. **श्री क० लकप्पा :**
**श्री लखन लाल कपूर :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे वर्कशाप जमालपुर (बिहार) के ढलाई विभाग में श्रमिकों के लिये कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है और वहां काम के स्थान के चारों ओर कपड़ों के ढेर पड़े हैं, और वहां से संकट के समय अपनी जान बचाने के लिये भागना कठिन है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त वर्कशाप के श्रमिकों को इस समय चप्पल, दस्ताने, धूप के चश्मे नहीं दिये जाते हैं, जिस कारण उनकी जाने हमेशा खतरे में रहती हैं और कुछ श्रमिकों को गंभीर चोटें भी लगी हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि निर्मित वस्तुओं को ऊपर से ले जाने के लिये लगी हुई क्रेन पिछले सोलह महीने से बेकार पड़ी हैं और श्रमिकों को माल अपने सिर पर उठाकर ले जाना पड़ता है ; और

(घ) क्या है भी सच है कि उन श्रमिकों के लिये बनाये गये स्नान गृह और सौचालय गंदे और अस्वच्छ हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** (क) सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था है। प्रशन के अंतिम भाग का उत्तर नकारात्मक है।

(ख) उन्हें चप्पल, दस्ताने और रंगीन धूप-चश्मे दिये जाते हैं। इस सम्बन्ध में कमी को पूरा करने के लिए अभी हाल में कारंवाई की गयी है।

(ग) और (घ): जी नहीं।

**उत्तर-पूर्व रेलवे के ए० पी० ओ० की पदोन्नति**

6089. **श्री चंद्रिका प्रसाद** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तालिका में एक अवर ए० पी० ओ० को० उसका रिकार्ड खराब होने के बावजूद उत्तर पूर्व रेलवे के एक प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नत कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नत करने के लिये वरिष्ठ ए० पी ०ओ० के सम्बन्ध में जिनका रिकार्ड भी अच्छा था विचार न करने के क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** (क) जी नहीं, जिनकी सेवा के रिकार्ड अच्छे होते हैं वे ही प्रथम श्रेणी के लिए चुने जाते हैं।

(ख) द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की प्रथम श्रेणी में पदोन्नति संघ लोक सेवा आयोग की विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा ठोस चुनाव के फलस्वरूप की जाती है। द्वितीय श्रेणी के सभी पात्र अधिकारियों पर उनकी वरिष्ठता के क्रम में विचार किया जाता है और उनमें से सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्तियों को चुनाव जाता है।

**जमालपुर रेलवे वर्कशाप**

6090. **श्री रामचरण :**
**श्री लखन लाल कपूर :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जमालपुर (बिहार) रेलवे वर्कशाप में कर्मचारियों की संख्या 22,000 से घटाकर 12,000 कर दी गई है और उनकी भर्ती और पदोन्नति बिल्कुल बन्द कर दी गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसा स्टीम-इंजनों की मरम्मत के कारण हुआ है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 50 और 70 टन की क्रेनों के निर्माण का

कार्य जमालपुर रेलवे वर्कशाप से वापिस लेकर एक गैर-सरकारी कम्पनी को सौंप दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या डीज़ल इंजनों और अन्य आधुनिक उपकरणों के निर्माण का कार्य आरम्भ करने के उद्देश्य से सरकार का विचार जमालपुर वर्कशाप में आधुनिकतम मशीनें लगाने का है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा):** (क) और (ख) : मुख्य रूप से कार्य-भार कम हो जाने के कारण कर्मचारियों की संख्या 1952 में 10,009 से थोड़ी घटकर 1967 में 9,240 रही।

(ग) जी नहीं।

(घ) सवाल नहीं उठता।

USE OF DIESEL LOCOMOTIVE FOR HAULING BOMBAY-DELHI AIR CONDITIONED EXPRESS

6091. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the date from which diesel locomotive will begin hauling the Bombay Delhi Air-conditioned Express of the Western Railway; and

(b) the reasons for the delay?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) and (b). Due to an overall shortage of diesel locomotives, which are urgently required for movement of essential goods traffic, there is no proposal to place these trains under diesel traction at present.

BRIDGES OVER RAILWAYS LINES PASSING THROUGH GUJARAT

6092. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the total number of bridges over the railway lines passing through Gujarat ;

(b) the number of bridges which were constructed during the last two years ; and

(c) the number of bridges which were more than 20 years old and the steps taken to carry out the periodical repairs thereto ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) Seven thousand two hundred.

(b) Fifteen.

(c) Six thousand four hundred and seventy four. Periodical repairs are carried out every year according to schedule.

FINANCIAL ASSISTANCE FOR CLOSED TEXTILE MILLS SOUGHT FOR BY GUJARAT GOVERNMENT

6093. SHRI NARENDRA SINGH MAHIDA : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Gujarat have sought financial assistance from Government to take over the closed textile mills.

(b) if so, decision taken in the matter ;

(c) the total amount of financial assistance sanctioned ; and

(d) if not, when a decision is likely to be taken ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

STEAM LOCO SHED AT DONGARGARH, S. E. RAILWAY

6094. SHRI INDRAJIT GUPTA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it has been decided to abolish the steam loco shed at Dongargarh, South Eastern Railway ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) the number of loco shed staff who would be declared surplus as a result thereof and forced to accept transfer involving great hardships ;

(d) whether the Railwaymen have represented that goods and coaching trains between Bhilai and Nagpur be continued on steam traction pending electrification of the Nagpur Division and

(e) if so, Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

(d) No.

(e) Does not arise.

**सरगूजा जिले में चिलमिरी कालेज तथा स्कूल तथा कुरमासिया के बीच उपरि-पुल**

6095. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के सरगूजा जिले में चिरमिरी कालेज तथा स्कूल तथा कुरमासिया के बीच कोई उपरि पुल नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपरि-पुल न होने के कारण वहां पहले बहुत सी दुर्घटनायें हुई हैं ;

(ग) क्या ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये सरकार का विचार एक उपरि-पुल बनाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ किया जायेगा तथा उसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

**रेलवे मंत्री (श्री० चे०मु० पुनाचा)** : (क) से (घ) . सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

**रेलवे बोर्ड और कोयला खानों के मालिकों के बीच समझौता**

6096. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड और कोयला खानों के मालिकों के बीच हुए समझौते के अनुसार कोयले की कीमतों के बढ़ जाने के परिणामस्वरूप रेलवे को 1968–69 में कितना अधिक व्यय करना पड़ेगा ; और

(ख) किस प्रकार के कोयले की कीमत में वृद्धि की गई है और कितनी वृद्धि की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** (क) सिंगरेनी कोयले के मूल्य के सम्बन्ध में अभी बातचीत हो रही है । इस कोयले के मूल्य में यदि कोई वृद्धि हुई हो उसे छोड़कर लगभग एक करोड़ रुपये ।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है । (**पुस्तकालय में रखा गया । संख्या देखिये** LT–1923/68)

**मध्य प्रदेश में सहकारी कपड़ा मिलें**

6097. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितनी कपड़ा मिलें सहकारिता के आधार पर चलाई जा रही हैं ;

(ख) कितनी कपड़ा मिलों का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है और इस समय कितनी कपड़ा मिलों का निर्माण कार्य चल रहा है और ये मिलें किन-किन जिलों में हैं ; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में केन्द्रीय सरकार ने उन कपड़ा मिलों को, जिनका निर्माण अब भी चालू है, कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

**वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह)**:

(क) तथा (ख) . बुरहानपुर (मध्य प्रदेश) में स्थापित किये जाने के लिये 12,000 तकुओं वाली केवल एक सूती कताई मिल को सहकारी क्षेत्र में लाइसेंस दिया गया है । इस मिल का निर्माण कार्य अब भी चल रहा है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अभी तक कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

**सिलिगुड़ी में रेल की पटरियों का पकड़ा जाना**

6098. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
**श्री टी० पी० शाह :**
**श्री जि० ब० सिंह :**
**श्री श्रद्धानन्द :**
**श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1968 के पहले पखवाड़े में सिलिगुड़ी के एक इस्पात कारखाने से पुलिस ने एक लाख रुपये की कीमत की रेल की पटरियां पकड़ी थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) सही स्थिति यह है कि 26-7-68 को सिलीगुड़ी की जिला पुलिस ने वहां के रेलवे सुरक्षा दल के सहयोग से सिलीगुड़ी के मेसर्स मूलजी लोहा और इस्पात मिल की प्रसीमा से रेल के 313 टुकड़े बरामद करके अपने कब्जे में ले लिये। बाद में, 28-7-68 को सिलीगुड़ी के रेलवे सुरक्षा दल ने एक प्राप्त सूचना के आधार पर उक्त मिल के परिसर पर छापा मारा और रेल के 478 टुकड़ों को अपने कब्जे में ले लिया।

(ख) अब तक 3 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये है। सिलीगुड़ी की स्थानीय पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अन्तर्गत अपराध सं० 36(7)68 और भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अन्तर्गत अपराध संख्या 37(7) 68 के रूप में दो मामले दर्ज किये हैं।

**रेलवे की आय**

6099. **श्री बृज भूषण लाल :**
**श्री टी० पी० शाह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, मई तथा जून, 1968 के महीनों में रेलवे की आमदनी में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ख) गत वर्ष के अप्रैल, मई तथा जून के महीनों की तुलना में यह कितनी अधिक अथवा कम है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा) :** (क) और (ख). सम्बन्धित महीनों में रेलवे की आमदनी नीचे करोड़ रुपयों में दी गयी है :—

| नीचे लिखे महीनों में यातायात से आमदनी | 1966 | 1967 | 1968 |
|---|---|---|---|
| अप्रैल | 64.29 | 69.19 | 77.40 |
| मई | 71.79 | 69.42 | 78.87 |
| जून | 57.08 | 67.38 | 71.16 |

RAILWAY LINES IN YEOTMAL DISTRICT IN MAHARASHTRA

6100. SHRI DEORAO PATIL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether any survey has since been conducted in the District of Yeotmal in the State of Maharashtra for the opening of railway lines ;

(b) if so, the details of the survey which has been undertaken ; and

(c) if no such survey has been undertaken, the reasons therefor and by what time it is proposed to be done ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Due to the present difficult ways and means position no new line in the Yeotmal district is likely to be taken up for construction in the 4th Plan. Any survey carried out now will become out of date if at all the construction of the new line is to be considered at a distant future date only. Hence it is not proposed to undertake any survey for a new line in this area, at present.

NEW RAILWAY LINES IN MAHARASHTRA

6101. SHRI DEORAO PATIL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number and names of new Railway lines which the Maharashtra Government have proposed for inclusion in the Fourth Five Year Plan;

(b) whether the Maharashtra Government propose to start the narrow gauge railway line from Darwha-Motibagh to Pusad which was closed during the Second World War:

(c) whether Government propose to lay new railway lines in Yeotmal District keeping in view the necessity of developing cement and other industry; and

(d) if so. the details thereof?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) The following new lines/conversion schemes, according to the order of priority have been proposed by the Maharashtra Government for inclusion in the Railways Fourth Plan:

1. Conversion of Manmad—Aurangabad—Nanded section from Metre Gauge to Broad Gauge.

2. Apte — Kharpada — Dasgaon —Goa.

3. Sholapur — Osmanabad — Bhir —Paithan — Aurangabad — Chalisgaon and Dhulia to Nardhana.

4. Ballarshah — Ashti — Allapalli Gurpalli — Surajgarh Bhamragarh to join Gidam Jagadalpur B.G. line.

5. Kalamb—Khaparkheda (Railway Siding).

6. Kurla—Panvel Section of Kurla Karjat.

7. Conversion of Miraj—Pandharpur Kurduwadi—Barsi—Latur from Narrow Gauge to Broad Gauge.

8. Latur—Purli Vaijnath *via* Mominabad.

9. Adilabad Chanda *via* Ghugus.

10. Kolhapur—Ratnagiri.

11. Karad—Chiplun.

12. Restoration of Darwha Pusad.

13. Badnera—Amravati—Narkhed.

14. Khamgaon—Jalna *via* Chikhli.

15. Chimur—Umrer.

16. Gangakhed to Bodhan and Nanded to Latur Railway line.

17. Manmad-Malegaon-Dhulia Nardhana.

18. Kurduwadi—Karmala Nagar, Karamala—Aurangabad and Kurduwadi—Shingnapur Railway line.

19. Ghugus to Sindola Railway Line, and

20. Construction of Kolhapur—Nagpur Railway line.

(b) and (c). No.

(d) Does not arise.

**वायदे के सौदो**

6102. **श्री देवराव पाटिल**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वायदे के सौदों को समाप्त करने का है;

(ख) क्या बम्बई के वायदा सौदा आयोग ने वायदे सौदों को समाप्त न करने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) वायदे सौदों से सरकार को क्या लाभ होता है?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरेशी)**: (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठते।

(घ) वायदा व्यापार से व्यापार तथा उद्योग में लगे हुए व्यक्ति को लाभ होता है। यह वस्तुओं के मूल्यों में उतार-चढ़ाव में न्यूनता लाता है और उत्पादकों, विक्रेताओं, परिष्कर्त्ताओं एवं उपभोक्ताओं के लिए मूल्य के प्रतिकूल परिवर्तन के विरुद्ध सुरक्षा का एक साधन उपलब्ध करता है। सम्पूर्ण समाज इन लाभों से लाभान्वित होता है।

NEH DELHI-FARIDABAD SUBURBAN SECTION

6103. SHRI YASHPAL SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the New Delhi-Faridabad line on the Northern Railway is the most neglected suburban section;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) what action is contemplated to improve it?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

**पूर्वोत्तर रेलवे का भोजन व्यवस्था-विभाग में गबन**

6104. **श्री राम सेवक यादव**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अप्रैल, 1965 से मार्च, 1968 तक की अवधि में पूर्वोत्तर रेलवे भोजन व्यवस्था विभाग में कितनी राशि का गबन पाया गया था और वह रकम किस तरीके से वसूल की जा रही है; और

(ख) क्या इतनी बड़ी रकम के गबन के लिये वाणिज्य विभाग के उन उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है, जिनका इन अनियमितताओं में प्रत्यक्ष रूप से हाथ था?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) अप्रैल, 1965 से मार्च, 1968 के बीच 660 रुपये का गबन हुआ जिसमें से 560 रुपये की रकम सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा भर दी गयी है। बाकी रकम के बारे में कार्रवाई की जा रही है।

(ख) इसमें किसी राजपत्रित अधिकारी का हाथ नहीं है।

**राजस्थान में रेलवे लाइनों का निर्माण**

6105. **श्री ओंकार लाल बोहरा**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई रेलवे लाइनों के निर्माण के बारे में भारत सरकार की नीति क्या है और क्या नई रेलवे लाइनें लोगों को सुविधायें तथा परिवहन के साधन उपलब्ध कराने के लिये बनाई गई हैं अथवा रेलवे मंत्रालय उनका निर्माण केवल लाभ की दृष्टि से ही करता है;

(ख) राजस्थान जैसे पिछड़े क्षेत्रों में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के प्रस्ताव को उन्हें अलाभप्रद बताकर सरकार द्वारा रद्द करने के उचित कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार चित्तौड़-कोटा लाइन तथा प्रतापगढ़-बांसवाड़ा-डूंगरपुर लाइन के बारे में नया सर्वेक्षण करने का है?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) और (ख)। देश के विभिन्न भागों में रेलों का विस्तार राज्य या क्षेत्रवार नहीं किया जाता। विशिष्ट औद्योगिक परियोजनाओं, पत्तन सुविधाओं के विस्तार, खनिज और वन्य साधनों के उपयोग, बड़े पैमाने पर कृषि सम्बंधी विकास, सामरिक महत्व और रेलवे की परिचालन सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं के कारण रेल परिवहन की जिन मांगों की सम्भावना होती है, उन्हें पूरा करने के लिए रेलवे का विकास कार्यक्रम तैयार किया जाता है और ऐसा करते समय योजना आयोग द्वारा रेलवे के इस तरह के निर्माण-

कार्यों के लिए निश्चित आर्थिक सीमा का ध्यान रखा जाता है। देश के पिछड़े क्षेत्रों में नयी रेलवे लाइनें बनाने की आवश्यकता के प्रति भी सरकार जागरूक है लेकिन देश में रेल के विकास का कार्यक्रम बनाने में धन और सामान दोनों रूपों में साधनों की उपलब्धता का महत्वपूर्ण योग होता है। रेलों को अपने उद्यमों की वित्तीय दृढ़ता सुनिश्चित रखनी होती है नहीं तो उनका अनुरक्षण राष्ट्रीय कोष पर भार बन जायेगा। यही कारण है कि नयी लाइनों से संबंधित परियोजना की अर्थ-क्षमता को ध्यानपूर्वक आंका जाता है। रेलों को परियोजना की पूंजी लागत पर सामान्य राजस्व को 6% लाभांश देना होता है। इसलिए जिन नयी परियोजनाओं से उनके चालू होने के बाद छठे वर्ष में भी पर्याप्त गुंजाइश के साथ इतना प्रतिफल नहीं मिल सकता उन्हें अलाभप्रद समझा जाता है। किसी नयी लाइन को लाभप्रद अथवा अलाभप्रद वर्ग में रखने से पहले उसका विस्तृत यातायात सर्वेक्षण किया जाता है।

(ग) जी नहीं।

### चाय तथा पटसन का निर्यात

6106. **श्री ओंकार लाल बोहरा** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय तथा पटसन जैसी वस्तुओं को जिस कठिन प्रतियोगिता का सामना करना पड़ रहा है उसे दृष्टि में रखते हुए इन वस्तुओं के निर्यात के विषय में भारत के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में अपनाई गई निर्यात संवर्धन नीति के परिणामस्वरूप चाय, पटसन तथा कपड़े के निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है; और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है; और

(ग) चाय की उपज तथा बिक्री बढ़ाने के लिये चाय बोर्ड क्या नये प्रयत्न कर रहा है और चाय बागानों के क्षेत्र को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमोहम्मद शफी कुरैशी)** : (क) भारतीय चाय को विदेशी बाजारों में प्रतियोगिता करने योग्य बनाने केलिये किये गये उपायों में ये शामिल हैं : निर्यात शुल्क में कमी, निर्यातक फर्मों द्वारा वैदेशिक बाजारों में संवर्द्धनात्मक उपायों पर किये गये खर्च पर कर सम्बन्धी रियायतें और उत्पादित चाय की किस्म को सुधारने के लिये चाय बागानों की सहायतार्थ चाय बोर्ड द्वारा योजनाओं का चलाया जाना।

पटसन के मामले में, इसके निर्यात संवर्द्धन के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठाये जा रहे हैं क्योंकि गत कुछ वर्षों से हम स्वयं भी कच्चे पटसन की कमी अनुभव कर रहे हैं। सोवियत रूस के साथ द्विपक्षीय व्यापार करार के अन्तर्गत उस देश को किये गये सीमित निर्यातों को छोड़कर इस समय पटसन के निर्यात की कोई अनुमति नहीं है :

(ख) गत तीन वर्षों में चाय, कच्चे पटसन और सूती कपड़ें के हमारे निर्यातों के मूल्य निम्नलिखित थे :—

| | मूल्य करोड़ रू. में | | |
|---|---|---|---|
| | 1965–66 | 1966–67 | 1967–68 |
| चाय | 114.84 | 156.22 †(102.26) | 180.20 †(113.92) |
| कपड़े (सूती) | 64.87 | 75.75 | 81.27 |
| कच्चा पटसन | 2.88 | 8.41 | 2.62 |

(†अवमूल्यन से पूर्व के रुपयों के हिसाब से)

(ग) बागान वित्त योजना के अन्तर्गत अब तक चाय बोर्ड ने 624.43 लाख रु० के ऋण दिये हैं । इससे लगभग 1713.41 हेक्टार में विस्तार तथा पुनर्रोपण हो सकेगा । बोर्ड द्वारा किराया खरीद योजना के अन्तर्गत आज तक 586,79 लाख रु० के उपकरण तथा मशीनें भी दी गयी हैं ।

विदेशों में भारतीय चाय की बिक्री को बढ़ाने के लिये स०रा० अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, प० यूरोप, संयुक्त अरब गणराज्य, आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संवर्द्धनात्मक उपाय किये गये हैं, जिनमें खुदरा बिक्री के लिये पैकटों में शुद्ध भारतीय चाय को प्रस्तुत करने पर विशेष बल दिया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों और प्रमुख होटलों तथा रेस्तराओं, स्टोर-प्रदर्शनों, विपणन, जनसम्पर्क और विज्ञापनों के माध्यम से भारतीय चाय का प्रचार भी किया जाता है ।

### भारत के व्यापार करार

6107. **श्री ओंकार लाल बोहरा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967 और 1968 में भारत ने किन देशों के साथ व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किये हैं और उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन करारों के परिणामस्वरूप इस अवधि में हमारे निर्यात में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) गत वर्ष में प्रत्येक देश को निर्यात किये जाने वाले माल का ब्यौरा क्या है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरैशी) :** (क) वर्ष 1967–68 में भारत ने जिन देशों के साथ व्यापार करार किये, उनके नामों को दर्शाने वाला एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या LT–1924/68] (विवरण-1) । ब्यौरे करारों में दिये गये हैं, जिनकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ख) निर्यातों में वृद्धि अथवा कमी केवल व्यापार करारों से सम्बद्ध नहीं होती । यह बहुत सी अन्य बातों पर भी निर्भर करती है । 1966–67 तथा 1967–68 के निर्यातों के तुलनात्मक आंकड़े प्रश्न के भाग (क) के साथ संलग्न विवरण में दिये गये हैं ।

(ग) एक विवरण (अंग्रेजी में) (विवरण–2) सभा पटल पर रखा गया है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या LT– 1924/68].

### हिन्दुस्तान जिंक स्मैल्टर

6108. **श्री ओंकार लाल बोहरा :** क्या इस्पात, खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया कलकत्ता को सरकार ने उनकी उदयपुर (राजस्थान) के समीप स्थित जिंक स्मैल्टर और जावर खानों के लिये, जो सरकार ने अपने हाथ में ले ली है और जिनका नाम अब हिन्दुस्तान जिंक स्मैल्टर रख दिया गया है, क्या मुआवजा दिया है ;

(ख) यदि अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के बाद मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया के मुआवजे, ऋण और दायित्वाओं का निर्धारण करने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस सम्बन्ध में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि इस कारपोरेशन ने 32 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है जबकि उन्हें 2 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक): (क) से (घ). सरकार ने मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया (उपक्रम का अभिग्रहण) अधिनियम, 1966 (1966 का 36 वां) की अनुसूची में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के अनुसार मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया को उसके उपक्रम के अभिग्रहण किये जाने के कारण दिये जाने वाले मुआवजे की राशि का निर्धारण कर लिया है। मुआवजे की राशि का हिसाब लगाने के लिये मैटल कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा, अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत अपनी सभी सम्पत्तियों तथा परिसम्पत्तियों और कम्पनी की सभी देयताओं तथा आभारों की पूरी सूची सरकार को दिये जाने का पर्याप्त समय तक इन्तजार कर लेने के पश्चात् तथा कम्पनी के उसके देने में असफल रहने के कारण से, निर्धारण का कार्य, उपलब्ध किताबों, दस्तावेजों तथा अन्य सम्बद्ध सामग्री के आधार पर, जितनी जल्दी संभव हो सकता था उतनी जल्दी पूरा किया गया। निर्धारण में पर्याप्त जटिलताएं तथा कार्य की अधिकता अन्तर्ग्रस्त थी। मुआवजे के रूप में कम्पनी को 28 जून, 1968 को 211,69 लाख रुपये की राशि की आफर दी गयी थी और उन की स्वीकृति की प्रतीक्षा है। निर्देशित 32 करोड़ रुपये के दावे के सम्बन्ध में तथ्य यह है कि सरकार को कम्पनी से इस प्रकार का कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

EXTENSION OF BROAD GAUGE LINE FROM KALKA TO PARMANU AND ENLARGEMENT OF KANDRORI RLY. STATION (N. RLY.)

6109. SHRI HEM RAJ: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have received any representation from the Himachal Pradesh Government to extend the Broad Gauge line from Kalka to Parmanu on the Kalka—Simla Section;

(b) whether Government have also received any proposal from the Himachal Pradesh Government that the Kandrori Railway Station on the Jullundur—Pathankot section be enlarged for goods and passenger traffic; and

(c) if so, whether Government propose to survey them and, if so, when?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) and (b). Yes.

(c) There is no justification at present for the extension of Broad Gauge line from Kalka to Parmanu and hence no survey is proposed to be undertaken. As regards the enlargement of Kandrori Railway Station, an assessment of the additional facilities that may be needed, at this station in the event of its full development by Himachal Pradesh Government has already been made.

DONATIONS TO POLITICAL PARTIES

6110. SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHURY: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the total amount donated by the companies to political parties during the last three years, party-wise and year-wise; and

(b) how much of the above was donated by companies in which the Life Insurance Corporation of India, Industrial Finance Corporation of India, Unit Trust and similar public sector organisations have shares?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) The financial years of all companies do not cover the same period. It is, therefore, not possible to indicate the amount of contributions made during any specified period. However, a statement indicating contributions disclosed in

the profit and loss accounts filed by companies with the Registrars of Companies during the period from the 1st March, 1965 to the 29th February, 1968 is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT.—1925/68].

(b) Information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

ISSUE OF INDUSTRIAL LICENCES

6111. SHRI JUGAL MONDAL: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many industrial licences have been issued during the last three years to the following:

(1) Mafatlal Group of Industries;

(2) Lal Bhai Sara Bhai Group;

(3) Larsen and Toubro Group; and

(4) Tata Group of Industries;

(b) the value of those licences;

(c) the number of licences used and those remaining unused out of the aforesaid licences;

(d) whether any complaints have been received against the said commercial establishments during the last three years; and

(e) if so, the nature thereof and whether any action has been taken thereon?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

PRODUCTION OF LIGHT COMMERCIAL VEHICLES

6112. SHRI JUGAL MONDAL: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether some more firms are being licensed for producing light commercial vehicles of which there is a great shortage in the country; and

(b) if so, the number thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) No.

(b) Does not arise.

ISSUE OF INDUSTRIAL LICENCES

6113. SHRI KASHI NATH PANDEY: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many industrial licences have been issued to the following commercial establishments during the last four years;

(1) Birla Group of Industries;

(2) Sahu Jain Group;

(3) Simpson Group of Industries;

(4) Walchand Group of Industries; and

(5) Kamani's Group of Industries;

(b) the value of those licences;

(c) the number of licences used and those remaining unused out of the aforesaid licences;

(d) whether any complaints have been received against the said commercial establishments during the last four years; and

(e) if so, the nature thereof and whether any action has been taken thereon?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENTS AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

FOREIGN CONTROLLED COMPANIES IN INDIA

6114. SHRI D. N. PATODIA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the foreign controlled Companies in India were not so adversely affected by the recession than the Indian controlled companies; and

(b) whether it is also a fact that earnings of the foreign controlled firms, both before and after recession, were more than the Indian controlled firms ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) Recession has mainly affected the engineering industries especially the heavy engineering industries producing items like machine tools, structurals, steel castings, railway wagons etc. Foreign controlled companies among these industries constitute only a very small percentage. Recession was mainly caused by lack of orders, which should have affected both foreign controlled and Indian companies equally.

(b) The information that is being collected from firms is not adequate to permit of such a detailed comparative study.

CONSULTATIVE GROUPS OF INDUSTRIALISTS

6115. SHRI D. N. PATODIA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Deputy Chairman of the Planning Commission is reported to have suggested that small groups consisting of industrialists be constituted for frequent consultations in formulation of the programmes for the development of the industry ;

(b) whether such groups have been formed ; and

(c) the different industries that have been represented in the group ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) Yes, Sir.

(b) Not yet.

(c) Does not arise.

FAST TRAIN FROM NEW DELHI TO AMRITSAR

6116. SHRI SURAJ BHAN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to introduce a new fast train named 'Golden Temple' between New Delhi and Amritsar ;

(b) whether there is also any proposal to run the De-luxe train to and from Amritsar on all week days ; and

(c) if so, whether the Railway authorities propose to change the route of the Flying Mail from the present *via* Karnal to *via* Saharanpur ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) No.

(b) No.

(c) There is at present no proposal to change the existing route of 27/28 Flying Mails.

IMPORTS FROM RUPEE-PAYMENT COUNTRIES

6117. SHRI LOBO PRABHU : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) the break-up of the items of imports from the rupee payment countries during the last year ;

(b) the excess payment made last year on account of their prices being above the world level ;

(c) the items in short supply in India which were exported ; and

(d) how is the adverse balance of trade going to be met by the Communist countries ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) A break up of major items of imports from rupee payment countries during 1967-68 is given in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—1926/68.]

(b) Comparison of prices is only possible when purchases are made through a centralised agency as in the case of Government departments. As there is large number of private import licences, the information asked for is not available. It may, however,

be stated that so far as Government purchases are concerned prices are scrutinised by Price Negotiating Committees.

(c) The quantum of exports of various commodities is determined taking into account, among other things, domestic requirements and supply position in the internal market.

(d) Under bilateral trade arrangements exports and imports have to match each other over a period of time. The actual figures of trade at a given point of time may indicate an adverse balance, but this is no more than an apparent imbalance. Credit repayments for the various projects and instalments for large quantities of machinery supplied on deferred payment system by some of these countries also earn substantial funds for them and to that extent cover the gap between imports and exports.

IDLE CAPACITIES IN THE PUBLIC AND PRIVATE SECTORS

6118. SHRI LOBO PRABHU: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the current percentage of idle capacities in the public and private sectors respectively;

(b) the current percentage of surplus labour in the public and private sectors;

(c) whether Government have made any examination of extending the market by reducing prices through exemption of taxes on production above the average; and

(d) alternatively whether Government are considering working off the surplus labour by increasing the number of shifts?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) It is not feasible to give a percentage which would apply uniformly for all units of the several industries in the Public Sector or in the private sector. Information regarding the installed capacity and production is being published regularly in the "Monthly Statistics of the Production of Selected Industries in India".

(b) No information is available on this point.

(c) One of the principal objectives of the tax policy is to encourage industrial production and towards that end Government has adopted various measures. These include tax credit certificates in the form of grant of tax credits for increased production in selected industries at a rate not exceeding 25% of the Central Excise duty on the excess production and tax credit in relation to increase in tax liability of companies calculated at 20% of the additional income tax liability over that in the base year.

(d) no such proposal is under Government's consideration.

RAILWAY BOARD

6119. SHRI LOBO PRABHU: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether he recently mooted a proposal for interposing a Secretariat between himself and the technical heads in the Railway Board; and

(b) since other Ministries doing technical and commercial work have such Secretariats, what are the objections to such a Secretariat in the Railway Ministry?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) No.

(b) The existing management-*cum*-technical set-up of the Railway Board is considered well suited to run a concern like the Railways. However, a Study Team appointed by the Administrative Reforms Commission is currently examining the administrative and financial arrangements for the working of the Indian Railways.

REMOVAL OF CONTROL ON CLOTH

6120. SHRI MANIBHAI J. PATEL: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the Textile Reorganisation Committee has recommended the

scrapping of the present partial control on the production and prices of cloth; and

(b) if so, Government's reaction thereto?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) Yes, Sir.

(b) The Government have not yet examined the recommendations of the Textile Reorganisation Committee.

PUBLIC SECTOR INDUSTRIES IN MYSORE

6121. SHRI S. A. AGADI: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the State-wise investment made in the public sector industries in the country till 1967-68;

(b) whether it is a fact that the Government of Mysore are repeatedly approaching for the establishment of public sector industries in the State; and

(c) if so, what industries are being started or proposed to be started in the Mysore State and at what stage the matters are pending?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) statement showing Statewise investment made on the central industrial projects during the period 1951-1968 is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1927/68]

(b) Yes, Sir. The Government of Mysore has been requesting the Government of India from time to time to set up more central industrial projects in the State.

(c) A decision on the location of new central industrial projects in the Mysore State will be taken at the time of finalisation of the Fourth Five Year Plan.

VEGETARIAN REFRESHMENT ROOM AT MIRAJ RAILWAY STATION

6122. SHRI S. A. AGADI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the departmentally-run Vegetarian Refreshment Room at Miraj Railway station on the South Central Railway is earning a profit;

(b) if so, the net profit earned during the years 1966-67 and 1967-68; and

(c) whether it is a fact that the Railway Board has decided to close down this departmentally-run Refreshment Room and to hand over the same to a private contractor without calling for applications and/or tenders from the public?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes.

(b) The net profit earned in 1966-67 was Rs. 12,002. Audited accounts for 1967-68 are not yet available.

(c) A proposal to hand over the Vegetarian Refreshment Room to a contractor has been considered but it has been decided to maintain the *status quo*.

EXPORT OF JUTE GOODS TO CUBA

6123. SHRI K. M. KOUSHIK: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no export of Indian made jute and hesian bags to Cuba from our country;

(b) if so, since how many years; and

(c) whether India stopped exporting these commodities to Cuba or that country stopped importing from us?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) to (c). Cuba is not importing jute goods from India since 1966-67.

EXPORT OF KYANITE

6124. SHRI INDER J. MALHOTRA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) the number of units engaged in the processing of raw kyanite for export;

(b) the amount of foreign exchange earned from the export of processed kyanite during the last three years;

(c) the amount of foreign exchange earned by exporting raw kyanite during this period with the quantity exported;

(d) whether it is a fact that several processing units are not receiving supplies of raw kyanite; and

(e) if so, the action taken by Government to ensure regular supplies of raw material for better export earnings?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) There are no units in the organised sector for processing of raw kyanite for export. Information on the number of small units is not available.

Some of the refractory manufacturers have installed calcining facilities. Calcined Kyanite produced by them is mostly used by them. Export of processed Kyanite is negligible.

(b) and (c). Figures of exports of kyanite for the last 3 years are given below:—

| Year | Quantity (Lakh tonnes) | Value lakhs (in Rs.) |
|---|---|---|
| 1965 | 0·31 | 74·9 |
| 1966 | 0·36 | 110·9 |
| 1967 | 0·41 | 158 |

Export figures separately for raw and processed kyanite are not indicated in the Export Trade Accounts.

(d) and (e). The refractory producers have represented that they are experiencing difficulties in obtaining raw or calcined kyanite for utilising their production capacity to the full. This representation is at present under consideration of Government.

16—5LSD/68

IMPORT OF EQUIPMENT FOR CHEMICAL PROCESS

6125. SHRI INDER J. MALHOTRA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the value of equipment imported for chemical processes during the last five years;

(b) the capacity installed in India for manufacturing equipment for chemical processes and its utilisation;

(c) whether it is a fact that in the face of idle capacity in India, equipments have been allowed to be imported causing further imbalance; and

(d) if so, the steps being taken to substitute imports by indigenous products?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) As the equipment for chemical processes is not separately classified in the Indian Trade Classification, import figures are not available.

(b) At present 43 units are in production having a total annual installed capacity of approximately Rs. 1,180 lakhs.

(c) Normally such of the items required for various types of chemical plants and are manufactured in the country are not cleared for import from the indigenous angle. However, their import is considered on merits by the DGTD or other Sponsoring Authority, on account of any one of the following reasons:—

(i) The delivery period is too protracted to suit the party's requirements.

(ii) The technical specifications offered by the indigenous manufacturers do not suit the indentor/user's requirements.

(iii) The indigenous manufacturers will be in a position to manufacture the items provided designs and detailed shop drawings are provided by the inden-

tor/user, but the latter is not in a position to supply the necessary designs and shop drawings.

(iv) Where the equipment proposed to be imported is patented or is of a proprietary nature and the foreign supplier is not prepared to divulge the know-how/designs and drawings.

(v) The foreign exchange required for import of *components* needed by the indigenous manufacturer to fabricate a particular item is nearly the same as the foreign exchange required for the import of the complete item.

(d) The possibility of substitution of imports is kept under constant review, and efforts are made to create capacity either in the public or private sector to undertake manufacture of such of the items as are not being manufactured in the country at present.

ASSAM COAL

6126. SHRI INDER J. MALHOTRA: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether the Study Group on Assam Coal has conducted its study and submitted a Report;

(b) if so, the main recommendations in regard to the suitability and use of Assam Coal in steel, cement and sugar industries;

(c) the possibilities of extracting sulphur from Assam Coal; and

(d) the possibilities of exporting Assam Coal to Japan?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) Yes, Sir. the Study Group has submitted an Interim Report.

(b) The Report indicates that hard coke satisfying the physical and chemical characteristics of blast furnace coke but with marginally higher sulphur content, can be manufactured with the use of 10%—15% Assam coal in the blend. The findings are required to be confirmed by a full scale blast furnace trial and it has been recommended that the trial should be carried out in one of the blast furnaces of the Durgapur Steel Plant. It has been further recommended that the Durgapur Steel Plant should use, at the first instance, 5% Assam Coal in blend and gradually raise the percentage to optimum. Further, the Bokaro Steel Plant should consider the use of 10%—15% Assam Coal in their coking blend.

The result of using Assam Coal in a sugar factory and in the new shaft kiln process for manufacturing cement are to be studied.

(c) and (d). The possibilities have to be further studied.

MINING AND ALLIED MACHINERY CORPORATION

6127. SHRI INDER J. MALHOTRA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the installed capacity of the Mining and Allied Machinery Corporation for the manufacture of mining machinery;

(b) the capacity utilised;

(c) the extent of loss suffered by the Corporation since it was set up; and

(d) when the Corporation hopes to break-even?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) The plant has been designed to manufacture, when in full production, 45,000 tonnes of various items of Coal Mining Machinery and Allied products. This capacity will, however be reached only over a period of years. The capacity during 1968-69 is estimated at 10,000 tonnes.

(b) The total load of work in hand is about 30,864 tonnes, which has to

be executed within 1970-71. The total production capacity for the next three years is about 42,000 tonnes. This leaves a spare available capacity of about 11,136 tonnes, within the next three years, whose approximate value will be Rs. 6.0 crores.

(c) The total loss incurred up to 31-3-1967 was Rs. 714.30 lakhs. During 1967-68 the loss has been provisionally estimated at Rs. 565 lakhs.

(d) On the assumption that the full capacity will be utilised, the plant is likely to break-even by 1973-74.

MOVEMENT OF COAL BY RAIL

6128. SHRI INDER J. MALHOTRA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the producers and suppliers of coal are dissatisfied with the working of the procedure adopted for the movement of coal after its decontrol ; and

(b) whether the Railways have analysed their difficulties and grievances and tried to work out more satisfactory programme for the movement of coal in all directions ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) No. The procedure was discussed with the coal industry and trade before introduction and is in essence the same as existed prior to decontrol. Criticism is voiced and varying views are expressed in meetings from time to time but this was so also even in meetings prior to decontrol.

(b) Periodical meetings at various levels are held by the Ministry of Railways with the coal industry and trade and State Governments and such suggestions as are feasible and commonly acceptable adopted. No alternative concrete proposal or suggestion has been made by any one in replacement of the existing procedure. Discussions in periodical meetings at different levels help in settling divergent views expressed and finding solution to difficulties arising from time to time.

KALKA MAIL

6129. SHRI S. S. KOTHARI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Kalka Mail going to Howrah is brought to the platform at Delhi Main Station about two hours prior to departure but the compartments are not opened till half an hour prior to such departure time thereby causing harassment to passengers who have to wait on the platform and particularly to coolies who have to wait for this length of time without being able to take up any other job ;

(b) if so, what steps Government propose to take to rectify the situation ; and

(c) whether it is a fact that the delay in opening of the compartments is being deliberately done owing to the coolies having ceased to give illegal gratification to the station staff for opening the compartments early and whether Government would take necessary steps against the officials responsible for this state of affairs?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) Delhi-Howrah coaches to be attached to Kalka Mail going to Howrah are brought to Platform at 6 A.M. whereas the departure time of the train is 8 A.M. The coaches are kept locked until these are attached to the train at about 7 A.M. after its arrival from Kalka. No harassment is caused because passengers do not normally come to the station more than one hour before the departure time of the train. Further, compartments are not opened earlier so as to obviate misuse particularly of lavatories by other than *bona fide* passengers and also to avoid theft of carriage fittings.

(b) For reasons explained in (a) above, it is not proposed to change the existing arrangements.

(c) No. This is not correct.

NEW RAILWAY LINES ON SOUTH-CENTRAL RAILWAY

6130. SHRI V. NARASIMHA RAO: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to open three new Railway lines on the South Central Railway;

(b) the distance of the new Railway lines and their importance if they are opened; and

(c) what are the major items of transport from these new Railway lines and the expected income per year?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) No.

(b) and (c). Do not arise.

MANUFACTURE OF SCOOTERS

6131. SHRI V. NARASIMHA RAO: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Andhra Pradesh Industrial Development Corporation submitted to the Government of India an application for the manufacture of scooters;

(b) if so, the main features thereof;

(c) the action taken by Government thereon; and

(d) whether it is a fact that Government are again re-examining the question of issue of industrial licences for scooters?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) and (b). An application for the manufacture of scooters was received from the Andhra Pradesh Industrial Development Corporation in July, 1965. The scheme envisaged the manufacture of 125 c.c. scooters with a capacity of 60,000 Nos. per annum in collaboration with a Belgian firm. The requirements of capital goods were estimated at Rs. 175 lakh of which imported equipment was valued at Rs. 85 lakhs. The ex-factory selling price of the proposed vehicle was indicated as Rs. 1700 to Rs. 1750.

(c) The scheme was considered along with other similar schemes but was not considered suitable and was finally rejected in November, 1967.

(d) Government have decided to license one additional scooter manufacturing unit of a suitable economic capacity.

SALE OF FAKE RAILWAY TICKETS AT KANPUR STATION

6132. SHRI SURAJ BHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that fake railway tickets of the value of over Rs. 2,000 were sold at Kanpur Central Station during the months of June and July, 1968; and

(b) if so, what action has been taken by Government to prevent such frauds in future?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) A case of sale in July, 1968, of suspected fake IIIrd Class Mail/Express journey tickets ex. Kanpur Central to Delhi is under investigation.

(b) Checks to prevent such malpractices have been intensified.

EXPORT OF CLOTH TO U.K.

6133. SHRI S. K. TAPURIAH: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Textile Export Promotion Council has recently recommended a scheme for the export of cloth to U.K. whereunder export houses would be given quotas for the export of 75 per cent based on the last two years' performance and the remaining 25 per cent would be open for giving to the highest price cloth seller in U.K.;

(b) whether Government have considered that the said scheme is likely to benefit only the big export

houses, while the textile mills would continue to remain in bad condition;

(c) if so, the decision taken on the said recommendation; and

(d) the alternative scheme drawn out for export of cloth to U.K. with a view to relieving the textile industry of the glut they are facing and minimising monopolisation by export houses to the detriment of the small textile mills?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) to (d). The Cotton Textiles Export Promotion Council has formulated a scheme for the allocation of quota for export of cotton cloth including made-ups to the U.K. during the year December 1, 1968 to November 30, 1969. The scheme *inter alia* envisages—

(i) reservation of 85% of the quota for allocation to established exporters on the basis of their past performance;

(ii) reservation of 10% of the quota for allocation to new textile mills and new exporters; and

(iii) throwing open to all 5% of the quota on the basis of highest price realisation.

The C.T.E.P.C. reports that while formulating the scheme it has kept all relevant factors in view and it expects that the scheme will satisfy the various parties interested in export of cotton textiles to the U.K. Government will take a final view of the scheme shortly.

SHORTAGE OF MOTOR TYRES IN CALCUTTA

6134. SHRI BENI SHANKER SHARMA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a large-scale black trade is going on in motor tyres in Calcutta;

(b) if so, the steps taken to check the same; and

(c) the steps proposed to be taken to see that motor tyres which are produced in Greater Calcutta are freely available.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) Representation have recently been received about the non-availability of car and truck tyres in Calcutta at prices fixed by the Tyre Companies.

(b) The Tyre Companies have been advised to step up the production of car and certain categories of truck tyres which are in short supply. As regards scooter, tractor and car tyres, these have already been declared as "essential commodity" under the Essential Commodities Act.

(c) Government have no proposal to regulate the distribution of tyres produced by individual units on regional basis.

REMOVAL OF TRUCK-ADDA FROM GRAVEYARD NEAR MALKAGANJ, DELHI

6135. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA:

SHRI JUGAL MONDAL:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5478 on the 22nd December, 1967 and state:

(a) whether the said Truck-adda has been removed from the graveyard near Malkaganj, Delhi; and

(b) if not, the reasons for the delay when the House had been assured three years back that the 'Truck-adda' was being removed shortly?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) No, Sir.

(b) Delhi Waqf Board has been taking all measures under the Waqf Act, 1954 to get this occupation vacated. The lease had been given to the

Truck Union by the Secretary, Anjuman-e-Raiyan, Delhi. On receipt of information, the Delhi Waqf Board had served a notice on the Secretary of the Anjuman. The Delhi Waqf Board had also referred the matter for enquiry by the Waqf Commissioner under Section 4 of the Waqf Act, 1954, who declared the said graveyard to be under the management of Secretary, Anjuman-e-Raiyan, Delhi. The term of lease agreement executed between the Truck Union and the Anjuman-e-Raiyan is to expire by the end of this month. The Secretary of the Anjuman-e-Raiyan has been directed by the Delhi Waqf Board not to renew the lease agreement and to remove the possession of the Truck Union from the graveyard.

M/s. HINDUSTAN SAFETY GLASS WORKS LTD., CALCUTTA

6136. SHRI R. BARUA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 9995 on the 7th May, 1968 and state:

(a) what action has been taken on the representation made to his Ministry by M/s. Hindustan Safety Glass Works Ltd., Calcutta; and

(b) whether the manufacture of Safety Glass by this Company will be with the collaboration of some foreign firm?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F.A. AHMED): (a) The manufacture of safety glass does not attract the provisions of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951. However, M/s. Hindustan Pilkington Glass Works Ltd., Calcutta, have been advised to ensure supply to the other manufacturers of safety glass of quality sheet glass at reasonable prices and in adequate quantities.

(b) No such proposal has been received by Covernment.

HINDUSTAN PILKINGTON CO.

6137. SHRI KASHI NATH PANDEY: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 10050 on the 7th May, 1968 and state:

(a) whether the Hindustan Pilkington Company has started the manufacture of safety glass;

(b) whether they have approached Government for the import of machinery; and

(c) if, so, Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) So far as Government are aware, the firm has made necessary arrangements for the manufacture of safety glass, which is not an industry requiring an industrial licence.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

EXPORT OF COTTON PIECE GOODS

6138. SHRI K. P. SINGH DEO: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that India's exports of cotton-piece goods to Indonesia and other countries have considerably increased during the last three years;

(b) if so, the extent to which the increase has been registered, giving the names of the countries; and

(c) the amount of foreign exchange earned therefrom?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) to (c). The names of the countries where there has been an increase in the exports of cotton piecegoods, along with the quantity and value of the exports during the last three years, are given in the following statement:—

| | 1965 | | | 1966 | | | 1967 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Qty. Lakh sq. Mtrs. | Lakh Rs. | Lakh US $ | Qty. Lakh sq. Mtrs. | Lakh Rs. | Lakh US $ | Qty. Lakh sq. Mtrs. | Lakh Rs. | Lakh US $ |
| Indonesia | 36·7 | 34·6 | 7·2 | 0.7 | 0·8 | 0·1 | 112·0 | 154·6 | 20.4 |
| Sudan | 305·4 | 169·7 | 35·5 | 214·7 | 191·4 | 31·0 | 363·3 | 431·4 | 56·9 |
| U. K. | 1341·2 | 1252·7 | 261·8 | 1105·9 | 1207·8 | 196·5 | 1481.7 | 2090·3 | 275·9 |
| U. S. A. | 341·3 | 278·4 | 58·2 | 525.3 | 599·1 | 91·5 | 413.2 | 713·4 | 94·2 |
| Thailand | 0·4 | 0·8 | 0·1 | 0·4 | 1·1 | 0·2 | 1·2 | 2·7 | 0·4 |
| Saudi Arabia | 80.7 | 48·1 | 10·1 | 51·1 | 35·1 | 6·1 | 77.7 | 82·2 | 10·8 |

DUTY LIST OF STAFF WORKING IN FOREIGN TRAFFIC ACCOUNTS OFFICE, WESTERN RAILWAY, DELHI

6139. SHRI C. K. CHAKRAPANI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to lay on the table a copy of the duty list of the staff working in the Foreign Traffic Accounts Office, Western Railway, Delhi, showing against each name in details the quantum of work and the man-days required ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): The information asked for is very voluminous and is not readily available. The labour involved in its compilation will not be commensurate with the results achieved.

DUTIES OF CLERKS GRADE I AND II IN THE RAILWAY TRAFFIC ACCOUNTS OFFICES

6140. SHRI K. ANIRUDHAN: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8180 on the 23rd April, 1968 and state:

(a) whether the information regarding the duties performed by Clerks Grade I and Clerks Grade II, respectively in the Traffic Accounts Offices of the Indian Railways has since been collected ;

(b) if not, the reasons for the delay ; and

(c) when it is likely to be made available ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes. Clerks Grade I are entrusted with more important work requiring interpretation and application of rules and regulations in dealing with cases, maintenance of accounts registers, auditing of bills, etc. Clerks Grade II are required to attend to duties of a routine nature such as preparation of vouchers and bills etc., routine correspondence, receipt and despatch work, etc.

(b) and (c). Do not arise.

BOKARO STEEL PLANT

6141. SHRI YOGENDRA SHARMA: Will the Minister of STEEL, MINES AND METALS be pleased to state:

(a) whether the authorities of the Bokaro Steel Plant have decided to return the services of Shri A. J. Bahadur, Senior Security Officer, to the Government of Bihar ;

(b) whether Shri L. K. Jha, Construction Engineer has been dismissed from service in the aforesaid Plant, and

(c) whether such action has been taken because these officials pursued a theft case in the Plant ?

THE DEPUTY MINISTER IN MINISTRY OF STEEL, MINES & METALS (SHRI RAM SEWAK): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) In case of Shri L. K. Jha, action has been taken as per findings of the Enquiry Committee constituted to enquire into the allegations of theft, and came to the conclusion, that the allegation of theft was *mala-fide* one. As for Shri Bahadur, there were other considerations which weighed with the Management of the Bokaro Steel and the State Government in posting him elsewhere.

TYPEWRITER MANUFACTURING COMPANIES

6142. SHRI YOGENDRA SHARMA : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) how many Indian Typewriters manufacturing companies are functioning in India and what are their names, location and installed capacity ;

(b) whether these manufacturers have complained that they are denied encouragement and incentives in developing this industry ; and

(c) whether Government are considering any proposal of a foreign company to manufacture portable typewriters in India ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F.A. AHMED) : (a) A statement is attached.

(b) No specific complaint has been received from the Typewriter manufacturers that they were denied encouragement and incentives in developing this industry.

(c) A proposal from M/s Remington Rand of India Limited for manufacture of portable typewriters in collaboration with M/s Sperry Rand Corporation, New York, is under consideration.

STATEMENT

1. There are four typewriter manufacturers in the large scale sector and their names, location and their Licensed capacity are given below :—

(i) M/s. Remington Rand of India Ltd., Location: Calcutta. Annual licensed capacity: (36,000 nos) (on double shift).

(ii) M/s. Godrej & Boyce Mfg. Co. Pvt Ltd., Location: Bombay Annual licensed capacity: 24,000 nos. (on single shift).

(iii) M/s. Rayala Corporation Pvt. Ltd. Location: Madras. Annual licensed capacity: 20,400 nos. (on single shift).

(iv) M/s. J. K. Business Machines Ltd., Location: Calcutta. Annual licensed capacity: 12,000 nos (on single shift).

TOTAL ANNUAL LICENSED CAPACITY AS ABOVE: 92,400 nos.

2. Besides, there is one company in the small scale sector (i.e.)

M/s. Quality Office Appliances (P) Ltd., Location: Bahadurgarh (Haryana)

Approved installed capacity— 2,000 nos.

M/S. COOPER ALLEN COMPANY OF KANPUR

6143. SHRI P. RAMAMURTI :
SHRI MOHAMMAD ISMAIL :
SHRI K. RAMANI :
SHRI E. K. NAYANAR :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 424 on the 23rd July, 1968 and state :

(a) whether Government have examined the Inspector's Report regarding certain serious allegations against the management of M/s Cooper Allen Co. of Kanpur ;

(b) if so, the details of the Inspector's report and the action taken thereon ; and

(c) if not, when the examination is likely to be completed and the reasons for the delay ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (c). Preliminary examination of the Inspector's Report has been completed. Possible

lines of action are under consideration. Hence it will not be in the public interest to disclose the details of the Inspector's Report at this stage.

NEWSPRINT FACTORY IN KERALA

6144. SHRI P. GOPALAN:
SHRI C. K. CHAKRAPANI:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to set up a newsprint factory in Kerala;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the production capacity and location of the proposed factory?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT & COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (c). Yes, Sir. A feasibility report has been prepared for a newsprint plant in Kerala, with annual capacity of 75,000 tonnes. The report is under consideration of Government. No decision about its exact location or its implementation has so far been taken.

CEMENT FACTORY IN ASSAM

6145. SHRI BEDABRATA BARUA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have decided to locate a cement factory in Assam in the Public Sector;

(b) whether the site for the factory has been selected; and

(c) if so, when the construction is expected to start and the time by which it is likely to be completed?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) Not yet, Sir.

(b) A proposal for a factory at Bokajan in Assam is still under consideration.

(c) Does not arise.

17—51 LSD/68

NEWSPRINT FACTORY IN ASSAM

6146. SHRI BEDABRATA BARUA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it has been decided to start a Newsprint Factory in the public sector in Assam;

(b) if not, whether a decision has been taken to start a paper pulp factory in Assam;

(c) if so, whether the project report is ready; and

(d) when the work is expected to be started?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

FREE PASSES FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES

6147. SHRI M. L. SONDHI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1708 on the 30th July, 1968 regarding Free Passes for Railway Employees and state the reasons for not allowing this concession to all the Central Government servants as stated in the aforesaid reply, if no funds are necessary for the issue of free passes for Railway employees?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): The privilege of free passes has been given to Railway employees ever since the inception of the Railways in India. Similar concessions are allowed to Railway employees in other countries also. Other transport undertaking like Shipping Companies, Air Lines etc. also give similar facility to their staff. What was conveyed in the answer to part (c) of Unstarred Question No. 1708, referred to by the Hon'ble Member, was that no funds were provided in the Budget for the issue of passes to Railway employees, which did not

imply that such free passes could be extended to other Central Government servants without financial effect.

The Second Pay Commission had an occasion to review the question of liberalising the existing leave travel concessions to other Central Government servants also and had recommended that the basic structure of the Scheme should remain unaltered. The extension of this concession to Government servants other than Railway employees would involve financial liability to a considerable extent.

COMPANY LAW BOARD

6148. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA:
SHRI JUGAL MONDAL:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of (i) Inspections, (ii) Investigations and (iii) Prosecutions ordered by the Company Law Board during the year 1966, 1967 and the first six months of 1968; and

(b) the names and addresses of the companies in whose cases these were ordered and the reasons therefor?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* NO. LT--1928/68.]

REMUNERATION OF DIRECTORS

6149. SHRI KASHI NATH PANDEY:
SHRI R. BARUA:

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) Whether any sanctions under Section 309 of the Companies Act have been given by the Company Law Board during the last three years and the first six months of 1968 permitting remuneration of Directors exceeding Rs. 5,000 per month and, if so, the details thereof and the reasons for the same;

(b) whether these are free of Income Tax and if so, the reasons therefor; and

(c) whether any complaints have been received by the Board against remunerations exceeding the optimum of Rs. 5.000 per month and the names of such companies?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) Yes Sir. A statement is placed on the table of the House. [*Placed in Library. See No.* LT--1929/68]. Such sanctions have been given in accordance with the provisions of Sec. 309(3) of the Companies Act whereby a company can pay to its managing director or wholetime director a total remuneration upto 5% of net profits and, if there be more than one such directors, 10% of net profits to all of them together. It is within these statutory limits that the remuneration is normally sanctioned to the working directors of various companies even though in some cases it might exceed Rs. 5,000 per month. In fixing the remuneration the Company Law Board takes into consideration various aspects such as the size of the company, its turnover, profit position, qualifications and experience both technical and administrative of the director concerned as also the nature of the duties which would devolve on him as a managing or wholetime director.

(b) Under the provisions of Section 200 of the Companies Act, 1956, companies are prohibited to pay to their officers or employees (including directors) remuneration free of any tax. The question, therefore, of sanctioning Income Tax free remuneration under the provisions of Companies Act 1956 does not arise. However, under the provisions of Section 10(6) (vii) of the Income Tax Act, 1961 the concerned administrative Ministries are empowered to sanction remuneration free of Income Tax to foreign technicians and in cases where

such a technician is also the director of a company, he will get such tax free remuneration, as the said provisions of Income Tax Act, 1961 supersede the provisions of Section 200 of the Companies Act, 1956.

(c) There is nothing like an optimum remuneration of Rs. 5,000 per month. Complaints, however, were received in a few cases against sanctioning high remuneration. The companies concerned were M/s. Greaves Cotton Ltd., Bombay; M/s. Crompton Greaves Ltd., Bombay; M/s. Larsen & Toubro Ltd; M/s. Rallis India Ltd., Bombay; M/s. Guest Keen Williams Ltd., Calcutta; M/s. Hindustan Lever Ltd., Bombay and M/s. Andhra Sugar Limited.

ALL-INDIA RAILWAY COMMERCIAL CLERKS' ASSOCIATION

6150. SHRI SHRI CHAND GOYAL:
SHRI A. S. SAIGAL:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether a deputation of the All India Railway Commercial Clerks' Association met him on the 8th May, 1967 at Ambala Cantt. and again at Delhi on the 27th April, 1968 and presented a charter of their demands;

(b) whether he assured the deputationists that their demands would be considered sympathetically before the 8th May, 1968.

(c) if so, the action taken so far on the demands; and

(d) whether it is also a fact that the decategorised transportation staff is being absorbed in the Commercial Category affecting the seniority of the latter?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) to (c). Though no representations were received on the dates mentioned, representations on behalf of the Commercial Clerks on the Indian Railways have been received from different sources on a number of occasions. They have been examined and action, as is appropriate, has been, or is being, taken.

(d) Since it is mandatory for the Railways to provide alternative jobs to the medically decategorised staff, their absorption against posts in commercial or any other Department, for which they are found suitable, cannot be avoided. The matter is, however, being further looked into.

ABSORPTION OF TRANSPORTATION STAFF IN COMMERCIAL STAFF CATEGORY

6151. SHRI SHRI CHAND GOYAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) the number of decategorised transportation staff which has been absorbed in the Commercial Staff Category during the last two years; and

(b) the other avenues open to the decategorised transportation staff and the number of decategorised staff which has been absorbed in the other categories.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

ABSORPTION OF TRANSPORTATION STAFF IN COMMERCIAL CATEGORY

6152. SHRI SHRI CHAND GOYAL: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state whether the absorption of the decategorised transportation staff in the Commercial Category has given rise to a tendency in the Station Masters and Assistant Station Masters to get Medical Certificates of being unfit specially of colour blindness in order to get jobs in the Commercial Categories?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): Though such a tendency specifically on the part of Station Masters and Assistant Station Masters has not come to notice so far, Government are aware of the fact that there have

been a few cases of Railway Staff where the individuals deliberately allowed themselves to fail in the colour perception test in the hope of getting alternative posts which are attractive to them. Orders have been issued which will eliminate such cases of malingering.

**इण्डियन रेलवे केटरिंग को-आपरेटिव सोसाइटी, जोधपुर को ठेका**

6153. **श्री० प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं, जिनके लिये पेय जल और खाद्य पदार्थों के ठेके उत्तर रेलवे द्वारा इन्डियन रेलवे केटरिंग को-आपरेटिव सोसाइटी, जोधपुर को 1962 से 1968 तक दिये गये तथा ठेके की शर्तें क्या थीं ;

(ख) उस सोसाइटी के कुल कितने सदस्य हैं, उनके नाम और पते क्या हैं ;

(ग) क्या उस सोसाइटी के सदस्यों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिये कोई समुचित और निष्पक्ष जांच की गई है ; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों के सदस्यों के रूप में बनावटी और झूटे नाम दिखाये गये हैं जिसके द्वारा सोसाइटी के पदधारी उनके मंत्रालय को धोखा देते रहे हैं और यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गयी है।

**विवरण**

उत्तर रेल प्रशासन ने इंडियन रेलवे केटरिंग को-आपरेटिव सोसाइटी, जोधपुर को 1962 से 1968 तक के लिए 89 अप/90 डाउन दिल्ली-बीकानेर एक्सप्रेस गाड़ियों में भोजनयान का ठेका और पोकरन और जैसलमेर स्टेशनों पर स्टाल का ठेका सामान्य शर्तों पर दिया है। पोकरन और जैसलमेर स्टेशनों पर अभी स्टाल शुरु नहीं किये गये हैं। इस सोसाइटी के पास 1 जे०एस०बी०/4 जे०एस०बी० समदड़ी-भिलड़ी सवारी गाड़ियों का बुफेयान ठेका भी है जो 1960 में उसे दिया गया था और जिसका समय-समय पर नवीकरण किया जाता रहा है। पीने के लिए पानी का कोई ठेका इस सोसाइटी को नहीं दिया गया।

31-3-68 को इस सोसाइटी के 29 सदस्य थे। सदस्यों के नाम और ब्योरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि इससे पहले इस सोसाइटी के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया गया था, इसलिए इस सम्बन्ध में जांच करने का कोई अवसर नहीं आया।

इस सोसाइटी में सदस्यों के फ़र्जी नाम के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है। सोसाइटी के अध्यक्ष की घोषणा के अनुसार इस समय अनुसूचित जातियों के 4 सदस्य हैं। अनुसूचित जातियों के सदस्यों के होने के कारण इस सोसाइटी के प्रति कोई तरजीही व्यवहार नहीं किया जाता।

**बीकानेर एक्सप्रेस के साथ जोड़े गये बूफ़ेकार**

6154. **श्री० प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुलिस और सरकारी कर्मचारी आपस में मिलकर दिल्ली और बीकानेर के बीच चलने वाली बीकानेर एक्सप्रेस में लगाये जाने वाले उपहार-यान (बूफ़ेकार) में बीकानेर से दिल्ली तक दिल्ली से बीकानेर तक बिना टिकट यात्रियों को ले जाते हैं ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि एक बार इसी उपहार-यान से दिल्ली में नियन्त्रित वस्तुएं बरामद की गई थी जिन्हें अवैध रूप से ले जाया जा रहा था ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) ऐसा कोई मामला नोटिस में नहीं आया है।

(ख) 4-1-67 को लोहारू स्टेशन पर बूफेकार में अनुमेय सीमा से ब्रिटेनिया ब्रेड की 65 पेटियां अधिक पायी गयीं। बूफेकार-ठेकेकार के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गयी।

### अखबारी कागज का आयात

6155. **श्री हुकम चन्द कछवाय**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रति वर्ष अखबारी कागज का कितना आयात किया जाता है; और

(ख) सरकार उस पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च करती है?

**वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री० मोहम्मद शफी कुरशी)**: (क) तथा (ख). 1965-66 से 1968-69 (अप्रैल, 1968) की अवधि में आयात किये गये अखबारी कागज की मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित है :—

मात्रा मे० टनों में

मूल्य '000 (रु०) में

| मद | 1965-66 | | 1966-67 | | 1967-68 | | 1968-69 अप्रैल, 1968 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य | मात्रा | मूल्य |
| चमकदार अखबारी कागज | 4846 | 3892 | 2132 | 2732 | 2743 | 3250 | 160 | 177 |
| अन्य अखबारी कागज | 80405 | 57919 | 105260 | 121003 | 78867 | 91160 | 16606 | 18443 |
| योग | 85251 | 61811 | 107392 | 123735 | 81610 | 94410 | 16766 | 18620 |

**टिप्पणी**: 1966-67 के बाद के आंकड़े अवमूल्यन के पश्चात् की दर से हैं।

### Export of Woollen Hosiery Goods

6156. **SHRI BISHWANATH ROY**: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state whether there was some improvement in the export of the woollen hosiery goods during the year 1967-68 as compared to that exported in 1966-67?

**THE DEPUTY MINISTER IN MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI)**: Yes, Sir. The exports in 1967-68 were of the order of Rs. 3.73 crores compared to Rs. 2.63 crores in 1966-67.

### Taking over of K.C.T. Mills, Hubli

6157. **SHRI MOHSIN**: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Mysore Government have recommended taking over of the K.C.T. Mills, Hubli;

(b) whether it is also a fact that it is the only mill recommended for being taken over by Government from the Mysore State; and

(c) if so, Government's reaction thereto?

**THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE**

(SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

**राष्ट्रीय राज पथ संख्या 3 पर रेल का उपरि-पुल**

6158. **श्री बसवत** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे में बम्बई डिवीजन में राष्ट्रीय राजपथ संख्या 3 पर आसनगोन में उपरि-पुल बनाने के लिये धन नियत किया गया है ; और

(ख) उपरि-पुल का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) जी हां।

(ख) इस निर्माण-कार्य का जो अनुमान रेल प्रशासन ने महाराष्ट्र राज्य सरकार को जून, 1968 में भेजा था, उसका उक्त सरकार ने अभी तक अनुमोदन नहीं किया है। जैसे ही इस अनुमान का अन्तिम रूप से अनुमोदन हो जायेगा और राज्य सरकार पहुंचमार्गों पर अपने हिस्से का काम शुरु कर देगी, रेल प्रशासन भी पुल के निर्माण में अपने हिस्से का काम साथ ही शुरु कर देगा।

**कल्याण स्टेशन का पुनर्निमाण**

6159. **श्री बसवन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने वर्ष 1965-66 में रेलवे आयव्ययक में बम्बई डिवीजन के कल्याण स्टेशन पुनर्निर्माण कार्य शामिल किया था;

(ख) क्या इस कार्य को वर्ष 1969-70 के आयव्ययक में शामिल करने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) जी नहीं। लेकिन 1964-65 के निर्माण-कार्यक्रम में 12.82 लाख रुपये की प्रत्याशित लागत से उपनगरी गाड़ियों के लिए एक अतिरिक्त प्लेटफार्म बनाने और कल्याण यार्ड में अन्य परिवर्तन करने का काम शामिल किया गया था। इस काम में कल्याण स्टेशन की इमारत का निर्माण शामिल नहीं था।

(ख) जी नहीं।

(ग) कल्याण में स्टेशन की इमारत के ढांचे में प्रस्तावित परिवर्तन का काम कल्याण नगर की योजना से सम्बद्ध है। नगर की योजना के प्रस्ताव को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

**इगतपुरी-मनमाड सैक्शन का विद्युतकिरण**

6160. **श्री बसवन्त** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इगतपुरी -मनमाड सैक्शन का विद्युतीकरण कार्य इस बीच पूरा हो गया है ;

(ख) इस सैक्शन पर बिजली से चलने वाली गाड़ियां कब चलाई जायेंगी ; और

(ग) क्या जनता द्वारा की गई मांग को ध्यान में रखते हुए एक अक्तूबर 1968 से मनमाड बम्बई एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जायगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)**: (क) जी हां।

(ख) माल गाड़ियां पहले से ही बिजली रेल इंजनों से चलायी जा रही हैं। जब और रेल इंजन उपलब्ध होंगे तो सवारी गाड़ियां भी बिजली से चलायी जा सकेंगी।

(ग) जी नहीं। बम्बई-इगतपुरी खण्ड पर लाइन-क्षमता और बम्बई तथा मनमाड में टर्मिनल सुविधाओं के अभाव के कारण इस गाड़ी का चलाना सम्भव नहीं है।

SUPPLY OF WAGONS FOR LIFTING COIR GOODS FROM KERALA

6161. SHRI VASUDEVAN NAIR: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the difficulties experienced by the dealers in Coir goods in getting wagons to lift their goods from Kerala to places like Madras, Bombay and Calcutta ; and

(b) if so, the steps being taken to remove this difficulty ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) and (b). Considering the fact that coir traffic moves in the lowest priority category along with other general goods traffic, the clearance was up to the demands placed on the Metre Gauge and by and large satisfactory on the Broad Gauge, except for a shortfall in clearance in July 1968, due to the firemen's strike and the first few days of August 1968, as a result of the aftermath of the strike. During the period from 1st February to 20th August 1968, 1224 Broad Gauge and 139 Metre Gauge wagons were loaded with coir. In addition, 6200 quintals of coir were loaded as "smalls". Except for one representation received by the Southern Railway, there were no complaints about difficulties experienced in the clearance of this traffic.

PRODUCTION CENTRES IN KERALA

6162. SHRI VASUDEVAN NAIR: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have taken any final decision regarding the future reorganisation and set up of the Central Government Production Centre in Kerala State ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether the demands raised by the employees of the Production Centres have been considered by Government ; and

(d) if so, the result thereof ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : (a) and (b). The question of transfer of these Centres to the State Government of Kerala is under the consideration of Government.

(c) and (d). Demands relating to framing of service rules for Mistries, declaration of eligible Mistries as permanent against permanent posts, and contribution to welfare activities of the employees have been accepted.

**अकोना रेलवे स्टेशन (मध्य रेलवे) का लूटा जाना**

6163. **श्री जगेश्वर यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य रेलवे में बांदा-कानपुर सैक्शन पर अकोना रेलवे स्टेशन को हाल ही में लूटा गया था ;

(ख) यदि हां, तो लूटी गई नकदी तथा सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उन डाकुओं में कोई कुख्यात डाकू थे और यदि हां, तो उन की संख्या कितनी थी ;

(घ) स्टेशन मास्टर की सूचना के अनुसार कितने डाकुओं ने स्टेशन को लूटा था ; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनाएं न होने देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी हां।

(ख) 6-8-68 की रात को बन्दूकों से लैस 4 व्यक्तियों ने अकोना रेलवे स्टेशन पर डाका डाला और वे स्टेशन की तिजोरी से रेलवे के 121.50 रुपये और एक टिकट ट्यूब उठा ले गये। इसके अलावा वे जबरदस्ती दो सहायक स्टेशन मास्टरों का लगभग 155 रुपये का निजी सामान भी उठा ले गये। एक लुटेरा गिरफ्तार कर लिया गया

है और उसने दूसरे लुटेरों के नाम बता दिये हैं। पुलिस अब उनके पीछे लगी हुई है।

(ग) और (घ). पुलिस जांच कर रही है। अभी तक यह पता नहीं है कि क्या लुटेरों में से कोई कुख्यात अपराधी है। अकोना स्टेशन के कर्मचारियों द्वारा की गयी शिकायत के अनुसार बन्दूकों और भालों से लैस 4 व्यक्तियों ने डाका डाला था।

(ङ) निरोधक उपाय के रूप में प्रभावित खंडों पर रेलवे पुलिस की गश्त बढ़ा दी गयी है।

**औद्योगिक लाइसेंसों का दिया जाना**

6164. **श्री जगेश्वर यादव**: क्या **औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक लाइसेंस केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिये जाते हैं जो भेंट के रूप में बड़ी बड़ी धनराशियां दे सकते हैं;

(ख) क्या ऐसे लाइसेंस मुख्यतः सिंधियों और पंजाबियों को दिये गये हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि ये लाइसेंस भूमि हीन और बेरोजगार व्यक्तियों को दे दिये जायें तो क्या इससे किसी हद तक बेरोजगारी को कम करने में सहायता नहीं मिलेगी?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद)**: (क) और (ख). जी, नहीं।

(ग) जो योजना प्राप्त होती है उसके गुणावगुण के आधार पर औद्योगिक लाइसेंस दिये जाते हैं साथ ही यह भी देखा जाता है कि उस योजना को कार्यान्वित करने के लिए उद्यमी में अन्य बातों के साथ साथ कितनी क्षमता है।

VACANCIES IN THE INDIAN STANDARDS INSTITUTION

6165. **SHRI A. S. SAIGAL**: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of resultant vacancies existing in the officer and staff cadres in the Indian Standards Institution, New Delhi.

(b) whether it is a fact that whereas the vacancies existing in the officer cadres are promptly filled up, it is not done so in the case of other staff; and

(c) if so, the reasons therefor?

**THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED)**: (a) Number of existing resultant vacancies caused with effect from 1 April, 1967 are eight in the Officer cadre and five in the Staff cadre.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

INDIAN STANDARDS INSTITUTION

6166. **SHRI A. S. SAIGAL**: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to refer to the reply given to Short Notice Question No. 11 on the 22nd March, 1968 and state:

(a) whether any enquiry into the slapping incident in the Indian standards Institution has been instituted; and

(b) if so, the findings of the enquiry?

**THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED)**: (a) Yes, Sir.

(b) Report from the Enquiry Officer is awaited.

HOUSE RENT ALLOWANCE PAID BY I.S.I.

6167. **SHRI A. S. SAIGAL**: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Indian Standards Institution has raised the house rent allowance of its employees from 15 per cent to 20 per cent :

(b) whether the enhanced house rent allowance is admissible on furnishing a rent receipt or declaration to that effect ;

(c) whether the employees getting less than Rs. 500 are not exempted from furnishing a rent receipt ; and

(d) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) and (b). Yes, Sir.

(c) They are exempted.

(d) Does not arise.

FIRE IN A COACH OF DELHI-FARRUKHABAD TRAIN IN AUGUST, 1968

6168. SHRI BEDABRATA BARUA :

SHRI SAMAR GUHA :

SHRI D. C. SHARMA :

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that about 15 persons died and many others injured when a coach of the Delhi—Farrukhabad train caught fire near Dadri on the 7th August, 1968;

(b) whether this has been due to the negligence on the part of the Railway Officials charged with checking passengers ; and

(c) whether any persons has been arrested in this connection ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA): (a) Yes.

(b) No.

(c) No information of any arrest having been made in connection with this accident has so far been received.

THIRD PAY COMMISSION FOR RAILWAYMEN

6169. SHRI KANWAR LAL GUPTA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the National Federation of Indian Railwaymen has demanded the appointment of a Third Pay Commission for Railwaymen for the revision of pay scales and allowances ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI C. M. POONACHA) : (a) Yes.

(b) The policy of the Government has been not to set up a Pay Commission for railway employees in isolation.

**सियालदह डिविजन पर रेलगाड़ी के साथ जाने वाले कर्मचारी**

6170. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के सियालदह डिविजन पर रेलगाड़ी के साथ जाने वाले कर्मचारियों ने 27 जुलाई, 1968 की आधी रात से स्थानापन्न ड्यूटी को निभाने से इन्कार किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इसके फलस्वरूप बहुत सी यात्री तथा माल गाड़ियों को स्थगित कर दिया गया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलगाड़ी के साथ जाने वाले कर्मचारियों को निरुत्साहित करने के विचार से रेलवे प्रशासन ने 39 कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया है।

(घ) क्या यह भी सच है कि उनके साथ कोई समझौता करने के विचार से रेलवे अधिकारी उनके साथ कोई बातचीत करने के लिये तैयार नहीं है ; और

(ङ) इस समस्या का समाधान करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रेलवे मंत्री (श्री चे० मु० पुनाचा)** : (क) जी हां। कुछ रनिंग कर्मचारियों ने ऊंचे ग्रेड में स्थानापन्न रूप से काम करने से इन्कार किया था।

(ख) रनिंग कर्मचारियों द्वारा स्थानापन्न रूप से काम करने से इनकार करने के कारण प्रारम्भ में कुछ गाड़ियों को चलाना बन्द कर दिया गया था। लेकिन बाद में दूसरे मंडलों से कुछ कर्मचारियों को लाकर गाड़ियों का सामान्य रूप से चलाना फिर से शुरु कर दिया गया।

(ग) काम करने से इन्कार करने के कारण कुछ कर्मचारियों को मुअत्तल कर दिया गया है।

(घ) और (ङ). 27-7-68 से उच्च श्रेणी की जगहों पर काम न करने का विनिश्चय एक अमान्यताप्राप्त खण्डीय संस्था (जिसे पूर्व रेलवे लोको रनिंग कर्मचारी संस्था कहते हैं) द्वारा किया गया है। सरकार की यह नीति नहीं है कि वह किसी अमान्यताप्राप्त निकाय से बातचीत करे। फिर भी यह बताना आवश्यक है कि पूर्व रेलवे पर मान्यताप्राप्त दो संयुक्त यूनियनें हैं जिन्हें रेल प्रशासन से बातचीत करने की सुविधाएं प्राप्त हैं। सम्बन्धित कर्मचारियों को अपनी शिकायतों सम्बन्धी अभ्यावेदन मान्यता प्राप्त सरणियों द्वारा भेजना चाहिए जिससे कि यह मामला उचित स्तर पर विचार किया जा सके।

**तस्करी के कारण पटसन के उत्पादन पर प्रभाव**

6170. **श्री मृत्युंजय प्रसाद**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटसन की विदेशों को तस्करी बढ़ जाने के कारण देश में बहुत सी पटसन मिलों ने पटसन खरीदना बन्द कर दिया है अथवा उसकी खरीद बहुत कम कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरैशी)** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**पूर्णिया जिले में पटसन की खपत**

6170. **श्री मृत्युंजय प्रसाद**: क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्णिया जिले में स्थानीय मिलों ने 1964-65, 1965-66 1966-67 तथा 1967-68 में पटसन की कितनी खपत की तथा इन वर्षों में इस जिले से बाहर कितनी पटसन भेजी गई ?

**वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफ़ी कुरेशी)**: 1964-65, 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 की अवधि में पूर्णिया जिले की पटसन मिलों ने पटसन की क्रमशः 70,870, 48,100, 48,000 तथा 61,700 गांठों की खपत की जिले से बाहर भेजी गई पटसन की मात्रा उपलब्ध नहीं है।

DONATION BY COMPANY TO POLITICAL PARTIES

6170. C. SHRI R. K. SINHA: Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain companies having foreign collaboration have also been giving donations to political parties;

(b) if so. the names of the companies that have donated funds to political parties during 1967; and

(c) the amount donated by them during the above period ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (c). Information is being collected and it will be laid on the Table of the House.

EXPORT OF FILMS

6170-D. SHRI JUGAL MONDAL : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the films like Mere Mehboob, Aarti, Taqdeer, Arzoo, Jewel Thief, Ram Aur Shyam, Phool Aur Pathar, Dosti, Aaye Din Bahar Ke, Upkar, Gumrah, Naya Daur, Sadhana, Ganga Jamuna, and Barsat have been exported to foreign countries during the years from 1960 to 1967 ;

(b) if so, the names and addresses of the Producers of the said films ; and

(c) the amount of foreign exchange earned by these films during the above period from abroad and the names of such countries where these have been exhibited ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) to (c). Information is being collected which will be laid on the Table of the House.

BARIUM CHEMICALS LTD., ANDHRA PRADESH

6170-C. SHRI R. K. SINHA :
SHRI K. RAMANI :
SHRI K. M. ABRAHAM :
SHRI P. RAMAMURTI :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Chilean nitrate quota is given to the Barium Chemicals Ltd., Ramavaram, Khammam District, Andhra Pradesh ;

(b) whether the factory management has carried on production with the Chilien nitrate;

(c) if so, the products manufactured so far and the quantity of production ever since the said quota was given to the factory ;

(d) the amount of foreign exchange so far allotted for this purpose;

(e) whether Government are aware of the misuse of this Chilien nitrate by the factory management ; and

(f) if so, the measures taken to prevent such misuse of Chilien nitrate ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) to (f). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

PRODUCTION CAPACITY OF BARIUM CHEMICALS LTD., ANDHRA PRADESH

6170-F. SHRI P. P. ESTHOSE :
SHRI K. ANIRUDHAN :
SHRI VISHWANATHA MENON :
SHRI NAMBIAR :

Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) the production capacity of the nitric acid plant in the Barium Chemicals Ltd., Ramavaram, Khammam District, Andhra Pradesh and whether it is used to its full capacity for producing nitric acid ;

(b) if not, the reasons for keeping the plant idle ;

(c) whether it is a fact that the factory management is purchasing nitric acid from one Bombay Company ;

(d) if so, the reasons for this purchase when the factory has a plant to produce nitric acid ;

(e) whether it is also a fact that sulphur plant in the same factory has been kept idle for one year ; and

(f) if so, the reasons for stoppage of production in the plant ?

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED): (a) and (b). M/s. Barium Chemicals Ltd., Ramavaram (A.P.) is reported to have set up a 330 tonnes per year Nitric Acid plant. The actual production during 1967 has been reported to be 69 tonnes.

(c) Government have no information in the matter.

(d) Does not arise.

(e) The firm has produced only 5 tonnes of Sulphur as bye-product during the year 1967.

(f) Does not arise.

EXHIBITION OF INDIAN FILMS IN U.S.S.R. AND ARAB COUNTRIES

6170-G. SHRI KASHI NATH PANDEY : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) the number of films produced in India which have been exhibited in the U.S.S.R. and Arab countries during the period from 1962 to 1967 and first six months of 1968 ;

(b) the names and addresses of the producers which have sent the films to the above countries during the above period ; and

(c) the names of these films which earned the highest foreign exchange in the above countries during the same period ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) to (c). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

12.20 HRS.

## RE. SITUATION IN CZECHOSLOVAKIA

MR. SPEAKER : Yesterday also some friends raised it though, of course, I did not accept it and today also some friends want to raise the question about Czechoslovakia. But from the papers we see that the Security Council also has postponed its sitting and immediately there is nothing that we could possibly expect. Therefore I am not allowing it.

SHRI P. K. DEO (Kalahandi): Government should come with a statement *suo motu*.

MR. SPEAKER : If there was anything sensational or useful, I would have requested them to do so; but there is nothing. I do not want them to go on making a statement every day. If there is something serious, I would want them to make it. You may consider it serious but I do not.

12.21 HRS.

## PAPERS LAID ON THE TABLE

NOTIFICATION UNDER COMPANIES ACT AND PAPERS UNDER COMPANIES ACT

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI BHANU PRAKASH SINGH): Sir, on behalf of Shri F. A. Ahmed, I beg to lay on the Table :—

(1) A copy of the Companies (Fees on Applications) Rules, 1968, published in Notification No. G.S.R. 1485 in Gazette of India dated the 17th August, 1968, under sub-section (3) of section 642 of the Companies Act, 1956.

(2) A copy each of the following papers under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956 :—

(i) Review by the Government on the working of the Mining and Allied Machinery Corporation Limited, Durgapur for the year 1966-67.

(ii) Annual Report of the Mining and Allied Machinery Corporation Limited, Durgapur for the year 1966-67 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) A copy of the Annual Report of the National Productivity Council, New Delhi for the year 1966-67.

[*Placed in Library. See* No. LT—1910/68.]

TRIENNIAL REVIEW OF THE ACTIVITIES OF RESEARCH DESIGNS AND STANDARDS ORGANISATION

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI PARIMAL GHOSH): Sir, on behalf of Shri C. M. Poonacha,

I beg to lay on the Table a copy of the Triennial Review of the activities of Research Designs and Standards Organisation in respect of important Railway problems connected with the Track, Rolling Stock, Signalling etc. from April, 1965 to March, 1968. [*Placed in Library. See* No. LT—1911/68.]

NOTIFICATION UNDER COTTON TEXTILE COMPANIES (MANAGEMENT OF UNDERTAKINGS AND LIQUIDATION OR RECONSTRUCTION), ACT, ETC.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): Sir, on behalf of Shri Dinesh Singh, I beg to lay on the Table:—

(1) A copy of the Cotton Textile Companies (Management of Undertakings and Liquidation or Reconstruction) Rules, 1968, published in Notification No. G.S.R. 619 in Gazette of India dated the 30th March, 1968, under sub-section (2) of section 10 of the Cotton Textile Companies (Management of Undertakings and Liquidation or Reconstruction) Act, 1967 (Hindi and English versions).

(2) A statement showing reasons for delay in laying the above Notification.

[*Placed in Library. See* No. LT—1912/68.]

SUPPLEMENTARY STATEMENT ON THE FLOOD SITUATION IN THE COUNTRY

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STEEL, MINES AND METALS (SHRI P. C. SETHI): Sir, on behalf of Dr. K. L. Rao, I beg to lay on the Table a second Supplementary statement on the Flood Situation in the country. [*Placed in Library. See* No. LT-1913/68.]

AUDIT REPORT ON THE ACCOUNTS OF THE COAL BOARD FOR THE YEAR 1966-67

SHRI P. C. SETHI: Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Audit Report on the accounts of the Coal Board for the year 1966-67, under sub-section (2) of section 12 of the Coal Mines (Conservation and Safety) Act, 1952. [*Placed in Library. See* No. LT-1914/68.]

REPORT OF THE STUDY TEAM ON TEXTILE COMMISSIONER'S ORGANISATION —WOOL, ART SILK, ORGANISATION AND PERSONNEL AND NOTIFICATIONS UNDER FORWARD CONTRACTS (REGULATION) ACT.

SHRI MOHD. SHAFI QURESHI: Sir, I beg to lay on the Table:—

(1) A copy of the Report (Part II) of the Study Team on the Textile Commissioner's Organisation—Wool, Art Silk, Organisation and Personnel. [*Placed in Library. See* No. LT-1911/68.]

(2) A copy each of the following Notifications issued under section 6 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1952:—

(i) S.O. 2776 published in Gazette of India dated the 9th August, 1968.

(ii) S.O. 2777 published in Gazette of India dated the 9th August, 1968.

[*Placed in Library. See* No. LT-1915/68.]

---

## MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:—

'I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on Monday, the 26th August 1968, adopted the following motion in regard to the presentation of the Report of the Joint Committee of the

[Secretary]

Houses on the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 1965:—

"That the time appointed for the presentation of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Bill further to amend the Motor Vehicles Act, 1939, be extended up to the 30th November, 1968".

## COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS FROM SITTINGS OF THE HOUSE

### SEVENTH REPORT

SHRI THIRUMALA RAO (Kakinada): Sir, I beg to present the Seventh Report of the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House.

12.23 HRS.

## CRIMINAL AND ELECTION LAWS AMENDMENT BILL*

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI Y. B. CHAVAN): Sir I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure 1898 and the Representation of the People Act, 1951 and to provide against printing and publication of certain objectionable matters.

MR. SPEAKER: Motion moved:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1898 and the Representation of the People Act, 1951 and to provide against printing and publication of certain objectionable matters."

Shri George Fernandes wants to oppose it. Normally at the introduction stage it is not opposed.

**श्री जार्ज फरनेंडीज** (बम्बई दक्षिण): मैं नियमों के अनुसार ही इसका विरोध कर रहा हूं। ऐसा करने के खास कारण भी हैं। उन से विवश हो कर ही मुझे इसका इस स्टेज पर विरोध करना पड़ रहा है।

दो बातें इस बिल के द्वारा हमारे गृह मंत्री महोदय करना चाहते हैं। पहली बात तो यह है कि क्लाज 2 के तहत वह इंडियन पीनल कोड के सैक्शन 153 (ए) को एमेंड करना चाहते हैं और क्लाज 3 के द्वारा इंडियन पीनल कोड के सैक्शन 505 को एमेंड करना चाहते हैं। आगे आप सैक्शन 6 को देखें। इस में माननीय मंत्री जी का जो सुझाव है वह बहुत ही खतरनाक है और इसी को ले कर मैं इस बिल का बुनियादी तौर पर विरोध करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस को सदन में पेश करने की अनुमति न दी जाए।

गृह मंत्री महोदय ने इस बिल के स्टेटमेंट आफ आबजैक्ट्स एंड रीजंज में कहा है अभी हाल ही में नैशनल इंटेग्रेशन काउंसिल की बैठक श्रीनगर में हुई थी वहां पंजाब स्पेशल पावर्ज प्रेस एक्ट 1956 से सम्बन्धित जो भी कानून है उसको पूरे देश पर लागू करने के बारे में विचार हुआ था और उस विचार को कार्यान्वित करने के लिए ही वह इस सदन के सामने आ रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय**, आप जानते ही हैं कि कुछ दिन पहले आंध्र में इसी किस्म का एक विधेयक आंध्र सरकार ने वहां की विधान सभा में पेश किया था जिस में अखबारों के ऊपर कई किस्म के निर्बन्ध लाने का प्रयास किया गया था। उस विधेयक को ले कर आंध्र की विधान सभा में सख्त विरोध प्रकट किया गया था। उस विधेयक पर इस सदन में भी काफी चर्चा हुई थी। उस चर्चा के दौरान इनफर्मेशन मिनिस्टर ने यह बताया था कि आंध्र सरकार के साथ केन्द्रीय सरकार की बातचीत चल रही है, उस विधेयक का क्या किया जाए, इसके बारे में उसके साथ बातचीत चल रही है। जब केन्द्रीय सरकार उस विधेयक के

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, dated 27-8-68.

सम्बन्ध में आंध्र सरकार से बातचीत चला रही है और उस बिल का अंतिम स्वरूप क्या हो, इस पर विचार विमर्श चल रहा है तो मैं यह नहीं समझ सका हूं कि सदन में क्रिमिनल एंड इलैक्शन लाज एमेंडमेंट बिल के माध्यम से अखबारों के ऊपर बंधन लगाने वाले इस विधेयक को सरकार क्यों पेश करने जा रही है। इस में बहुत खतरनाक चीज़ है। क्लाज 6 को आप देखें। क्या कह रहे हैं इस में मंत्री महोदय :

"The Central Government or a State Government or any authority so authorised by the Central Government in this behalf, if satisfied that such action is necessary for the purpose of preventing or combating any activity prejudicial to the maintenance of communal harmony and affecting or likely to affect public order, may, by order in writing addressed to the printer, publisher or editor, prohibit the printing or publication of any document or any class of documents of any matter relating to a particular subject or class of subjects for a specified period or in a particular issue or issues of a a newspaper or periodical;"

MR. SPEAKER: You need not go into the merits now. You will have another occasion to go into the merits of the Bill.

**श्री जार्ज फरनेंडीज** : सिर्फ एक जो खतरा है उसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। मंत्री महोदय इसके द्वारा यह करना चाहते हैं कि अगर किसी खबर के छपने से पब्लिक आर्डर पर कुछ गलत असर पड़ने की आशंका हो या गलत असर पड़ रहा हो तो उस खबर को छपने से वह रोक सकेंगे और महीने तक उस खबर को छपने से रोके रखा जा सकेगा। यह अधिकार सरकार इस विधेयक द्वारा प्राप्त करना चाहती है। खुले तौर पर सैंसरशिप वाली बात आज हम लोगों के सामने आ रही है।

मैं आपके सामने एक उदाहरण रखना चाहता हूं। 19 तारिख को सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल होने जा रही है। हो सकता है कि गृह-मंत्री महोदय का खयाल हो कि इस हड़ताल से पब्लिक आर्डर पर कुछ गलत असर पैदा होगा। इस वास्ते गृह मंत्री का यह विचार हो सकता है कि यह कानून पास हो जाए तो इसके अन्तर्गत वह इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। चूंकि पब्लिक आर्डर पर हड़ताल होने से और उसकी खबरें छपने से गलत असर पड़ने का डर है, इसलिए हड़ताल के सम्बन्ध में कोई भी खबर को छपने से वह रोकने का प्रयास कर सकते हैं और इस कानून का ऐसा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं...

**अध्यक्ष महोदय** : मैरिट्स में आप न जाएं...

**श्री जार्ज फरनेंडीज** : मैं आखिरी जुमला कह कर समाप्त करता हूं। सैंसर करके खबरों को मंत्री महोदय इस कानून के माध्यम से देना चाहते हैं। इसका हम सख्त विरोध करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय इस विधेयक के बारे में आल इंडिया न्यूज-पेपर्ज एडीटर्ज कान्फ्रेंस के लोगों से, इंडियन फैड्रेशन आफ वर्किंग जरनलिस्ट्स के लोगों से और इस सदन के उन सदस्यों से जिन को सैंसरशिप के बारे में कुछ तजुर्बा हो, जिन की वाक-स्वतंत्रय में और अखबारों की स्वतंत्रता में कुछ आस्था हो, सलाह मश्विरा करने के बाद ही इस विधेयक को यहां पेश करें। इसलिए मैं इसका सख्त विरोध अभी से करना चाहता हूं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (बलरामपुर) : मैं इस पर आपत्ति करना नहीं चाहता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि गृह मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे कि यह विधेयक विवाद-ग्रस्त है और इस पर

[श्री जार्ज फरनेंडीज:]

बारीकी से चर्चा होनी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह इसे समिति में भेजने का सुझाव ला रहे हैं?

SHRI Y. B. CHAVAN: I am in the hands of the House in this matter. I am not taking any particular line. But I thought that this Bill should be moved because, when it was discussed in the National Integration Council, the intention was to expedite this process. I did not want anyone to say that the Government was tardy in this matter. I want to see that the Bill becomes Act as soon as possible. If the House wants to take it to the Select Committee, I do not want to come in the way. I leave it to the judgement of the House. I think, the powers are urgently necessary.

SHRI RANGA (Srikakulam): I only want to ask him one question. When he tries to give an answer to the speech made by my hon. friend, Shri Fernandes, I would like him to tell us what he proposes to do in regard to the Andhra Bill. I know that in the other House he has admitted that, so far as he could see, it had gone far beyond the scope of the Resolution or the objective that they have stated in their Srinagar Conference. In view of the fact that this Bill seeks to make an all-India law giving permission or option to the State Governments to adopt it with or without modifications, would the hon. Minister tell us whether he is already in contact with the Andhra Government in order to see that they do not proceed with that Bill until this Bill becomes an Act and then they examine their Bill in the light of whatever Act we would be passing in this House.

**श्री मधु लिमये** (मुंगेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा पायंट आफ़ आर्डर है। नियम 65 में कहा गया है:

> "The period of notice of a motion for leave to introduce a Bill under this rule shall be one month unless the Speaker allows the motion to be made at shorter notice."

इस के साथ ही आप नियम 69 और 70 को भी देख लीजिए। किसी भी विधेयक को तभी पूरा माना जायेगा, जब उस को पेश करने के लिए एक महीने का नोटिस दिया गया हो...

MR. SPEAKER: You are talking about Private Members. The Home Minister is not a Private Member.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: He is a Public Member.

**श्री मधु लिमये**: लेकिन फ़िनांशल मेमोरेंडम और डेलीगेटिव लेजिसलेशन का मेमोरेंडम तो सभी बिलों के लिए ज़रूरी हैं। डेलीगेटिड लेजिसलेशन का मेमोरेंडम तो इस बिल के साथ दिया गया है।

MR. SPEAKER: A point was raised about referring it to the Select Committee. That was an important one. We could understand that...

**श्री मधु लिमये**: लेकिन जब यह बिल आ ही नहीं सकता है, तो उस के सिलेक्ट कमेटी में जाने का सवाल कहां है।

इस बिल के साथ जो फ़िनांशल मेमोरेंडम दिया गया है, वह अधूरा है। आज के बुलिटन नम्बर 2 में इस बारे में कुछ तब्दीली करने की कोशिश की गई है। इस लिए जो बिल हमारे सामने आया है, वह अधूरा है। मंत्री महोदय उस को पूर्ण बना कर कल इस सदन के सामने पेश करें।

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT (Kozhikode): I know, at this stage, when the Bill is being introduced, as a convention...

MR. SPEAKER: Not only convention; even if it is opposed, only one member can oppose. Rules are very strict and are very clear.

SHRI EBRAHIM SULAIMAN SAIT: But, Sir from a different point of view I want to say one thing. This Bill has been brought as a result of the discussions at the National Integration Conference held in Srinagar.

As you are probably aware, not even a single leader of the minority community was present there. Moreover, what will be done hereby the bill? There will be a serious interference in religious matters. It is said in Clause 2 sub-clause (2):

> "Whoever commits an offence specified in sub-section (1) in any place of worship or in any assembly engaged in the performance of religious worship or religious ceremonies, shall be punished with imprisonment which shall not be less than two years but which may extend to five years and shall also be liable to fine."

It is a very serious and dangerous provision which has to be considered seriously. Therefore, I support my hon. friend, Mr. Fernandes that the Bill should go to a Select Committee.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack): I would like to know whether this is a matter relating to List II or not, because it relates to law and order. Therefore, I believe Article 249 of the Constitution is attracted. I would request the Hon. Minister to examine whether it would attract Article 249 or not requiring resolution by the Council of States enabling Parliament to legislate regarding List II matters. It is a serious matter because the very devil of communalism is being sought to be attacked and put an end to.

SHRI Y. B. CHAVAN: As far as the legal aspects are concerned, I have also consulted the legal advisers, and I am proceeding on the basis of the advice that I have received and the advice is that this Bill does not conflict with that Article.

Shri George Fernandes has raised the point whether though we are introducing this Bill, here, we have at the same time advised the State Government to deal with the same Act in some different ways. I would like to make the facts and the record clear in this matter.

The first thing is that the Andhra Bill, we are advised, is before the Select Committee there. I do not know whether I could advise the Chief Minister or the Chief Minister can act on it, because the Bill is in the hands of the State Legislature, and the State Legislature has its own powers, functions and sovereignty. I do not want to interfere with that.

But, certainly, I have said one thing in the other House that as far as the content of the Bill is concerned, the Bill goes beyond the recommendations of the National Integration Council. It is a fact, I do not think that even the Chief Minister of Andhra Pradesh would dispute this one particular fact. This Bill and the Andhra Bill are quite different Bills in their content as such.

This Bill takes only clause 2 of the Punjab Security Bill; it does not go beyond that. The Andhra Bill goes even beyond the Punjab Security Bill. It is quite a comprehensive Bill.

Therefore, I had only said that I would be willing to discuss this matter with the Chief Ministers. Beyond that I cannot give any assurance to this House.

As regards the point raised about 'public order', I would submit that it is not likely to be used for any public order purposes as such unconnected with communal hatred etc. The wording of the Bill is like that. I would read out the same thing which he had read earlier, and possibly my reading itself will make the position very clear. The wording is as follows:—

> "The Central Government or a State or any authority so authorised by the Central Government in this behalf, if satisfied that such action is necessary for the purpose of preventing or combating any activity prejudicial to the maintenance of communal harmony and affecting or likely to affect public order...."

The wording is not 'or' but 'and'. It is 'and', and that makes all the difference. Anything that will lead to a public order matter as such is not likely to be

[Shri Y. B. Chavan]

covered by this; anything that is likely to affect communal harmony which will lead to a public order matter is likely to be covered.

No further explanations are necessary.

MR. SPEAKER: The question is: "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1898 and the Representation of the People Act, 1951 and to provide against printing and publication of certain objectionable matters."

*The motion was adopted.*

SHRI Y. B. CHAVAN: I introduce the Bill.

12.39 HRS.

## DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (UTTAR PRADESH) 1968-69—*Contd.*

MR. SPEAKER: The House will now take up further discussion and voting on the Supplementary Demands for Grants in respect of the Uttar Pradesh Budget for the year 1968-69 as also the cut motions moved on the 26th August, 1968 in respect of those Demands.

As regards the discussion on U.P. Demands, I would like to say something. I know that a large number of Members would like to participate. But the time is very short. But immediately after this, we are having another discussion for about three hours regarding the extension of President's rule in U.P. I hope that the parties will see that those who have not participated on the Demands may be enabled to participate on that.

There is also one other suggestion namely that the Appropriation Bill may be passed and 4 hours may be taken in all on the resolution regarding the Proclamation in relation to U.P., so that everybody can speak in general on the problems of U.P., law and order etc., etc.

**श्री मधु लिमये** (मुंगेर): दो चर्चाओं को मिलाया न जाय। अलग अलग लिया जाय।

MR. SPEAKER: The Bill may be passed, and I was suggesting that 4 hours may be taken on the resolution. I thought that we could have one more hour on the discussion relating to U.P. Those who want to speak on this may speak on this. But I would appeal to those who have spoken already not to get up again.

SHRI RANGA (Srikakulam): What about the time for our party?

MR. SPEAKER: He will get twenty minutes, whether it be on this or the other one.

But we must finish these Supplementary Demands in one hour.

**श्री विश्वनाथ पांडेय** (सलेमपुर): श्रीमन्, कल मैं कह रहा था कि राष्ट्रपति शासन कितना ही सुन्दर और अच्छा हो लेकिन जन-प्रतिनिधि शासन के मुकाबिले लोग उस को पसंद नहीं करेंगे और यह दुर्भाग्य है उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश में जन-प्रतिनिधि शासन नहीं है और जन-प्रतिनिधि शासन न होने की वजह से कोई दूसरा विकल्प नहीं है सिवाय राष्ट्रपति शासन के। इस सदन में काफी चर्चा किया गया है कि उत्तर प्रदेश सब से पिछड़ा हुआ प्रदेश है। यह सही है। उस की जनसंख्या आज भारतवर्ष की जनसंख्या की 1/6 है। यह बात तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश में इन 20 वर्षों के अन्तर्गत कोई विकास नहीं हुआ है, विकास हुआ है, लेकिन वह विकास नगण्य है। जिस तरीके से विकास होना चाहिए वह नहीं हो सका है। उस का कारण यह है कि केन्द्रीय सरकार की सहायता जो उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई है वह जनसंख्या के आधार पर नहीं हुई है और न उस के पिछड़ेपन के आधार पर हुई है। दो पंच वर्षीय योजनाएं जो व्यतीत हुई उस में कोई भी केन्द्रीय उपक्रम

राज्य में स्थापित नहीं किया गया। यह खास वजह है जिस से उत्तर प्रदेश इतना पिछड़ा हुआ है। इस के पिछड़ेपन के कुछ आकड़े मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। 1950–51 में इस प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 252.62 रुपये थी लेकिन वही इस समय 227.60 प्रति व्यक्ति रह गई है जब कि भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय 313.10 के करीब है। तो हर प्रान्त तो राष्ट्रीय आय में आगे बढ़ा लेकिन उत्तर प्रदेश और पीछे चला गया। इसी सन्दर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अन्दर 289 जिले हैं जिनमें 58 जिले बिलकुल निर्धन, बिलकुल पिछड़े हैं। उस में दो श्रेणियाँ हैं। 29 जिले ऐसे हैं जिन की प्रति व्यक्ति आय 146 रुपये है और दूसरी श्रेणी में 29 जिले ऐसे हैं जिन की प्रति व्यक्ति आय 147 रुपये है। इन दोनों ही श्रेणियों में 22 ऐसे जिले उत्तर प्रदेश के हैं कि जो पिछड़े हुए जिले हैं। उत्तर प्रदेश की 35 प्रतिशत जनता इन पिछड़े हुए जिलों में रहती है जिस में अधिकतर पूर्वांचल के, उत्तराखंड के और बुन्देलखंड के जिले हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश कितना पिछड़ा हुआ है।

12.43 HRS.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

उत्तर प्रदेश की इस हालत में सुधार तभी हो सकता है जब कि केन्द्र उस को जनसंख्या के अनुपात में वित्तीय सहायता प्रदान करे।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश की जो अर्थ-व्यवस्था है वह कृषिप्रधान है। कृषि से 60 प्रतिशत आय होती है। 80 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर होते हैं। लेकिन कृषि की तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया है। उत्तर प्रदेश में जो कृषि योग्य भूमि है वह करीब 4 करोड़ एकड़ है। इस वक्त करीब 3 करोड़ एकड़ भूमि पर खेती होती है। जनसंख्या 10 करोड़ है। अगर उस अनुपात से देखा एकड़ जाय तो लगभग आधा एकड़ प्रति व्यक्ति हिसाब पड़ता है। इस तरह से सर्वदा उत्तर प्रदेश अभावग्रस्त क्षेत्र रहेगा जहां तक कि खाद्यान्न का सवाल है। इस सम्बन्ध में हमें करना क्या चाहिए? करना यह चाहिए कि जो ग्रामीण अंचल है उस के अन्दर औद्योगीकरण करें और सिंचाई का समुचित साधन दें। मैं आप के माध्यम से यह आग्रह इस वक्त नहीं करना चाहता कि आप बीज अच्छा दें या फर्टिलाइजर दें। केवल सिंचाई का प्रबन्ध आप कर दें। लेकिन एक तरफ तो आप कहते हैं कि कृषक अन्न उपजावें और दूसरी तरफ जो प्रतिबन्ध आप सिंचाई के साधनों पर लगा रहे हैं वह असहय है। अभी आप ने सिंचाई शुल्क दुगुना कर दिया है। अब तक स्थिति इस प्रकार थी कि ग्रामीण अंचल में प्रति अश्व शक्ति प्रति वर्ष 90 रुपया गारन्टी ली जाती थी। किन्तु अब नई व्यवस्था इस प्रकार की गई है कि किसान को प्रति वर्ष लगभग दुगुना पैसा देना होगा। आप ने गारन्टी के तरीके में जो परिवर्तन किया है उस के फलस्वरूप अब उसे 10 अश्वशक्ति पर प्रति वर्ष 960 रुपया देना होगा। और इस के अलावा जो कृषि के काम के लिए बिजली लेगा, एक नलकूप 10 अश्वशक्ति का जो होगा उस में उस को 12 सौ रुपया बिजली का देना पडेगा यानी 2160 रुपये कुल उसे देने पड़ेंगे। आप सरकारी ट्यूबवेल लगाने नही जा रहे हैं। वह तब लगाएंगे जब 300 एकड़ के किसान एक साथ उस के लिए तैयार होंगे कि हम अपना खेत इस से भरेंगे और 20 प्रति एकड़ सिंचाई शुल्क देंगे। यह भी

[श्री विश्वनाथ पांडे]

अनुचित बात है। पहले तो सरकारी ट्यूबवेल जहां जरूरत थी वहां सरकार ने लगाए। तो मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस वर्ष चौथी पंच-वर्षीय योजना के अन्दर आप सरकारी ट्यूबवेल कितना लगाएंगे और किस तरीके से सिंचाई के साधनों की जो कमी है उस को दूर करेंगे?

उत्तर प्रदेश में बाढ़ सर्वदा आती रहती है। इस वर्ष जो आंकड़े उस के हमारे सामने प्रस्तुत हैं वह बलिया और देवरिया के लिए प्रस्तुत हैं। वहां पर अत्यन्त गरीब लोग हैं जो कि बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लेकिन वहां की सरकार उन को क्या दे रही है? नमक, दियासलाई और चने। जिन के घर गिर गए हैं, फसलें नष्ट हो गई हैं, जिन का सारा सामान नष्ट हो गया है, उन को दियासलाई, नमक और चने दिए जायं, यह एक हास्यास्पद चीज है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, और सौभाग्य से प्रधान मंत्री भी इस समय उपस्थित हैं, जिस प्रकार आप ने अन्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को प्रधान मंत्री कोष से सहायता दी है उसी प्रकार प्रधान मंत्री कोष से देवरिया और बलिया के इन बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों को भी सहायता प्रदान करें।

हमारे गृह मंत्री भी इस समय मौजूद हैं। उन्होंने शांति और व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की शांति और व्यवस्था में सुधार लाने के लिए डी० आई० जी०, आई० जी० और इंसपेक्टर्स बढ़ा दिए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्राइम्स कम हों। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, गृह मंत्री भी बैठे हैं और प्रधान मंत्री भी बैठी हैं, डी० आई० जी०, आई० जी० के बढ़ानें से जुर्म नहीं घट सकतें हैं उस के लिए आप को उस की बुनियाद में जा कर कारण ढूंढना पड़ेगा और उस के निवारण के लिए और तरह से काम करना पड़ेगा। इन्होंने खुद जो आंकड़े पेश किए हैं वह आप देखें। 1967 में हत्याएं 1234 हुई और दंगे 2845। 1968 में हत्याएं बढ़ कर 1323 हो गईं और दंगे 3044। इतने डी० आई० जी० और आई० जी० के होने पर भी हत्याएं और दंगे बढ़ते ही जा रहे हैं। यह तो ऐसे ही हुआ जितनें ही ज्यादा इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, डी० आई० जी०, आई० जी० आप ने बढ़ाए उतने ही यह हत्याएं और दंगे बढ़ते गए और जितना ही और बढ़ाएंगे उतने ही यह और बढ़ेंगे। बलिया का एक किस्सा मैं आप के सामनें रखना चाहता हूं। वहां पर महावीर जत्था निकला। प्रतिवर्ष रक्षा बन्धन के दिन वह निकलता है। वहां पर गोली चलाई गई और कई आदमी उस में हताहत हुए। अगर अधिकारी-वर्ग ठीक तरह से काम करते तो गोली चलाने का यह कोई वक्त नहीं था क्योंकि वह जुलूस वहां प्रति वर्ष निकलता है और वह सुनियोजित था, सुन्दर ढंग से जा रहा था। वहां के लोगों की एक मांग है कि उस की न्यायिक जांच करायी जाय। अगर उस में वहां के लोगों का कोई दोष नहीं है और सरकारी अधिकारीयों का दोष है तो अवश्य इस की न्यायिक जांच करायी जाय। इस में सरकार को एतराज नहीं होना चाहिए। मैं आप के माध्यम से मांग करता हूं कि बलिया में जो यह गोलीकांड हुआ है रक्षा बंधन के दिन उस की न्यायिक जांच करायी जाय।

इस के सम्बन्ध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ने के किसान हैं। जगजीवन बाबू ने ऐसी नीति अपनायी जिस नीति के द्वारा लोगों को काफी पैसा मिला गन्नें की कीमत के रूप में। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्रीय सरकार

से प्रार्थना करे कि गन्ने की कीमत कम से कम 6 रुपये मन रखी जाय क्योंकि लकड़ी की कीमत आज 6 रुपये, सात रुपये मन है तो गन्ने की कीमत इस से कम न रखी जाय और जगजीवन बाबू ऐसी नीति अपनाएं जिस से किसानों को समुचित लाभ हो।

उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा उद्योग स्थापित होने वाला है। मेरी प्रार्थना है कि आण्विक शक्ति का प्लान्ट किसी भी स्थान पर उत्तर प्रदेश में हो जिस से कि प्रदेश की हालत में सुधार हो। इस के अलावा पटेल आयोग ने जो संस्तुति की है, उस में बहुत से पुल भागलपुर में, भटनी में और नदावर घाट में बनाने की बात है, इन पुलों को पूरा किया जाय। इन शब्दों के साथ मैं डिमांड का समर्थन करता हूं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में इस समय राष्ट्रपति का शासन है और प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होनेवाला है। यह आशा की जाती है कि अब से लेकर मध्यावधि चुनाव होने तक शासनतन्त्र का दलगत लाभ के लिये उपयोग नहीं किया जायगा। मुझे यह कहते हुए खेद है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति के शासन का उपयोग कर के कांग्रेस पार्टी चुनाव की दृष्टि से अपनी पैंतरेबाजी चला रही है। अधिकारियों की नियुक्ति में, यहां तक कि उन के तबादले में भी राजनीतिक प्रभाव काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय प्रधान मंत्री से प्रेरणा लेते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव गृह मंत्री के साथ जुड़े हुए हैं.....(**व्यवधान**).....जो राज्य के पुराने दो मुख्य मंत्री हैं उन के संघर्ष की पृष्ठभूमि में काम कर रहे हैं।

अभी राज्यपाल महोदय ने एक कमेटी बनाई है जो किसानों से सम्बन्धित कानूनों की देखभाल करेंगी तथा उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी को उस कमेटी का प्रधान बनाया है। चौधरी साहब इस काम के लिये सर्वथा उपयुक्त हैं, मगर कांग्रेस के नेताओं को इस पर भी आपत्ति है और इस के लिये वह राज्यपाल की आलोचना कर रहे हैं कि राज्यपाल महोदय ने यह काम प्रधान मंत्री के इशारे पर किया है क्योंकि प्रधान मंत्री चाहती हैं कि चौधरी चरण सिंह भविष्य में आगे आयें। मैं नहीं जानता कि इस आरोप में कहां तक सच्चाई है...

**श्री चन्द्रजीत यादव** (आजमगढ़) : ऐसी बात मत कहो, वह तो आपके नेता हैं।

**प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक कार्य-मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : कोई भी विषय हो माननीय सदस्य की कोशिश यही होती है कि उस को राजनीतिक रंग दिया जाय, कांग्रेस क्या कर रही है या कौन क्या कर रहा है.....

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : हम भूल जाते हैं कि बजट के अन्तरगत सब विषय आ सकते हैं, अब कठिनाई यह है कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, इस की जानकारी आपको नहीं है।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : यह बजट की बहस नहीं चल रही है, सप्लीमेन्ट्री डिमाण्डस् हैं। दोनों के अलग अलग नियम हैं, बजट में सब के लिये कहा जा सकता है, सप्लीमेन्ट्री डिमाण्डस् में सब कुछ नहीं कहा जा सकता।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (बलरामपुर) पंत जी, अब याद आई है। जब तक पाण्डेय जी सब कुछ कहते रहे तब तक नहीं बोले।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The supplementary demands are a miniature budget. You must consider that.

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : मेरा कहना यह है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी अधिकारी दलगत राजनीति में भाग न लें—इस का प्रबन्ध करना बहुत आवश्यक है। अधिकारी अगर राजनीति में हिस्सा लेगें तो शासन बिगड़ जायगा, अधिकारी अगर गुटबन्दी में फंसेंगे तो जनता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर सकेंगे। मैं चाहता हूं कि इस आरोप की जंच की जाय—उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव फाइलें लेकर भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री चन्द्रभानु गुप्त के यहां जाते हैं....

**श्री शिव नारायण** : यह गलत है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : आपके कहने मात्र से गलत सिद्ध नहीं होगा।

**श्री शिव नारायण** : चरण सिंह को प्रेसिडेंट बनाया है—यह आपने खुद ही कहा है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : उपाध्यक्ष महोदय, आप स्वीकार करेंगे .....

**श्री महाराज सिंह भारती** (मेरठ) : दोनों के यहां जाते हैं।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : दोनों के यहां जाते हैं—वह और भी गलत है। अगर उत्तर प्रदेश के अधिकारी इस तरह से राजनीति में दखल देगें तो यह शासनतन्त्र के लिये बहुत बुरा होगा। मैं एक और उदाहरण आपको दूं—जब चौधरी चरण सिंह विधान सभा में कांग्रेस दल छोड़ कर विरोधी दल में आ कर बैठे, उस समय तक वे मुख्य मंत्री नहीं बने थे—उन को बधाई देने के लिये अनेक अफसर गये—यह उत्तर प्रदेश के अफसरों की स्थिति है —चाहे यह कांग्रेस के लिये हो या विरोधी दल के लिये हो—स्वस्थ नहीं कहा जा सकता। मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री महोदय, इस बात पर ध्यान दें। हम जानते हैं कि मध्यावधि चुनाव होने में कांग्रेस का स्वार्थ है, लेकिन...

**श्री शिव नारायण** : सब का स्वार्थ है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : हमारा भी स्वार्थ है, मगर हम शासन तन्त्र का दुरुपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन है तथा केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश में शासन के लिये उत्तरदायी है। मैं चाहूंगा कि शासनतन्त्र का दुरुपयोग किसी भी दल के लिये नहीं होना चाहिये, न दल के किसी गुट के लिये होना चाहिए और जब तक मध्यावधि चुनाव नहीं होते आप अफसरों के तबादले बन्द कर दीजिये। अफसरों के तबादले चुनाव को ध्यान में रख कर कराये जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन मैं जगह बतला सकता हूं कि किस उम्मीदवार को हराने के लिये किस अफसर को भेजा जाय, इस का मोहरा बैठाया जा रहा है। कम से कम मध्यावधि चुनाव तक अफसरों के तबादले रोके जा सकते हैं– इस पर गम्भीरता से विचार होना चाहिये।

**श्री शिव नारायण** (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश का हूं और वहां की जनता द्वारा इलैक्टेड मेम्बर हूं। मैं वाजपेयी जी से निवेदन करना चाहता हूं—प्रधान मंत्री जी भी यहां मौजूद हैं—हम दलगत बात नहीं करना चाहते हैं—आज वहां पर प्रेसिडेन्ट रुल है, डिक्टेटरशिप की सरकार है, जिसकी आप मांग करते थे, जिसका आप ख्वाब देखा करते थे, कांग्रेस गवर्नमेन्ट को गालियां देते थे, कहते थे निकम्मी सरकार है, इस को बदलो, डिक्टेटरशिप लाओ—वह नमूना आज उत्तर प्रदेश में मौजूद है। वहां के गवर्नर महोदय ने आठ रुपया फ़ी हार्स पावर रेट बढ़ा दिया है, इस से किसानों को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। हम अमरीका से भीख मांगते हैं–

लेकिन जब किसान काम करना चाहता है तो पहले उस को साढ़े सात हार्स पावर के लिये 675 रु० सालाना देना पड़ता था, चाहे खर्च करे या न करे, आज उस को डबल कर दिया गया है। मैं किसानों की वोट से चुन कर आया हूं, इस लिये किसानों की वकालत करने यहां पर आया हूं। मैं प्रधान मंत्रीजी की नौलिज में भी इस बात को लाया हूं और वहां के चीफ़ सैक्रेटरी से भी कहना चाहता हूं कि वह गवर्नर साहब के पास हमारा यह मैसेज कन्वे कर दें—यह उचित नहीं है, अनुचित है, हमारी मांग है कि इस को एबोलिश किया जाय।

जैसा पांण्डेय जी ने कहा, मैं उस जिले से आता हूं जहां राप्ती नदी और उस की सात नदियां हैं। जब बरासात पड़ती है तो मालूम पड़ता है कि समुद्र आ गया है। बस्ती, गोरखपुर और देवरिया जिलों में घाघरा बढ़ती है तो पानी ही पानी दिखाई देता है, उस का कोई कन्ट्रोल नहीं है। मैंने उस समय यू० पी० गवर्नमेन्ट को एक सजेश्चन दी थी और उसे यहां पर भी रखा था कि 16 करोड़ रुपया खर्च करने से हम उस को कन्ट्रोल कर सकतें हैं। मैं चाहता हूं कि इस घाघरा नदी का कन्ट्रोल किया जाय। मैं यहां पर पोलिटिक्स डिस्कस करने नहीं आया हूं—मैं सरकार से मांग करता हूं—

गरीबों को मिले रोटी तो मेरी जान सस्ती है। मैं किसानों की मांग यहां पर पेश करनें आया हूं, इस मुल्क की मुसीबतों को हल करनें के लिये यहां पर आया हूं। फूड मिनिस्टर भी यहां पर बैठे हैं—मैं उन के बाजुओं को मजबूत करना चाहता हूं। उनको खेती कर के अन्न देना चाहता हूं, बजाय बिदेशों से और दूसरे राज्यों से भीख मांगने के हम अपने बाजुओं से काम कर के सरकार को अन्न देना चाहते हैं।

चुनाव की जो बात वाजपेयी जी ने उठाई—मैं कहता हूं कि किसी अफसर का ट्रांसफर न करें—हमारे अफसर बहुत ईमान्दार हैं। मैं जैनरल इलैक्शन में लड़ कर आया हूं, हमारे यहां दो अफसर थे—मैं दोनों की सराहना करना चाहता हूं। मैं ईमान्दारी से कहना चाहता हूं कि जब मैंने कलैक्टर से कहा कि बड़ी गुण्डागर्दी हो रही है, मगर उन्होंने कहा कि बरदाश्त करो। हमारे यहां मशहूर था, जनसंघ पर चार्ज लगाते थे, लेकिन हम ने बरदाश्त किया। मेरे यहां बहुत से अफसर आते हैं, चले जाते हैं, मैं पहचानता तक नहीं, क्योंकि मैं उन के एडमिनिस्ट्रेशन में दखल नहीं देना चाहता हूं। लेकिन आपके शिक्षा विभाग से एक किताब निकली है—पन्त जी, यहां पर मौजूद हैं—मेहरबानी करके ज़रा उस किताब का ज़िक्र कर देंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: He may resume his speech after lunch.

13.00 HRS.

*The Lok Sabha adjourned for lunch till Fourteen of the Clock.*

*The Lok Sabha reassembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the Clock.*

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

## DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (UTTAR PRADESH) 1968-69—*Contd.*

**श्री शिव नारायण**: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि हमारे स्टेट फाइनेन्स मिनिस्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि नैनीताल के इलाके में और अलमोड़ा के इलाके में मैं दौरा करके आया हूं, वहां पर जितनी गरीबी है वह अन्यत्र देखने को नहीं मिलती है। मुझे देखकर

[श्री शिव नारायण]

तरस आया। मैं तमाम जगहों पर घूमा हूं। बुन्देलखंड के इलाके में लोग गढ़े का पानी पीते हैं, उनको पीने का पानी तक एवेलेबिल नहीं है।

"रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून
पानी गये न ऊबरै मोती, मानुष, चून।"

यह बहुत गम्भीर बात है। आज उत्तर प्रदेश में प्रेसीडेन्ट रूल है। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर कहता हूं कि बुन्देलखंड के इलाके को इग्नोर न किया जाए बल्कि गम्भीरतापूर्वक उसपर ध्यान दिया जाए। वह बड़ा अच्छा इलाका है। बड़ी मात्रा में वह गेहूं पैदा करके दे सकता है बशर्ते कि आप वहां पर पानी का इन्तजाम कर दें, खाद की कोई आवश्यकता नहीं है।

अब मैं ला ऐन्ड आर्डर पर आता हूं। मुझे अफसोस है कि यहां पर होम मिनिस्टर साहब मौजूद नहीं हैं। मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में आजला ऐन्ड आर्डर नहीं है। हरिजनों के साथ जुल्म हो रहा है, उनके सर पर नंगी तलवार नाच रही है। आंध्र से जरा सी आवाज हुई तो आप एलर्ट हो गए लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए आपके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश टोटली नेग्लेक्टेड है। जिस इलाके को हम बिलांग करते हैं वह वहां पर भी टोटली नेग्लेक्टेड है और इस सरकार में भी टोटली नेग्लेक्टेड है। सरकार में भी उस इलाके का कोई रिप्रेजेन्टेटिव नहीं है। उत्तर प्रदेश का वह पूर्वी इलाका आज जर्जरित हो रहा है। जब श्री टी० टी० कृष्णमाचारी यहां पर फाइनेन्स मिनिस्टर थे तो उनसे हमने एप्रोच की थी और उन्होंने बस्ती, बलिया को पटेल कमीशन के अन्तर्गत शामिल कर लिया था लेकिन बीच में गोरखपुर को छोड़ दिया गया। गोरखपुर उस इलाके का सबसे बड़ा जिला है, वहां पर यूनिवर्सिटी है, शिक्षा का केन्द्र है, रेलवे का जंक्शन है। उस जिले को इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए।

जैसा कि मैं पहले कह रहा था, ला ऐन्ड आर्डर की सिचुएशन यह है कि थाने में जो भी रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है, वही पीटा जाता है और थानेदार साहब उसी से पैसा वसूल करते हैं। यह आलम है वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन का। उत्तर प्रदेश के अफसरान नोट करें, हम कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं बल्कि पक्के हैं, जिस अफसर के खिलाफ भी करप्शन के चार्जेज हों उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इस मामले में मैं वाजपेयी जी से एग्रीड हूं कि अफसरान के खिलाफ कोई चार्जेज हों तो उसकी पूरी जांच होनी चाहिए।... (व्यवधान) .....मैं वही कह रहा हूं कि हत्यायें हो रही हैं, जुल्म हो रहे हैं, लोग मारे पीटे जा रहे हैं। यह बात एक कांग्रेस वाला कह रहा है, कोई अपोजीशन वाला नहीं कह रहा है। कांग्रेस का ही यह दम है कि हम जो भी चाहें कह सकते हैं। यह चेकोस्लोवाकिया नहीं है और न यहां पर हम आप की तरह रूस के ही नमूने हैं। हमको हर बात कहने की फ्रीडम है। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जो हम बताते हैं उसपर अमल करो। आज हमारे हरिजनों के लड़के एम. ए. पास हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिलती है। इस बात के लिए मैं ने पन्त जी का अटेन्शन दा किया है। जनसंघ के नेताजी यहां से चले गए हैं, एक आफिसर से किताब लिखवाई गई है, मैं कहता हूं कि गवर्नर साहब उसकी जांच क्यों नहीं करते हैं? मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से और गवर्नर साहब से मांग करता हूं कि वे इस बात की

जांच करायें कि ऐसी गन्दी किताब किसने लिखी है। डिमोक्रैसी का हनन करने के लिए वह किताब लिखवाई गई है, उसको तो चौराहे पर फुंकवा देना चाहिए और उस आदमी के खिलाफ ऐक्शन लेना चाहिए।

**श्री रणधीर सिंह** (रोहतक) : किताब का नाम क्या है ?

**श्री शिव नारायण** : सभी जानते हैं।

**एक माननीय सदस्य** : वह किताब किस ने लिखी है ?

**श्री शिव नारायण** : पंत जी जानते हैं। मेरा अनुरोध है कि करप्शन जोकि उत्तर प्रदेश के प्रशासन में व्याप्त है उस को मिटाने के लिए मंत्री महोदय गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

ट्यूबवैल्स के बारे में बहुत अंधेरगर्दी है। उदाहरणस्वरूप मैं बतलाना चाहता हूं कि पिपरा गौतम भेलवाल में एक लक्ष्मीसिंह ठाकुर किसान हैं। उन्होंने भारत की आजादी के लिए बहुत त्याग व तपस्या की है और जबकि उस गांव के उन ठाकुरों ने हलदी की एक नाव को लूट लिया था तो अंग्रेजों ने उस इलाके को तबाह कर दिया था, उन्होंने ट्यूबवैल के लिए जमाना हो गया दरख्वास्त दी थी लेकिन अभी तक उन को वह ट्यूबवैल नहीं दिया गया। मैं चाहूंगा कि इस बारे में जांच की जाय।

मेरे मित्र श्री के० के० नायर सदन में बैठे हुए हैं वह आप को उस प्रदेश के प्रशासन के बारे में बतलायेंगे कि वहां कैसा अंधेर मचा हुआ है। मैं अन्त में और अधिक न कहते हुए उत्तरप्रदेश की बजट ग्रांट्स का समर्थन करता हूं और मांग करता हूं कि पिछली संविद सरकार ने हमारे गरीब हरिजन बच्चों के लिए शिक्षा सम्बंधी ग्रांट जोकि उन्हें मिला करती थी उसे उसने बंद कर दिया था वह फिर से चालू कर देने की कृपा करें। इन शब्दों के साथ मैं उत्तर प्रदेश की बजट डिमांड्स का समर्थन करता हूं।

**श्री महन्त दिग्विजय नाथ** (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की सप्लीमैंटरी डिमांड्स फौर ग्रांट्स पर अपने विचार प्रकट करने का जो आपने मुझे अवसर प्रदान किया है उस के लिए मैं आप का बड़ा अनुगृहीत हूं।

मैं उस जगह से आ रहा हूं जोकि भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम का स्थल रहा है चाहे वह सन् 1857 का स्वातंत्र्य समर हो या वह सन् 1921 की भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति का आंदोलन हो। भारतीय राजनीति में सदा उस का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। देश की खातिर वहां के लोगों ने जितना त्याग व बलिदान किया है उतना देश के अन्य किसी हिस्से में नहीं हुआ है। लेकिन मैं आप को उसी के साथ यह भी बतलाना चाहता हूं कि वहां के लोग इतने गरीब हैं कि एक वक्त भी उन को भरपेट भोजन नहीं मिलता है। और सूबों के मुकाबले वहां पर इतनी अधिक आबादी है, और भूमि भी उस के अनुसार कम है इसलिए वहां आवश्यक खाद्यान्न का उत्पादन नहीं कर सकते हैं और वह इस स्थिति में नहीं हैं कि वह अपने बच्चों को दोनों वक्त भरपेट खाना खिला सकें। वहां पर काफ़ी गरीबी फैली हुई है। वहां के लोग कोयला खानों में मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं यानी झरिया, धनबाद और रानीगंज कोल माइंस में आप को यहां के लोग मजदूरी करते बहुत अधिक मिलेंगे। इतना ही नहीं, यहां के लोग देश से बाहर भी मजदूरी करने जाते हैं और बैंगकाक और अन्य देशों में मजदूरी आदि करके अपना जीवनयापन करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि गोरखपुर पूर्वी अंचल की

[श्री महन्त दिग्विजय नाथ]

एक ऐसी जगह है और जिसमें देवरिया, बस्ती और बिहार का भी कुछ हिस्सा आता है जहां पर कि आप को पूरा पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है।

वह कृषि प्रधान क्षेत्र है और उस की उन्नति की ओर विशेष रूप से सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। आप उधर नैपाल की तराई के किनारे पर चले जाइये। वहां पर केवल एक फसल होती है जिसको कि लेट पैडी यानी अगहनी कहते हैं। सिंचाई का कोई साधन नहीं है वर्षा पर्याप्त नहीं होती है और परिणामतः पांच साल में केवल दो साल की ही फसलें होती हैं और पानी के अभाव में तीन वर्ष सूखा रहता है। न तो वहां पर बिजली के कुएं हैं और न ही लिफ्ट इरीगेशन की व्यवस्था है। न वहां पर नहरें हैं न कुएं, तालाब आदि हैं और सिंचाई के लिए किसी प्रकार का साधन वहां पर न होने के कारण जो ऐरिया धान के लिए सरप्लस ऐरिया है और दूसरे जिलों को धान दे सकता था वह स्वयं अपने खाने भर भी अनाज पैदा नहीं कर सकता है। मेरा सुझाव है कि गवर्नमैंट वहां पर अपनी ओर से अधिक से अधिक ट्यूबवैल्स लगाये और साथ ही यह भी बहुत आवश्यक है कि उन्हें बिजली सस्ती दर पर उस के लिए मुहैय्या की जाय। आज राष्ट्रपति शासन के दौरान किसानों को बिजली महंगी दर पर दी जा रही है अर्थात् 8 रुपया फ़ी हौर्स-पावर प्रति मास के हिसाब से दी जा रही है। एक साल में 96 रुपया हम को अधिक देना पड़ रहा है। अगर दस हौर्स पावर पर हिसाब फैलाया जाय तो 960 रुपया आता है। इसके अतिरिक्त जो बिजली खर्च होती है उसका अलग से शुल्क लिया जाता है। नतीजा यह हो रहा है कि बहुत से ट्यूबवैल्स जोकि प्राइवैट्ली लोगों ने लगाये भी हैं वह भी उन्हें डिस्कनैक्ट करने जा रहे हैं। बजाय इस के किसान लोग उन ट्यूबवैल्स को बिजली से चलायें उन्हें उन ट्यूबवैल्स को डीज़ल आयल से चलाना सस्ता पड़ेगा। चार महीने बरसात में बिजली इस्तेमाल नहीं होती है लेकिन बिजली का उस चार महीने के लिए उन से सरचार्ज वसूल होगा। मैं चाहता हूं कि सरकार इस बिजली की दर को सस्ती करने के बारे में ध्यान दे। अगर उन को बिजली सस्ती दर पर नहीं दी गयी तो कृषि उत्पादन में कमी हो जायगी और लोग भूखों मरेंगे। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि वहां पर कुंओं में रहट लगाये जा सकते हैं और वहां पर ट्यूबवैल्स की जगह पर लिफ्ट इरीगेशन की व्यवस्था करें, बड़े बड़े तालाबों से लिफ्ट इरीगेशन से आप पानी दे सकते हैं।

रुपये के अभाव में वहां गंडक की योजना अभी तक तैयार नहीं हुई है लेकिन जब भी वह 2, 3 या 4 वर्ष के बाद तैयार हो जायगी तो उस से बिहार के भी बहुत से हिस्से को पानी मिल सकेगा। साथ ही पूर्वी हिस्सा जो आप का गोरखपुर या देवरिया का है उस को भी पानी मिल सकेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि फ़ाइनैंस मिनिस्टर साहब इस पर अधिक से अधिक ध्यान देकर इस गंडक योजना को पूरा कर दें और ऐसा करके वह एक बहुत बड़ा उपकार इस अंचल का कर सकेंगे।

मैं एक बात की तरफ़ और हाउस का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि उद्योगपतियों को विशेषकर अल्युमीनियम के कारखाने के लिए जो रिहैन्द डैम से बिजली दी जाती है उस की दर खेती वालों को दी जाने वाली बिजली की दर से बहुत कम है। मज़े की बात यह है कि उद्योगपतियों के लिए तो कारखाने के लिए बिजली की दर

में रिआयत दी गई है लेकिन खेती वालों के लिए उस में बिलकुल रिआयत नहीं है। मेरा निवेदन है कि इस चीज़ पर ध्यान दिया जाय और यह बिजली के रेट किसानों के लिए कम करने और पानी के साधन उन्हें मुहैय्या करने के बारे में गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

किसानों को उचित कीमत पर खाद और उन्नत बीज मुहैय्या करने चाहिए। जो एन ई एस ब्लाक्स है इन को बिलकुल खत्म कर देना चाहिए और जो पैसा इस तरह से बचे वह बिजली, खाद और अच्छे बीज किसानों को देने पर खर्च किया जाय और अगर ऐसा किया गया तो खाद्यान्न का उत्पादन काफ़ी बढ़ सकेगा।

इस के बाद मैं कुछ शब्द इन सांप्रदायिक दंगों के बारे में आप से कहना चाहता हूं। आखिर क्या आप ने कभी सोचा है कि यह साम्प्रदायिकता या यह राष्ट्रीयता है क्या? इस देश का विभाजन साम्प्रदायिक आधार पर हुआ था। जो यहां पर बहुमत में हैं वह हिन्दुस्तान के नेशनल्स है इसलिए साम्प्रदायिक दंगों के नाम पर इस तरह हिन्दु बहुसंख्यक को बदनाम करना हमारे ख़याल से उचित बात नहीं है।

अब इस का थोड़ा सा इतिहास मैं बतला देना चाहता हूं कि साम्प्रदायिक दंगों के पीछे किस का हाथ है? अगर यह थोड़ा सा आप की समझ में आ जाय तो आप इस समस्या को सही रूप में समझ सकेंगे। हकीकत यह है कि सन् 1947 के बाद से सन् 1960 तक कोई साम्प्रदायिक दंगे इस देश में नहीं हुए। सन् 1961–62–63 और 64 इन चार सालों में ज्यादा दंगे हुए। सन् 1965 में कुछ कम हुए और वह इसलिए कि पाकिस्तान का हमला हुआ लेकिन 66–67 और 68 में फिर अधिक दंगे शुरु हो गये? आखिर इस का क्या कारण है? दरअसल यह एक बहुत बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय षड़यंत्र हमारे देश के खिलाफ़ चल रहा है कि अंदरूनी तरीक़े से हम लोगों को कमजोर कर दिया जाय और फिर बाहरी आक्रमण करके इस देश को गुलाम बना दें। यह बहुत बडा षड़यन्त्र है जिसके लिए सरकार को सतर्क होना चाहिए। अगर उस पर आप ने ध्यान नहीं दिया और सावधानी व सतर्कता नहीं बर्त्ती तो देश का बड़ा अहित हो सकता है। आप समझ लीजिये कि दूसरे देशों में भी अल्पसंख्यक लोग हैं लेकिन यह साम्प्रदायिक दंगे के नाम पर कहीं भी किसी भी देश में यह नहीं हुआ चाहे वह पाकिस्तान हो, चीन हो, अरब हो, टर्की हो या ईरान हो। कहीं भी आप चले जाइये आप को यह साम्प्रदायिक दंगे होने की बात नहीं सुनने को मिलेगी। इसलिए सब से आवश्यक बात यह है कि आप इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें कि आख़िर इन साम्प्रदायिक दंगों की जड़ में किन का हाथ है और वह कहां से शुरू होते हैं। अगर अल्प-मत वाले शुरु करते हैं तो उस का जवाब आप दे देते हैं कि उन के साथ बहुमत वालों ने बहुत बड़ी ज्यादती की है। और उस का परिणाम किस को भुगतना पड़ता है? उन अफसरों को जो शांति स्थापना करना चाहते हैं।

अभी थोड़े दिन हुए हैं इलाहाबाद में साम्प्रदायिक दंगा किस कारण से हुआ? रंग खेलनें के कारण। पहले हिन्दू और मुसलमान रंग में सम्मिलित होते थे। फिर अगर तुम को रंग से परहेज है तो तुम वहां क्यों जाते हो? अब अगर रंग पड़ ही गया तो तुम्हें क्षमा करना चाहिये था। लेकिन एक घंटे बाद झगड़ा शुरू हो जाता है और एक बहुसंख्यक आदमी मारा जाता है। इस का मतलब यह नहीं है कि बहुमत ने कोई ज्यादती की या जिन लोगों ने शांति स्थापना

[श्री महन्त दिग्विजय नाथ]

करना चाहा उन को वहां से ट्रांस्फर कर दिया जाये। मैं नहीं कहता कि उन को वहां से ट्रांस्फर न किया जाये, मैं नहीं कहता कि उन को सजा न दी जाये, लेकिन इस के माने यह भी नहीं हैं कि बगैर किसी जांच पड़ताल के अफसरों को वहां से हटा दिया जाये। अगर इस तरह से किया गया तो उन का मोराल गिर जायेगा। वह अपने मन में सोचनें लगेंगे कि उन्हें क्या जरूरत है कि वे शांति स्थापना करें? इस लिये गवर्नमेंट को इन मामलों में विशेष रूप से जांच करनी चाहिये।

अभी रक्षा बन्धन के रोज बलिया में एक काण्ड हुआ। क्या हिन्दू लोग अपने त्योहार न मनायें? क्या बात थी कि गोली चलाई गई? जब कभी अंग्रेजों के वक्त में गोली चलती थी तब हम लोग उस की निन्दा करते थे, लेकिन आज आये दिन पुलिस गोली चला रही है। क्या आज कोई और जरिया नहीं है जिस से पुलिस शांति स्थापना कर सके? इस लिये आवश्यक है कि हम पुलिस की इन कार्रवाइयों की भर्त्सना करें। राष्ट्रपति शासन में अक्सर गोली चल रही हैं। सरकारी रिपोर्ट में दिखाया गया है कि दो तीन महीनों से कहीं गोली नहीं चली और बड़ी शांति रही। लेकिन बलिया में क्या हुआ? वहां महावीर जी का जलूस निकल रहा था। वहां पर गोली चलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी तरह से मैं गोरखपुर की एक बात बतला दूं। वहां पर एक डाकू है जिस का नाम राम किशन है। पुलिस अफसरों को वह पकड़ ले गया। जब पुलिस वाले अपनी रक्षा नहीं कर सकते तब देश की रक्षा वह कैसे करेंगे? आप जा कर देखिये। वहां पुलिस पड़ी हुई है, पुलिस का डी एस पी बाहर से आया हुआ पड़ा है। डाकू वहां घूमता रहता है लेकिन आज तक उस को पकड़ा नहीं जा सका है। आप वहां जा कर पता कर सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज निरीह जनता पर गोली चलाने के लिये यह तैयार हैं लेकिन जो डाकू और बदमाश हैं उन को पकड़ने में असमर्थ हैं। आज वहां की मौजूदा पुलिस के लिये जो हमारे खर्च और पैसे से पल रही है हम से अनुदान मांगा जाय यह बेकार की चीजहै।

आज शांति स्थापना करने के लिये सब से बड़ी आवश्यकता यह है कि वहां के लोगों का सहयोग प्राप्त किया जाये और उन लोगों के साथ प्रेम के साथ बात की जाये। अंग्रेज बेवकूफ नहीं थे। वह चले गये यह अच्छा हुआ, लेकिन उन के गुणों को हमें लेने की जरूरत है वह लोग गांव के पटवारी को, चौकीदार को, जमीदार को, सरपंच को सब को मिला कर शांति स्थापना करते थे। उस समय इतनी पुलिस भी नहीं थीं। लेकिन आज आप पुलिस बढ़ाते चले जा रहे हैं और हमारे ऊपर आक्रमण होते चले जा रहे हैं।

इस समय सुरक्षा की स्थिति बड़ी भयंकर हो रही है। इस के सम्बन्ध में मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का जो बार्डर है वह नेपाल से मिला हुआ है। अगर कोई चीन से गोरखपुर आना चाहे तो गोरखपुर सीधा कनेक्ट हो गया है पोखर से। पोखर हो गया कनेक्ट काठमांडू से और काठमांडू नेपाल से। एक सीधा मार्ग बन गया है। इस लिये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही चौकसी वहां करने की जरूरत है। कोई भी आदमी चाहे वह पाकिस्तान का हो या कहीं का हो एम्बैसी में आ सकता है। बार्डर सील नहीं हुआ है। गोरखपुर बस्ती जहां चाहे वह जा सकते हैं और वहां के लोगों को उठा ले जा

सकते हैं। इस लिये मेरा नम्र निवेदन है कि वहां के लिये सरकार को सतर्क होना चाहिये। अगर उस ने वहां पर ठीक से सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की तो देश फिर गुलामी की जंजीर में फंस जायेगा।

एक चीज मैं आप के सामने शिक्षा के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। आज तक इस देश का शिक्षा का सिस्टम नहीं बदला है। मेकाले के सिस्टम से ही आज देश की शिक्षा चल रही है जिस के कारण बेकारी बढ़ती चली जा रही है। जब तक यह सिस्टम चलता रहेगा बेकारी बढ़ती चली जायेगी और हम गुलामी की जंजीर में फंसते चले जायेंगे। जब तक अपनी आवश्यकता के अनुसार, राष्ट्र की आवश्यकता क्या है, उस के अनुसार, देश में चेतना आये, देश में राष्ट्रयीता आये जिस से देश का मोराल बढ़ सके, ऐसी शिक्षा का निर्माण आप नहीं करेंगे और मेकाले का सिस्टम चलायेंगे तो होगा क्या कि हमारे यहां शिक्षा का स्तर गिरता चला जायेगा। आज तो आप ने शिक्षा के स्थानों में भी ट्रेड यूनियननिज्म घुसेड़ दिया है। जब विद्यार्थी ट्रेड यूनियन वहां नहीं थी तब शिष्य और गुरु में अपना एक सम्बन्ध होता था क्योंकि उन लोगों में भावना थी साथ यह भी कारण था कि रिलिजस ट्रेनिंग हुआ करती थी। शिष्य में एक आध्यात्मिक भावना आती थी कि गुरू पिता के तुल्य है इस लिये शिष्य के दिल में कभी यह भावना नहीं आती थी कि वह पिता के तुल्य गुरु के खिलाफ कोई आवाज उठाये। लेकिन आज तो आये दिन टीचर मारे जाते हैं। अगर कोई नकल करता हुआ पकड़ लिया गया तो टीचर के छुरा भौंक दिया जाता है। यह इस कारण है कि वहां पर यूनियन हैं और यूनियन को पोलिटिकल पार्टीज अपने हितों के लिये प्रयोग करती हैं। जो विद्या का मंदिर, देवी का मंदिर माना जाता था वह नष्ट हो रहा है। इस लिये शिक्षा मंत्री जी से मेरी विनंती है कि हिन्दुस्तान की आवश्यकताओं को देखते हुए शिक्षा के रूप में आमूल परिवर्तन होना चाहिये। इसी तरह से आप देश को बचा सकेंगे अन्यथा नहीं।

दूसरी सब से बड़ी चीज जो मुझ को कहनी है वह यह कि सड़कों का निर्माण जल्दी से जल्दी होना चाहिये। आप देहातों में चले जाइये। वहां पर देश की रक्षा के लिये किस चीज की आवश्यकता है इस को बेचारा किसान नहीं समझता। इस लिये सुरक्षा की दृष्टि से बार्डर की तरफ जो सड़के हैं उन का सरकार को जल्दी से जल्दी निर्माण कराना चाहिये। वहां के याता यात के लिये और अगर हम को बार्डर एरियाज में फौज जल्दी जल्दी भेजनी पड़े तो उस को जल्दी भेजने के लिये, बार्डर की सुरक्षा के लिये इस की व्यवस्था की जानी आवश्यक है।

**श्री महाराज सिंह भारती** (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम को मौका नहीं मिलेगा। हम लोग यहां कल से बैठे हुए हैं। लेकिन हमारी पार्टी के किसी आदमी को मौका नहीं मिला।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will get your time.

**श्री महराज सिंह भारती**: क्या मंत्री महोदय के बोलने के बाद मौका मिलेगा?

MR. DEPUTY-SPEAKER: When we started further discussion of the Supplementary Demands it was announced that because immediately after the continuation of the Proclamation was also coming up, either they should be taken together or time should be provided. We will finish this in one hour and again three hours will be left.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): Can we talk about the Budget there?

**श्री महाराज सिंह भारती** : आप को पहले से सोचना चाहिये था। पहले तो आप सदस्यों को पन्द्रह पन्द्रह मिनट देते चले गये। क्या आप हम को पांच मिनट भी नहीं देंगे ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: He will get his time. I have not called anyone from this side also.

**श्री मौलहू प्रसाद** (बांसगांव) : हमारी पार्टी को आप को टाइम देना ही पड़ेगा। (**व्यवधान**)

**श्री महाराज सिंह भारती** : इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। क्या आप हम को पांच मिनट भी नहीं देंगे ? या तो आप हम से शुरू ही में कह देते कि हमारे दल से किसी को समय नहीं देंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You were not here, perhaps; I do not know.

**श्री महाराज सिंह भारती** : मैं कल से लगातार यहां बैठा रहा हूं, आज भी लगातार बैठा रहा हूं। चिट्ठी भी आप के पास भेजी है। इस का क्या मतलब है कि हम को टाइम नहीं दिया जायेगा ?

MR. DEPUTY-SPEAKER: Professor Ranga raised this issue.

**श्री महाराज सिंह भारती** : आप चाहे जिस जिस से सलाह लीजिये। भले ही आप एक एक दो दो मिनट बुलवाइये, लेकिन सब को समय मिलना चाहिये। यह गलत बात है उत्तर प्रदेश आठ करोड़ की आबादी का प्रदेश है.... (**व्यवधान**)।

MR. DEPUTY-SPEAKER: You will resume your seat.

**श्री मौलहू प्रसाद** : अगर हमें समय नहीं मिलेगा तो यह सभा नहीं चलेगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER: I have not called anyone from this side also. Shri Bharati will get his time. I am not curtailing the time. Shri Bharati's name is there.

**श्री महाराज सिंह भारती** : इस के बाद मैं नहीं बोलूंगा। आप टाइम देंगे तब भी नहीं बोलूंगा। आप मुझे अभी बोलने दीजिये। मैं इस तरह से बोलने वाला नहीं हूं कि किसी भी विषय पर बोल लूं। जिस पर मैं तैयारी करता हूं उसी पर बोलता हूं। मैं इर्रेलेवेंट नहीं बोलता हूं।

SHRI RANDHIR SINGH: Let Shri Maharaj Singh Bharati speak.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): You remember, Sir, the time for these Supplementary Demands was only one hour. In that case all parties will not get even 10 minutes or 5 minutes each. The Speaker in his wisdom, therefore, decided about 2 hours for this..... (*Interruption*).

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Banerjee, you are making a mistake. We have increased it to 2 hours and 2 hours are over now—just 10 minutes remain. (*Interruptions*).

SHRI S. KANDAPPAN: Sir, I was here yesterday and I know what was happening yesterday. Mr. Maharaj Singh Bharati belongs to the S.S.P. group and he is very keen to speak on the Supplementary Demands of U.P. He was waiting here till 7 O'Clock yesterday, till the House adjourned. Today, I find—I do not mean to cast any reflection on anybody—from the proceedings that two spokesmen from the Jan Sangh Party have spoken on the Supplementary Demands of U.P. alone. Now, here is a group which has got a stake in U.P. They are interested in the mid-term U.P. elections. My Party did not claim any time and I do not want to speak at all. I do not know anything about U.P. affairs. As far as we are concerned, we do not want to take any time and we do need

it. But here is a group which is going to face the elections in U.P. They have got a stake in the U.P. elections. They have to make some points. It is their genuine demand. At least those groups who have separate identities and who are interested in U.P. should be given a little time. There is, for example, the motion for the continuation of the Proclamation in U.P. On that, he cannot speak about the budget and he cannot demand a reply from the Finance Minister. It is only fair that you extend the time a little for the S.S.P. and other separate groups who are interested in U.P. affairs.

MR. DEPUTY-SPEAKER: We had increased the time to 2 hours for Supplementary Demands and 2 hours are almost over. We have 3 hours for the continuation of the U.P. Proclamation. What I would suggest is that if some Members would like to participate on the Supplementary Demands only just now, I will make an adjustment of half an hour. This morning, when the issue was raised by Prof. Ranga, it was ruled that we may combine both the things and the reply can come later on. But that was not accepted by the House. I will call Mr. Maharaj Singh Bharati. If everybody insists on speaking on the budget, it will not be possible. I am only making an adjustment and I will curtail the time on the other thing. I wanted to adjust it with the concurrence of the House.

**श्री महाराज सिंह भारती** (मेरठ) : जनतंत्र में नीति निर्धारित करने का काम राजनीतिज्ञों का होता है और उस नीति को व्यावहारिक रूप देने का काम जो है वह कार्यपालिका का होता है। जिस जनतंत्र में नीति निर्धारित करते हैं अफसर और उस पर अमल करने का काम अपने ऊपर ले लेते हैं। राजनीतिक और वे हर छोटे बड़े काम में अपनी टांग अड़ाया करते हैं वह जनतंत्र सड़ जाता है। जिस देश में बड़े बड़े अफसर ही नहीं छोटे अफसर भी अपनी मर्जी से नीति निर्धारित करने लग जाते हैं वहां तो जनतंत्र बहुत ही बुरी तरह से सड़ जाता है। यही हालत आज उत्तर प्रदेश की हो रही है। संविधान में आपने जो कुछ भी व्यवस्था कर रखी है, उसका हनन करके और उसकी आत्मा का हनन करके कई पुलिस के अधिकारी अपनी मर्जी से अपने इलाकों में खुद अपनी नीति निर्धारित करते फिरते हैं। इसके मातहत वे आगरे में लूट मचाते हैं और मथुरा के अन्दर जब लोग आते हैं कहने के लिए कि हमारे गांव डूब गए हैं, उन में से पानी निकालो तो उन पर लाठी प्रहार करके उनको जेलों में बन्द कर दिया जाता है। कहीं पर तो महिलाओं को नंगा करके उनका जलूस निकाला जाता है। यह सवाल उनके अन्याय का नहीं है बल्कि सवाल यह है कि उनकी मनोवृत्ति किस प्रकार की बना दी गई है। वे जैसे चाहें, जिस तरह से चाहें नीति बना सकते हैं और अपना काम चला सकते हैं। अगर इसको बदला नहीं जाएगा तो जनतंत्र सड़ जाएगा, कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि सब के लिए सड़ जाएगा।

बिजली के सम्बन्ध में हमने अखिल भारतीय स्तर पर तय किया था कि बारह नए पैसे फी यूनिट से ज्यादा किसी भी किसान को हिन्दुस्तान के किसी भी हिस्से में बिजली नहीं दी जाएगी और बिजली की अगर लागत ज्यादा आएगी तो उसको सूबे की तरफ से और केन्द्र की तरफ से सबसिडाइज किया जाएगा। लेकिन आप देखें कि 1-7-68 से राष्ट्रपति शासन काल में उत्तर प्रदेश में क्या कानून बनाया गया है? इस में 96 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से टैक्स लगाया गया है और आठ नए पैसे प्रति यूनिट बिजली का मूल्य निश्चित किया गया है। इतनी महंगी बिजली पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान तो कभी लेने की

[श्री महाराज सिंह भारती ]

सोच ही नहीं सकता है। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है और जिस में सर्वोत्तम जिला मेरठ का है वह भी यह हिम्मत नहीं कर सकेगा, वहां का किसान भी यह हिम्मत नहीं कर सकेगा कि इतनी महंगी बिजली वह ले सके। उसको फी हार्स पावर के लिए 620 यूनिट के लिए 96 रुपये टैक्स के देने पड़ेंगे और आठ नए पैसे दाम होंगे बिजली के और इस तरह से कास्टप्राइस आ कर बैठेगी 23 नए पैसे। इसके विपरीत अखिल भारतीय नीति जो हमने तय की थी वह बारह नए पैसे की थी। उत्तर प्रदेश में इस नीति को तोड़ देने का हक किसी को नहीं है। मैं चैलेंज करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में जो आपके सरकारी ट्यूबवैल चल रहे हैं उनको जिस आधार पर आप बिजली दे रहे हैं, जिस मूल्य पर सरकार उनको बिजली दे रही है क्या उसी आधार पर वह किसानों को भी देने के लिए तैयार है जिन्होंने प्राइवेट ट्यूब वैल लगा रखे हैं? सरकारी ट्यूबवैल्ज़ का जो मिनिमम कमांड होता है वह तीन सौ एकड़ होता है और पांच सौ और एक हजार तक वह कमांड जाता है जबकि प्राइवेट किसानों के ट्यूबवैल्ज़ का कमांड पांच दस या पंद्रह बीस एकड़ का होता है। इस वास्ते मैं जानना चाहता हूं कि जिस आधार पर और जिस कीमत पर सरकार सरकारी ट्यूबवैल्ज़ के लिए बिजली देती है क्या उसी आधार पर वह प्राइवेट ट्यूबवैल्ज़ को बिजली देने के लिए तैयार हैं हालांकि वे छोटे हैं बेचारे?

उत्तर प्रदेश का राज भाषा अधिनियम 26-1-68 को लागू हो गया था और राष्ट्रपति ने इसको 6-4-68 को अपनी स्वीकृति दी थी। तीन हजार वहां पर हिन्दी के टाइपराइटर भी खरीद लिये गये। लेकिन वहां के मुख्य सचिव ने इन सारे कानूनों और नीति को तोड़ कर अपनी मर्जी से काम अंग्रेज़ी में चालू कर दिया है। अगर वह किसी बड़े अफसर से अंग्रेजी में बात करते होते तो मुझे दुख नहीं था। लेकिन जानबूझ कर इस अधिनियम की हत्या करने के लिए और प्रदेश के लोगों को चिढ़ाने के लिए साइकलों के लाइसेंस रिन्यू करने वाला जो चपड़ासियों का सर्क्युलर था उसको उन्होंने अंग्रेजी में भेजा जानबूझ कर यह बताने के लिए कि तुम्हारी छाती पर हम अंग्रेजी लाद कर रहेंगे और हिन्दी को नहीं चलने देंगे।

असल में यह जो मुख्य सचिव हैं यह उत्तर प्रदेश के लिए नए नहीं है। वहां यह पहले भी इरिगेशन और सिंचाई के सचिव रह चुके हैं। मैं उन दिनों 1958 से 1964 तक वहां एम० एल० सी० था। मैंने इनके सारे कारनामों को देखा है। जब रिहांड डैम बन रहा था तब इन्होंने कैलकुलेट किया था कि डेढ़ नए पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली तैयार होगी, कोई 1.97 नए पैसे फी यूनिट के हिसाब से तैयार होगी यानी दो पैसे भी। यह हिसाब लगा कर इन्होंने बिड़ला से पैक्ट किया और पच्चीस साल की एक लम्बी अवधि के लिए किया और केन्द्रीय मंत्री से जब इसके बारे में जानकारी ली गई तो पता चला कि 45 लाख रुपया सालाना इस कम दर पर बिजली देने की वजह से उत्तर प्रदेश को घाटा उठाना पड़ेगा और आज वह घाटा कम से कम साठ सत्तर लाख रुपये सालाना का हो गया है। यही सैक्रेटरी उस वक्त वहां बने हुए थे जिन्होंने बिड़ला की गोद में बैठ कर यह सब काम किया था। कोई मामूली काम नहीं किया इन लोगों ने।

माताटीला के उन दिनों यही सैक्रेटरी थे जब बांध बनाया गया। पहले उसका जो बजट बना वह सवा दो करोड़ का

बना। जब उसका ब्लयू प्रिंट बना तो वह बना चार करोड़ का और माताटीला बना ग्यारह करोड़ का। इन से कहा गया कि जांच करो, इस में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी हैं। जांच करके इन्होंनें कहा "आल क्लीयर"। कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। उसके बाद एक विजिलेंस कमेटी बनाई गई श्री प्रयाग नारायण के नेतृत्व में। उस कमेटी ने रिपोर्ट दी कि लाखों का गबन हुआ है। वह क्लीयर रिफलैक्शन था इनके ऊपर। ये नाराज हुए। प्रयाग नारायण जी तो चले गए। लेकिन दूसरे एग्जेक्टिव इंजीनियर जो उस कमेटी के अन्दर नत्थी थे उनको जब इन्होंने सुपरिटैंडिंग इंजीनियर नहीं बनाया तो वहां मंत्री को हस्तेक्षप करना पड़ा। जब उनके हस्तक्षेप से उनको सुपरिटैंडिंग इंजीनियर बनाया गया तो इन्होंने उनको चार्ज नहीं लेनें दिया। मंत्री के हस्तक्षेप से उन्होंनें चार्ज लिया। आज वही सुपरिटैंडिंग इंजीनियर इसलिए निलम्बित हैं क्योंकि सिंचाई विभाग तो कहता है कि उनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है पर मुख्य सचिव कहते हैं कि पुरानी रंजिश है इस आदमी के खिलाफ, इसलिए मैं इसको निरंतर निलम्बित रखूंगा। यह बेचारा पिछड़ी जाति का एक ईमानदार इंजीनियर है। मुख्य सचिव कहता है कि इसको मैं जिन्दा नहीं रहने दूंगा। हालांकि सिंचाई विभाग कहता है कि कोई चार्ज नहीं बनता है लेकिन उसको मुख्य सचिव जबर्दस्ती निलम्बित किए हुए हैं, उसको रगड़ते चले जा रहे हैं। यह है मनोवृत्ति जो वहां काम कर रही है।

अधिकतम जोत की सीमा के द्वारा जितनी जमीन आज तक मिली थी, मुश्किल से उसकी आधी ही आज तक हरिजनों में बंट पाई है, इसको भी आप देखें।

संविद की सरकार के न रहने पर वहां के मुख्य सचिव ने क्या बयान निकाला है, इसको आप देखें। मैं चाहता हूं कि हर राजनीतिज्ञ इसको खान खोल कर सुन ले। इस में सवाल कांग्रेस का या किसी और राजनीतिक दल का नहीं है। सवाल यह है कि क्या आप जनतंत्र को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं? क्या आप अफसरशाही कायम करना चाहते हैं? आप क्यों इस बात को नहीं मानते हैं कि नीति निर्धारित करनें का काम राजनीतिज्ञों का है और उस पर अमल करने का काम अफसरों का है। मेरठ के अन्दर इन्होंने एक नोटिस लगा दिया कि कोई भी किसान जो पूरा रुपया दे कर बिजली लेना भी चाहेगा उसको बिजली नहीं दी जाएगी। कौन होते थे ये अफसर इस तरह का नोटिस लगानें वाले। जब राजनीतिज्ञों ने कहा कि पूरा पैसा देने पर बिजली दी जाएगी तो अफसर लोग कौन होते हैं उस में संशोधन करने वाले और जब इसके बारे में बहस की गई तो जवाब दिया गया कि हम दे नहीं सकते थे, इसलिए यह नोटिस लगा दिया। मालूम ऐसा पड़ता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में न तो कोई सरकार है, न कानून बनते हैं और न ही कोई नीति निर्धारित होती है और अफसर लोग अपनें दिमाग के हिसाब से पालिसी बनो सकते हैं, नीति बना सकते हैं और अपने हिसाब से सरकार को चला सकते हैं। ऐसी हौच पौच सरकार सड़ जाएगी तो कांग्रेस ही मरेगी ऐसी बात नहीं है, देश मरेगा तो हम भी मरेंगे। इस वास्ते सब का भला इस में है कि अफसरों को बताया जाए कि तुम्हारा काम सिर्फ नीति पर अमल करना है, नीति निर्धारित करने का काम तुम्हारा नहीं है, वह हमारा है।

[श्री महाराज सिंह भारती]

मुख्य सचिव की हिम्मत यहां तक हुई कि उन्होंने बयान दे दिया और कह दिया कि संविद की सरकार टूट जाने के बाद आज उत्तर प्रदेश के लोग ज्यादा सुखी हैं और आज के तंत्र को वे ज्यादा पसन्द करते हैं। इसका मतलब क्या है? इससे राजी मत हो जाना कांग्रेस वालो। इसका मतलब यह नहीं है कि संविद की सरकार गलत थी। अफ़सर लोग आपस में बैठ कर कहा करते हैं कि इस का मतलब एक ही है कि ये राजनीतिज्ञ कुछ नहीं जानते हैं, इन की खोपड़ी में अक्ल नहीं है, हम लोग यहां पर राज करेंगे—इन से अच्छा राज करेंगे। यह मनोवृत्ति आज अफ़सरों के दिमाग़ में काम कर रही है। अगर यह मनोवृत्ति बनी रही, तो इस देश में जनतंत्र कभी नहीं चल सकेगा।

उत्तर प्रदेश ने नरोरा, जिला अलीगढ़, में आणविक बिजलीघर बनाने के लिए एक बहुत अच्छा केस बना कर भेजा था। लेकिन क्या यह सरकार आणविक बिजलीघर बना सकेगी? उस का कहना है कि उस के पास स्वदेशी मुद्रा नहीं है। पहले विदेशी मुद्रा की कमी का बहाना कर के बात को टाला जाता था और अब स्वदेशी मुद्रा के कमी का बहाना पेश किया जाता है।

सरकार की ओर से कहा जाता है कि चूंकि सूबों में आपस में झगड़े होते हैं, इस लिए हम बड़े बांध नहीं बना पा रहे हैं। पांच सूबों का मिला-जुला एक कुशाऊ बांध है। हिमाचल प्रदेश का पानी आयेगा। उत्तर प्रदेश में टौस नदी पर बांध बनेगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा को पानी मिलेगा। बिजली हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश को दी जायेगी। ये सब बातें मुद्दत पहले तय हो गई थीं और बांध बनना शुरु हो गया था। लेकिन अब तय किया गया है कि धेला भी नहीं देंगे, इस बांध को पूरा नहीं करेंगे, आज तो इस बांध को बनायेंगे नहीं, इस बजट में भी इस के लिए कोड़ी नहीं देंगे और चौथी पंच-वर्षीय योजना में भी नहीं बनने देंगे। इस स्थिति में हम इस सरकार को क्यों 32 करोड़ रुपये ख़र्च करने के लिए दें?

गंगा घाटी में इतनी नदियां पहाड़ में मिलती हैं। यहां से ले कर बंगाल तक करोड़ों लोग बाढ़ के शिकार होते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश बाढ़ से मर जाते हैं। इस पानी को बांधने के लिए अब तक क्या किया गया है? लेकिन यह सरकार बांध क्या बनवा सकती है, आज तक सर्वेक्षण भी नहीं कराया गया है। अगर मंत्री महोदय से यह पूछा जाये कि कौन कौन से बांध बनाए जा सकते हैं, सिंचाई के लिए कितना पानी मिलेगा, जो हम राजस्थान को भेज सकते हैं और कितनी बिजली मिलेगी, आदि, तो जवाब मिलेगा कि अभी हम ने सर्वेक्षण नहीं कराया है, उत्तर प्रदेश सरकार शायद इस बारे में कुछ कर रही है।

फ़ासफ़ेट मैन्युर हम लगातार विदेशों से मंगा रहे हैं, उस में फ़ारेन एक्सचेंज खो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में देहरादून से लेकर हिमाचल प्रदेश तक सैकड़ों किलोमीटर लम्बा राक फ़ासफ़ेट का पहाड़ खड़ा हुआ है। लेकिन उस पहाड़ को एक्सप्लायट करने वाला कोई नहीं है। शुरू में अफ़सरों ने कह दिया कि इस में फ़ासफ़ोरस का कानटेन्ट बहुत कम है, इस लिए वह कानसेन्ट्रेटिड नहीं हो पायेगा। बाद में पता चला कि टेकना-लोजिकल एडवांसमेंट इतना हो चुका है कि कानसेन्ट्रेशन हो सकता है। लेकिन फ़र्टलाइजर कार्पोरेशन ने कहा कि हम इस को एकसप्लायट नहीं करना चाहते हैं। इस का नतीजा यह है कि आज तक उस पहाड़ को पता नहीं चल रहा है कि मेरा मालिक कौन है, कौन मुझे एक्सप्लायट

कर रहा है। वहां पर उर्वरक के कितने ही कारख़ाने खड़े हो सकते हैं और विदेशों से राक फ़ासफ़ेट मंगाना बन्द किया जा सकता है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार किसी भी दल की रहे, वह जनता की सरकार होगी, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार होगी। हम आप को पसन्द करें या नहीं, यह दूसरी बात है, लेकिन, जनता यदि आप को पसन्द करती है, तो हम आप की सरकार को उतनी ही मान्यता देंगे, जितनी जनतंत्र में देनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात को साफ़ कर देना चाहता हूं कि अगर आज आप खुश होंगे कि अमुक कलेक्टर हम को चुनाव जितवा देगा, वह हमारी जान-पहचान का आदमी है, वह कल हमारे काम आने वाला अफ़सर है और इस प्रकार यदि आप उत्तर प्रदेश की अफ़सर-शाही की मौजूदा मनोवृत्ति को प्रोत्साहन देंगे, उस के द्वारा नीति-निर्धारण करने की यदि आप हौसला-अफ़जाई करेंगे, तो इस का नतीजा यह होगा कि वह अफ़सर तो मरेगा नहीं, उस के तन्ख्वाह और भत्ते में कोई कमी नहीं आयेगी, वह बदस्तूर बना रहेगा, लेकिन आख़िरी ख़मियाज़ा उस सूबे के साथ आप को ही भुगतना पड़ेगा।

इस लिए मैं मांग करता हूं कि इस मुख्य सचिव को तुरन्त वापिस बुला लिया जाये। यह बीमारी उत्तर प्रदेश से दिल्ली में आ गई थी और आप उस को रख रहे थे। जब आठ दिन के लिए कांग्रेस सरकार बनी, तो गुप्ता जी इस बीमारी को दिल्ली से उठा कर लखनऊ ले गये। जब मुख्य सचिव को पता चला कि चरण सिंह आने वाले हैं, तो उस ने चरण सिंह को सलामी दी और उन्होंने उस को बर्दाश्त किया। उस बीमारी को उत्तर प्रदेश से हटा कर दिल्ली में ले आइये। आप उस को सम्भाल सकते हैं। उत्तर प्रदेश का सत्यानाश न कीजिए।

MR. DEPUTY SPEAKER: The Hon. Minister.

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack): What about our Party?

MR. DEPUTY SPEAKER: He will get time on the next item of discussion.

SHRI SRINIBAS MISRA: Why not now on the budget of U.P.?

MR. DEPUTY SPEAKER: I have adjusted it. Whatever he wants to say can be said when the next item is before the House.

SHRI SRINIBAS MISRA: Why not on the Budget when the scope of the discussion is specific?

MR. DEPUTY SPEAKER: Then on the next item, he will not get time.

SHRI SRINIBAS MISRA: May not.

MR. DEPUTY SPEAKER: I can give only 5 minutes now. I am not calling any member from the Congress Benches, so as to save time on this.

SHRI SRINIBAS MISRA: If we shall not get time afterwards, then why five minutes only now?

MR. DEPUTY SPEAKER: Now you want to speak on the budget. Only two hours were allotted. Actually you get only 4 minutes. It was decided this morning also.

**श्री मोहन स्वरुप** (पीलीभीत): उपाध्यक्ष महोदय, कल से इस सदन में उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का जिक्र किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का कारण क्या है। उसका सब से पहला कारण यह है कि जिन लोगों के हाथ में पिछले बीस वर्षों से शासन रहा, उन को अपने झगड़ों से ही फुरसत नहीं मिली कि वे उत्तर प्रदेश

[श्री मोहन स्वरूप]

की उन्नति की तरफ़ ध्यान दे सकें। दूसरा कारण यह है कि उत्तर प्रदेश को भारत सरकार की तरफ़ से जो सहायता मिलनी चाहिए थी, वह कभी भी नहीं मिली। पिछली तीन पंच-वर्षीय योजनाओं और तीन वार्षिक योजनाओं में भारत सरकार की तरफ़ से विभिन्न प्रदेशों को 5,678 करोड़ रुपये की सहायता दी गई, जिस में से उत्तर प्रदेश को अब तक सिर्फ़ 761.6 करोड़ रुपये दिये गये हैं। इस से ज़ाहिर है कि हालांकि उत्तर प्रदेश की आबादी तो देश की आबादी का 17 प्रतिशत है, लेकिन उस को सिर्फ़ 13.4 प्रतिशत ही सहायता मिल सकी है। इस से भी उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन में वृद्धि हुई है।

यह उल्लेखनीय बात है कि केन्द्रीय सरकार की तरफ़ से जो परियोजनायें चलाई जाती हैं, उन से सम्बद्ध क्षेत्र के विकास में बहुत सहायता मिलती है। लेकिन पिछली दो पंच-वर्षीय योजनाओं में केन्द्रीय सरकार की ओर उत्तर प्रदेश में कोई भी परियोजना उत्तर प्रदेश में नहीं बनाई गई। पंच-वर्षीय योजनाओं में केन्द्रीय सरकार की ओर से जो परियोजनायें चलाई गई, उन में उत्तर प्रदेश का हिस्सा बहुत थोड़ा है।

उत्तर प्रदेश ज़मीन से घिरा हुआ है। पिछली पंच-वर्षीय योजनाओं में बन्दरगाहों के विकास के लिए विभिन्न राज्यों को 192.42 करोड़ रुपये दिये गये, लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश के पास कोई बन्दरगाह नहीं है, इस लिए उस को उस रकम का कोई हिस्सा नहीं मिल सका। इसी तरह विद्युत उत्पादन के लिए केन्द्रीय सरकार की तरफ़ से 372.84 करोड़ रुपये ख़र्च किये गये, लेकिन उस में भी उत्तर प्रदेश को कोई हिस्सा नहीं मिल सका।

अभी तक केन्द्रीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में यह परम्परा रही है कि जो राज्य सस्ती भूमि दे सकें और बिजली कम मूल्य में दें, उन के यहां ये परियोजनायें कार्यान्वित की जायें। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा पिछड़ा हुआ राज्य ऐसा करने में असमर्थ है। इस लिए इस परम्परा में आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

केन्द्रीय परियोजनाओं और केन्द्रीय सहायता के सम्बन्ध में इस बात पर कभी विचार नहीं किया गया कि किसी प्रदेश की कितनी आबादी है और उस की आवश्यकतायें क्या हैं। मैं समझता हूं कि अब जब हम चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना को तैयार कर रहे हैं, तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश भारत का सब से बड़ा सूबा है और उस का पिछड़ापन भी सब से अधिक है। इस सम्बन्ध में यह उसूल बनाना चाहिए कि केन्द्रीय सहायता और अनुदान 20 प्रतिशत पिछड़ेपन के हिसाब से और 80 प्रतिशत आबादी के हिसाब से दिये जायें। इस उसूल के मुताबिक चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश को उतनी सहायता और अनुदान मिलना चाहिए, जो कि उस का हक है। अब तक उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार उपेक्षा और अवहेलना होती रही है, अब उस का अन्त होना चाहिए। उत्तर प्रदेश हमारे देश का एक बहुत बड़ा भूभाग है। अगर वह विकसित नहीं होता है, तो देश के विकास की बात करना बिल्कुल बेकार है।

उद्योगों के हिसाब से भी उत्तर प्रदेश बहुत पिछड़ा हुआ है। इस लिए उस के गांवों का औद्योगीकरण किया जाना चाहिए। खेती हमारे प्रदेश का एक मुख्य धंधा है, लेकिन उस में भी वह पिछड़ा हुआ है। खेती के लिए सिंचाई, खाद और बिजली आदि का बहुत महत्व है, लेकिन उन में भी हम बहुत पीछे हैं। अभी हमारे मित्रों ने कहा है

कि राष्ट्रपति के शासन में बिजली पर सरचार्ज लगा कर उस को महंगा कर दिया गया है। मेरी मांग है कि बिजली के सिलसिले में जो सुविधायें पहले मिलती रही हैं, वे मिलनी चाहिए। इस सम्बन्ध में जो दिक्कतें पेश आती हैं, उन को दूर किया जाना चाहिए। उसी के साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि खेती को विकसित करने के लिए किसान को उस की रेम्युनरेटिव प्राइस मिलनी चाहिए। आज दिक्कत यह है कि 81 रुपये पर क्विंटल सरकार ने गेहूं का भाव निश्चित किया है लेकिन बाजार में 65 रुपये, 70 रुपये पर क्विंटल गेहूं बिक रहा है उत्तर प्रदेश में। अभी अभी जो प्रोक्योरमेंट हुआ तो जो मिडिल मेन थे, जो आढ़तिये थे उन्होंने 20–30 रुपये पर क्विंटल मुनाफा कमा लिया। न तो यह काश्तकार की जेब में गया न उपभोक्ता की जेब में गया। तो मैं समझता हूं कि यह जो नीति सरकार की है यह खत्म होनी चाहिए और किसान को एक लाभप्रद मूल्य मिलना चाहिए। तब जा कर का शतकारी का काम आगे बढ़ सकता है।

हमारे प्रदेश में ट्रैक्टर्स की बहुत बड़ी कमी है। ऐग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन उत्तर प्रदेश में जो है उस ने बताया है कि 14700 ट्रैक्टर्स की तुरंत आवश्यकता है और लोग वेटिंग लिस्ट में पड़े हुए हैं। ट्रैक्टर्स मिल नहीं रहे हैं। तो एक ट्रैक्टर बनाने का कारखाना उत्तर प्रदेश में खोला जाय। उत्तर प्रदेश की तरफ से यह मांग की गई है कि ट्रैक्टर बनाने का एक कारखाना खोलने की उन को इजाजत दी जाय। अभी हम जगजीवन राम जी से भी मिले थे...

**श्री रणधीर सिंह**: छोटे ट्रैक्टर्स बनने चाहिए।

**श्री मोहन स्वरूप**: छोटे और मझले दोनों। 14 और 35 हार्स पावर के ट्रैक्टर चाहिए।

एक चीज किसान के सम्बन्ध में और कहना चाहता हूं कि किसान को जब कर्जा लेना होता है तो कर्जे की सुविधा भी सरकार के द्वारा अच्छे ढंग से और व्यवस्थित ढंग से उस को मिलनी चाहिए। आप जानते हैं जब कर्जा लेने किसान जाता है तो उस की हैसियत तस्दीक होती है। उस में लेखपाल से ले कर सारे लोग चूंकि भ्रष्ट हैं इसलिए वह उस से रुपया चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि उस को तरह तरह की परेशानियां भुगतनी पड़ती हैं। तो मैं चाहूंगा कि सरकार की ओर से एक पुस्तिका किसान को दी जाय जिस में उस की जमीन का उल्लेख हो, लगान कितना है, कितनी उस की हैसियत है, कितना कर्जा मिल सकता है, इस सब का उल्लेख हो, इस तरह की एक पुस्तिका तहसील की तरह से किसानों को मिलनी चाहिए और हर साल उस का नवीकरण कर देना चाहिए। यह परम आवश्यक बात है जिस की तरफ मैंने कई बार ध्यान दिलाया है लेकिन उस को पूरा नहीं किया गया है।

एक बात मुख्य रूप से जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जिला परिषद के पुराने अधिकारी जो हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जमाने से काम कर रहे थे, एक तो वह हैं और अब उस के बाद प्लानिंग के आदमी हैं जो गवर्नमेंट के पुराने कर्मचारी हैं, वह भी जिला परिषद् में आ गए हैं, उन को वेतन बहुत ज्यादा मिलता है और जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पुराने कर्मचारी हैं उन को वेतन कम मिलता है। जब एक ही जगह वह काम करते हैं तो उन के वेतन में यह असमानता नहीं होनी चाहिए। अभी बरेली में इस सिलसिले में झगड़ा हुआ था और वहां के अफसरों को उन्होंने घेराव

[श्री मोहन स्वरूप]

किया था। तो मैं चाहता हूं कि यह जो इन के दरमियान में फर्क है जिला बोर्ड के पुराने कर्मचारियों के और प्लानिंग के कर्मचारियों के वेतन में उस को दूर किया जाय क्योंकि एक ही जगह और एक ही विभाग में वह काम करते हैं।

इस के साथ साथ पीलीभीत जो हमारी कांस्टीट्यूएंसी है उस से स्मग्लिंग बहुत होता है चीन के लिए, नेपाल के लिए। मैं चाहता हूं कि उस स्मग्लिंग को रोकने के लिए सक्रिय कदम सरकार उठाए। एक बात और कहना चाहता हूं। एक लेटरल रोड बनाने की बात सरकार की तरफ से हुई है जो उत्तर प्रदेश के अन्दर 400 मील की लम्बाई में है और जो मेरी कांस्टीट्यूएंसी से हो कर जाता है। उस के लिए 36 करोड़ रुपया खर्च करने को मुकर्रर किया गया है और 1968 तक उसे पूरा बन जाना चाहिए था। लेकिन 15.42 करोड़ रुपया उस पर खर्च हुआ और बाकी के लिए कह दिया केन्द्रीय सरकार ने कि अभी नहीं मिल सकेगा। जब भारत पर हमला होता है, चीन का या और किसी का तो तब तो उस की आवश्यकता महसूस होती है लेकिन जब खतरा चला जाता है तो हम सो जाते हैं। यह मनोवृत्ति खत्म होनी चाहिए और यह रोड़ जल्दी से जल्दी बनाया जाना चाहिए।

शारदा सागर और नानक सागर का मामला मेरी कांस्टीट्यूएंसी का है। नानक सागर में जो पिछले साल दरार पड़ी उस से जो हानि हुई वह सब लोग जानते हैं। लेकिन मुझे खेद है कि उस की मरम्मत के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए वह नहीं उठाए गए और आज भी मुझे बताया गया कि अभी बरसात में कुछ जगहों पर दरारें पड़ी हैं, उस की वजह से सागर में जितना पानी था वह छोड़ देना पड़ा। तो मैं चाहता हूं कि यह जो बार बार खतरे होते हैं, बार बार जो डैम टूटते हैं उस को रोका जाय, उस का ऐसा इन्तजाम किया जाय कि ऐसे खतरे न आयें। उसी सिलसिले में एक एन्क्वायरी कमेटी भी बैठायी गई थी। पता नहीं उस की क्या फाइंडिंग हुई, क्या नतीजा निकला। शायद वह खत्म हो भी हो गई है। लेकिन कुछ पता नहीं चल सका कि उस ने क्या कहा।

एक बात और कह कर खत्म करूंगा। हमारे उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक कालेजेज हैं। पीलीभीत में भी है जो कि एक बहुत पुरानी संस्था है। हरिद्वार में है, एक झांसी में है, एक बरेली में बनी है। आयुर्वेदिक कालेजों की स्थिति आज बिगड़ती जा रही है। उन लोगों की मांग है कि उन को किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाय और उन में सुधार किया जाय।

इन शब्दों के साथ में निवेदन करता हूं कि सरकार उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को ठीक करने में योगदान दे।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पन्त)**: उपाध्यक्ष महोदय, यह बहस पूरक मांगों पर थी। लेकिन धीरे धीरे आप की उदारता के कारण यह बजट पर एक जोरदार सामान्य बहस का रूप धारण कर गयी और यहां जो सामान्य बजट में सारी बातें हुआ करती हैं वह इस बहस में हुई हैं। समय मेरे पास कम है। मैं चाहते हुए भी सारे मुद्दों का जबाव तो दे नहीं सकता और बहुत सी बातें ऐसी भी कही गई जिन का स्थानीय महत्व है और जिन पर कि प्रान्तीय सरकार के जो अफसर यहां आए हुए हैं वह उन के बारे में जानकारी प्राप्त कर के कदम उठा सकते हैं। मुझे आशा है कि प्रान्तीय सरकार इन चीजों पर ध्यान देगी और मुझे माननीय सदस्य इजाजत देंगे कि मैं उन चीजों के

बारे में जिक्र करूं जो कि सामान्य हित की हैं। उत्तर प्रदेश के करीब सारे सदस्यों ने जिन्होंने भाग लिया प्रान्त के पिछड़ेपन के बारे में चिन्ता व्यक्त की है। इस भावना को, इस चिन्ता को मैं समझता हूं और मैं इस का आदर भी करता हूं। मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश जो कि इस देश का सब से बडा प्रदेश है जिस की इतनी बड़ी आबादी है और जो कि भौगोलिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से सभी दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस देश में, उसका विकास होना आवश्यक है वरना वह सारे देश के विकास में एक बाधक सिद्ध हो सकता है। इसलिए यह तो सब के ही लिए हितकर होगा अगर उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन दूर हो और इस ओर हमें प्रयत्नशील होना है।

15 HRS

कई माननीय सदस्यों ने इस ओर ध्यान दिलाया कि उत्तर प्रदेश एक कृषि-प्रधान प्रदेश है और यहां अगर सामान्य जनता के जीवनस्तर को तेजी से उठाना है तो कृषि में सुधार ला कर तेजी से उठाया जा सकता है। मुझे खुशी है कि पिछले वर्षों में काफ़ी तरक्की कृषि के क्षेत्र के प्रदेश में हुई। आधुनिक तरीके अपनाए गए। सिंचाई का विस्तार हुआ। खाद की खपत बढ़ी। लेकिन इस बावजूद अभी बहुत कुछ करना बाकी है। यह जरूर है कि कृषि के लिए जिस उत्तर प्रदेश की भूमि एक आदर्श है क्योंकि आप कहीं भी नकशा देखें दुनिया में इतनी समतल जमीन और उस में थोड़ा सा आप खोद ले तो नीचे पानी, कर्मठ किसान, यह सब चीजें एक जहां मिली हुई हैं वहां अगर इन प्राकृतिक साधनों का पूरा उपयोग किया जाय तो कोई बजह नहीं कि उत्तर प्रदेश की कृषि में तेजी से अधिक सुधार न लाया जा सके और उस से सारे देश की खाद्यान्न की समस्या और कृषि के और पदार्थों की समस्या हल न हो सके। इसलिए इस ओर हमें विशेष ध्यान देना है और ध्यान देना है सिंचाई की ओर जिस ओर कई माननीय सदस्यों ने इस सदन का ध्यान खींचा है।

इस के साथ साथ जो कृषि पर आधारित उद्योग धन्धे हैं, उन को हमें बढ़ाना है, अन्य छोटे-मोटे उद्योग धन्धों को भी बढ़ाना है। यह बात नहीं है कि कुछ भी काम नहीं हुआ है—छोटे उद्योग धन्धे आज उत्तर प्रदेश में 17 हजार हैं, लेकिन अभी वे कुछ ही जगहों में सीमित हैं, गाजियाबाद में पनप गये हैं, कुछ इलाहाबाद में हैं, कुछ अन्य स्थानों पर भी हैं, लेकिन आज बिखर कर सारे प्रदेश में फलने की बात है, जिससे कि सारे प्रदेश के जन-जीवन पर उन का असर पड़े —यह होना अभी बाकी है और उस ओर आपको और हम को—सब को मिल कर प्रयत्न करना है। मैं इसी लिये आपसे सहयोग की चर्चा करता हूं—बिना विरोधी दलों के और हमारे अपने दल के सहयोग के यह काम आगे बढ़ नहीं सकता। प्रदेश पीछे पिछड़ गया है, चौथी पंच वर्षीय योजना आ रही है, इस में इतनी तेजी से बढ़ना है कि वह पिछड़ापन दूर हो सके। इस के लिए साधन जुटाने होंगे और प्रजातन्त्र में साधन जब भी जुटाये जायेंगे—लोन्ज़ के ज़रिये जुटाये जायेंगे या टैक्स के ज़रियें जुटाये जायेंगे। जब कभी कोई टैक्स लगे, उस में हमेशा विरोधी भावना रहे तो फिर साधन कहां से आयेंगे—साधनों के बगैर कोई भी प्रदेश तेजी से तरक्की नहीं कर सकता।

15·02 HRS

[SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

केन्द्रीय सहायता की चर्चा की गई है। मैं मानता हूं कि केन्द्रीय सहायता में

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

उन सारी चीजों का ध्यान देना होगा, जिनकी यहां पर चर्चा की गई है। लेकिन केन्द्र से आप कितनी ही सहायता बढ़ा लें, प्रान्त का भी योगदान आवश्यक होता है। जब प्रान्त भी योगदान दे, केन्द्र से भी सहायता बढ़े, प्रान्त के सारे लोग इस काम में जुट जायं, राजनीति को परे रख कर विकास के कार्य में लग जायं, तब ही प्रान्त में तेजी से तरक्की हो सकती है।

**श्री मोलहू प्रसाद**: विदेशी सहायता कम होने लगी है, इसी लिये स्वावलम्बन की बात करने लगे हैं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत**: यदि आप मेरी बात को गम्भीरता से सुनेंगे तो ऐसी बात नहीं करेंगे। यह ऐसी बात है जिसमें कोई राजनीतिक बात नहीं है, कोई दलगत बात नहीं है। यह सारे प्रदेश के फ़ायदे की बात है—इस में हमारा और आपका दृष्टिकोण एक ही होना चाहिये।

मैं केन्द्रीय सहायता के बिषय में कह रहा था। पहली पंच-वर्षीय योजना में केन्द्र ने 87 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश को दिया, दूसरी पंच-वर्षीय योजना में 121 करोड़ रुपया दिया और तीसरी पंच-वर्षीय योजना में 355 करोड़ रुपया दिया। 1966 से 1969 तक उत्तर प्रदेश को 258 करोड़ रुपया केन्द्रीय सहायता के रूप में मिला। अब यदि प्रान्त की योजना के अनुपात से देखा जाय तो हर योजना में केन्द्रीय सहायता बढ़ी है। इसका एक कारण यह है कि पहली दो योजनाओं में कोई क्राइटेरिया नहीं था जिसके आधार पर सहायता बांटी जाती थी, कोई मापदण्ड नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे मापदण्ड बनने लगा और आज कल भी बहस चल रही है कि चौथी पंच-वर्षीय योजना में किन सिद्धान्तों के आधार पर केन्द्रीय सहायता का वितरण किया जाय। इस मामले में यह स्पष्ट है कि वे प्रान्त जिनमें आबादी कम है, क्षेत्रफल ज्यादा है, वे आबादी के अनुपात से ज्यादा सहायता के वितरण का विरोध करते हैं, लेकिन जिन की आबादी ज्यादा है, वे आबादी के आधार पर बांटे जाने के लिये जोर देते हैं। इस लिये आज भी यह बहस चल रही है और मैं यही कह सकता हूं कि पहले के मुकाबले अब आबादी का वजन केन्द्रीय सहायता के वितरण के सिद्धान्त में बढ़ गया है। इस वक्त जो सिद्धान्त हैं उन में 70 प्रतिशत आबादी के आधार पर केन्द्रीय सहायता का वितरण होता है और धीरे-धीरे आबादी का जो महत्व है इस मामले में, उस को पहचाना जाता है। लेकिन इस के बावजूद भी मैं यह नहीं कह सकता कि अन्तिम निर्णय चौथी पंच-वर्षीय योजना के सिद्धान्तों के बारे में क्या होगा।

एक बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं—आबादी के अलावा एक दूसरा सिद्धान्त यह है कि किस प्रदेश में कितने पिछड़े हुए इलाके हैं और जैसा कि कई माननीय सदस्यों ने कहा—उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे जिले हैं जोकि हिन्दुस्तान में पिछड़े हुए जिलों में माने जाते हैं। उन को भी अगर सामने रखा गया तो इस अनुपात में भी कुछ सहायता उत्तर प्रदेश को अधिक मिल सकती है। इस लिये मुझे आशा है कि चौथी पंच-वर्षीय योजना में केन्द्रीय सहायता के बढ़ाने से, प्रान्त के अपने परिश्रम से, विकास के कार्यों में सब दलों के सहयोग से और प्रान्त के लोगों की मेहनत से जो हम पिछड़ गये हैं, उस पिछड़ेपन को दूर कर के अन्य बढ़े हुए प्रान्तों से बराबरी करने के काम में आगे बढ़ेंगे।

सभापति महोदय, कुछ अन्य बातों पर भी इस बहस में जोर दिया गया है—

खास तौर पर कृषि और सिचाई पर। अगर आप इन पूरक मांगों को देखेंगे तो आप पायेगें कि इस में 18 करोड़ रुपये केवल कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिये रखे गये हैं—खास कर उन्नत बीजों पर—हाई ईल्डिंग वैरायटी प्रोग्राम पर बड़ा ज़ोर दिया गया है ताकि उर्वरक का वितरण ठीक से हो सके, किसानों को मिल सके, कृषि के लिये तकावी मिल सके—खास कर छोटे किसानों को मिल सके। इस के अलावा उर्वरक का वितरण तो होता ही है, लेकिन उन का ठीक से स्टोरेज हो सके, गोदामों में ठीक से रखा जा सके—इस पर पचास लाख रुपया खर्च होगा। इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिये, सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लि ढाई करोड़ रुपया रखा गया है—तीन करोड़ रुपया गण्डक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिये रखा गया। एक माननीय सदस्य ने चिन्ता प्रकट की थी कि गण्डक प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है या नहीं—मैं उन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गण्डक योजना आगे बढ़ेगी और जो इस का लक्ष्य है कि 1972–73 तक पूरा हो जायगा—उस को पूरा करने की पूरी कोशिश होगी ताकि 1972–73 तक 7 लाख एकड़ में—उत्तर प्रदेश के देवरिया और गोरखपुर जिलों में—सिचाई का विस्तार हो सके।

इस के साथ ही साथ 50 लाख रुपया फैमिली प्लानिंग स्कीम के लिये रखा गया है। 3 करोड़ रुपया रेवेन्यू एक्सपेन्डिचर के लिये रखा गया है, जिसमें कई मदें शामिल हैं, इस में चुनाव है, पुलिस का रिआर्गेनिजेशन है, कलैक्टरेट और तहसीलों की सुविधायें बढ़ाने की बात है, सड़कों को ठीक से मेन्टेन करने की बात है। ये सारी बातें बहुत संक्षेप में पूरी मांगों के सम्बन्ध में मैंने आपके सामने रखी हैं।

22—5 LSD/68

बहुत से माननीय सदस्यों ने पुलिस तथा ला–एण्ड–आर्डर के बारे में विशेष चर्चा की है। पुलिस तथा ला-एण्ड-आर्डर के सम्बन्ध में जो बातें कही गई हैं, मैं उन के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि इस के बाद गृह मंत्री जी से इस का उत्तर आपको मिलेगा। लेकिन मैं यह बात ज़रूर आपके सामने रखना चाहता हूं कि सन 1967–68 में लगभग 200 डिस्मिसल्ज़ और रिमूवल फ्रैम सर्विसिज़ इन पुलिस डिपार्टमेन्ट में हुए, 477 का रिडक्शन इन रैंक्स या पे-स्केल और बहुमों के खिलाफ़ कार्यवाही की गई, दण्ड दिया गया। इस लिये यह कहना...

**श्री स० मो० बनर्जी** : कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिनको डिस्मिस किया गया है, वे ही इस तरह के काम कर रहे हैं, वे ही क्राइम्ज़ करा रहे हैं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : जो डिस्मिस होते हैं वे किस तरह का काम करते हैं, बैनर्जी साहब ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, उनका इन लोगों से बड़ा सम्पर्क है। हम तो यही कोशिश करते हैं कि जो गलत किस्म के आदमी हैं उन को डिस्मिस किया जाय। भले ही वे उन के साथ जा कर मिल जाते हैं।

**श्री कमलनयन बजाज** (वर्धा) : कभी-कभी कम्यूनिस्टों के सहयोग से वे पालियामेन्ट में भी आते हैं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : अगर फ़ी व्यक्ति खर्चा पुलिस का देखा जाय तो उत्तर प्रदेश में दो रुपये खर्चा आता है, जो कि सारे देश में सब से कम है—आप चाहे किसी भी प्रान्त को ले लीजिये।

**श्री शिव चरण लाल** : (फिरोज़बाद) : तभी तो ऐसा करा रहे हैं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : मैं समझता हूं कि भारतीजी और बनर्जी साहब

[श्री कृष्ण चन्द्र पन्त]

अगर सहयोग करें तो खर्चा और घटाया जा सकता है बजाय बढ़ाने के।

यह कहा गया कि जुर्म बहुत बढ़ गए हैं, पुलिस कुछ करती नहीं है। मैं सदन के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। अगर आप 65, 66 और 67 के आंकड़े देखें तो आपको पता चलेगा कि 66 से 67 में सारे आंकड़े एकदम से बढ़ गए। डकैती के आंकड़ बढ़े 13 सौ से 17 सौ, राबरी के आंकड़े बढ़े दो हजार से 2600, मर्डर्स के आंकड़े बढ़े 2500 से 2700, रायट्स के आंकड़े बढ़े 6500 से 6900 और बर्गलरी में बढ़े 31 हजार से 38 हजार। 67 में ये सारे आंकड़े बढ़ गए।.. (**व्यवधान**) पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। 68 में ये आंकड़े फिर घट गए।

**श्री बृज भूषण लाल** : (बरेली) : उस समय जितने भी क्राइम्स होते थे उन सभी की एन्ट्री होती थी लेकिन राष्ट्रपति शासन में एन्ट्री बन्द हो गई। अब तो थाने में जो कोई रिपोर्ट लिखाने के लिए जाता है उसको मारकर बन्द कर देते हैं। इसी के कारण यह हुआ है।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : माननीय सदस्य बिना वजह घबरा रहे हैं। मैंने यह तो कहा नहीं कि उस समय कौन सी सरकार थी। चोर की दाढ़ी में तिनका मालूम पड़ रहा है। मैं ने तो सिर्फ यही कहा कि 65 के आंकड़े एक हैं, 66 के आँकड़े ये थे और 68 के आंकड़े यह हैं। मैं ने सरकार की तो बात ही नहीं कही। आप सफाई किस बात की दे रहे हैं?

**श्री मोलहू प्रसाद** : इसी आंकड़े के साथ-साथ जरा गैर दस्तंदाजी के आंकड़े भी उपस्थित करें।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : मैंने तो यह बात कही ही नहीं कि 67 में कौन सी सरकार थी, आप परेशान क्यों होते हैं। अगर आंकड़े बढ गए तो बढ़ गए। आप उसका अर्थ समझिए।

**श्री शिव चरण लाल** : मैं एक व्यवस्था चाहता हूं। मन्त्री महोदय ने कहा है कि 68 में अपराध घटे हैं। अपराध भले ही घटे हों लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा जो अत्याचार, लूट और रहजनी हो रही है वह बहुत ही बढ़ गई है।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : यह तो कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं था। लेकिन आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया उससे ऐसा लगता है कि आप नहीं चाहते कि मैं आंकड़े भी इस सदन के सामने रखूं। .....(**व्यवधान**).....

**श्री मोलहू प्रसाद** : आपके पास वे आंकड़े नहीं हैं जिनकी हम मांग करेंगे। .....(**व्यवधान**).....

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : पूर्वी उत्तर प्रदेश में कारखानों की कमी की यहां पर चर्चा की गई। यह सही है कि तीनों पंच-वर्षीय योजनाओं को अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को कम कारखाने मिले हैं और इस कमी को पूरा करना है। लेकिन एक बात हमको समझनी है कि जो हेवी इन्डस्ट्रीज़ हैं यानी भारी कारखाने इस्पात के या दूसरी चीजों के, उनको टेक्नो-एकोनामिक आधार पर ही कहीं पर लगाया जा सकता है। अगर यू० पी० में कच्चा माल है या यू० पी० में रखकर हीं देश का फायदा हो सकता है तो उन कारखानों को यू० पी० में भी रखा जा सकता है और यदि किसी दूसरे प्रदेश में रखकर फायदा हो सकता है तो वहां पर रखा जा सकता है। मैं समझता हूं इस मामले में उदारता दिखलानी चाहिए। ऐसे बहुत से कारखाने हैं जोकि यू० पी० में भी लग सकते हैं। ....(**व्यवधान**).... जो राक-फास्फेट वहां पर मिला है उसको नेजी से जांच

हो रही हैं।...(**व्यवधान**) वह 15 साल पहले नहीं मिला था बल्कि दो-तीन साल हुए जब मिला है। जियोलाजिकल सर्वे रिपोर्ट में कोई चीज लिख जाती है तो उसके बाद भी बहुत सारे टेस्ट्स करने पड़ते हैं; यह भी मालूम करना पड़ता है कि व्यावसायिक मात्रा में वह चीज उपलब्ध भी है या नहीं।

**श्री महाराज सिंह भारती**: आश्वासन दे दो कि कब तक एक्स्प्लायट करोगे?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त**: जल्दी से जल्दी।

मैं इस ब्यौरे में नहीं जाना चाहता कि उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में कौन-कौन से कारखाने आए। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी उनमें से बहुत कारखाने लगे हैं। मैं इसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता क्योंकि इन कारखानों के लगने के बाद भी मैं ऐसा नहीं मानता कि वहां की स्थिति संतोष-जनक है। हमको अभी और आगे बढ़ने का प्रयास करना है।

**श्री बृज भूषण लाल**: मैं एक स्पष्टी-करण चाहता हूं। वहां पर जो बिजली की दर बढ़ी है उसके सम्बन्ध में आपने कुछ नहीं कहा है।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त**: आखिर में कह लें, जो कुछ कहना हो।

यहां पर चीनी मिलों के सम्बन्ध में भी चिन्ता व्यक्त की गई और कपड़े मिलों के सम्बन्ध में भी। यह बात सही है कि उत्तर प्रदेश के ये जो दो प्रमुख उद्योग हैं उनके सम्बन्ध में कठिनाइयां सामने आई हैं। एक तरह से तो वहां की टेक्सटाइल इन्डस्ट्री पिछले कुछ वर्षों से एक क्राइसिस से गुजर रही है। चीनी की मिलों के सामने भी पिछले एक दो सालों से गन्ना कम मिलने की वजह से कठिनाई सामने आई है। पिछले वर्ष जबकि चीनी पर आधा कन्ट्रोल रखा गया और आधा कन्ट्रोल तोड़ दिया गया उसके बाद से गन्ने के दाम कुछ बढ़े। इसलिए इस बार किसान ने ज्यादा गन्ना बोया है और आशा यह की जाती है कि इस सीजन में गन्ना मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना मिल सकेगा जिससे चीनी का उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन इसके बाद भी हमको अभी उत्तर प्रदेश में गन्ने की पैदावार को बढ़ाना है, पर-एकड़ गन्ने की पैदावार को बढ़ाना है और जो चीनी निकलती है उसके अनुपात को भी बढ़ाना है, गन्ने का नस्ल को भी सुधारना है। इसके बिना, आज जो दक्षिण में चीनी की मिलें लग रही हैं उनका मुकाबला करना मुश्किल है। मैं आशा करता हूं कि हर सम्भव कदम इस ओर उठाये जायेंगे ताकि उत्तर प्रदेश और बिहार की चीनी मिलें दक्षिण की चीनी मिलों का मुकाबला कर सकें। उतने ही सस्ते दाम पर यहां भी चीनी पैदा हो सके।

सरजू पांडे जी ने यहां पर एक बात यह कही कि उत्तर प्रदेश में ऐसी 2 करोड़ ऐकड़ जमीन पड़ी हुई है जोकि भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को मिलनी चाहिए। इसको सुनकर बड़ा ताज्जुब होता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जोत के अन्तर्गत कुल जमीन साढ़े चार करोड़ एकड़ है।

**श्री स० मो० बनर्जी**: उनका मतलब 9 लाख से रहा होगा।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त**: जहां तक मैंने सुना है, उन्होंने 9 करोड़ ही कहा है। अब बनर्जी साहब उनकी तरफ से वकालत कर रहे हैं तो मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं, वे तो बड़े राष्ट्रीयकरण के हिमायती हैं, प्रगतिवादी व्यक्ति हैं, आखिर यह तो सरकार की जमीन है, इसको फिर से प्राइवेट सेक्टर में क्यों देना चाहते हैं।....(**व्यवधान**).....यह बात तो उलटी हो जायेगी।

**श्री स० मो० बनर्जी** : अभी तो मिड टर्म पोल दूर है। में आपसे निवेदन करूंगा कि लैंडलेस लेबर को जमीन बांटने के माने यह नहीं होने कि प्राइवेट आदमियों को जमीन दे दी गई। गरीबों को देने के लिए कहा जा रहा है, यह नहीं कह रहे हैं कि जुग्गीलाल कमलापति को दे दो।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : मैं तो विचारों की दुनिया में आपसे थोड़ी देर टक्कर ले रहा था।

जहां तक उस सरयू योजना का सम्बन्ध है माननीय सदस्यों को यह जान कर खुशी होगी कि चौथी पंच-वर्षीय योजना में एक प्रस्ताव है कि सरयू की योजना को भी पूरा किया जाय।

इस के अलावा यहां पर एक बात यह भी कही गई कि भूमि-भवन कर फिर से लागू कर दिया गया है तो मैं उस का स्पष्टीकरण कर दूं कि जो बकाया रह गया था उसी को वसूल किया जा रहा है और फिर से भूमि-कर लागू करने की कोई योजना नहीं है।

अन्त में मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा उस के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। उन्होंने गवर्नर के बारे में यह कहा कि वह इस तरीके से वहां कार्य कर रहे हैं कि कांग्रेस को अगले चुनाव में सरकारी अफसरों द्वारा सहायता मिले। इस तरीके से वहां पर उन के द्वारा तबादले किये जा रहे हैं कि जिससे कांग्रेस को सहायता मिले। गवर्नर ने ऐडवाइजरी कमेटी के सामने भाषण देते हुए भी यह कहा है :

"He wanted the employees not only to be impartial but also to appear to be impartial."

यही बात उन्होंने बाद में इंडिपेंडैंस डे की सैरीमोनियल परेड को ऐड्रैस करते हुए भी कही इसलिए माननीय सदस्यों के गवर्नर के विरुद्ध लगाये गये उस आरोप में कोई तथ्य नहीं है।

जहां तक वह तबादलों की बात का सम्बन्ध है गवर्नर ने यह आदेश दिया है कि जब तक कोई खास जरूरत न हो तब तक ऊंचे अफसरों को मध्यावधि चुनाव तक ट्रान्सफर न किया जाय ताकि इस तरह का कोई आरोप न लगा सकें। इसलिए गवर्नर तो पूरी कोशिश में है कि सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल चुनाव के अवसर पर न किया जाय लेकिन आज जो माननीय सदस्य इस सवाल को उठा रहे हैं मैं उन से पूछूंगा कि क्या वह पिछले आम चुनावों को याद करते हुए मुझ से वह साफ़ दिल से कह सकते हैं कि उन्होंने सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल चुनावों में नहीं किया? अगर किया तो उन्होंने गलत किया लेकिन उन्होंने किया या नहीं यह जरा वह सोच लें।

दूसरी यह शिकायत की गई कि गवर्नर साहब का रूल जो है वह तो सरकारी कर्मचारियों का रूल है। गवर्नर रूल आप ले आये। मैं आप से पूछता हूं कि उस को लाया कौन था? उत्तर प्रदेश की बात आप इतनी जल्दी भूल गये कि पिछले आम चुनावों के बाद जब असेम्बली मिली उस वक्त कांग्रेस बहुमत में थी। उस के बाद कुछ कांग्रेस के भगोड़ों को मिला करके आप ने एक सरकार बनाई। उन को आप ने सिर पर बैठाया, मुख्य मंत्री बनाया, मंत्री बनाया। खैर आप ने सरकार बनाई इसलिए अच्छा किया आप को अनुभव हुआ, कुछ तजुर्बे हासिल किये। कुछ जिम्मेदारियां आई, अवश्य ही कुछ जिम्मेदारी भी आई होंगी लेकिन दुर्भाग्य यह रहा है कि जनता को भी अनुभव हो गया और आप इस के लिए हमें क्यों दोषी ठहराते हैं? मैं फिर आप

से पूछता हूं कि जब सरकार गिरी तो क्या उसे कांग्रेस ने गिराया था ? यह गवर्नर रूल लाने के लिए आप हम को क्यों दोषी ठहराते हैं ? दरअसल आप उसे नहीं चला पाये, आपस में झगड़े हुए और सरकार गिरी। वैसे मुझे आप से सहानुभूति है लेकिन आप कम से कम गलत बात क्यों करते हैं और हम को क्यों व्यर्थ में इस के लिए दोषी ठहराते हैं ? इसलिए दोष जहां हो वहां दोष दीजिये। आप अपने अंदर देखिये। आपस में देखिये कि एक दूसरे का क्या रवैय्या रहा ? जो लोग 10 महीने साथ नहीं रह सके वह क्या फिर साथ रह पायेंगे ? इस बात पर विचार करिये कि चुनाव में आप को साथ लड़ना है या कैसे लड़ना है ? कुछ सिद्धान्तों के पीछे चलिये, कुछ आदर्शों के पीछे चलिये। आप इस गद्दी का मोह और लालच छोड़ दीजिये जिस गद्दी की लालच ने आप को इस स्थिति में ला दिया है और जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में गवर्नर रूल क़ायम किया गया।

फिर आखिर में एक शिकायत हुई कि वहां गुप्ता जी के पास फाइल लेकर सरकारी अफसर लोग जाते हैं। गुप्ता जी के पास सरकारी अफसरान फ़ाइलें लेकर जाते हैं माननीय सदस्य ने जो यह शिकायत की है वह ज़रा इस पर विचार करें कि उन्होंने क्या कहा है ? अब पिछले चुनावों के बाद जब चरणसिंह जी मुख्य मंत्री बनने जा रहे थे उस वक्त अफसर लोग जाकर उनको सलाम करने लग गये थे तो मैं क्या समझूं कि अब अफसरों के मन में यह विचार आ गया है कि अगले चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और मुख्य मंत्री गुप्ता जी बनेंगे ? इसलिए आप स्वयं इस अपने कथन पर विचार कर लीजिये। यह बड़ी गम्भीरता से आप के सोचने की बात है। अगर यही उन्होंने सोच-विचार करके अपने सामने रक्खा है तो वह काफ़ी चतुर लोग हैं आख़िर सारे प्रदेश को देखते रहे हैं और इसलिए मैं उस समय केवल यही कहूंगा कि आप गम्भीरता से विचार करिये वरना सारी ज़मीन आप के नीचे से खिसक जायेगी।

Some Hon. Members *rose*—

SHRI S. M. BANERJEE: I want to put only one question... (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Order, order. I don't permit this sort of a thing. I am trying to be helpful. If half a dozen Members stand up like this, what can I do.

**श्री शारदा नन्द** (सीतापुर) : मैं ने बिजली की दर के विषय में मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण मांग था और उन्होंने कहा था कि अंत में वह इस के बारे में जवाब देंगे तो मैं चाहता हूं कि उस के बारे में मंत्री महोदय उत्तर दें।

MR. CHAIRMAN: Will the Minister clarify his point?

SHRI K. C. PANT: I can't say.

**श्री हुकम चन्द कछवाय** (उज्जैन) : यह जो प्रश्न हमारी पार्टी की ओर से पूछा जा रहा है आखिर मंत्री महोदय उस का उत्तर क्यों नहीं देते ? आखिर सरकार के पास क्या जवाब है ? बिजली की दर के बारे में जो पूछा गया था उस का जवाब दिलवाने में चेयरमैन महोदय आप हमारी मदद करिये।

MR. CHAIRMAN: Please resume your seat. The Minister is not in a position to give any reply. I cannot help it.

**श्री हुकम चन्द कछवाय** : मंत्री महोदय के इस तरह से चुप बैठे रहने और जवाब न देने का कारण क्या है ? जब उन्होंने बिजली की दर के बारे में जवाब देने का वायदा किया था तो अब उस से मुकर क्यों रहे हैं ?

MR. CHAIRMAN: Mr. Kachwai, I call you to order. Please resume your seat. I cannot force him.

**श्री शारदा नन्द** : मंत्री महोदय ने मुझ से वायदा किया था कि वह इस के बारे में अंत में जवाब देंगे।

**श्री हुकम चन्द कछवाय** : आप मंत्री महोदय से उस का स्पष्टीकरण दिलवा दीजिये वह कह दें कि हम कुछ जवाब नहीं देना चाहते हैं तो हम बैठ जायेंगे।

MR. CHAIRMAN: Order, order. Please resume your seat.

**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं माननीय मंत्री से केवल इतना पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का मंहगाई भत्ता केन्द्र के कर्मचारियों जैसा हो सकता है या नहीं हो सकता है और यह कि केन्द्रीय सरकार उस में क्या मदद कर सकती है ?

मेरा दूसरा सवाल यह है जैसे कि उन के नुमायन्दे आये थे और गृह मंत्री जी से मिले थे और उन्हें अवगत कराया था कि 157 आदमी आज भी उस हड़ताल में डिस्चार्ज हुए हैं और उत्तर-प्रदेश की ऐडवाइजरी कमेटी की नैनीताल में जो मीटिंग हुई थी उस में मुझे मालूम हुआ है कि एक राय से यह प्रस्ताव पास किया है कि उन को काम पर वापिस ले लेना चाहिए तो उस बारे में सरकार क्या करने जा रही है ? मैं केवल इन सवालों के बारे में मंत्री महोदय से जवाब चाहता हूं।

SHRI K. C. PANT: As far as the meeting of the Uttar Pradesh Advisory Council goes, I have no knowledge as to what transpired at that meeting. So, I am not really in a position to tell him anything about that meeting. In regard to D.A.—the matter comes up everyday in the House—if the State Government is in a position and has resources to raise D.A., it is welcome to do so. So far as the Central Government goes, its obligations and responsibilities are well known. In the matter of D.A., it is the State Government's responsibility and obligation.

**श्री शिव नारायन** : बिजली वाली बात का तो जवाब दिया जाना चाहिये। एक किसान के ऊपर 8 रु० बढ़ गया है। यह क्या बात है ? सब सदस्यों ने इस सम्बन्ध में मांग की है।

MR. CHAIRMAN: No, No. I shall now put the Cut Motions to the vote of the House. We are already much behind the schedule.

**श्री हुकम चन्द कछवाय** : मुझे आप एक सवाल पूछने दीजिये। आप सदस्यों में भेद भाव क्यों करते हैं ?

MR. CHAIRMAN: Will you please sit down? You cannot obstruct the proceedings of the House. Please resume your seat.

**श्री हुकम चन्द कछवाय** : यहां पर एक सवाल का उत्तर नहीं आया।

MR. CHAIRMAN: I shall now put Cut Motions, 1 to 39, to the vote of the House.

*Cut Motions* 119 *to* 142 *were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: I shall now put Cut Motions 42 to 108, to the vote of the House.

*Cut Motions No.* 42 *to* 108 *were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: I shall now put Cut Motions, 119 to 142 to the vote of the House.

*Cut Motions* 119 *to* 142 *were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: I shall now put Cut Motions, 144 to 156, to the vote of the House.

*Cut Motions Nos.* 144 *to* 156 *were put and negatived.*

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the respective Supplementary sums not exceeding the amounts

shown in the third column of the order paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of the following demands entered in the second column thereof—

Demands Nos. 9 to 11, 14, 15, 17 to 19, 21, 23 to 26, 28, 29, 31 to 33, 36, 44 to 50, and 53."

*The motion was adopted.*

---

[*The motions for Demands for Grants relating to Uttar Pradesh which were adopted by the Lok Sabha are reproduced below—Ed.*]

DEMAND NO. 9, ELECTIONS

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 56,11,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Elections'."

DEMAND NO. 10, GENERAL ADMINISTRATION

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 9,900 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'General Administration'."

DEMAND NO. 11, COMMISSIONERS AND DISTRICT ADMINISTRATION

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 22,87,400 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Commissioners and District Administration'."

DEMAND NO. 14, JAILS

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 74,600 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Jail'."

DEMAND NO. 15, POLICE

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 26,55,900 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Police'."

DEMAND NO. 17, SCIENTIFIC RESEARCH AND CULTURAL AFFAIRS

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,37,400 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Scientific Research and Cultural Affairs'."

DEMAND NO. 18, EDUCATION

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,800 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Education'."

DEMAND NO. 19, MEDICAL

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 15,22,300 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Medical'."

DEMAND NO. 21, AGRICULTURAL DEVELOPMENT

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 500 be granted to the

President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Agricultural Development'."

DEMAND NO. 23, ANIMAL HUSBANDRY AND FISHERIES

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 400 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Animal Husbandry and Fisheries'."

DEMAND NO. 24, CO-OPERATION

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 12,00,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Co-operation'."

DEMAND NO. 25, INDUSTRIES

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 8,90,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Industries'."

DEMAND NO. 26, PLANNING AND CO-ORDINATION

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 100 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Planning and Co-ordination'."

DEMAND NO. 28, INFORMATION DIRECTORATE

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 3,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Information Directorate'."

DEMAND NO. 29, SCHEDULED AND BACKWARD CLASSES

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 300 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Scheduled and Backward Classes'."

DEMAND NO. 31, IRRIGATION WORKS MET FROM REVENUE

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 6,02,300 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Irrigation Works met from Revenue'."

DEMAND NO. 32, IRRIGATION ESTABLISHMENT

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 26,00,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Irrigation Establishment'."

DEMAND NO. 33, PUBLIC WORKS MET FROM REVENUE

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,45,59,300 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Public Works met from Revenue'."

DEMAND NO. 36, GRANTS-IN-AID OF PUBLIC WORKS

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 4,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Grants-in-aid of Public Works'."

DEMAND NO. 44, EXPENDITURE CONNECTED WITH NATIONAL EMERGENCY

"That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,15,700 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Expenditure connected with National Emergency'."

DEMAND NO. 45, CAPITAL OUTLAY ON AGRICULTURAL SCHEMES

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 10,00,00,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Agricultural Schemes'."

DEMAND NO. 46, CAPITAL OUTLAY ON INDUSTRIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,06,21,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Industrial and Economic Development'."

DEMAND NO. 47, CAPITAL OUTLAY ON MULTIPURPOSE RIVER SCHEMES

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 3,00,00,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Multipurpose River Schemes'."

DEMAND NO. 48, CAPITAL OUTLAY ON IRRIGATION WORKS

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 2,43,09,300 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Irrigation Works'."

DEMAND NO. 49, CAPITAL OUTLAY ON PUBLIC WORKS

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,00,31,400 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Public Works'."

DEMAND NO. 50, CAPITAL OUTLAY ON ROAD TRANSPORT AND OTHER SCHEMES

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 1,82,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Capital Outlay on Road Transport and other schemes'."

DEMAND NO. 53, LOANS AND ADVANCES BEARING INTEREST

"That a Supplementary sum not exceeding Rs. 9,65,40,000 be granted to the President out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of 'Loans and Advances bearing Interest'."

15.28 HRS.

## UTTAR PRADESH APPROPRIATION (NO. 3) BILL, 1968*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI K. C. PANT): On behalf of Shri Morarji Desai, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69.

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69."

*The motion was adopted.*

SHRI K.C. PANT: I introduce† the Bill.

I beg to move†:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69, be taken into consideration."

MR. CHAIRMAN: The question is:

> "That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69 be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: Mr. Shiv Charan Lal.

SHRI A. S. SAIGAL (Bilaspur): No discussion now.

MR. CHAIRMAN: He can speak with the permission of the Chair.

It was granted by the Deputy Speaker. He had given previous notice of this.

MR. SHIV CHARAN LAL: The Hon. Member may not take much time because we are pressed for time.

**श्री शिवचरण लाल** (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मैं खाली दो मुद्दों पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं । गृह मंत्री हमारे सामने हैं। जिला आगरा में थाना फिरोजाबाद ग्राम तोतलपुर और सोफीपुर में वहां की मौजूदा पुलिस ने निषादों के साथ ऐसा जुल्म ढाया है जैसा कि इतिहास में कभी नहीं हुआ, शायद अंग्रेजों की पुलिस ने भी वैसा अत्याचार न किया होगा। 36 घंटों तक बेरहमी के साथ 11 मकानों की लूट की गई, महिलाओं के साथ दुर्व्यहार और भ्रष्टाचार तक किया गया, पुख्ता मकानों को धरा शायी किया गया। लाखों रुपयों की सम्पत्ति को लूटा और बरबाद किया गया, हरी भरी फसलों को उजाड़ कर तहस नहस किया गया। जो कृषि यन्त्र सिंचाई के थे पम्पिंग सेट और मशीनें उन को नष्ट किया गया। बैलों की कुट्टी की मशीनों को भी नहीं छोड़ा गया। 1100 मन गल्ला किसानोंका पुलिस ने लूटा और आम रास्ते पर 20 रुपये मन के हिसाब से बेच दिया और उधार तक दिया। सैकड़ों रुपये तोले के सोने के जेवरात और चांदी की चीजें भी पुलिस लूट कर ले गई। जो मशीन चलाने वाली लकड़ियां थीं उन को भी खोद खोद कर लूट ले गई। जीवनोपयोगी वस्तुयें जैसे चाकी चूल्हे, खिड़कियां, किवाड़े तक उखाड़ कर ले गई । उत्तर प्रदेश में पुलिस की यह बर्बरता दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। एक कवि का शेर सुनिये :—

*Published in Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 2, Dated 27-8-68.
†Introduced/moved with the recommendation of the President.

"काम की उल्टी आज है बोली,
मुख से अहिंसा हाथ से गोली।

नरम जबां और पत्थर दिल है,
मुख से करघा हाथ में मिल है।
जनवादी बस नाम हुआ है,
तानाशाही काम हुआ है।"

सैकड़ों रुपयों के पुराने चांदी के सिक्के और हजारों रुपयों के नोट पुलिस लूट कर ले गई। इस के खिलाफ 12 तारिख से 71 व्यक्ति आमरण अनशन कर रहे थे। कल हमारे अध्यक्ष श्री जोशी ने और श्री शुक्ल ने आश्वाशन दिया कि इस की न्यायिक जांच करवाई जायेगी और कहा कि अनशन तुड़वा दिया जाये तो अच्छा है। मैं मांग करता हूं कि इस काण्ड की न्यायिक जांच इलाहाबाद हाई कोर्ट के किसी जज द्वारा हो और इस काण्ड के लिये जिम्मेदार जो पुलिस अधिकारी, एस पी, आदि हों उन को तुरन्त निलम्बित किया जाये या उन को आगरे से हटाया जाये। पीड़ित परिवार के लोगों की, जिन की सम्पत्ति की लूट हुई है, सम्पत्ति वापस दिलाई जाये और उन की जो क्षति हुई है उस के लिये उन को तत्काल मुआवजा दिया जाये। साथ ही पीड़ित परिवार वालों के विरुद्ध जो अभियोग हैं उन को वापस लिया जाये। हमारे जिला आगरा में इस तरह की घटना हुई है।

इसी तरह से छाता में हुआ, बलिया में हुआ, गोंडा में हुआ। वहां पर भी पुलिस के जरिये होने वाले जुल्म सीमा पार कर चुके हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अगर इस तरह से मैं अपने गृह मंत्री से अपनी बात नहीं कह सकता तो फिर क्या किसी दूसरी जगह जा कर और दूसरी सभा में अपनी बात कहूंगा? इस तरह चीजें से आज जनतन्त्र यहां पर चलाया जा रहा है, डुबाया जा रहा है और पुलिस की बर्बरता बढ़ती चली जा रही है।

इसी तरह से हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है। एक और दरख्वास्त मैंने उन को दी है और कहा है कि आगरा, अलिगढ़, बुलन्दशहर और गोंडा में हरिजनों पर जो अत्याचार हुआ है उस की जांच की जानी चाहिये। साथ ही जो भी अधिकारी दोषी पाये जायें उन को बर्खास्त किया जाये। अगर अल्पसंख्यकों की बात मैं यहां नहीं कहूंगा तो फिर कहां कहूंगा। मेरा अपना निवेदन आप से है कि इस तरह की घटानाओं से यह जाहिर होता है कि यहां पर जनतन्त्र नहीं है, हिटलर का दरबार है। अगर इस तरह से पुलिस का जुल्म बढ़ता चला गया तो हमारा यह जनतन्त्र गड्ढे में चला जायेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि :

खुशी से चेहरा कोई दर्कसन्दा नहीं मिलता
जवां बेकार फिरते हैं, कोई धन्धा नहीं मिलता
मरने को जो तैयार हो उसे फन्दा नहीं मिलता
मर भी जाये तो कफन के वास्ते चन्दा नहीं मिलता।
कहां से खैर हो, दौरे जफा बदले तो क्या बदले?
वही कल हैं वही पुर्जे, फिजा बदले तो क्या बदले?
वही हिकमत, वही नुस्खा, दवा बदले तो क्या बदले?
वही मकसद वही तेवर, अदा बदले तो क्या बदले?
हमें नफरत न थी अंग्रेज की कोम, सूरत से
हमें जो कुछ भी नफरत थी उस के अन्दाजे हुकूमत से
आज अपनों की हुकूमत रहमत हो नहीं सकती

[श्री शिवचरण लाल]

तो अपनों की सूरत से भी मोहब्बत हो नहीं सकती।

आखीर में मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब हमारे यहां के लोगों से अनशन छुड़वाया गया है तब जो भी मांगें मैंने रक्खी हैं उन को पूरा कर के उन लोगों को मुआवजा दिया जाये। उन के जो मकान नष्ट-भ्रष्ट किये गये हैं वह उन को फिर से दिये जायें और जो उन की सम्पत्ति लूटी गई है वह उन्हें वापस की जाये। मैं ने तोतलपुर और सोफीपुर की पूरी घटना आप के सामने रक्खी है। मैं चाहता हूं कि इस पर आप तुरन्त गौर करें और गौर करके सम्बन्धित अधिकारियों का तबादला करें। जिन्होंने अत्याचार किये हैं निहत्थी जनता पर, छात्रों पर, महिलाओं पर उनका आप तबादला करें और उनको आप सजा दें।

**श्री शिव नारायण** : ट्यूबवैल्ज के बारे में जो डिमांड की गई है वह बड़ी जैनुइन डिमांड है। जो उन पर टैक्स बढ़ाया गया है, वह क्यों बढ़ाया गया है? क्यों उनके लिए बिजली महंगी की गई है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस के बारे में पोजिशन को क्लीयर करें।

**श्री कृष्ण चन्द पन्त** : हरिजनों पर जो भी अत्याचार हुए हैं और चाहे कहीं भी हुए हों, चाहे उत्तर प्रदेश में हुए हों या इस देश के किसी और कोने में, उसके खिलाफ इस सदन में जरूर आवाज उठनी चाहिये और मुझे खुशी है कि माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर यहां इशारा किया है, इसको सामने लाए हैं। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि इस मामले में जितना रोष उनको है, उससे कम रोष हमको नहीं है और मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस में कोई चीज निकली, ज्यादती वाली बात निकली तो जरूर वाजिब सम्बन्धित लोगों को दंड दिया जाएगा। मैं इसके मैरिट्स में नहीं जा सकता हूं क्योंकि आगरा के मामले में और गोंडे के मामले में ज्यूडिशल इनक्वायरी चल रही है। इस वास्ते मैं यह नहीं चाहूंगा कि मैं इसके मेरिट्स पर कुछ कहूं और न ही माननीय सदस्य मुझे कुछ कहने के लिए विवश करेंगे। हम लोगों को पहले इस बात का पता लगाना है कि वास्तविकता क्या है और वास्तविकता मालूम होने पर जो दोषी हैं उनको दंड देना सरकार का कर्त्तव्य होगा।

बनर्जी साहब ने एक प्रश्न पूछा था। वह इस वक्त यहां से चले गए हैं। उसके बारे में कुछ सूचना मेरे पास आई है और उसको आपकी आज्ञा से मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। अभी हाल ही में पांच लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए जिनकी तनख्वाह 509 रुपये महीने तक है, चार करोड़ सालाना खर्च करके उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके महंगई भत्ते की दर को केन्द्रीय कर्मचारियों की दर के बराबर लाया है। मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि पिछले तीन बरसों में पांच ऐसी बढ़ोतरियां महंगाई भत्ते में उत्तर प्रदेश की सरकार ने की हैं।

अब मैं आप की इजाजत से श्री शिव नारायण ने जो प्रश्न उठाया है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरी हमेशा यह कोशिश रहती है कि जहां तक हो सके जानकारी सदन को मैं दूं और ज्यादा से ज्यादा जानकारी मैं सदन को देने की चेष्टा करता हूं। लेकिन अगर दस पंद्रह मिनट का समय हो और मुझ से आशा की जाए कि मैं सारी बहस का सिलसिले बार उत्तर दूं तो यह बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर मुद्दे पर मैं पूरी तफ्सील से नहीं जा सकता

हूं। यह एक ऐसा मामला है कि जिस को मैं पूरी तरह से समझाऊं तो काफी समय लग जाएगा। मेरे पास यह तीन पेज का नोट आया है। मैं सारे नोट को नहीं पढ़ता हूं। इस की कुछ मुख्य बातें ही मैं आपके सामने रखता हूं। पहले ऐसा होता था कि एक मिनिमम रेट होता था प्राइवेट पम्प्स के लिए और वह नब्बे रुपये हर हार्स पावर के पीछे होता था और इस मिनिमम गारंटी के ऊपर अगर कोई बिजली लेता था तो उसको अधिक पैसा देना पड़ता था। अब सारे प्रदेश में एक ही दर लाग् कर दी गई है और उस में फिक्स्ड जार्ज है ए सी और डी सी के लिए। अब 96 रुपये कर दिया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि 12.32 पैसे फी यूनिट लगते हैं अगर ट्यूबवैल या पम्पिंग सैट को तीन हजार घंटे सालाना चलाया जाए। अगर कम चलाया जाएगा तो दर अधिक हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार इस कोशिश में है कि जहां भी प्राइवेट ट्यूबवैल लगे हुए हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग हो और जब उनका प्रयोग ज्यादा होगा तो यह जो दर इस वक्त ज्यादा लगती है वह दर अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर तीन हजार घंटे प्रयोग नहीं किया जाएगा तो आज जितने दाम लगते हैं बिजली के करीब करीब उतने ही तब लगेंगे.....

**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : (बागपत) : आप गलत इनफर्मेशन दे रहे हैं.....

**श्री शिव नारायण** : आप ने आठ रुपये फी हार्स पावर बटाया है। इसका मतलब यह हुआ कि साढ़े सात हार्स पावर पर आपने साठ रुपये बढ़ा दिये हैं। पहले का जो एग्रीमेंट था वह साढ़े सात हार्स पावर पर 675 रुपये का था.....

SHRI K. C. PANT: May I explain it in a nutshell? Previously there was a minimum rate. Now the minimum has been raised. If there is a better utilisation of the private tube-wells, the rate would be about the same. (*Interruption*).

**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : आप गलत इनफर्मेशन दे रहे हैं.....

**श्री कृष्ण चन्द पन्त** : इस मसले को आप सलाहकार समिति में भी उठा सकते हैं.....

**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : पार्लियामैंट में आप गलत इनफर्मेशन दे रहे हैं।

**श्री कृष्ण चन्द पन्त** : बड़ी मुश्किल है। सूचना जो मेरे पास आई है वही तो मैं दे सकता हूं। आपको अगर संतोष नहीं होता है तो आप मुझे पत्र लिखें और मैं जानकारी प्राप्त करुंगा। सलाहकार समिति में भी आप इसको लायें और जानकारी प्राप्त कर लें।

**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : यहीं पर आप गलत इनफर्मेशन दे रहे हैं और मैं आपको बताता हूं कि....

**श्री कृष्ण चन्द पन्त** : आप क्या बता सकते हैं कि कौन सी गलत बात है?

**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** : आप सुनना नहीं चाहते हैं।

**श्री कृष्ण चन्द पन्त** : एक घंटा और दे दें तो एक घंटा और बहस कर लीजिये।

**श्री शारदा नन्द** : बिहार बजट पर बोलते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि केन्द्र ने यह तय किया है कि बिहार के किसानों पर और हिन्दुस्तान भर के किसानों पर बिजली की दर बढ़ाई नहीं जाएगी और बिहार के किसानों से बारह पैसे यूनिट से ज्यादा नहीं लिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि यह चीज बिहार में ही लागू होगी या उत्तर प्रदेश में भी इसको आप लागू करेंगे।

MR. CHAIRMAN: He cannot say now. He requires notice for all these questions. The question is:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Uttar Pradesh for the services of the financial year 1968-69, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

MR. CHAIRMAN: I shall now put the clauses to the vote.

The question is:

"That clauses 2 and 3 and the Schedule stand part of the Bill"

*The motion was adopted.*

Clauses 2 and 3 and the Schedule were added to the Bill.

*Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

SHRI K. C. PANT: I move:

"That the Bill be passed."

MR. CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill be passed."

*The motion was adopted.*

15.48 HRS.

## STATUTORY RESOLUTION *RE*: CONTINUANCE OF PRESIDENT'S PROCLAMATION IN RESPECT OF UTTAR PRADESH

**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : मैं प्रस्ताव करता हूं: कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में दिनांक 25 फरवरी, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा को दिनांक 15 अप्रैल, 1968 की बाद की उद्घोषणा द्वारा परिवर्तित 25 सितम्बर, 1968 से छः मास की अग्रेतर अवधि के लिए निरंतर लागू रखने का अनुमोदन करती है"।

सभापति महोदय, यह सचमुच में ही हम लोगों के लिए बड़े दुख की बात है कि इस तरह की चीज हम को लानी पड़ रही है और वह भी इस देश के सब से बड़े प्रदेश के लिए। लेकिन वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिन से विवश हो कर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन लागू करना पड़ा और उसकी अवधि को बढ़ाना पड़ा? इन परिस्थितियों से यह माननीय सदन अच्छी तरह से अवगत है और मुझे उसके विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। किस तरह से वहां पर पिछले आम चुनाव के बाद राजनीतिक घटनायें और दुर्घटनायें हुई और उसके बाद किस तरह से राजनीतिक अवसरवादिता का वहां पर खेल खेला गया, इस सब से माननीय सदस्य अवगत हैं। जब यह देखा गया कि संविधान के अन्तर्गत वहां का प्रशासन चलना असम्भव हो गया है तब राज्यपाल ने इस बात की सिफारिश राष्ट्रपति महोदय से की कि वहां का जो शासन है उसे खत्म करके राष्ट्रपति जी का शासन वहां लागू कर दिया जाए तथा मध्यावधि चुनाव कराये जायें। इस सिफारिश के पहले यह आशा की जाती थी कि अगर वहां पर विधान सभा को थोड़ा स्थगित कर दिया जाए और उसके बाद इस बात का प्रयत्न किया जाए कि किसी तरह से वहां जिम्मेदार सरकार कायम हो सके तो की जाए और इस तरह की सिफारिश भी राज्यपाल महोदय की तरफ से की गई थी। हम लोगों के लिए—और मैं समझता हूं कि सदन के सब माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे—यह दुख की बात है कि वहां पर इस तरह की कोई जिम्मेदार सरकार नहीं बन सकी।

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपूर) : इस का मौका ही नहीं दिया गया।

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : माननीय सदस्य जानते हैं कि बहुत मौका दिया गया और उस मौके का दुरुपयोग किया गया, इसी लिए वहां पर कोई सरकार नहीं बन सकी और राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा।

राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद एक सलाहकार समिति बनाई गई, जिस में इस माननीय सदन और राज्य सभा के सदस्य गण हैं। यद्यपि इस सलाहकार समिति का कार्य केवल कानूनी मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना है, लेकिन हम लोगों ने यह सोचा कि यदि माननीय सदस्य उन दूसरी बातों को भी इस सलाहकार समिति में उठा सकें और उन पर चर्चा कर सकें, जिन का सम्बन्ध उत्तर प्रदेश के विकास, उन्नति और भलाई से है, तो यह ठीक होगा। इस लिए इस सलाहकार समिति की पिछली तीन मीटिंग्ज में इस तरह के प्रश्न उठाए गये। ख़ासकर नैनीताल में हुई मीटिंग में इस तरह के काफी महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गये और उन के बारे में काफ़ी अच्छी चर्चा हुई, जिस से माननीय सदस्यों को, और हम लोगों को भी, पता लगा कि उत्तर प्रदेश में किन बातों की आवश्यकता है, वहां पर क्या काम हो रहा है और किस तरह आगे काम करना चाहिए।

मुझे दुख है कि पिछले कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश के कई स्थानों में बड़ी अप्रिय घटनायें हुई है। कल ही एक अल्पसूचना प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह मंत्री महोदय ने बताया कि इस बारे में हम क्या करना चाहते हैं। इस तरह की घटनायें कहीं भी हों, चाहे वे राष्ट्रपतिशासन के अन्तर्गत क्यों न हों, उन के बारे में गहरी चिन्ता और दुख होना स्वाभाविक है। इस लिए जैसे ही उन दुर्घटनाओं की सूचना मिली, उन के बारे में जांच-पड़ताल की गई और हम लोगों ने यह तय किया कि उन के बारे में प्रशासकीय अधिकारियों, एक्सीक्यूटिव आफ़िसर्ज, के द्वारा जांच न कराई जाये; चूंकि बहुत गम्भीर आरोप लगाए गए हैं, इस लिए न्यायिक अफ़सरों द्वारा उन की जांच करानी चाहिए। जिन दो तीन स्थानों से ऐसे गम्भीर मामलों की सूचना मिली है, वहां न्यायिक अफ़सरों द्वारा जांच-पड़ताल कराने का निर्णय किया गया है।

माननीय सदस्य, श्री शिव चरण लाल, ने आगरा में हुई दुर्घटनाओं के बारे में कहा है। शायद वह इस वक्त सदन में हाज़िर नहीं हैं। हम लोगों को जब यह सूचना मिली, तो हम ने यह सोचा कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है, इस के बारे में तत्काल जांच होनी चाहिए। इस के अनुसार वहां पर तत्काल जांच का हुकम दिया गया और चूंकि यह पता लगा कि वहां पर सचमुच जनता के साथ अत्याचार हुआ, इस लिए तात्कालिक कार्यवाही भी की गई। जो सब-इंसैपक्टर थाने के चार्ज में था, उसे निलम्बित, ससपेंड, कर दिया गया। उस के साथ साथ दो अफ़सरों को ससपेंड किया गया और चार दूसरे अफ़सरों को ट्रांसफ़र कर दिया गया।

15.53 Hrs.

[SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair.*]

इस प्रकार मैं यह बताना चाहता हूं कि यह बात नहीं है कि हम लोग कोई दलगत दृष्टि रखते हैं या दलगत भावनाओं से काम करते हैं। अगर ऐसी कोई बात हमारी निगाह में आती है, जो सचमुच गम्भीर और ग़लत है, तो उस के सम्बन्ध में तात्कलिक कार्यवाही करने का आदेश दे दिया जाता है। मैं माननीय सदन को आश्वासन देना

चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दृष्टिकोण से काम नहीं करना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य और कोशिश यही रहेगी कि हम वहां पर निष्पक्ष रूप से शासन चला सकें और राष्ट्रपति शासन की अवधि में जनता के हित के सब ठोस काम हों। हम लोग राष्ट्रापति शासन को कोई काम-चलाऊ शासन नहीं मानते हैं। वैसे यह बात साफ़ है कि जब तक वहां पर लोकप्रिय सरकार की स्थापना नहीं होती है, तब तक सरकारी अधिकारियों द्वारा राष्ट्रपति शासन चलाना ही पड़ेगा।

मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस समय हम ने चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के बारे में बहुत सी बातें तय करनी हैं, उस वक्त उत्तर प्रदेश सरीखे प्रदेश में कोई लोकप्रिय सरकार नहीं है। तो भी हम यथा-सम्भव इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जनहित के कार्य सम्पन्न हों और चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित हों। इस में जनता का दृष्टिकोण भी आ सके, इस लिए राज्यपाल महोदय ने एक समिति का गठन किया है, जो योजना समिति के नाम से जानी जाती है। उस समिति में उत्तर प्रदेश के संसद्-सदस्यों को शामिल किया गया है। इस बारे में उन की सलाह ली जाती है और जहां तक सम्भव होता है, उस सलाह पर गम्भीरता से विचार कर के उस का उपयोग भी किया जाता है।

इस लिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोग वहां पर शासन चलाने का प्रयत्न कर रहे हैं, उस में किसी के मन में इस तरह की कोई शंका या शुबहा होना उचित नहीं है कि हम उस काम को किसी राजनैतिक दृष्टिकोण से करना चाहते हैं या मध्यावधि चुनाव के लिए किसी दल-विशेष को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। हम इस बात का ख़ास ध्यान रखते हैं कि इस तरह की कोई बात न हो—और न ही ऐसा लगे—कि केन्द्रीय शासन के कारण वहां पर कोई अनुचित कार्यवाही हो रही है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ऐसी कोई घटना या दृष्टान्त उन के सामने आये, तो वे जरूर हम लोगों को उस से अवगत करायें। यदि उस में सच्चाई हुई, तो जरूर उस के बारे में तात्कालिक कार्यवाही की जायेगी, ताकि ऐसी कोई भावना उत्तर प्रदेश में न फैल सके।

जैसा कि मैं ने कहा है, हम लोगों को चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना के लिए प्रायर्टीज तय करनी हैं। इस के बारे में सलाहकार समिति ने भी राज्यपाल महोदय को कुछ सुझाव दिये हैं। कृषि और औद्योगिक उत्पादन में तेजी से वृद्धि करने के लिए उन को सब से ऊपर रखा गया है। हम लोग चाहते हैं कि सिंचाई, बिजली और यातायात, कम्यूनिकेशन्ज़, को भी ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दी जाये। इस के साथ साथ इस बात की भी आवश्यकता है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, उस को स्थिर किया जाये। वहां की जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है, जब तक उस में स्थिरता नहीं आयेगी, वह रोकी नहीं जायेगी, तब तक हम आर्थिक क्षेत्र में कितनी ही उन्नति करें, जितना फ़ायदा उत्तर प्रदेश की जनता को आर्थिक उन्नति से मिलना चाहिए, वह नहीं मिल सकेगा।

इस बात के भी प्रयत्न किये गये हैं कि मजदूर क्षेत्र में भी ज्यादा से ज्यादा शान्ति रहे। मुझे खुशी है कि पिछले एक साल से मजदूर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक शान्ति है।

**श्री स० मो० बनर्जी** : कारख़ाने तो बन्द पड़े हैं और मंत्री महोदय कहते हैं कि शान्ति है।

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : मैं ने कहा है कि अपेक्षाकृत शान्ति है। कारख़ाने ज़रूर बन्द पड़े होंगे।

इस प्रस्ताव पर माननीय सदस्य, श्री बनर्जी, का एक संशोधन है। यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से माननीय सदस्यों के सामने आ सकता है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने सब राजनैतिक दलों से परामर्श कर के यह तय किया है कि फ़रवरी में आम चुनाव हों, तब राष्ट्रपति शासन की अवधि छः महीने के लिए क्यों बढ़ाई जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि छः महीने की अवधि बढ़ाई जा रही है, इस का मतलब यह नहीं है कि हमारा इरादा छः महीने तक राष्ट्रपति शासन रखने का है। यह बात बिल्कुल नहीं है। हमारा ज़रा भी यह इरादा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जरूरत से ज्यादा एक दिन भी चले परन्तु चूंकि हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि हम छः छः महीने के लिए यह अवधि बढ़ा सकते हैं, इस लिए हम इस को छः महीने के लिए बढ़ा रहे हैं। मैं यह नहीं कहता कि हम ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं ला सकते थे कि इस को तीन महीने के लिए बढ़ाया जाये। यह सम्भव हो सकता है कि तीन महीने का प्रस्ताव आता और संवैधानिक दृष्टि से कोई आपत्ति न होती। लेकिन मैं यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा इरादा किसी भी तरह से वहां पर ज्यादा देर तक राष्ट्रपति शासन रखने का नहीं है।

सब राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा जो दिन चुनाव के लिए तय किया जायेगा, उस दिन जैसे ही चुनाव होगा और उत्तर प्रदेश में उत्तरदायी सरकार बनेगी, राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा तुरन्त समाप्त हो जायेगी। यदि माननीय सदन छः महीने के लिए बढ़ाने की स्वीकृति दे देता है, तो इस का मतलब यह नहीं है कि हम ज़रूर छः महीने के लिए राष्ट्रपति शासन चलाना चाहेंगे। यदि एक, दो या तीन महीने में, जब भी हो, चुनाव हो जाये और लोकप्रिय सरकार बन जाये, तो इस उद्घोषणा का महत्व समाप्त हो जायेगा और इस को कैन्सल कर दिया जायेगा। माननीय सदस्य, श्री बनर्जी, इस बात को ध्यान में रखें। मैं अधिकृत रूप से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारा इरादा किसी भी तरह राष्ट्रपति शासन को फ़रवरी से आगे बढ़ाने का नहीं है, जब तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आगे बढ़ाना उचित न समझें।

**श्री स० मो० बनर्जी** : मंत्री महोदय ग़लत समझे हैं। कांस्टीट्यूशन में कहा गया है :

"Provided that if and so often as a resolution approving the continuance in force of such a Proclamation is passed..."

MR. CHAIRMAN: Is it a point of order?

SHRI S. M. BANERJEE: He referred to my amendment.

MR. CHAIRMAN: Kindly resume your seat.

16 HRS.

SHRI S. M. BANERJEE: I am asking a question.

MR. CHAIRMAN: Let the Minister finish his speech and then he can do so. I will not allow any member to speak in between unless it is a point of order.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: May I say that I did not say that six months is compulsory? I have

[Shri Vidya Charan Shukla]

even conceded that it is possible to move a motion for continuance of President's Rule for a shorter period, two months or three months. I did not say that it is not possible; but I said that normally it is not done. But it does not mean that we want to continue President's Rule in U.P. for six months. That is the limited point I have made and I hope, Sir, you will appreciate it.

सभापति जी, मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव के बारे में जो कुछ मुझे कहना था मैं कह चुका और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय सदस्य इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर के इस को सर्वसम्मति से अनुमोदित करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Motion moved:

> "That this House approves the continuance in force of the Proclamation dated the 25th February, 1968, in respect of Uttar Pradesh issued under article 356 of the Constitution by the President, as varied by subsequent Proclamation dated the 15th April, 1968, for a further period of six months with effect from the 25th September, 1968."

There is an amendment by Shri S. M. Banerjee. Is he moving it?

SHRI S. M. BANERJEE: Yes, Sir, I beg to move:

That in the resolution,—

*for* "six months" *substitute*—

"three months" 1

MR. CHAIRMAN: Both the Resolution and the amendment are before the House.

SHRI RANGA (Srikakulam): Mr. Chairman, as the Hon. Minister has said, it is very unfortunate that the biggest State in this country should have failed to maintain her parliamentary structure and should have to oblige the President to take charge of the administration there. This is not the first or the last of the States which have gone on to President's Rule or which are likely to go on to President's Rule. Six States have already had this plight and blight also. It is time that we give some thought as to why these things are happening.

Does it not become clear from what has happened during this period in all these States that the present system of Cabinet ministerialism is not quite so suitable to Indian conditions, that the system that we have been trying to implement, to use here, to fit our people into may not be quite so suitable to have, to have majority to rule on one side and a minority to offer opposition? The results of the general elections in 1967 have made the fact very clear that the people are no longer prepared to allow the earlier dispensation to continue, by allowing the Congress alone to gain overwhelming majorities in the legislature and thus form ministries based upon the majorities and having a small minority in the opposition, split into a number of political parties, trying to oppose it and make it behave in a responsible manner. That they have made very clear indeed. Then the experiment has been tried of getting together all other parties, as many of the other parties as possible of the minority parties outside the Congress sphere, get them together, form the so-called SVD and then provide a ministry by a majority. That experiment has, on the whole, failed except in one or two States. It has failed not after a long enough interval. It had begun to fail soon after the first six months and it failed very miserably in many other places also.

Why has it failed? Because the Congress was not reconciled to the loss of power; the Congress was not prepared to play the role of a responsible Opposition for a long enough period, for at least one period of the Legislature, that is, five years. It has been the plight as well as the responsibility and the privilege of so many of us in the Opposition in different parts of the country as well as in this House to have been playing the role of responsible Opposition, to have been content with that role, re-

maining in the Opposition and trying to serve our democracy. But not so was the case with the Congress. They were not prepared to play that role at all. It is very unfortunate, and it is a miserable state of things also, because it was after having exercised and enjoyed power for more than 17 years that it should have become so very impossible for the Congress to take on the role and responsibility of the Opposition and serve our democracy. Let that be as it is.

When they began to play their role as Opposition, they developed a new instrument, the dangerous instrument of denigration and destruction of our democracy, that is, the instrument of defection. They developed it and used it in Rajasthan to start with. Afterwards other parties also have had to indulge in that game, with the result that this has become a veritable devil indeed for democracy in our country and we have been at it all this time as to how to get over this particular difficulty. No one solution has been put forward by any of the political parties as being capable of helping us to get over this danger of defections.

Under these circumstances is it not time that we began to think of some other way of approaching our democratic institutions, using them and helping them to make a success and serve our democracy? During the past ten years and more when it had become possible in one or the other State of our States, when it had happened that the Congress had lost its majority and the other parties were not united among themselves to provide a good enough majority and it became necessary here and there for the Congress or other parties to put in power a minority group of people and in that way make a mess of our democracy, I have been suggesting that an experiment should be made with the Swiss type of government, the committee form of government, a government where all the parties in a Legislature would come to be represented more or less in proportion to their respective strengths and in that way make it unnecessary for any one of these parties to play at the game of defection and also to play at the game of being an irresponsible Opposition and to try to accommodate with all other groups and thus provide an effective, useful, honest and efficient cabinet form of government and democratic form of government. From time to time the ministers in charge of this question began to say that they would get it examined by their constitutional pundits whether such a form of cabinet system could come to be worked and could come to be ushered in here within the four corners of our Constitution. But no serious thought has been given till now to it.

There is no guarantee even now that the Congress would be able to get a majority in U.P. Some of the parties also, the BKD and the Jana Sangh, are laying claims similar to those of the Congress that they alone would be able to get a majority. It is not yet certain whether any two parties which would be willing to work with each other in harmony would be able to get a majority. They might. They might quote what has happened in Haryana. It might happen too. But would it not be better for the Government to try this experiment in the light of the experiences that we have had? They might say: Do you want us to try this experiment in this biggest State; would it not be a shame? Was it a shame for France, which also has the same population as U.P. and which has had a longer tradition of democratic institutions, to give up the earlier system and to be put under DeGaullism? If it was good enough for them and if you say that they have a responsible Government and an effective instrument of legislature, why should it not be possible for U.P. to make an experiment of this?

MR. CHAIRMAN: U.P. is not an independent sovereign State. It functions within the Constitution.

SHRI RANGA: Within the Constitution also, as I am saying. I do not wish to go into all those details. I have many other points to discuss now. It will be open for the Governor

[Shri Ranga]

to call upon the leader of the single largest party in U.P. if and when their legislature comes into existence to form the Ministry. It would be open to that gentleman to give representation to all the political parties to form his Ministry and all the political parties may co-operate with that gentleman and help him to form his Ministry just as it was possible for the SVD people, having 12 or 13 parties in West Bengal, to come together and then to make a Ministry that represented almost all their groups. It should be possible for all these groups including Congress, to form a Ministry and that Ministry would be responsible to the legislature. Heavens are not going to fall or the Constitution is not going to be set at naught. That sort of Cabinet would, certainly, be able to provide a Government which I consider would be able to provide a better administration, abler administration, less costly, more responsible, more honest and more competent administration than what we have had till now either under the dispensation of the SVD or under the dispensation of the Congress.

I am glad my Hon. friend has given an assurance to this House that they do not want to exploit the President's Rule for any political purposes or for the benefit of their party in U.P. or for the benefit of their party in the whole of the country. What is it that they have done in getting all these Supplementary Demands passed today? How is it that it did not strike them, when the Budget was prepared, to make provisions for all these various items of new expenditure or additional expenditure in different spheres of social and economic life in U.P. which are calculated to win over the goodwill, the votes and the support of various sections of people? Did it not strike them then to think of having a pool for fertilisers, spending Rs. 10 crores, to be distributed among kisans or to have *bhoomi samrakshan*, such a great discovery that they have made? We have been crying for such a long time to have cotton seed farms, to have soil testing units, to have cotton crop-threshing plantations....

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Is it his case that all the activities of public good should be suspended during the President's Ruie? Is it his case that no activity of public good should be started? My point was that nothing of this kind will be utilised for gaining any political advantage for any political party. But the work for the public good will be continued and advanced.

SHRI RANGA: The Government of India was not willing to advance money when Shrimati Sucheta Kripalani was the Chief Minister or when Shri Charan Singh was the Chief Minister. But now, suddenly, the Government of India has awakened to its responsibilities to the poor people, agriculturists and others in U.P. Therefore, they are prepared to place at their disposal Rs. 19 crores. They had already placed at their disposal Rs. 11 crores in the Budget and they have now placed Rs. 8 crores more at their disposal. Then, not being satisfied with it—I am glad they have done it—here are these things. There is the Bhopali pumped canal project, there is the Zamania pumped canal project and there is the Dalamu canal project. There are the private tubewells—500; pumping sets—1500 and major masonry wells—3400. They are to irrigate 32,000 acres and so on.

Then there are State tubewells; 9,000 of them are going to be energised. Even half of them were not energised during the recent famine but now they are going to energise all of them, and reconstruct and renovate the derelict lined guls of State tubewells.

SHRI CHANDRA JEET YADAV (Azamgarh): As a peasant leader, you should welcome them.

SHRI RANGA: I have agreed with you in getting them passed. It is after passing them that I am now saying these in the face of this Government. These are the things which the Government has helped us to pass and provide funds for.

Then, where is this beautiful thing which Dr. K. L. Rao is so very fond of—Gandak project? Here the amount is Rs. 3 crores—Rs. 2 crores from the Centre and Rs. 1 crore from Bihar's share. All these have suddenly come from the magician's bag; otherwise, they would not have come at all.

Co-operation has been exploited very badly in U.P. as all of you know. They borrow money from the Reserve Bank of India at not more than 2½ per cent and they advance, lend, the same amount of money—these new *shukars*, these new usurpers—to the people at 9 per cent or even 10 per cent. Even at that, the Government of India and the Reserve Bank and all these people were not willing to place sufficient funds at the disposal of U.P. Government during those days, but now they place quite a lot of it. Then 90 per cent subsidy is being given to the co-operatives in Terai regions...

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE): The rate of Reserve Bank is not 2½ per cent; it is 4 per cent.

SHRI RANGA: He has made it worse. He has added another exploiter, *i.e.*, the Reserve Bank of India. Hitherto the Reserve Bank of India was advancing at the rate of 2½ per cent, but now they want to take 4 per cent. At what rate are they advancing it to the poor kisans? 9½ or 10 or 12 per cent. The U.P. Government have always been the worst usurpers so far as kisans are concerned. Even at that there was not enough money. But now this President's Government is coming forward. In the Terai region, up to 90 per cent they give subsidy.

As if these co-operative inspectors have not been exploiting the kisans enough, more of them are going to be appointed. Some time ago, khadi development officers were retrenched, but now they are going to be provided with jobs. Everybody knows what the khadi development officers have been doing. The khadi development officers have been working for the benefit of the ruling party—during elections and at public expense; this is what my Hon. friend, Shri Dandeker suggests.

For backward and scheduled castes also, they are going to give scholarships, stipends, etc.

Coming to industries, there is going to be a co-operative spinning mill somewhere as if we are having prosperity for the spinning mill. Everywhere else the spinning mill is going out of employment, out of production, but here in U.P. a spinning mill is being conjured up because some Congressmen are interested in this.

Loans for minor irrigation works are also coming for 10 districts. More than a crore of rupees are being placed at their disposal.

Then comes elementary education. Of all the States, U.P. has been the most neglected State so far as education is concerned. There are more industries, more universities, more high schools, more polytechnics, more agricultural universities, but what is lacking is elementary education. The highest illiteracy prevails in U.P. The backward classes and the tribal people have been the most neglected. The Scheduled Castes have been neglected and the Harijans have been hopelessly illiterate there, and that is one of the reasons why the Congress has been able to have a happy house there all these years. The backward and socially submerged people were never helped to become literates and in that way to develop their own political capacity and organisation and become self-reliant and assert themselves. What is it that the Government wants to do? It is going to take a lakh of rupees as grant from the Government of India in order to make an experiment as to how literacy can be developed among the farmers. At long last, the Government of India has awakened itself to this. What does this show? In that State, the interests of the masses have been neglected all this time and now the interests of the masses are going to be exploited. The needs of the

[Shri Ranga]

masses are going to be exploited for the political benefit, the electoral benefit, of this ruling party. This would be very difficult to stomach indeed. But these friends make people believe that they are not going to exploit this President's regime for the benefit of their own party. If they are really sincere in convincing the people and in assuring them that they do not want to derive any political benefit at all, let them begin to take active steps to negotiate with all other political parties in U.P. on the basis of their willingness to have an all-party government and in that way, help those people to come to have for the first time a good enough administration and a sound enough Cabinet. Otherwise, what would happen is a repetition of the ten points that Shri Charan Singh had placed before the SVD and the failure of the SVD. The same thing would happen next time also; whether it would be Chaudhuri Charan Singh who is a kisan or whether it would be Guptaji, who is who, who is master of 65 lakhs of rupees of public funds, or whether it would be anyone else, U.P. would come to suffer in the same way as it has suffered, under the weight of those politicians who are out for grabbing power not only for themselves, not only for their own parties but for those sections of those upper class people who have been able till now to monopolise political power in that State.

SHRI R. K. SINHA (Faizabad): When I was listening to the brilliant speech of the leader of the Swatantra Party, it appeared as if the stepmother is very very grudgeful because U.P. is going to get a few favours from the Central Government. U.P. is one of the States of India, which, though it has given three Prime Ministers to India, though it was the land of Rama and Krishna and Akbar and Jehangir, is today one of the most backward in the country, and when today the Government of India on the advice of the State Governor have come out with certain favours to the peasantry of U.P. why should the stepmother sitting on the Opposition Benches grudge these few crumbs given to that poor State?

Even if what the U.P. Government in the person of the Governor has demanded from the Central Government is conceded *in toto*, at the end of the Fourth Plan U.P. would still be a more backward than all the developed States in India as they were at the end of the Second Five Year Plan. Therefore, when our Minister of State for Home Affairs was referring to the discussion which was held in Nainital in which I was also a participant, we should remember that the Governor of U.P. and his administration are probably doing their non-partisan best to serve the State. Where they have gone wrong, they should be criticised. The Governor of U.P., who is a South Indian, went through the files and presented before the National Development Council those documents which brought to light the real position of the State of U.P. The Governor's action should have been appreciated. The Governor has now come out with an innovation, a Planning Board, in which there is an attempt to associate the Members of Parliament from there in order that their views might be incorporated and taken into account in solving the problems of the State. These are democratic innovations with which he has come forward, which should be welcomed.

I may also remind the House that we in the Advisory Committee with the Hon. Chairman as a member had placed before the U.P. Government a demand that the salaries of primary school teachers and district board school teachers should be raised. I welcome the decision of the U.P. Government that the most backward sections of teachers in U.P. are going to get the benefit of a ten-rupee increment in their salaries. I am also hoping that the Government of U.P. will not alter the grant of pensions to those who had retired in 1950 and earlier and have become the junk of society, the old people. The old Government employees of U.P. are always ignored in any scheme that the U.P. Government or the Central Government may bring forward. Many State Governments are trying to bring the salaries of their employees on par with

the Central employees. That should be done in U.P. also. It is not a question of discipline or absence of it. It is a question of satisfied government employees working for the welfare of the State. Therefore, the demands of the U.P. Government employees must be considered. If not all, most of the retrenched employees should be taken back. The Central Government employees went on strike but the Central Government did not refuse to take them in. Why should the U.P. Government not do so? Why do they refuse to take back the leaders of the U.P. government employees?

16.26 HRS.

[MR. SPEAKER *in the Chair.*]

There are fourteen districts in eastern U.P. The total number of districts in U.P. is forty where the educational institutions go up to M.A. or M.Sc. These classes are not permitted in the 14 eastern districts. They may argue that the standard of education may not be so high. Why this discrimination? If the standard is low, you can abolish higher education in the other districts also. Amendments must be made to the Gorakhpur University Act and other University Acts also in eastern U.P. so that eastern U.P. is not deprived of the benefits of higher education.

I brought up the question of blackmarket in education in the Rashtrapati's committee meeting in Nainital. Even today in certain centres in U.P. the teachers are not given salaries for months together. They are given Rs. 100 and are asked to sign the receipt for Rs. 200. At my insistence, the system of cheques has been introduced by the Chief Secretary. That should be followed throughout the whole State so that the poor teachers of U.P. are not deprived of their legitimate emoluments.

The Planning Board of U.P. has been raising the matter of Sarju project with the Central Planning Commission. It should not be made a burden on the tax payers of U.P. We had been financially disenfranchised in the last three plans. The Sarju project should be the gift of the Central Government and the Planning Commission to the eastern districts of U.P.

I come from a division called Faizabad division whose total population is bigger than that of many of the States of India. Yet this division of six districts has no industry; it has not been granted small or big favours during the last three plans. There are no universities, no engineering colleges or medical colleges in this area and also no public sector undertakings. The electronics factory is coming. Why should not the Centre and the State Government come together so that this area is granted the favour it deserves? The decision of the Patel Commission in the last Plan should be applied to Faizabad division also.

About law and order, I want to point out that in the district of Faizabad, in the Jahangirganj area, the *thanedar* is ruling like a Moghul. It is time that his deeds and the deeds of the police authorities in the district of Faizabad were examined. The Ghaggra cuts through my district and there are many areas and lands in my district particularly Mooradiha which cut into the district of Basti. Those people are led by one Chandra Bhan Singh; there are thousands of acres of land of the poor peasants of my district which are illegally under the possession of that man and his followers. That man is a dacoit. He has become a multimillionaire; he is the owner of cars and with the connivance of the administration at the district level and the tehsil level in Basti, he is depriving hundreds of peasants of my district of their land; they are becoming landless; they are starving, and they cannot find the requisite amount of money for feeding their bullocks and other animals. This must also be looked into and examined.

Another thing that I want to point out is this. Ayodhya is the birth-place of Lord Rama. It is a place where the very origin of the Hindu religion lies. There, the Government of India was kind enough to put up a bridge across the Sarayu; this bridge is a tragedy

[Shri R. K. Sinha]

because it has been built for a distance of three furlongs from the main gate of Gohsainganj. Around that area, thousands of mosquitoes are breeding and crores worth of religious property is lying waste. People do not want to visit that place; the pilgrims want to shun the district of Faizabad and the birth place of Rama, Ayodhya, because of these inconveniences. There must be either a park or a channel like that in Hardwar. Even from the point of view of tourism, Ayodhya should be very much in the map of India, it being the place of ancient culture in India. Therefore, something must be done in regard to it.

I want to bring one more point in this connection. There have been grants made by the Government of Uttar Pradesh for women's hospitals in Bikapur, Goshainganj, Akbarpur and other places. The money is granted, but the hospitals are not coming up for the last three years. In the last meeting of the Advisory Committee, I had discussed the matter about roads with one of the Secretaries of the Uttar Pradesh Government. He also assured me that the Rae-Bareilley-Faizabad road would be constructed. But even till today that promise has not been honoured. The State Government authorities must understand that in the age of democracy, when promises are made, the promises have to be fulfilled.

Lastly, when I had a discussion with the Governor and with the leaders of this country, I came to one conclusion in this country, there may be backward States and there may be forward States. But there is the poor peasant in this country, the poor peasant who has built the big cities like the Kanpurs, the Calcuttas and the Bombays. The majority of the people of Uttar Pradesh are peasants, and the majority of the peasants constitute the population of Faizabad division. Why is it that in the map of India, Faizabad division is being ignored? Why is it that whatever favours are offered, they go to Allahabad and other bigger districts of Uttar Pradesh. It is only about 13 per cent of the population of Uttar Pradesh of the Faizabad Division—that is, about one crore of the population of Uttar Pradesh that is ignored? I do not want to ask for any favour for my district. There are people who are starving; there are people who are unemployed, who go to the markets of Bombay and Calcutta, but are pushed out by the spirit of provincialism there. But we want to hoist the National Flag everywhere; we have the national unity. The backward State of Uttar Pradesh will come forward, and it shall have its claim satisfied.

**श्री रामजी राम** (अकबरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे इस अवसर पर बोलने का मौक़ा दिया।

उत्तरप्रदेश में फैजाबाद एक ऐसा जिला है जोकि 21 साल से बिलकुल उपेक्षित रहा है और मैं आप के माध्यम से सरकार से यह मांग करूंगा कि उस की तरक्की के लिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं आज भी जब वहां के गांवों में घूमता हूं तो वही पिछड़ापन रीवी और मायूसी लोगों में देखने को मिलती है और उस दयनीय हालत को देख कर मुंह से बेसाख्ता यह शेर निकल जाता है :

"जब आजादी नहीं मिली थी तो मिलने का था मलाल,

अब यह मलाल है कि तमन्ना निकल गई।"

आज इस आजादी के 21 साल के बाद भी यह अनुभव करते हैं कि सही तौर पर वह आजाद नहीं हुए हैं। इसलिए मैं आप के जरिए से सरकार से यह मांग करूंगा कि उन की उन्नति व बेहतरी के लिए इस तौर पर ध्यान दिया जाय जिससे कि सही तौर पर उन की हालत बेहतर हो सके तौर सही मायनों में उन का विकास हो सके।

जहां तक शिक्षा व्यवस्था का सवाल है गांवों में अभी भी बहुत कुछ करने को बाक़ी रहता है। मैंने पिछली बार यह आग्रह किया था और इस अवसर पर पुनः दोहराऊंगा कि गांवों में जो प्रायमरी स्कूल बने हुए है उन का मुआयना व निरीक्षण होना चाहिए। वह प्रायमरी स्कूल जैसे बने हैं वह न तो जाड़े में महफूज हैं, न गरमी में महफूज हैं और न बरसात में ही वह महफूज है। वह महज बूचड़खाने की तरह से बनाये हुए हैं। प्रायमरी स्कूलों की बिल्डिगें बिलकुल नामुनासिब और वाहियात हैं और उन में बच्चों को ठीक से बैठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जोकि शिक्षा के मामले में एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है, वहां पर जो प्राइमरी स्कूल हैं उन की बिल्डिगों को ठीक ढंग से बनाया जाय।

यह बहुत जरूरी है कि अनिवार्य शिक्षा की जो अभी तक वहां पर अवहेलना की जा रही है उसे रोका जाय। दरअसल मुल्क की तरक्की का मियार और समाज की तरक्कीए मियार ऐसे तबके पर है जोकि बाकई में श्रमिक है। उत्तरप्रदेश में 20 फ़ीसदी से ज्यादा लोग वहां अछूत रहते हैं। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उन की शिक्षा के लिए, उन के रहन सहन के लिए, और उन के कारोबार के लिए किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं किया गया है।

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं एक ही बात आप के माध्यम से अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां पर दाखिले के सिलसिले में बड़ी धांधली बर्ती जा रही है और दाखिले में शर्तें लगा कर एजुकेशन कोड की अवहेलना की जा रही है। अभी जब मैं अकबरपुर, जलालपुर, टाडा, गौसाइंगंज, और जहांगीरगंज गया था, गरज़ यह कि जहां जहां भी मैं गया मुझ को यही शिकायत मिली कि हरिजन विद्यार्थियों का दाख़िला नहीं हुआ है। वह बेचारे मायूस होकर अपने घर में बैठ गये। पढ़ने लिखने से वह वंचित रह गये और वह बेचारे भूतपूर्व ज़मींदारों के वहां हरवाही और मजदूरी कर रहे हैं। इस में सुधार लाने के लिए सरकार को कोई सक्रिय क़दम उठाना चाहिए।

हरिजन वेलफेयर डाइरैक्टर की देख रेख में वह जो हरिजन सुधार की शिक्षा समिति बनी है उस में मुझे अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे भी कांग्रेसी नेता रख लिये गये हैं जिनके कि ऊपर सरकार का बकाया है जिनके कि ऊपर गबन का इलज़ाम है। उन लोगों के ऊपर 19–19 ग्रांट्स लेने का भी इलज़ाम है। मैं ने उस के लिए दरख्वास्त भी दी थी लेकिन वह दरख्वास्तें अभी तक पैंडिग पड़ी हुई हैं और उन दरख्वास्तों की जांच नहीं हुई है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हरिजन विद्यार्थियों के लिए कोई बोर्डिंग हाउस नहीं है और उस के अभाव में बेचारे हरिजन लड़के इधर से उधर मारे, मारे फिरते हैं। गांवों से हरिजन लड़के शिक्षा पाने के लिए आते हैं लेकिन चूंकि उन्हें जगह नहीं मिलती है इसलिए वह मायूस हो कर चले जाते हैं। इस के अलावा उन के नाम पर जो पैसा मिलता है, जो वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है उस का दुरुपयोग होता है। उस पैसे से जनरल बोर्डिंग हाउस बनाते हैं। उन में जनरल लड़के रक्खे जाते हैं लेकिन हरिजन विद्यार्थियों को नहीं रक्खा जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो पैसा उन के नाम पर दिया जाता है वह उन्हीं के ऊपर खर्च हो उन्हीं की शिक्षा व्यवस्था और बोर्डिंग हाउस आदि पर इस्तेमाल

किया जाय और यदि ऐसा किया जायगा तो उन की तालीम में एक हजाफ़ा हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि फैजाबाद एक ऐसा पिछड़ा हुआ व अविकसित जिला है जहां 21 साल से कोई व्यवसाय आदि का इंतजाम नहीं किया गया है। टांडा एक कारोबारी इलाक़ा है। मैं ने अपने पिछली बार के भाषण में यह बतलाया था कि न सिर्फ वह हिन्दुस्तान में बल्कि दुनिया भर में वह अपने जामदानी के काम के लिए मशहूर है। वहां पर काफी तादाद में लोग कपड़ा बुनाई का काम करते हैं। दरअसल फैजाबाद जिले का पूर्वी इलाक़ा हैंडलूम तथा पावरलूम से कपड़ की बुनाई में औरों के मुकाबले काफ़ी आगे है। लेकिन यहां पर कोई स्पिनिंग कारख़ाना नहीं है। वहां पर केवल एक नैनी स्टेपिल मिल कायम है और उस का बाजार में एकाधिकार है और वह 33 प्रतिशत सूद पर स्टेपुल अथवा सूत देते हैं। इस कारण वहां का जो यह कारोबार है वह बढ़ नहीं पा रहा है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां जल्दी इस चीज़ का इंतज़ाम किया जाय।

हैंडलूम का कारोबार वहां पर है लेकिन वहां पावरलूम भी 4–5 हजार चल रहे है और हैंडलूम के नाम पर पावरलूम का माल बना कर के बाहर भेजा जाता है और परिणामतः वह हैंडलूम का कारोबार दबा हुआ है। इसलिए मैं आप के माध्यम से सरकार को यह कहना चाहता हूं कि इस के ऊपर भी कार्यवाही करे।

वहां पर थाने यद्यपि बढ़ा दिये गये हैं लेकिन उन में सिपाहियों की संख्या बढ़ाई जाय। ला ऐंड आर्डर के लिए वहां पर सिपाहियों की तादाद बढ़ाई जानी आवश्यक है। इस बारे में मैं अपना खुद का अनुभव बतलाना चाहता हूं कि जिस इलाके में भी जाकर मैं देखता हूं मैं वहां पर त्राहि, त्राहि मची हुई पाता हूं। मुझे यह चीज़ बड़े दुख के साथ कहनी पड़ रही है कि जो पुलिस अधिकारी व थानेदार आदि लोग हैं वह अपनी मनमानी करते हैं और हालत यह हो रही है कि वह हम एम०पी०लोगों की भी पर्वाह नहीं करते हैं। मुझे यह सुनने में आया है कि जब मैं वहां के थानेदार और एस०पी०से मिल कर चला आता हूं तो वह थानेदार और एस०पी० बाद में यह कहते हैं कि अरे वह है तो चमार ही, एम०पी० होने से क्या होता है? यह उन की टैंडेंसी बनी हुई है। इस लिये मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस 21 साल की आजादी के बाद भी जब हम एम० पी० होने पर देहात में जाते हैं तो हमें इस ढंग से पुकारा जाता है और इस तरह से हमारे साथ व्यवहार किया जाता है जैसे आजादी के पहले भी नहीं किया जाता था। यह तो हमारे प्रशासन का हाल है। मैं अपने जिले का हाल आप को बतलाता हूं कि जो हमारे जिले के एस० एस० पी० उन से मैं ने बीसों बार वहां के बारे में शिकायत की, लेकिन जब मैं उन को फोन करता हूं तब वह सोते रहते हैं। उन के पास टाइम नहीं है कि मेरी बात सुनें। ऐसी हालत में हमारे होने या न होने से क्या फायदा है। लाख यहां पार्लियामेंट बैठे ,लाख मेम्बर चुन कर जायें, लेकिन सही तौर पर जो बुनियादी तरक्की होनी चाहिये वह नहीं हो रही है।

मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो हमारे जिले के न्यायाधीश हैं उन की बांउंड्री में करीब 12 एकड़ जमीन है। उन के पहले जो न्यायाधीश वहां पर थे, श्री बंसल, उन्होंने भूमिहीन मजदूरों खासकर हरिजनों को वह जमीन बटाई पर दिया था। लेकिन जब वर्तमान

न्यायाधीश आये तब उन्होंने नहीं दिया। जब मैंने उन से कहा तब उन्होंने कहा कि यह उन का पर्सनल मामला है और मैं उस में इंटरफिअर न करूं। जब न्यायाधीशों का यह हाल है कि बटाई पर काम करने वाले जो खेत मजदूर थे उन की जमीन ले ली, तब हमें इंसाफ कैसे मिल सकता है? मैं आप के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इस की इन्क्वायरी होनी चाहिये। लोगों ने राज्यपाल को तार दिया, जिलाधीश को दिया, हाई कोर्ट को दिया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई।

हमारे यहां खेत मजदूरों की समस्या यह है कि वहां पर जितने पट्टे किये गये वह सब भूमिहीनों के किये गये। बाप भूमिवाला है और लड़का भूमिहीन है। इस तरह से लड़कों और नाते वांतों के पट्टे किये गये। वहां पर बहुत काफी भूमि पड़ी हुई है लेकिन वह कहते हैं कि भूमि नहीं है। जब तक वहां के भूमिहीनों को भूमि नहीं मिलेगी तब तक वहां खेती की तरक्की नहीं हो सकती।

घाघरा नदी हमारे उत्तरी हिस्से से बहती है। वहां हजारों एकड़ जमीन है। जो माननीय सदस्य मेरे जिले से आये हैं, उन्होंने इस तरफ थोड़ा सा इशारा किया है, बिस्तारपूर्वक बतलाना चाहता हूं कि वहां करीब करीब 60 लाख रु. का सरकार का नुकसान हो रहा है। मैं छः साल से इस के लिये लिखता चला आया हूं, डिमांस्ट्रेशन करता हूं, प्रोटेस्ट करता हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। हजारों एकड़ जमीन भूतपूर्व जमीदारों के जरिये से हथिया ली गई है, जो कि खेत मजदूरों, खास तौर से हरिजनों को नहीं दी गई है। इस लिये मजबूर हो कर वह इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं चाहता हूं कि इस बात पर निर्णय किया जाये।

जहां तक सिंचाई का सवाल है, मैं अदब से कहना चाहता हूं कि टांडा और अकबरपुर इलाके जो कि फैजाबाद जिले मे आते हैं, इस से बिल्कुल अछूते हैं। न तो वहां नहरें हैं और न ट्यूबवेल का ही इन्तजाम है। जो बरसाती पानी होता है उस पर वह मुनहसर करते हैं। बरसाती पानी से खेत की सिंचाई कैसे हो सकती है? लगातार कोशिश करने के बाद भी सरकार इस में नाकामयाब रही है।

आज जो हरिजन नव बौद्ध हो गये हैं उन की भी वही हालत है जो कि हरिजनों की है। इस लिये जो भी नव बौद्ध हैं उन की हालत को सुधारने के लिये उन को सुविधायें प्रदान की जानी चाहियें, जैसे हरिजनों को दी जाती हैं।

उत्तर प्रदेश के यातायात के बारे में मैं बतलाना चाहता हूं कि घाघरा नदी के पैरलल सड़क जाती है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क है और मया, इल्फातगंज, टांडा हसवर होते हुए वह आजमगढ़ को चली जाती है। उसी तरह से एक सड़क गोविन्द साहब से हो कर जलालपुर, अकबरपुर, महरवां होते हुए सुल्तानपुर जिले को मिलाती है। यह दो चार सड़के ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं लेकिन आज तक उस पर एक मील भी पक्की सड़क का निर्माण नहीं किया गया। उस के बगल में ही सुल्तानपुर जिला है। वहां मैं ने देखा कि छोटी छोटी सड़कों को पक्का किया गया। हमारा जिला यातायात के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है।

मैं चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं कि अगर सही तौर से इन सारी चीजों का इन्तजाम नहीं किया गया तो

[श्री रामजी राम]

वहां बहुत असन्तोष फैलेगा। टांडा एक कस्बा है जहां की आबादी 36 हजार है। लेकिन वहां पर जो अस्पताल है वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है। जब मैंने इस का सवाल उठाया कि यह डिस्पेंसरी सरकार को दी जाय और वहां सरकारी अस्पताल बनाया जाये, जब हम डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कहते हैं तो वह कहते हैं कि वहां से प्रस्ताव पास कराइये और जब मैं सरकार से लिखा पढ़ी करता हूं तो वह कहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से प्रस्ताव पास कराइये। न तो जिला परिषद् ही प्रस्ताव करता है और न सरकार ही ध्यान देती है। 36 हजार की आबादी के लिये कोई अस्पताल नहीं है। इस पर शीघ्र ही ध्यान दिया जाना चाहिये।

अब मैं ब्लाक और प्लानिंग के बारे में कहना चाहता हूं। जैसा कि मशहूर है, प्लैनिंग के हैं तीन काम, नक्शा, मीटिंग और सलाम। इस के अलावा प्लैनिंग का और कोई काम नहीं है। लाखों रुपये हरिजनों की तरक्की के लिये, खेत मजदूरों की तरक्की के लिये और श्रमिकों की तरक्की के लिये मांगे जाते हैं लेकिन सब पैसा लैप्स हो जाता है और वापस कर दिया जाता है। किसी किस्म का कोई सक्रिय कदम नहीं उठाया जाता।

आज हमारे यहां रोडवेज की जो हालत है वह बहुत ही खराब है। उत्तर प्रदेश में यातायात की जो मुख्य साधन है वह रोडवेज है लेकिन उस की बसों की हालत बहुत खराब है और टाइम का भी किसी किस्म का कोई खयाल नहीं किया जाता। बसें घंटों लेट हो जाती हैं और आने जाने में लोगों को बड़ी कठिनाई होती है।

यहां पर भगवान के मन्दिर हैं उन की लाखों रुपयों की आमदनी होती है। एक तरफ इन्सान रात दिन मेहनत करता है फिर भी उन को खाने को नहीं मिलता, कपड़ा नहीं मिलता, और बालबच्चों को शिक्षा नहीं मिलती, दूसरी तरफ, भगवान के मन्दिर हैं। जो भी इस तरह के मन्दिर हैं उन पर टैक्स लगाया जाना चाहिये और उन की जो आमदनी हो उस को विकास कार्यों पर खर्च किया जाना चाहिये। मैं सरकार का ध्यान इस तरफ अवश्य दिलाना चाहता हूं।

**श्री बैं० ना० कुरील** (रामसनेहीघाट) : अध्यक्ष महोदय, संविधान की धारा 356 के अन्तर्गत पिछली अप्रेल में उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस को छः महीना बढ़ाने का जो सदन के सम्मुख प्रस्ताव है, मैं उस का समर्थन करता हूं। उस का समर्थन तो करना ही पड़ेगा, इस लिये कि गवर्नर की जो ऐडवाइसरी कमेटी बनी है उस ने यह तय किया है कि फरवरी में एलेक्शन होंगे। तब तक अर्थात् छः महीने तक वह जारी रहेगी ही। जैसा श्री शुक्ल ने कहा, वह तीन महीने के लिये भी बढ़ाया जा सकता था, किन्तु जब फरवरी में एलेक्शन होना है तब उस को छः महीने के लिये जारी रखना ही मुनासिब होगा।

जब प्रोफेसर रंगा ने डिस्कशन को प्रारम्भ किया तब उन्होंने जो कुछ अपनी स्पीच में कहा उस से ऐसा लग रहा था मानो कांग्रेस ही इस बात के लिये जिम्मेदार है कि वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। शायद वह पिछला इतिहास भूल गये कि जब वहां राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो किन परिस्थितियों में हुआ और कौन लोग उस राष्ट्रपति शासन को लाने के लिये जिम्मेदार थे। मैं उन को याद दिलाऊं कि सब से आखीर में जब एक मौका दिया गया कि एक महीने में वह लोग अपना नेता चुन लें जो संविद की इकाइयां थीं। जब यह

हो रहा था कि अब चुना जाय, अब चुना जाये तब आखिरी दिन स्वतन्त्र पार्टी ने अपने प्रतिनिधियों को खींच लिया। ऐसी स्थिति में वहां राष्ट्रपति शासन लाजिमी हो गया क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था गवर्नमेंट के सम्मुख। श्री रंगा यह भूल गये कि उन को यह तल्ख तजुर्बा हो गया था कि इस तरह से जो इकाइयां आयेंगी वह सरकार नहीं चला सकतीं। परन्तु इस का मतलब उन्होंने उल्टा लगाया। उन्होंने कहा कि जो तजुर्बे हुए हैं उन को देख कर सेंटर में भी एक मिली जुली सरकार बननी चाहिये। अजीब बात है उन का इस तरह से कहना।

अभी सप्लिमेंटरी बजट के समय श्री भारती ने वहां के मुख्य सचिव के खिलाफ शिकायत की और उन्होंने जबर्दस्त आरोप लगाये उन के खिलाफ। उन का भाषण इस हद तक पहुंचा कि उन का कोई आदमी था जो सस्पेंडेड है। श्री भारती यह कहना चाहते थे कि मुख्य सचिव उस को इस लिये बहाल नहीं करना चाहते कि किसी वक्त वह उन के अन्डर में था और उन की कोई पर्सनल राइ-बैलरी थी। इस तरह की बातें यहां पर डिस्कशन में लाना, मेरी समझ में उचित नहीं है। छ महीने तक तो राष्ट्रपति शासन वहां चलेगा। इस दौरान जो काम होंगे वे कुछ अच्छी तरह से होते रहे यह मेरी कामना है। इस में कोई शक नहीं है कि वहां का जो सामान्य प्रशासन है वह कुछ ढीला हो गया है। यह ढिलाई राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद आई है, इन पिछले पांच छः महीनों के दौरान आई है ऐसी बात नहीं है। यह ढिलाई पिछले एक डेढ़ साल से चली आ रही है क्योंकि तब से पूरे प्रदेश में एक हुल्लड़ सा मच गया, यह चीज फैलती सी गई है और सम्भालने की कोशिश करने के बावजूद भी यह सम्भली नहीं है। आज तो वह बिल्कुल लैट लूज हो गई है। इस ढलाई का असर किस पर पड़ रहा है? इसका असर पड़ रहा है गरीब लोगों पर, पिछड़े वर्ग के लोगों पर, कमजोर तबके के लोगों पर, हरिजन लोगों पर। जगह जगह उनकी मारपीट हो रही है, उनको सताया जा रहा है, उनके जमीनें हड़पी जा रही है। जब वे शिकायत करने के लिए जाते हैं कि हमारी जमीन ले ली गई है तो उसको इनक्वायरी उनके माफिक नहीं होती है। जो जबर्दस्त लोग हैं, उनके माफिक इनक्वायरी चली जाती है। समझ में नहीं आता है कि पिछले कुछ दिनों से जो पुलिस की ज्यादती की बात फैल रही है, उसके बारे में क्या कभी आपने बैठ कर उच्च स्तर पर इस बात को सोचा है कि ऐसा क्यों है? क्या कहीं पुलिस के अफसरों के दिमाग में यह बात तो नहीं आ गई है कि हम जो चाहें कर सकते हैं? क्या उन्होंने राष्ट्रपति शासन का मतलब यह तो नहीं लगा लिया है कि अब पुलिस का राज है और पुलिस जिस को चाहे और जिस तरह से भी चाहे दबा सकती है, सता सकती है। राष्ट्रपति शासन की सही तस्वीर उनके सामने आज रखने की जरूरत है। गवर्नर महोदय ने वहां मेरे ख्याल में काफी इस बात की छूट दे दी है। उन्होंने वहां पर एडवाइजरी कमेटी बनाई है, प्लानिंग की कमेटी भी बनाई है और वहां पर जो बातें रखी जाती हैं उन पर वह गौर करते हैं और अमल भी करते हैं। लेकिन यह पुलिस के दिमाग में कैसे बात आई कि वे जैसे चाहें लोगों को तंग कर सकते हैं, इसको जानना हमारे लिए जरूरी है। मैं चाहता हूं कि इसके बारे में उच्च स्तर पर जांच कराई जाए।

[श्री बै० ना० कुरील]

प्लानिंग की भी चर्चा हुई है। सारे देश में प्लानिंग हुआ है और उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। उससे लाभ भी हुआ है। देश समृद्धिशाली हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी फर्क पड़ा है। वहां भी काफी अच्छा काम हुआ है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं। चौथी योजना बन रही है। इसको बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि इससे सब को फायदा हो। आज तक योजनाओं से लाभ हुआ लेकिन बड़े लोगों को हुआ है, फिर चाहे वह बड़ा किसान हो, बड़ा उद्योगपति हो या कोई भी हो। जिस के पास साधन पहले से मौजूद थे वही इससे लाभ उठा सका है और जिस के पास पहले से कुछ नहीं था उसको कोई लाभ नहीं मिला है। जैसे हरिजन हैं, लैंडलैस लेबरर हैं, खेतीहर मजदूर हैं, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। इसलिए जो चौथी योजना बन रही है उस में बड़े बड़े काम तो होंगे ही, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तो लगेंगी ही लेकिन उसके साथ साथ ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी लगनी चाहिये ताकि इन छोटे लोगों को, साधनहीन लोगों को भी उससे फायदा पहुंचे। सारा देश तरक्की कर जाएगा और उसका कोई भी एक हिस्सा अगर इस तरह से रह जाएगा कि जिस के पास पहनने के लिए कपड़ा न हो, रहने के लिए घर न हो, पेट भरने के लिए उसके पास खाना न हो, तो देश को समृद्धिशाली नहीं कहा जा सकता है। जब देश की समृद्धि को नापा जाएगा तो यही कहा जाएगा कि देश अभी गरीब है। इसलिए हरिजनों और लैंडलैस लेबरर्ज के लिए ही नहीं बल्कि सारे देश के लिए यह जरूरी है कि सब की समान रूप से तरक्की हो और मैं चाहता हूं कि चौथी योजना में इस बात का खयाल रखा जाए।

कुछ सुधार हुए हैं, भूमि सुधार हुए हैं, चकबन्दी हुई है। चकबन्दी की स्कीम तो लगता था कि बहुत अच्छी है और चकबंदी जब होगी तो गांवों में जिन लोगों के पास घर बनाने तक के लिए जमीन नहीं है उनको घर बनाने के लिए जमीन मिल जाएगी और आबादी के लिए चकबंदी करते समय जमीन छोड़ी जाएगी। इसको छोड़ा भी गया। लेकिन बाद में फिर बड़े लोगों ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया और जिन हरिजनों के लिए आबादी के लिए जमीन छोड़ी गई थी वे वैसे के वैसे पड़े रह गए। उधर से एक साहब प्रस्ताव लाये थे कि गांवों में हाउसिंग की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। बहुत अच्छे मकान बन कर उनको देने चाहिये। मैं तो कहता हूं कि गांवों में जिन लोगों के पास घर बनाने तक के लिए जमीन नहीं है उनको घर बनाने के लिए जमीन दे दी जाए तो भी एक उपयोगी काम आप कर देंगे। मैं चाहता हूं कि कोई एक खास काम आप हाथ में ले लें और उसको सारे देश में चला दें और उसमें सफलता प्राप्त कर के दिखा दें तो भी यह एक ऐसी बात होगी जिससे आपको क्रेडिट मिलेगा। उससे पता लगेगा कि जो लोग साधनहीन हैं उनके लिए कोई तो काम आपने किया है। जिन लोगों के पास घर बनाने तक के लिए जमीन नहीं है ऐसे साधनहीन लोगों के आंकड़े आप एकत्र करें और घर बनाने के लिए उनको आप जमीन दे दें। अगर आप उनको जमीन नहीं दे सकते हैं, पानी पीने के लिए कुएं का प्रबन्ध नहीं कर सकते हैं तो और क्या कर सकेंगे, यह मैं समझ नहीं पाया हूं।

शिक्षा के बारे में बहुत सी बातें कही गई हैं। हरिजनों के उत्थान के लिए जो काम हुआ है उस में शिक्षा का क्षेत्र ही

एक ऐसा क्षेत्र हैं जिससे पता लगता है कि कुछ तरक्की हरिजनों की हुई है, कुछ काम हुआ है और उनको कुछ फायदा हुआ है। उनके बच्चों को स्कालरशिप मिलता है, किताबें मिलती हैं। जो छात्रवृत्ति का रेट रखा गया था, जो इकोनोमिक बैरियर रखा गया था, जो सीमा आमदनी की रखी गई थी और जिस के नीचे लोगों के बच्चों को स्कालरशिप मिल सकते थे वह सीमा 1953 और 1954 में तय की गई थी। उस वक्त देश की हालत और थी। उस वक्त उस में उनके खाने पीने और किताबें खरीदने का खर्चा चल जाता था। आज नहीं चल सकता है। आज मैं देखता हूं लड़के होस्टल में रहना चाहते हैं लेकिन नहीं रह सकते हैं, अलग से खाना बनाते हैं, घर से मोटा अनाज लाते हैं और तब कहीं उनका गुजारा होता है। स्कालरशिप को जो रेट है और जो इकोनोमिक बैरियर फिक्स किया गया है, इस पर आप पुनः विचार करें और विचार करके इसको आप बढ़ायें। मुझे नहीं मालूम कि छः महीने के अन्दर यह चीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, लेकिन इस ओर आप अवश्य ध्यान दें।

हमारे रंगा साहब ने कहा है कि सप्लीमैंटरी बजट में बहुत सी नई स्कीमों को लागू किया गया है, बहुत से नए काम शुरू किये गये हैं। इस पर उनको एतराज क्यों है, यह मैं समझ नहीं पाया हूं। किसानों को अगर कोई सुविधा दी जा रही है तो उनको इस पर एतराज क्यों होना चाहिये। वह स्वयं एक बड़े किसान हैं, फार्मर्ज फोरम के पदाधिकारी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूं कि छोटी छोटी चीजें किसानों के लिए की जा रही हैं तो इस में एतराज की क्या बात है। उनका कहना यह था कि राष्ट्रपति शासन के वक्त में यह क्यों दी जा रही हैं। अगर पब्लिक की भलाई के लिए कोई काम किया जाता है तो मैं समझता हूं कि इस पर उनको खुशी जाहिर करनी चाहिये। न कि उस पर एतराज उनको होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ जो प्रस्ताव आया है, इसका मैं समर्थन करता हूं।

MR. SPEAKER: I had requested the Members in the morning to adjust both the items within 5 hours. Now, I see that all the parties have again to begin. I thought, by calling two or three from this side and from that side we will finish it within 3 hours. It looks every party wants to have an opportunity again. I will have to guillotine it after 3 hours. Whoever is left I cannot help it. From one party, even two spokesmen have spoken on the Supplementary Demands and again there is a third one who wants to speak. It will be most unfair. Anyway, I call Mr. Nayar. Please finish in 5 minutes. Actually you have no time at all. I am just giving this much because you are a senior Member wanting to speak. Already, Mr. Atal Bihari Vajpayee and Mr. Tyagi have spoken.

SHRI K. K. NAYAR (Bahraich): They have spoken on the other item.

MR. SPEAKER: In the morning—unfortunately, you were not here—I said that both may be taken together. Anyway, please finish quickly.

Dr. RANEN SEN (Barasat): What is the time allotted for this?

MR. SPEAKER: Both put together 5 hours. If you finish quickly, I will be able to accommodate more Members.

SHRI K. K. NAYAR: Mr. Speaker, Sir, hon. Minister, Mr. Vidya Charan Shukla, when he opened the discussion, said that the Governor was doing a difficult job and trying to run the administration free of party interests. Mr. Ranga impeached that statement and asserted that the party interest was being served by the administration that is now being carried on in

[Shri K. K. Nayar]

the name of the President. I would not like to enter into this controversy. If the Governor is doing a job without regard to party interests, then he is to be congratulated for it on account of his personal ability and integrity and not because of the constitutional position that makes it possible for him to do so.

Sir, as the nominee of the President he is under the Centre's control and only a very resolute person ready to throw away his job in crisis can do this. In other countries, the Governors are elected. Here, the Governor is appointed by the President and he carries on the administration in the name of the President. The Cabinet at the Centre is controlled by the Congress. It would be a miracle if he can run the administration free of party interests and, to the extent he is doing that, I congratulate him. I do not impeach his intention and the efforts of a few officers at the helm of affairs who are doing a difficult job.

I have a grouse against the present administration that, at the district level, here is complete collapse.

17 HRS.

I would only refer to one aspect, namely, the police administration, and I would limit my observations to only one district, Bahraich, from which I have been elected. It is on the border of Nepal. It has many problems and it is also served by the Border Security Force. But I find that beyond this Border Security Force, within the district, there is a border unsecurity force known as the U.P. Police. I will only quote a few instances.

In 1957, a Harijan girl was taken away by the Station Officer of Kaisal Ganj Police Station, kept at his place for two days and ravished. When she was released, her father made a complaint. The girl was medically examined under the orders of the District Magistrate. Immediately afterwards, the Station Officer was transferred as Reader to the Superintendent of Police. This was the last thing that the public heard of this matter.

In November, 1967, in a small town known as Jarwal, a dacoity was committed in the house of a shopkeeper, 100 yards from the Police Outpost. The Head Constable in charge of the Police Outpost was away on leave. The standing complaint against him was that he had myrmidons in league with him who used to commit crimes and he used to be away on the night of the crime. This was a known thing. He was also married in that circle, although he did not belong to that district. That particular village had a number of bad characters. The shopkeeper and his wife were killed; his two sons were badly maimed, and his daughter-in-law was also maimed; they became unconscious. A Constable came to the scene of occurrence and then went and reported the matter. When these people revived and regained consciousness, they went and told the Police that the men who were listed as witnesses were the dacoits and that some innocent persons had been implicated. But the Superintendent of Police would not listen to the complaint, and they had to leave that place because they were bounded out by the Police for saying this. They came to me, and I wrote a letter to the Inspector-General of Police. The Inspector-General of Police referred it to the S.P. Then these people went back to Jarwal. Later the Police raided their house, threatened them with murder and threw them out. I again reported the matter to the I.G., and the Head Constable was shifted. Today their case is going on. The persons who committed the dacoity are appearing as witnesses and innocent persons are accused in the case!

The third incident, which happened recently, was also published in the papers. The same gentleman, who had ravished that Harijan girl and had gone as Reader to the S.P., came back as Station Officer after a few months to the neighbouring Police Station, Fakharpur. There, a Muslim girl had left her husband. The girl was brought back to police custody and she was detained at the Police Station for four days. At the end of the fourth day, the girl's husband came to know that she

was at the Police Station and he, along with his father, went there to claim the girl. But the Sub-Inspector said that there would be a *'kushthi'* between the boy and the girl and if the boy wanted the girl, he should win the fight and a wrestling bout was held between the boy and the girl. We have heard of trial by battle in the 9th and the 10th Centuries in England, but the Sub-Inspecor of Fakharpur started in our own times and in our own place. The fight went on and naturally in the course of the encounter, the girl became partly undressed. Rude remarks and ribald jests were passed and the public were offended, although some of them watched in curiosity. The complaint was carried to Pandit Bhagwan Din Vaidh, an ex-M.P., who is now the Chairman of the Zila Parishad. He phoned up the S.P. and cited the witnesses, who were then examined by the S.P. The S.P. has taken no action, although Pandit Bhagwan Din Vaidh reminded him of the matter five times.

In the neighbouring district of Gonda—that is also a border State of U.P., and Gonda is represented in this House by Shri Atal Bihari Vajpayee and Shrimati Sucheta Kripalani—in Shrimati Sucheta Kripalani's constituency, something of a hair-raising character occurred which was reported in the Press. The Sub-Inspector of that area got hold of a woman and made her co-habit with her son and, thereafter, she was marched naked in the streets. It has come in the papers...

MR. SPEAKER: It was discussed here also. So, the hon. Member need not repeat it.

SHRI K. K. NAYAR: This is what is happening. Incest is held in great horror by Indians. In fact, the worst pejorative terms in Hindi are connected with the abhorrent crime of incest. But the Sub-Inspector is inuring the people to its acceptance.

If these conditions are continuing there must be a reason for that. I do not say that the heads of departments are not taking interest. But U.P. is a very big State. It has 54 districts, and its problems are many. I find that at the district level there is complete collapse. Nobody has the time to look into these things. The Chief Secretary and the IGP do not have the time to look into all these matters.

I personally feel that some kind of a change in the district administration is called for. If the officers do not listen, you must devise a machinery for expediting such matters. The Lokpal and the Lokayuktas are for the future. We do not know what shape that machinery will take. But in the meanwhile, the desparation, the feeling of futility and the sense of frustration among the people must be removed. That can be done only if the Governor devises some arrangement to have in every district some kind of authority or some committee to listen to and redress people's complaints promptly.

**श्री चन्द्रिका प्रसाद** (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो प्रस्ताव है, मैं उस का समर्थन करता हूं। आगरा, गोंडा और मेरठ आदि स्थानों में पुलिस से सम्बन्धित घटनाओं की सत्यता के बारे में पहले तो मुझे सन्देह, था लेकिन जब हमारे यहां बलिया में 8 अगस्त को फ़ायरिंग हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि वे समाचार भी ठीक ही होंगे। हमारे यहां की जनता की यह भावना है कि यह गोलीकांड पुलिस की लापरवाही और उपेक्षापूर्ण नीति के कारण हुआ। इस लिए वह पुलिस से बहुत रुष्ट है। वहां पर कोई हिन्दू-मुस्लिम तनाव नही था। जिले भर के वकीलों अध्यापकों शिक्षित-अशिक्षितों, सब लोगों ने तार और चिट्ठी भेज कर यह मांग की है कि उस गोलीकांड की न्यायिक जांच की जाये, ताकि दोषी व्यक्तियों को उचित सजा मिले और भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो पाये।

उत्तर प्रदेश में बीस वर्ष तक इस प्रकार की घटना नहीं हुई। इस समय भी अगर वहां पर एक पापुलर गवर्नमेंट

होती, तो वह स्थिति को सम्भाल लेती और गोली चलाने की नौबत न आती। उस गोलीकांड में एक लड़का मारा गया और 150, 175 लोग लाठी-चार्ज से घायल हुए। जो लड़का मारा गया है, उस की बेवा औरत है और एक बच्चा है। कम से कम उस को पेन्शन देनी चाहिए और घायल लोगों को कामपेन्सेट करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में हम जो मामले इस सदन में उठाते हैं, या अधिकारियों के ध्यान में लाते हैं, शासन के उच्चाधिकारियों को जन-भावना का ख्याल कर के उन मामलों की जांच करनी चाहिए और आवश्यकतानुसार उन के बारे में कार्यवाही भी करनी चाहिए।

बलिया के टकरोली गांव में मुसलमानों को कब्र गाड़ने के लिए जगह नहीं मिल रही है। गांव के सभापति ने एक जगह दी है, लेकिन कुछ गुंडों की बदमाशी की वजह से मुसलमान लोग उस को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। नतीजा यह है कि मुसलमान अपने घरों में कब्र गाड़ रहे हैं। इस बारे में अधिकारियों को कई बार कहा गया है, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई है।

बलिया में वेस्ट्रन रेलवे क्रासिंग का सवाल कई बार उठाया गया है। लेकिन आज तक उस के बारे में कोई प्रगति नहीं हुई है।

हमारा जिला गंगा और घाघरा के बीच में है और वहां पर एक तीसरी नदी टोंस भी है। पिछली बाढ़ में वहां पर सब स्कूल और कालेज आदि ध्वस्त हो गये थे। इस बारे में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा गया। जब बिहार में सूखा पड़ा था, तो भारत सरकार ने शिक्षा संस्थाओं के सम्बन्ध में सहायता की थी। भारत सरकार की ओर से कहा गया कि अगर यू० पी० गवर्नमेंट लिखेगी, तो वह इस बारे में कार्यवाही करेगी। हम यू० पी० गवर्नमेंट को लिखते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है और न ही जवाब मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के अधिकारी ध्वस्त हुए उन स्कूलों और कालेजों की ओर ध्यान दें।

हरिजनों के छात्रावास के बारे में भारत सरकार ने यू०पी० गवर्नमेंट को लिखा, लेकिन न मालूम यू० पी० गवर्नमेंट उस के बारे में क्य कर रही है। इस तरफ़ भी ध्यान देना चाहिए।

हरिजनों के आवास और उद्योग के लिए कांग्रेस सरकार बराबर सहायता दिया करती थी। लेकिन संविद सरकार के काल में उस को बन्द कर दिया गया और आज तक वह सहायता नहीं मिल रही है। छात्रवृत्ति तो मिल रही है, लेकिन हरिजनों के आवास और उद्योग के लिए सहायता नहीं मिल रही है।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में भूमिहीन हरिजन मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या है। वे पीलीभीत आदि दूसरे जिलों में जा कर खेती करते हैं। वहां पर जंगल नहीं हैं, लेकिन हमारे अधिकारी कहते हैं कि वह जंगल की जमीन है। मैं पीलीभीत के कलेक्टर से मिला, चीफ सेक्रेटरी को खत लिखा, गवर्नर को भी लिखा, हम ने कहा कि जब खेती कर रहे हैं, जंगल इस समय नहीं है तो कम से कम जन-भावना के लिहाज से, और जो इतनी परेशानी है उस को ख्याल कर के उन को रहने दीजिए, जब जंगल लागाएंगे तो उन को हटा दिया जयगा।

तीसरी चीज मैं यह कह रहा था कि अपने यहां उत्तर प्रदेश में कम्यूनिटी लिसेंनिग स्कीम एक थी, पापुलर गवर्नमेंट के समय से यह स्कीम थी। संविद सरकार ने इस को हटाने को सोचा लेकिन

कैबिनेट ने कोई डेसीशन नहीं लिया था इसलिए वह स्कीम चलती रही। अब आज हमारी सरकार उन लोगों को हटाने जा रही है और कुछ लोग इस से बेकार हो रहे हैं। इस पर सरकार विचार करें।

बलिया में रसड़ा सुगर फैक्ट्री की एक योजना 11 वर्ष से चल रही है। सरजू पांडेय जी ने भी इस मसले को उठाया था। बलिया के झारखंडे राय एम०पी० हैं, उन के क्षेत्र में है। आज तक उस के बारे में मालूम नहीं क्या हो रहा है। सरकार इस बारे में जल्दी निश्चय करे।

रसड़ा नोटिफाइड एरिया को जब्त करने के लिए कलेक्टर ने लिखा। कई साल हो गए। स्टेट लेवेल पर वह मामला पड़ा हुआ है। पता नहीं वह क्या कर रहे हैं? इस सम्बन्ध में भी जल्दी निर्णय लिया जाय।

दूसरी एक सब से बड़ी बात जिस से हमारे यहां की जनता उद्वेलित हो उठी है, वह यह है कि दस रुपये प्रति यूनिट हार्स पावर पर बढ़ा दिया गया है। हम कहते हैं कि सरकार साधन इकट्ठे करे, हम भी उस के पक्ष में हैं कि कर लगाए जायं, साधन इकट्ठे किए जायं लेकिन इस तरह से अगर किया जायगा और इस रूप में यह रेट बढ़ाया जायगा तो इस से प्रोडक्शन रुक जायगा। इस पर वित्त मंत्री को ध्यान देना चाहिए और इस चीज को रोक देना चाहिए। अगर यह लागू किया गया तो सारे जो ट्यूब वेल लोगों ने लगाएं हैं वह लोग अपने ट्यूब वेल वापस ले लेंगे। इस से खेती रुक जायगी क्योंकि सरकारी ट्यूब वेल तो आप लगा नहीं रहे हैं, लोगों ने प्राइवेट ट्यूब वेल लगाए हैं, उस पर हार्स पावर का डबल रेट हो जायगा तो कृषि का उत्पादन बहुत कम हो जायगा। इसलिए इस के ऊपर सरकार को विशेष रूप से विचार करना चाहिए

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि बलिया में अभी फायरिंग जो हुई उस फायरिंग के बाद पी०ए०सी० की बटालियन वहां घूम रही है जिस की कतई कोई आवश्यकता नहीं है और जिस पर लाखों रुपया सरकार का खर्च हो रहा है मगर बाढ़ में जो लोगों के घर बरबाद हो गए हैं, खेती नष्ट हो गई है, इतना नुकसान हुआ है और यह सब हमारे अफसरों की उपेक्षा से हुआ है, वहां पर तुरतीपार–श्रीनगर एक बन्धा था, उस का रिपेयर नहीं किया गया, अगर रिपेयर हो जाता तो यह बाढ़ नहीं आती। मैंने उस के बारे में खत भी लिखा लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। यह अधिकारियों की लापरवाही उस में है। अगर वह बन्धा मरम्मत हो जाता तो बाढ़ बिलकुल नहीं आती। आज वहां पर दियासलाई, नमक और एक एक मुट्ठी चने बांट रहे हैं जब कि उन की अपनी गलती की वजह से लाखों रुपया पी०ए०सी० की बटालियन के ऊपर खर्च हो रहा है।

एक बात हिन्दी टाइपराइटर्स के बारे में कहना चाहता हूं। हिन्दी टाइपराइटर तो खरीद लिये गए लेकिन उन को चलाने वाले आदमी नहीं रखे जा रहे हैं। हिन्दी की प्रगति की भावना रखते हैं तो केवल हिन्दी की मशीनों से तो प्रगति हो नहीं जायेगी। मेरा यह निवेदन है कि आज जो लड़के बेकार हैं उन को हिन्दी के टाइपराइटर पर काम करने के लिए लगाया जाना चाहिए।

हमारा जिला और पूर्वी जिले स्वतंत्रता संग्राम में सब से आगें रहे हैं। यह वीर सेनानियों का जिला रहा है। सरकार की ओर से पहले उन को पेंशन मिलती थी और शादी ब्याह के लिए रुपया मिल

[श्री चद्रिका प्रसाद]

जाता था, कांग्रेस सरकार थी तो दिया करती थी। लेकिन वह अब नहीं मिलता है। सरकार इस के ऊपर भी विचार करे और उन को मदद् मिल सके, इस की व्यवस्था करे।

अब मैं भारत सरकार से आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश किस तरह से पिछड़ा हुआ है, यह हमारे गवर्नर साहब की जो स्पीच हम लोगों को बांटी गई है, उस में दिखलाने की कोशिश की गई है। मैं गवर्नर साहब की तारीफ करता हूं कि उन बेचारों ने आ कर के प्रदेश का यह भला किया है कि 18 वर्षों में हमारी जो उपेक्षा की गई वह उन्होंने बताया है। मैं आप के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज जो हमारी शिक्षा की हालत है, जो हमारे अस्पतालों की हालत है, जैसा कि गवर्नर साहब ने कहा है, उस पर विचार करना चाहिए।

दूसरी बात जो सब से अधिक महत्व की है वह यह है कि बेकारी की समस्या बड़े भयंकर रूप में हमारे सामने खड़ी है। हम तो एम०पी० हो गए, 31 रुपया रोज पाते हैं, 500 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन वह बेचारे जिन के पास रोजी का कोई साधन नहीं है, कितने परेशान होंगे, इस का अन्दाजा आप लगा सकते हैं। रोज 20–25 खत मेरे पास उन बेकार लड़कों के, नौकरी के लिए आते हैं। हमारी समझ में नहीं आता कि इन बेकारों का क्या हश्र होगा? सारे देश की 25 परसेंट बेकारी हमारे उत्तर प्रदेश में है। माननीय मंत्री जी इस पर विचार करें और इस का हल निकालने की कोशिश करें।

**श्री जगेश्वर यादव** (बांदा): अध्यक्ष महोदय, जब से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तब से उत्तर प्रदेश के प्रशासन अधिकारियों में और अधिक भ्रष्टाचार फैल गया है। अब इस का हम को यह पता नहीं चलता कि उन के दिमाग में यह भ्रष्टाचार और अधिक मात्रा में क्यों बढ़ गया? या तो वह यह महसूस करते हैं कि 20 साल के प्रशासन में अधिकतर सत्तारूढ़ पार्टी के आदमी उस प्रशासन में अधिक हैं इसलिए उन का भय दूर हो गया है कि जो संसद या प्रान्त की विधान सभा है उन में हमारे आदमी बैठे हुए हैं और हम से जो कुछ गलती होगी उस में हमें वह बचा लेंगे। इसीलिए ऐसा मालूम होता है कि जब से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तब से प्रशासन अधिकारियों में बहुत अधिक भ्रष्टाचार फैल गया है। कहां तक कहा जाय चाहे इंजीनियरिंग विभाग में देख लिया जाय, चाहे पुलिस विभाग में देख लिया जाय और चाहे माल विभाग में देख लिया जाय, हर जगह भ्रष्टाचार की मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है। हम देखते थे पहले कि गांवों में लेखपाल के ही अन्दर यह भ्रष्टाचार था। फिर बढ़ते बढ़ते कानूनगो, तहसीलदार के पास आया और जब से यह राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है तब से जिला मैजिस्ट्रेटों के दिमाग में भी यह कीड़ा पहुंच गया है। जितनी भी उत्तर प्रदेश की गांव समाज की जमीन थी, टाउन एरिया की जमीन थी, म्युनिसिपैल्टियों की जमीन थी उन में बुद्धिजीवी आदमियों से मुकदमे दायर करा दिए जाते हैं और 229(बी) जमीदारी उन्मूलन ऐक्ट की धारा के मुताबिक वह सब अपने इजलास से उस जमीन को सेहत करते चले जा रहे हैं और काफी रुपया बना रहे हैं।

इसी तरह से न्याय विभाग में हम देखते हैं कि वहां एक एक अन्डर ट्रायल के मुकदमे चार चार साल से पड़े हुए हैं और जो आदमी अपनी जमानत नहीं दे सकता वह जेल में सड़ रहा है और

चार चार साल से बिना सजा के सजा भुगत रहा है। मैजिस्ट्रेट लोग कोई परवाह नहीं करते। यहां तक मैं ने देखा, अभी जून के महीने में मैं एक जमीन आन्दोलन में बन्द था तो वहां देखा कि एक कैदी जिस का कि अभी मुकदमा चलाया नहीं गया, चार साल से परेशान हो कर एक दिन वह पेड़ पर चढ़ गया अपनी जान देने के लिए, मरने के लिए उद्यत हो गया। यही न्याय विभाग का हाल है। वहां भी कुछ बड़े-बड़े मामलों में डकैतियों में और कत्लों में ऐसा हम को आभास होता है कि काफी पैसा बनाया जाता है। वह क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उन के ऊपर कोई अंकुश कड़ा नहीं है। वह ऐसा महसूस करते हैं कि इस बीस साल के प्रशासन में उन को कांग्रेस गवर्नमेंट की थाह मिल गई है। हरएक जगह उन के आदमी बैठे हुए हैं और उन के अन्दर से डर हट गया है। वह अपने निजी फायदे के लिए यह सब करते हैं। न उन में कोई राष्ट्रीयता है न कांग्रेस की उन में कोई भक्ति है। वह तो एक अपने फायदे में लगे हुए हैं। न तो आई० जी० का हुक्म एस० पी०मानता है और न एस०पी० का हुकुम थानेदार मानता है। न थानेदार का हुकुम दीवान और राइटर मानते हैं। सब जो जहां हैं अपने फायदे हाथ पांव मार रहे हैं। और इस तरह से हमारे शासन की जड़ को खोखला कर रहे हैं। और वह इसलिए यह कर रहे हैं कि हम लोग जो यहां बैठे हुए हैं हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है, हमारे दिमाग में यह हो गया है कि यह तो दूर हो ही नहीं सकता है। हम उस को असम्भव मानते हैं। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं कि हम 523 आदमी यहां बैठे हुए हैं, हर बात को जानते हैं कहां क्या होता है लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जनता के ऊपर अत्याचार होता है तो कोई उस की सुनवाई नहीं होती और आज भी एक कलेक्टर को कोई दो-चार थप्पड़ मार दे तो पार्लियामेंट में बैठे हुए हमारे मंत्री जी पता लगा लेंगे लेकिन कोई थानेदार किसी को मार डालता है तो उस का कोई पता ही नहीं चलता है और न कोई उस की सुनवाई होती है। तो इस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश का प्रशासन जो है वह बहुत ढीला हो गया है और मैं चाहता हूं हम को इस समय यह करना चाहिए कि जब इतनी बेकारी फैली हुई है और प्रशासन में इतने भ्रष्टाचारी व्यक्ति भरे हुए हैं तो हम हर जिले में कुछ कोटा बना लें कि उन भ्रष्ट व्यक्तियों को निकालें और उन की जगह में दूसरे भरें तो इस से सुधार हो सकता है।

उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी भाग है जमुना का, जिसमें झांसी डिवीजन पड़ता है, जैसे जालौन, हम्मीरपुर, बांदा —इस डिवीजन का बिलकुल डवेलपमेन्ट नहीं हुआ है। इस में पहाड़ी इलाके हैं, बहुत सी नदियां वहां से निकली हैं, जिन पर बांध बनाये जा सकते हैं और वहां से नहरें निकाली जा सकती है, जिससे सारे प्रदेश को पानी मिल सकता है। जब मैं अपने जिले में जाता हूं तो देखता हूं—जब कि आज देश के हर जिले का डवेलपमेन्ट हो रहा है, ट्यूब-वेल, बिजली और दूसरे साधन किसानों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं, लेकिन हमारे जिले का बिलकुल डवेलपमेन्ट नहीं हो रहा है। बरसात के दिनों में तो महीनों अपने घर नहीं पहुंच सकता हूं क्योंकि तमाम नदियां चढ़ जाती हैं, न वहां पर पुल हैं और न सड़के हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे इस डिवीजन की तरफ़ विशेष ध्यान दिया जाय।

[श्री जगेश्वर यादव]

पुराने जमाने से हमारे यहां की एक रेलवे लाइन का मामला पड़ा हुआ है– ललितपुर से खजुराहो होते हुए, अजयगढ़ होते हुए, बांदा जिले में से होते हुए, मानकपुर के आगे बडगढ़ स्टेशन पर वह लाइन मिलती है। मैं चाहता हूं कि इस क्षेत्र की इस लाइन को यदि मिला दिया जाय तो हमारे इस डिवीजन का बहुत भला हो सकता है। बहुत सी बड़ी-बड़ी नदियों पर पुल नहीं हैं, मैं चाहता हूं कि पुल बनवाये जाय। कुछ सड़के ऐसी हैं जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अधिकार में हैं, जिन पर कभी मिट्टी नहीं पड़ती, मैं चाहता हूं कि उन को पी०डब्लू०डी० के अण्डर लाया जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिये और न बढ़ाया जाय, जल्द से जल्द वहां पर चुनाव कराये जाय ताकि जनता की सरकार बनें और यह जो प्रशासनिक अधिकारियों के अन्दर आजादी आ गई है वह दूर हो जाय।

**श्री गयूरअली खां** (कैराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा उत्तर प्रदेश रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज और हर तरीके से हिन्दुस्तान का सब से बड़ा प्रदेश है। इस प्रदेश में ऐसे-ऐसे लोग पैदा हुए हैं, जिन्होंने सन 1857 में जंगे-आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिहोंने जंगे-आजादी में काफ़ी मेहनत और कोशिश कर के और लड़कर हिन्दुस्तान को आजादी दिलाई। श्रीमन्, इस प्रदेश ने तीन प्रधान मंत्री पैदा किये, बड़े-बड़े लीडर और काबिल हस्तियां पैदा कीं, राम प्रसाद बिस्मिल, रौशन सिंह, चन्द्र शेखर आजाद, अशफ़ाकउल्ला खां जैसे सर-फरोश और जां-बाज पैदा किये जो वतन की आजादी की खातिर हंसते-हंसते फांसी के तख्तों पर चढ़ गये। उस प्रदेश की आज ऐसी हालत है —21 साल हुए हमारा देश आज़ाद हुआ था, इस अर्से में कांग्रेस का शासन कायम रहा—लेकिन कांग्रेस में ऐसी गुटबन्दी थी, जिसकी वजह से हमारा प्रदेश पिछड़ा रह गया और तरक्की न कर सका। आठ-दस महीनों के लिये संयुक्त विधायक दल की सरकार कायम हुई थी, इस सरकार ने जो कुछ किया उस पर मैं आगे चल कर रौशनी डालूंगा– लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी सैन्टर की सरकार को हमारी संयुक्त विधायक दल की सरकार को कायम होना बरदाश्त न हो सका और उस ने ऐसी चालें चलीं जिस की वजह से संयुक्त विधायक दल के चीफ़ मिनिस्टर चौधरी चरण सिंह को इस्तीफ़ा देना पड़ा। श्रीमन्, चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफ़ा नहीं दिया था संयुक्त विधायक दल से.....

**अध्यक्ष महोदय** : आप को पांच मिनट मिले हैं आप कुछ यू० पी० के बारे में कहें।

**श्री गयूरअली खां** : जी हां, मैं मसले पर आ रहा हूं। मैं अर्ज कर रहा था कि उन के इस्तीफे के बाद उन्होंने साफ तौर से यह एलान किया था कि संयुक्त विधायक दल अगर कोई दूसरा चीफ़ मिनिस्टर पसन्द करे तो हम उस के लिये बिलकुल तैयार हैं। लेकिन हमारे यू०पी० के राज्यपाल ने उन को मौका नहीं दिया, बल्कि किसी भी पार्टी या पार्टियों को यह मौका नहीं दिया कि वे चीफ़ मिनिस्टर का चुनाव कर सकें और वहां पर प्रजातन्त्र की सरकार कायम कर सकें। इस के नतीजें यह हुए कि वहां पर राष्ट्रपति का शासन हुआ। इस राष्ट्रपति के शासन को 6 महीने की मुद्दत दी गई थी, लेकिन अफसोस है कि शुक्ला जी आज फिर उस मुद्दत को बढ़ाने का रेजोल्यूशन लाये हैं। इस शासन की यह हालत है कि वहां बद-

इन्तजामी, रिश्वतखोरी, करप्शन, लूटमार और नौकरशाही का बोलबाला है।

श्रीमन्, मैं आपके सामने वहां की ला एण्ड आर्डर सिचुएशन की तसवीर पेश करना चाहता हूं। अभी कल ही एक काल-एटेन्शन मोशन यहां पर पेश हुआ था, जिसमें जिला गोण्डा की एक औरत के साथ जो मुजालिम पुलिस ने किये हैं, जिस कदर उसकी बेइज्जती की है, उस से हमारा सिर नदामत से झुक जाता है। हमारे आज के हिन्दुस्तान में जब ऐसी चीजें होने लगें, तो फिर इस का क्या ठिकाना रहेगा।

जिला आगरा में कुछ लोगों ने अनशन कर रखा था। हमारी पार्टी के प्रधान वहां तशरीफ़ ले गये और उन्होंने उन लोगों को आमादा किया कि वे अपना अनशन वापस ले लें। उन लोगों के साथ यह जुल्म हुआ कि कुछ आदमियों पर पुलिस कुर्की कराने के लिए आई थी, उन के साथ कुछ कहन-सुनन हो गई, इस पर पुलिस ने उन के तमाम माल को लूट लिया, उन का सोना लूट लिया, चांदी लूट ली, रूपया लूट लिया, गल्ला लूट लिया, उन के मकानात की कड़ियां तक उतार लीं, छतें मोड़ दीं। यह बड़े शर्म की बात है कि जो लोग अदालत में हाजिर हो गये थे उन के मकानात को भी लूट लिया और उसी तरह का जुल्म उन के साथ किया गया जो हाजिर नहीं हुए थे।

इस राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने का इस सरकार का सिर्फ यह मकसद है, कांग्रेस सरकार यह चाहती है कि उस को कुछ और मौका मिल जाय ताकि वह वहां पर मजबूत हो सके, अपने अधिकारियों के जरिये से, ताकि उस को फिर वहां पर हुकूमत करने का, यू०पी० गवर्नमेन्ट पर कब्जा करने का मौका मिल सके। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी और इस सदन को यह बतलाना चाहता हूं—यह ख्वाब कभी ताबीर नहीं होगा। हमारे यहां फारसी में एक मुहावरा है—'ई ख्यालस्तो महालस्तो जुनूं'। आप अपने दिल से यह ख्याल निकाल दीजिये, चूंकि आपने जो कुछ 20 साल में नहीं किया था, वह 8 या 10 महीने में हमारी संयुक्त विधायक दल की सरकार ने वहां पर कर के दिखला दिया। मान्यवर, हमारी पानी की समस्या को ही लीजिये, उन्होंने बिजली के इतने कनैक्शन उस अर्से में दिये जितने 20 साल में भी कांग्रेस सरकार नहीं दे सकी थी।

मैं आपके जरिये माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पुलिस के मुजालिम को रोका जाय। आज पुलिस की यह हालत है कि अगर कोई शख्स फरियाद लेकर किसी थाने में जाता है तो उस को गालियां और थप्पड़ खाकर वापस आना पड़ता है। पुलिस वाले उस की कोई रिपोर्ट नहीं लिखते, उस को धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं। मंत्री जी कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन में जरायम की तादाद घटी है, लेकिन यह बात नहीं है। जब जरायम का इन्दराज ही नहीं किया जाता, थाने में इत्तिला देने वाले को धक्के दिये जाते हैं, उन को निकाल दिया जाता है तो अपने आप जरायम की तादाद कम होगी।

जहां तक उत्तर प्रदेश में जमीनों का मसला है हरिजनों को इस 20 साल में जमीनों से बिलकुल वंचित रखा गया। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए यही अर्ज करना चाहता हूं कि मैं वहां पर राष्ट्रपति का शासन बढ़ाये जाने की सख्त मुखालिफ़त करता हूं और चाहता हूं कि सितम्बर-अक्तूबर में वहां पर मिड-टर्म इलैक्शन्ज करवाये जाएं ताकि वहां पर

[श्री गयूरअली खां]

एक मजबूत सरकार कायम हो सके, जनता की प्रतिनिधि हुकूमत कायम हो सके।

**श्री चन्द्रजीत यादव** (आजमगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह-मन्त्री जी ने जो प्रस्ताव किया है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ाई जाए, उसका मैं समर्थन करता हूं। उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दल इस बात पर सहमत हैं कि हमारे यहां फरवरी में चुनाव हो इसलिए सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश के मसले पर, देश की सर्वोच्च संस्था इस संसद् में विचार किया जा रहा है। लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात कि है उत्तर प्रदेश की 8 करोड़ जनता आज सबसे गरीब और पिछड़ी हुई है, आजादी के बाद बीस वर्ष बीत जाने के बाद भी, इसलिए मैं चाहता हूं संसद् का ध्यान इस गम्भीर समस्या की तरफ जाना चाहिए। यह एक राष्ट्रीय समस्या है कि इतना बड़ा प्रदेश इस प्रकार से पिछड़ा रह गया, वहां का प्रशासन इतना अदूरदर्शी हो गया, शिथिल हो गया, जनता की समस्याओं के प्रति । यह सारे देश का दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश आज इस स्थिति में है। सन 1950–51 में सन 1948–49 की कीमत के स्तर पर, उत्तर प्रदेश की फी कस आमदनी 259.62 रुपये थी जबकि सारे देश की औसत आमदनी उस समय 247.50 रुपये थी। इस प्रकार उस समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आमदनी देश में सबसे अधिक थी। लेकिन नियोजित अर्थ-व्यवस्था के बाद जब सारा देश आगे गया है और लेटेस्ट आंकड़े जो मिले हैं उसके अनुसार 1967–68 में सारे देश की प्रति व्यक्ति औसत आय 313.10 रु० है जबकि उत्तर प्रदेश की 227.60 है। जो प्रगति की धुरी है उसे उलट दिया गया है। बीस साल में योजनाओं के बाद जब देश को आगे बढ़ना था उस समय इतने बड़े प्रदेश की यह स्थिति हो तो यह बहुत बड़ी चिन्ता की बात है, न केवल उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि सारे देश के लिए। हमारे रंगा जी ने आपत्ति की कि केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की तरफ क्यों इतना मोह दिखा रही है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता कि वे वस्तुतः इन आंकड़ों को देखें। आपने आंकड़े दिए कि सारे देश में 8 लाख ट्यूबवेल एनर्जाइज्ड हैं। उनमें से चार लाख मद्रास में हैं, पौने दो लाख महाराष्ट्र में है और उत्तर प्रदेश में—जबकि वहां की जनसंख्या वहां से तीन चार गुनी है—43 हजार हैं। जब इतने बड़े प्रदेश की स्थिति यह होगी, वहां की जनता की इस प्रकार से उपेक्षा होगी तो फिर सारा देश ही पीछे रहेगा। इसलिए जो सिद्धान्त हमने माना है कि देश के हर भाग का संतुलित विकास होना चाहिए जब तक उसी के अनुरूप हम नहीं चलेंगें तब तक देश का विकास नहीं हो सकता है।

जहां तक किसानों की बात है, हमारे रंगा जी किसानों के नेता हैं, मैं समझता हूं कि अगर सारे देश को आगे बढ़ना है तो जो 80 प्रतिशत लोग हमारे देश में खेती करते हैं जब तक उनकी स्थिति नहीं बदलेगी तब तक देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। पहले की स्थिति में हम यह समझते थे कि हमारा भविष्य अंधकार में है लेकिन जब हमारे यहां फसल अच्छी हुई तो हमें प्रकाश मिला है और यह साबित हो गया है कि अगर हम किसानों की ओर नहीं देखते हैं, उनकी समस्याओं को हल नहीं करते हैं, गांवों की ओर अपनी दृष्टि नहीं ले जाते हैं तो देश आगे बढ़ने वाला नहीं

है। उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से कृषि प्रधान प्रदेश है लेकिन वह सिंचाई के मामले में शून्य है। सारे देश में जितनी बेकारी है उसका 21–22 प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है। सारे देश में हरिजन और पिछड़े हुए समाज के 80 प्रतिशत लोगों में से उत्तर प्रदेश में 26 फीसदी है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। गांवों के अन्दर एक तरीके से 10–12 फीसदी लोगों की स्थिति सुधरी है लेकिन 80 फीसदी से अधिक अब भी पिछड़े हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश की यह वास्तविकता है जिस पर सारे देश को सोचना है। मैं किसी भी पार्टी पर आरोप नहीं लगाना चाहता, सरकारी कर्मचारीयों पर भी कोई आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के नेतृत्व ने प्रदेश की समस्याओं को गम्भीरता से नहीं लिया, दूरदर्शिता नहीं दिखलाई, सही आर्थिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जिसका नतीजा यह हुआ कि आज प्रदेश सबसे अधिक पिछड़ा हुआ है।

कांग्रेस को गाली दी गई, ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने इस देश के अन्दर बहुत सी बातों की बुनियाद भी डाली है। हमें इस बात का गर्व है कि कांग्रेस ने इस देश के अन्दर जनतन्त्र की बुनियाद डाली, प्लानिंग की बुनियाद डाली और पिछले बीस वर्षों में देश को प्रगति के रास्ते पर रखा। यह ठीक है कि कांग्रेस से जनता नाराज थी, वह तेजी से प्रगति चाहती थी, उसने चुनाव में कांग्रेस को हटाया लेकिन विरोधी दल वाले मिलकर जो विकल्प पेश करते हैं, क्या उससे इस देश का कल्याण होगा? चुनाव में जब जनता ने कांग्रेस को परास्त किया था तो सबसे पहले हमारे प्रधान मन्त्री ने उसका स्वागत किया था और यह कहा था कि जनता ने जनतांत्रिक तरीके से अपना मत व्यक्त किया है। रंगाजी कहते हैं कि राष्ट्रीय सरकार बनाओ। मैं पूछना चाहता कि बंगाल में कांग्रेस को छोड़कर 14 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई, वहां पर क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में सात विरोधी दलों ने मिलकर सरकार बनाई, वहां क्या हुआ? 8 महीने का शासन भी नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के सारे राज्य कर्मचारी जोकि पहले कांग्रेस से नाराज थे, उन्होंने भी कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया लेकिन एस०वी०डी० सरकार ने उन्हीं राज्य कर्मचारियों को निकाला और उनको डिमारेलाइज किया। उस सरकार ने उन कर्मचारियों को कोई काम नहीं करने दिया। एक-एक फाइल पर सात-सात पार्टी के लोग सवार रहते थे। यहां पर किसानों की बात तो की जाती है लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे पहले किसानों पर ही हमला करके बिजली के रेट को बढ़ाया गया, किसानों की सुविधाओं को छीना। सबसे पहला नश्तर हरिजनों के बच्चों पर चलाया। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें किसी पार्टी का सवाल नहीं है। लेकिन रंगाजी ने जो नारा दिया है कि राष्ट्रीय सरकार बनाओ, वह बड़ा खतरनाक और प्रतिक्रियावादी नारा है। खाली एक साथ बैठ कर ही समस्याओं का हल नहीं हो सकता है, उसके पीछे एक राजनीतिक फिलास्फी का भी होना आवश्यक है। उसके पीछे एक राजनीतिक दर्शन, विचारधारा और एक कार्यक्रम भी होना चाहिए। सारे दल आपस में मिलकर वह चीज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का अपना एक कार्यक्रम है, अपनी एक विचारधारा है और उसी के अन्तर्गत वह इस देश को आगे बढ़ा रही है। तो इस प्रकार के नारों से कोई समस्या हल नहीं होने वाली है।

तो मैं समझता हूं कि आज जो वहां की स्थिति है उस पर हमको गम्भीरता से विचार करना चाहिए और प्रदेश के

[श्री चन्द्रजीत यादव]

अन्दर जो शिथिलता आ गई है उसको दूर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में मैं केन्द्रीय सरकार को भी दोषी नहीं ठहराना चाहता बल्कि उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है उस पर मेरा चार्ज है कि उसने कभी भी अपनी समस्याओं के सम्बन्ध में अच्छा केस बनाकर नहीं दिया। केन्द्रीय सरकार के बड़े-बड़े प्रोजेक्ट लगने थे तो महाराष्ट्र की सरकार आ गई कि हमारे यहां बिजली उपलब्ध है, जमीन हम आपको देते हैं, वर्कर्स हम आपको देते हैं, यातायात के साधन मौजूद हैं, सारी सुविधायें हम आपको देते हैं जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार खाली यही कहती रही कि हमारी आबादी बड़ी है, हमारा क्षेत्रफल बड़ा है इसलिए हमको यह प्रोजेक्ट दिया जाए। अच्छा केस बनाकर पेश न करना, यह उस उत्तर प्रदेश शासन की बहुत बड़ी कमजोरी रही है और इसीलिए केन्द्रीय सरकार की तरफ से भी उपेक्षा होती रही। लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी है कि जब वहां पर राष्ट्रपति शासन है, जनता की चुनी हुई सरकार वहां पर नहीं है, गवर्नर साहब जोकि केन्द्रीय सरकार के वहां पर प्रतिनिधि हैं, उन्होंने प्लानिंग से सम्बन्धित एक हाई पावर कमीशन बनाया जिसमें सभी पार्टियों के नेताओं को रखा। उन्होंने इस बात का प्रयास किया, राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत, कि सारी पार्टियों का प्रतिनिधित्व हो। वे हर पार्टी के टाप लीडर का मत ले रहे हैं कि किस प्रकार से योजना बनानी है। उन्होंने नौकरशाही के ऊपर ही इस बात को नहीं छोड़ दिया है। गवर्नर साहब ने इस बात का प्रयास किया है कि ऐसी कमेटियां बनें जिनमें सभी दलों का ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्राप्त हो सके। हमारे गृह-मन्त्री महोदय ने नैनीताल के अन्दर सभी को दावत दी कि आइये, बैठिए और सुझाव दीजिए और समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षित कीजिए। केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है और केन्द्रीय सरकार ने तत्काल कार्यवाही की है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। पूर्वी जिलों के सम्बन्ध में जो पटेल कमीशन की रिपोर्ट है वह मेरे पास है लेकिन उसको पढ़ने का समय नहीं है। सन् 1964 में इसी सदन के अन्दर प० जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिया था कि वह पूर्वी प्रदेश सब से गरीब है, सारे देश की औसत आय का वहां पर केवल 33 प्रतिशत है, तो इन सिफारिशों को वहां पर लागू किया जाए। वहां पर यातायात की व्यवस्था की जाए। यह सुझाव दिए गए हैं कि केन्द्रीय सरकार पब्लिक सेक्टर में जितने बड़े कारखाने खोलती है, यातायात की व्यवस्था करती है, वह सब उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिए किया जाए।

इन शब्दों के साथ में आशा करता हूं कि राष्ट्रपति शासन बढ़ाने का जो प्रस्ताव आया है उसे यह सदन पास करेगा और 6 महीने की अवधि में प्रदेश मजबूती के साथ आगे उन्नति कर सकेगा।

**श्री रघुवीर सिंह शास्त्री** (बागपत) : अध्यक्ष महोदय, यूं तो हमारे सारे देश का शासन राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षरों और उन के नाम से चलता है परन्तु देश की जनता को राष्ट्रपति का परिचय कभी-कभी दो तरीकों पर मिलता है। किन्हीं लोगों को राष्ट्रपति किन्हीं विशेष मौक़ों पर कुछ इनाम दिया करते हैं। कुछ लोग देश में ऐसे हैं जिनको अदालतें फांसी की सजा दे देती हैं और वह लोग राष्ट्रपति जी के दरवाजे पर पहुंचते हैं और उन से क्षमा की याचना करते हैं, उन से अपने प्राणों की भीख मांगते

हैं। उन के ऊपर राष्ट्रपति जी रिआयत किया करते हैं। उन के ऊपर राष्ट्रपति जी दया किया करते हैं और वह उन का प्राणदंड क्षमा कर देते हैं परन्तु मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का जो शासन हुआ है और राष्ट्रपति जी ने वहां की जनता को जो इनाम दिया, जनता को जो सजाएं दीं अगर उन का लेखाजोखा देखा जाय तो मालूम पड़ेगा कि राष्ट्रपति जी इनाम देने के लिए नहीं हैं, सजाएं माफ़ करने के किए नहीं है बल्कि बड़े तौर पर पब्लिक को सज़ा देने के लिए हैं।

सब से पहली सज़ा जो राष्ट्रपति जी के राज्य में हमारे देश के किसानों को मिली है अगर आप किसान बन कर सोचें तो आप को पता लग जायगा कि उन्हें क्या सज़ा मिली है। अब की दफ़ा सरकार ने गेहूं प्रोक्योर किया। यहां शिन्दे साहब बैठे हैं और वह मंडियों में जाकर खयं देख आयें कि जो मैं कह रहा हूं वह सत्य है या नहीं। एक-एक इंस्पैक्टर ने एक महीने में दो-दो लाख रुपया खाया है। होता यह था कि मंडियों में किसान अनाज ले जाते थे। सरकार ने भाव तय किया कि किसानों से उन का गेहूं 76 रुपये से लेकर 81 रुपये प्रति किंटल तक लिया जायगा। लेकिन वास्तविकता यह रही कि किसान का अनाज 62-65 रुपये के हिसाब से लिया जाता था और मंडी के दलाल और सरकारी इंस्पैक्टर मिल कर उसी अनाज को सरकार को 81 रुपये देते थे और वह बीच का 18–19 रुपया व्यापारियों और उन सरकारी इंस्पैक्टरों की जेब में चला जाता था। इसलिए एक तो यह करोड़ों रुपयों की सज़ा राष्ट्रपति जी के शासन में किसानों को सब से पहले मिली। और दूसरी सज़ा यह मिली जैसा कि यहां करीब-करीब सभी वक्ताओं ने बतलाया कि राष्ट्रपति के शासन में यह हुआ कि बिजली का रेट जो किसानों को 12 पैसे यूनिट बतलाया जाता है और केन्द्रीय सरकार का यह वायदा है कि सारे देश में अगर कहीं भी बिजली का रेट 12 पैसे से ज्यादा होगा तो केन्द्रीय सरकार उस को सबसिडी देगी और उसे 12 पैसे ज्यादा नहीं होने देगी। लेकिन राष्ट्रपति के शासन में हमारे राज्यपाल ने यह आर्डर कर दिया कि अब जो किसानों को बिजली की दर देनी पड़ेगी वह 23 पैसे देनी पड़ेगी यानी दर करीब-करीब दुगनी हो गयी। जब आप टैक्स बढ़ाते हैं तो टैक्स बढ़ाने के पीछे दो ही बातें रहती हैं यानी या तो आप चाहते हैं कि लोग उस चीज़ को बिलकुल लें नहीं और इसलिए उस पर टैक्स बढ़ाया जाता है या बहुत मालदार लोग अगर किसी चीज़ को खरीदते हैं तब सरकार कहती है कि चूंकि ये मालदार लोग 10 रुपये की बजाय 15 रुपये की खर्च कर सकते हैं इसलिए इस पर टैक्स बढ़ा दो।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उस ने यह टैक्स इसलिए बढ़ाया है जैसा कि यादव जी ने पहले बतलाया कि हमारे इतने बडे उत्तर प्रदेश राज्य में केवल 43,000 ट्यूबवैल बन पाये हैं और टैक्स को बढ़ा कर सरकार क्या यह चाहती है कि यह जो थोड़े बहुत ट्यूबवैल्स बने है वह भी समाप्त हो जायं और सूख जायं। मैं सीधा सवाल मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं और अभी पहले मैं ने वित्त मंत्री जी से भी प्रश्न किया था लेकिन उस का उन्होंने कोई ठीक जवाब नहीं दिया। यहां उत्तर प्रदेश के सरकारी अफ़सर बैठे हुए हैं और मैं चाहता हूं कि वह उत्तर प्रदेश के सरकारी अफसरान जोकि बैठे हुए हैं उन से पूछ कर जवाब दें कि क्यों

[श्री रघुवीर सिंह शास्त्री]

उन्होंने यह रेट 12 पैसे से बढ़ा कर 23 पैसे नहीं किया है ? इतनी बड़ी नीति बदली गई है जोकि राष्ट्रपति के शासन में आमतौर से नहीं बदली जाती है।

संविद सरकार ने एक पबलिकमैंस इनक्वायरी कमिशन सम्बन्धी आर्डिनैंस राज्यपाल से जारी कराया था और वह आर्डिनैंस यह था कि जो राजनीतिक व्यक्ति, या मंत्री अदि जो भी हों, उन की जांच इस कमिशन द्वारा हुआ करे। उस में और किसी को अधिकार नहीं दिया गया था। हाईकोर्ट के अधीन उसे काम करना था। हाईकोर्ट को इस कमिशन को मुकर्रर करना था। लेकिन इस पबलिकमैंस इनक्वायरी कमिशन आर्डिनैंस को विदड्रा कर लिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार को क्या घबड़ाहट पैदा हुई जो उसे वापिस ले लिया उस कमिशन को हाई कोर्ट के अधीन काम करना था और चाहे जिस पार्टी की सरकार हो और चाहे जो मुख्य मंत्री या मंत्री हो जिसके विरुद्ध भी आरोप होंगे निष्पक्ष रूप से वह कमिशन हाईकोर्ट के अधीन रह कर उन की जांच करेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि इस पबलिकमैंस इनक्वायरी कमिशन आर्डिनैंस को सरकार ने क्यों वापिस ले लिया ?

मैं बतलाना चाहता हूं कि एक व्यक्ति जो डाइरैक्टर आफ़ विजिलैंस होते थे और उन के लिए समझा जाता है कि वह बड़े सख्त आदमी हैं, बड़े ईमानदार आदमी हैं, श्रीमती सुचेता कृपलानी के समय में उन को 200 केस दिये गये। श्रीमती सुचेता कृपलानी ने उन को कई चिट्ठी लिखीं कि यह 200 केस 2 महीने से लेकर 16 महीने तक के पुराने पेंडिंग केस हैं वह इन की जांच करें। जब संविद की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो उस ने आर्डर दिया कि वह सुचेता कृपालानी जी के द्वारा सौंपे गये उन 200 केसों को देखें और उन के बारे में डाइरैक्टर आफ़ विजिलैंस तहकीकात करें। उस के बाद संविद सरकार टूट गई और वहां पर राष्ट्रपति शासन क़ायम हो गया। उस ने यह आर्डिनैंस भी वापिस ले लिया और उस डाइरैक्टर आफ विजिलैंस को रिवर्ट करके दूसरी जगह भेज दिया। जो डाइरैक्टर आफ़ विजिलैंस अपनी ईमानदारी के लिए मशहूर थे उन को उलटे सजा दी गई और उन को वहां से हटा दिया गया और दूसरी जगह भेज दिया गया।

एक तीसरी सज़ा वहां के लोगों को और दी गई। मेरा सम्बन्ध संस्कृत के अध्ययन व अध्यापन से बहुत है और अनेक संस्कृत सस्थाओं से मेरा सम्बन्ध रहा है। पिछले सैकड़ों वर्षों से संस्कृत की संस्थाओं के निरीक्षण के लिए एक स्वतंत्र संगठन रहा है। संस्कृत के प्रधान निरीक्षक का कर्यालय स्वतंत्र रूप से काम करता था। अब राष्ट्रपति के शासन में यह किया गया है कि वह संस्कृत के निरीक्षक का कार्यालय एजुकेशन डाइरैक्टर के कार्यालय में मिला दिया गया है। और अब यह अंग्रेजी पढ़े लिखे साहब लोग जोकि इंटरमीजिएड और हाईस्कूलों का प्रबन्ध करते हैं वही संस्कृत संस्थाओं का भी प्रबन्ध आदि करेंगे। जैसे कि वहट डिस्ट्रिक्ट इंस्पैक्टरों के क्लर्क 100–100 और 200–200 रुपया कालिज के प्रिंसिपलों से ऐड दिलाने या बढ़ाने के लिए लेते हैं, उस के लिए उन से घी के कनस्तर मंगाते हैं ; अब वह कर्ल्क लोग हम से भी पैसा मांगेंगे।

यहां पर नौकरशाही के रवैये का बहुत जिक्र किया गया है। नौकरशाही बहुत खुल कर खेल रही है और वह बिलकुल भी किसी की पर्वाह नहीं करती है। मैं इस का निजी अनुभव बतलाना

चाहता हूं। दो महीने में मैं ने दो चिट्ठियां परिवहन आयुक्त को लिखीं लेकिन उन्होंने उन पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने 19 जुलाई को गवर्नर को एक पत्र लिखा। मुझे गवर्नर महोदय से यह उत्तर मिला कि "प्रिय रघुबीर सिंह, आप का 9 जुलाई का पत्र मिला। खेद है कि आप के पत्रों का उत्तर नहीं मिला।" इस के बाद और कुछ नहीं लिखा गया। यह मैंने आप को उदाहरण देकर बतलाया कि किस तरिक़े से नौकरशाही लापरवाही बरत रही है और वह एम० पीज० तक के पत्रों का जवाब नहीं देते हैं। मुझे यहां सैंटर के भी एक-दो मिनिस्टर्स ने बतलाया है कि उन की भी जो चिट्ठियां वहां जाती हैं उन का भी उत्तर प्रदेश की नौकरशाही जवाब नहीं देती है। इस से आप को प्रकट हो जायगा कि किस तरिक़े से नौकरशाही वहां पर खुल कर खेल रही है ?

यादव जी ने उत्तर प्रदेश में संविद सरकार के समय की कुछ बातों की यहां पर आलोचना की थी। मैं उन की उन बातों का जवाब देना चाहता था लेकिन शायद आप मुझे समय नहीं दे सकेंगे। मैं उन में पड़ना भी नहीं चाहता लेकिन पिछले साल किसानों को संविद सरकार का यह बड़ा लाभ हुआ कि किसानों के गन्ने पर, किसानों के कोल्हुओं पर, गुड़ पर सरकार ने कोई पाबन्दी नहीं लगाई। किसानों को उन की उपज का जितना दाम न्यायपूर्वक मिलने का अधिकार था वह उन्हें मिला। उस से किसानों की समृध्दि बढ़ी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं और वह यह कि अगला सीज़न फिर आ रहा है, किसान आज डरा हुआ है और वह आशंकित है कि कहीं राष्ट्रपति शासन फिर हमारे ऊपर एक नई सज़ा न आयद कर दे और फिर हमारे गन्ने पर पाबन्दी न लगा दे और जबरदस्ती मिलों को हम से सारा गन्ना न दिलवा दिया जाय। मैं आशा करता हूं पिछली दफ़े किसानों को जो छूट दी गई थी उस छूट को क़ायम रक्खा जायेगा।

इसी के साथ एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितने किसानों ने अपने यहां बिजली के कुंओं के लिए पावर लगा रक्खी है उन को अपने ऋशर्स पावर से चलाने की इजाज़त दी जाय। जिस किसान के पास ट्रैक्टर हो, जिस किसान के पास बिजली का कुंआं हो आप उस से आशा करें कि वह अपने कोल्हू बैल से चलाये तो यह कैसे हो सकता है ? जब खेती के क्षेत्र में क्रान्ति हो रही है तो किसान के पास जो यंत्र आदि मौजूद हैं उन से उसे लाभ उठाने का अवसर मिलना चाहिए। मैं यह आशा करता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसानों को राष्ट्रपति शासन के समय इस बात की छूट दे दी जायगी कि वह अपने ऋशर्स अगर अपनी पावर से चलाना चाहें, पावर से अपना गन्ना पेरना चाहें तो इस के लिए उन को इजाज़त मिलेगी।

पूर्वी जिलों की आर्थिक अवस्था पश्चिमी जिलों की अपेक्षा बहुत शोचनीय है और मेरी समझ में पूर्वी जिलों के किसानों की हालत बेहतर बनाने का एक ही इलाज है और वह यह है कि उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में बांट दिया जाय। पूर्वी जिलों को उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों से अलग कर के रक्खा जाय। मेरी समझ में इस के अलावा और कोई चारा नहीं है कि उन की दो स्वतंत्र प्रशासनिक इकाइयां बना दी जायं जिससे कि वहां के डेवलपमैंट के सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई शिकायत न रहे।

**श्री शारदा नन्द** (सीतापुर) : अध्यक्ष महोदय, आप ने जो मुझे बोलने का

[श्री शारदा नन्द]

समय दिया है उस के लिए मैं आप का आभार प्रकट करता हूं। आज जब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने की मांग की जा रही है तो मैं उस का विरोध करते हुए कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति का शासन नहीं बढ़ना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके यह राष्ट्रपति का शासन वहां पर समाप्त होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कहता हूं? कारण यह है कि अगर देखा जाय तो मालूम पड़ेगा कि आज कृषकों की हालत इतनी ख़राब हो रही है कि किसानों के लिए जो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी वह पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इस के अलावा किसानों को जो बिजली का रेट देने के बारे में चर्चा हुई है और उस रेट के बारे में मैं ने भी पंत जी से जबकि वह अपना जवाबी भाषण कर रहे थे इस बिजली की दर के बारे मैं उन से स्पष्टीकरण मांग था कि यह बिजली की दर जोकि उत्तरप्रदेश में बढ़ाई जा रही है उस के सम्बन्ध में आप का क्या कहना है। डा० के० एल० राव ने प्रश्न सं 661 के उत्तर में बतलाया था कि 12 पैसे पर यूनिट दर होनी चाहिये। और अगर इस से ज्यादा दर होगी तो सरकार सब्सिडी देगी। बिहार में 18 पैसे है। हमारे यहां उत्तर प्रदेश में बढ़ा कर जो दर कर दी है उस से वह 24 पैसे हो जायेगी।

किसानों के लिये उत्तर प्रदेश में एक केन यूनियन है। उस ने और सरकार ने मिल कर एक योजना बनाई थी कि जितनी सड़के सी० सी० ट्रैक्ट की होंगी वह बनाई जायेंगी। दस सालों में अगर उन की लम्बाई छः मील थी तो वह 4 मील बना कर छोड़ दी गई है। उन का सारा पैसा पी० डब्ल्यू० डी० के पास जमा था। पी० डब्ल्यू डी० ने उन सड़कों की इस तरह से अवहेलना की है जब कि उन को दो सालों के अन्दर बनाना चाहिये था। यह सड़कें तो अनेक वर्षों के बाद बनी जब कि मजदूरी का खर्च बढ़ गया है। अब कहा जाता है कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं केन्द्रीय सरकार से कहना चाहता हूं कि वह गवर्नर महोदय से कहे कि इस प्रकार की जो सड़कें सी० सी० ट्रैक अधूरी बनी हैं उन को पूरा किया जाये ताकि किसानों को राहत दी जा सके।

इसी सदन के अन्दर उद्योग मंत्री ने कहा था एक प्रश्न के उत्तर में कि उत्तर प्रदेश में छोटे ट्रैक्टर का कारखाना लगाने की बात चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि इस छोटे ट्रैक्टरों के कारखाने का क्या हुआ? आज केन्द्रीय सरकार ने अपनी नीति बनाई है कि जो बड़े बड़े हार्स पावर के ट्रैक्टर है उन को बनाने के लिये 6-7 लाइसेंस दे दिये हैं, लेकिन जिन छोटे ट्रैक्टरों की ज्यादा मांग है उन को बनाने के लिये उस ने कोई व्यवस्था नहीं की है। मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश में इस के लिये एक कारखाना खोला जाये।

अब आप देखिये कि गवर्नर के शासन के समय में शिक्षा के सम्बन्ध में हमारे साथ क्या क्या अन्याय किया गया है। सब से पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की भाषा जो हिन्दी है उस को धीरे धीरे गवर्नर के राज्य में वहां के अफसर हटाना चाहते हैं और अंग्रेजी फिर से थोपना चाहते हैं शिक्षा के सम्बन्ध में जो संविद सरकार थी उस ने, एक योजना बनाई थी। लेकिन आज देहातों में जो प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं उन के अध्यापक पिस रहे हैं। वे किस तरह से पिस रहे हैं यह मैं बतलाना चाहता हूं। आज हर जगह

में कांग्रेस के लिये लाखों रुपया चन्दा इकट्ठा किया जा रहा है, और उस को प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों के द्वारा इकट्ठा किया जा रहा है। जब गवर्नर महोदय के पास इस की शिकायत की गई तो उस का उत्तर आज तक नहीं दिया गया और न कोई जांच कराई गई है। आज वहां पर हर एक जिला परिषद् के जो अध्यक्ष हैं वह ज्यादातर कांग्रेस के लोग हैं और उन्होंने प्राइमरी स्कूलों के हर एक अध्यापक से 10 रु० और हेड मास्टर से 25 रु० वसूल करना शुरु कर दिया है। इस तरह से एक एक जिले से 80 या 90 हजार रु० कांग्रेस के लिये चन्दा इकट्ठा किया जा रहा है, जिस से अध्यापक पिस रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस की तुरन्त खुफिया पुलिस से जांच कराई जाय।

प्रशासन के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि जो चकबन्दी वहां हो रही है उस में क्या हुआ। होता यह है कि एक समय निर्धारित होता है जिस के अन्दर चकबन्दी हो जानी चाहिये। जब समय आता है तब तक तो अधिकारी लोग काम करते नहीं हैं। समय खत्म होने पर वह लोग गलत एंट्रीज कर देते हैं। जब गलत एंट्रीज होने के बाद किसान के पास पहुंचती हैं तब किसान दौड़ धूप करता है। कभी तहसीलदार के पास जाता है, कभी किसी और के पास जाता है। उस को बेइन्तहा परेशानियां उठानी पड़ती हैं, लेकिन इस पर भी उन की कोई सुनवाई नहीं होती है।

आज उत्तर प्रदेश में परिवार नियोजन का बड़ा ढोल पीटा जा रहा है। इस के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि आज वहां पर फर्जी आपरेशन किये जा रहे हैं। ऐसा करने का एक कारण है। जो गांव में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं चाहे ग्रामसेवक हो चाहे दूसरा कोई हो, उस पर यह पाबन्दी लगी होती है कि दो हफ्ते के अन्दर वह 10—15 आपरेशन करवाये। जब आदमी मिलते नहीं हैं तब वह इस तरह की फर्जी कार्रवाई करते हैं। सरकार को चाहिये कि वह वहां ऐसे लोगों को भेजे, चाहे बी० डी० ओ० हो चाहे कोई और उन को देहातों में भेजा जाय और वहां जा कर वह इस की महत्ता को समझायें। चाहे अफसर हों, चाहे छोटे कर्मचारी हों या बड़े कर्मचारी हों, उन पर दबाव डालने या जबर्दस्ती आपरेशन करवाने का जो विचार है यह गलत है क्योंकि इस से बड़ी गड़बड़ हो रही है। मैं आप को एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक आदमी को जो कि 70 वर्ष का था, बहराइच से नानपारा जा रहा था स्टेशन पर पकड़ लिया गया, और उस का आपरेशन कर दिया गया। उस को जो दस रुपये मिलने चाहिये थे वह भी नहीं मिले।

इस प्रकार की जो स्थिति है उस को देखते हुए मैं कहना चाहता हूं राष्ट्रपति शासन खत्म किया जाये।

**श्री विद्या चरण शुक्ल**: अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया और कई काफी महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये। उन्होंने कई अच्छी बातें भी बतलाई जिन के ऊपर हम लोग अवश्य ध्यान देंगे। प्रोफैसर रंगा...

SHRI RANGA: On a matter of personal explanation. I referred to all these tube wells, development of irrigation projects and all these things. It is not that I am opposed to the development of U.P. or to make this money available. We have supported all these things. My only point is that they should have thought of these things much before and not waited for the Presidential rule. They are thinking of these things only now and I was afraid that there seemed to be some

[Shri Ranga]

political interest in this. Otherwise, I am all in favour of these grants which we have ourselves passed.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: I am glad you clarified it.

मैं कह रहा था कि बहुत से सुझाव दिये गये। उन पर हम विचार करेंगे और जिन सुझावों का हम जनहित में उपयोग कर सकते हैं उन का उपयोग करेंगे।

प्रोफेसर रंगा ने अपने भाषण में कई बातें कहीं। मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि उन्होंने कुछ स्पष्टीकरण भी किया। मैं यह बात उन से सब से पहले कह देना चाहता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है कि जब उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय शासन चलता था तब उत्तर प्रदेश को केन्द्र से उचित सहायता नहीं मिलती थी और आज जब वहां पर राष्ट्रपति शासन है तब केन्द्र की ओर से उस को अधिक सहायता दी जा रही है। जो भी उचित सहायता आवश्यक रही है वह हमेशा दी गई है। यह बात अलग है कि वह सहायता आज जिस प्रकार काम में लाई जा रही है उस का ज्यादा प्रभाव पडता हो और उस सहायता को इस तरह से काम में लाया जा रहा हो जिस से जनता का ज्यादा फायदा होता हो। हो सकता है कि इस से पहले वह सहायता इस तरह से काम में लाई गई हो जिस से जनता को खुशी नहीं होती रही हो और उस का फायदा न हुआ हो। मैं यह बात कह देना चाहता हूं कि साधारण तौर पर कोई पक्षपात या भेद भाव नहीं किया गया है। यह भी आश्वासन मैं सदन को देना चाहता हूं कि किसी तरह का कोई राजनीतिक लाभ नहीं है इस सहायता के देने में। हमेशा एक ही विचार रहता है कि वहां की गरीब जनता की समस्यायें जल्दी से जल्दी हल की जायें और उन की समस्याओं को हल करने के लिये जितनी सहायता हम लोग दे सकते हैं राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत उतनी हम अवश्य दें।

18.00 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair.*]

दूसरी बात जो प्रोफेसर रंगा ने कही वह संविधान के संबंध में थी। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कहीं चुनाव की रीति के बारे में और कमिटी रुल के बारे में। मैं उन से आदरपूर्वक यह कहूंगा कि वह इस बात का खयाल रक्खें कि हम को जो संविधान हमारे सामने है उस के अन्तर्गत काम करना है। अगर उस में कुछ संशोधन करना है तो वह दूसरे ढंग से हो सकता है। लेकिन वह बड़ा प्रश्न है और उस पर अलग से विचार किया जा सकता है, और मैं नहीं समझता कि मुझे इस बात की आवश्यकता है कि मैं उस के बारे में कोई टीका-टिप्पणी करूं। परन्तु एक बात जो उन्होंने कही उस के बारे में अवश्य कहना चाहूंगा। माननीय सदस्य श्री चन्द्रजीत यादव ने भी इस के सम्बन्ध में कुछ कहा। श्री रंगा ने कहा कि हमें सर्वदलीय सरकार चाहिये, राष्ट्रीय सरकार बननी चाहिये। जैसा श्री यादव ने बतलाया पूरे देश को और देश की जनता को इस तरह की सर्वदलीय सरकारों का बड़ा कटु अनुभव है, और मैं समझता हूं कि सर्वदलीय सरकारों में जो दल सम्मिलित थे उन्हें भी बड़ा कटु अनुभव हुआ है। वे इस बात को समझ गए हैं कि इस तरह से आदर्श विहीन, विचारधारा विहीन और केवल अवसरवादिता के आधार पर अगर संमिद की सरकारें बनाई जाती हैं तो उसके अन्तर्गत जनहित के कार्य करने में बहुत अधिक कठिनाई होती है। जब तक हमारे देश में इस प्रकार राजनीतिक दल मौजूद हैं जैसे

कि स्वतंत्र पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी और इन दोनों को सरकार में बिठा कर काम चलाया जाएगा तो किसी भी सरकार की वही दुर्दशा होगी जो संविद की सरकारों की दुर्दशा उत्तर प्रदेश में हुई है या दूसरे प्रान्तों में हुई है। मैं नहीं समझता हूं कि रंगा साहब की यह मंशा है कि पूरे भारतवर्ष की उस तरह की दुर्दशा हो जाए जिस तरह से उत्तर प्रदेश की हुई है या बिहार की हुई है या पंजाब की हुई है या हरियाणा की हुई है या बंगाल की हुई है। जहां जहां आदर्शविहीन सरकारें बनी हैं और किसी तरह का आदर्शवाद में उन पार्टियों में कोई समझौता नहीं हुआ है और केवल सरकार में घुस कर किसी तरह से काम चलाने की कोशिश की गई है, अवसरवाद का सहारा ले कर, उन सरकारों के आने से हमारे प्रदेशों का कितना भीषण नुकसान हुआ है, कितनी तकलीफ हुई है जनता को, इसको अपनी आंखों से देख लेने के बाद मुझे आश्चर्य होता है कि रंगा साहब सरीखे गम्भीर और अनुभवी राजनीतिज्ञ भी इस तरह का सुझाव हमारे हाउस में दे सकते हैं। मैं कहूंगा कि जिन दलों ने आदर्शवाद से प्रेरित हो कर आपस में समझौता कर लिया है ऐसे दलों के साथ बैठ कर सरकार चलाने की बात को तो सोचा जा सकता है और उस में मैं नहीं समझता हूं कि कोई आदमी आपत्ति करेगा और किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो इस तरह से दो या तीन दल मिल कर सरकार बना भी सकते हैं और काम चला भी सकते हैं पर आदर्शवाद से हट कर केवल अवसरवाद के ऊपर आधारित हो कर अगर सरकार चलाने की बात होती है तो मैं नहीं समझता हूं कि वह देश हित की बात हो सकती है या जनहित की बात हो सकती है।

श्री राम कृष्ण सिन्हा जो फैजाबाद से आते हैं उन्होंने फैजाबाद डिविजन के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। मैं मानता हूं कि फैजाबाद डिविजन में बहुत कुछ काम करने को है और वहां की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है और समस्यायें भी वहां की बहुत ज्यादा हैं। जो कुछ भी काम हुआ है, उसके अतिरिक्त और भी बहुत काम करने की वहां आवश्यकता है, इसको मैं मानता हूं। मुझे खुशी है कि उन्होंने बहुत जोरदार ढंग से अपने क्षेत्रों की मांगों को यहां पर रखा है। जो जो भी मांगें उनकी हम लोग मान सकते हैं या जिन जिन मांगों पर हम विचार कर सकते हैं, अवश्य विचार करेंगे और इस बात का प्रयत्न करेंगे कि जितने दिन वहां राष्ट्रपति का शासन लागू रहे, उस बीच में उन समस्याओं के ऊपर प्रभावकारी ढंग से विचार करके कार्रवाई की जाए।

जहां तक गोरखपुर विश्वविद्यालय के कानून में संशोधन करने का सवाल है, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है और मैं समझता हूं कि उसके ऊपर उचित निर्णय कुछ ही समय में हो सकेगा।

माननीय रामजी राम ने कई बातें कही हैं खास कर हरिजनों के सम्बन्ध में। मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा सा यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार की यह नीति सदैव से रही है कि हरिजनों को, आदिवासियों को तथा दूसरे पिछड़े लोगों को विशेष रूप से सहायता प्रदान की जाए और वे उन्नति कर सकें, इसके लिए विशद रूप से सहायता दी जाए। इसी नीति के अनुसार कार्य भी किये गये हैं। लेकिन हो सकता है कि कहीं कहीं ठीक से काम न हुआ हो। मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की कोई खास बात उनके ध्यान में हो तो उसे वह हमारे

[श्री विद्या चरण शुकल]

ध्यान में लायें और उसके बारे में हम लोग उत्तर प्रदेश की सरकार से लिखापढ़ी करके उचित कार्रवाई करेंगे और यदि कोई कहीं पर ऐसी बात थी नहीं हो रही थी उसको करवाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। साधारण रूप से हरिजनों और आदिवासियों का काम नहीं होता है और इसके बारे में यदि कोई खास बात उनके ध्यान में है तो मैं अपेक्षा करूंगा कि वह हमें बतायें ताकि उसको देख कर उस पर हम उचित कार्रवाई कर सकें।

चंद्रिका प्रसाद जी ने बलिया गोलीकांड के सम्बन्ध में बातें कही हैं। मैं जानता हूं कि इस बारे में यहां पर और दूसरे सदन में भी चर्चा हुई है। वहां पर कुछ एक अजीब सी दुर्घटना हुई जिस के बारे में पहले से किसी ने नहीं सोचा था, किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी। हालांकि थोड़ा सा तनाव था और उस तनाव को रोकने के लिए और किसी दुर्घटना को रोकने के लिए थोड़ा बहुत वहां पर इंतजाम किया गया था तो भी कई ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल साफ नहीं हैं। इसलिए सरकार सोच रही है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू का कोई एक वरिष्ठ अधिकारी इस बात के लिए नियुक्त किया जाए जो सब बातों का पता लगाये और पता लगा कर राज्य सरकार को इस बारे में बताये कि वहां यदि किसी की गलती हुई है तो वह कौन था और किस तरह की गलती हुई है और इन गलतियों को रोकने के लिए आगे क्या किया जाए।

बेकारी की समस्या के बारे में कई माननीय सदस्यों ने कहा है। मैं मानता हूं कि बेकारी की समस्या बहुत भीषण समस्या है। वैसे तो यह देशव्यापी समस्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह समस्या काफी गम्भीर रूप धारण किये हुए हैं। लेकिन यह ऐसी व्यापक बात है जिस के बारे में आज इतने कम समय में कुछ बहुत हम लोग चर्चा नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो चौथी योजना बनाई जा रही है उस में इस बात पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि इस बेकारी की समस्या को किस तरह से हम हल कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश के लिए तो खास कदम उठाने की जरूरत है।

पूर्वी जिलों की समस्याओं के बारे में भी जिक्र किया गया है। जैसा कि कहा गया है कि उन जिलों के लिए एक विशेष रिपोर्ट बनाई गई थी लेकिन मैं नहीं कह सकता हूं इस वक्त कि इस रिपोर्ट पर कितनी कार्रवाई की गई। लेकिन यह बात सर्व-विदित है कि ये समस्यायें वहां पर हैं और इनको हल करने के लिए विशेष प्रयत्न किये जाने चाहियें। मैं नहीं समझता हूं कि माननीय रघुवीर सिंह शास्त्रीजी ने जो दवा बताई है उस दवा से कोई लाभ होगा। उत्तर प्रदेश का विभाजन करके यदि इस चीज को ठीक करने का प्रयत्न किया गया तो मैं नहीं समझता हूं कि उससे क्या फायदा होगा। मैं समझता हूं कि हमें प्रयत्न करने चाहिए कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जहां आबादी अधिक हैं वहां योजनाबद्ध विकास बहुत विशेष ढंग से हो और विशेष ध्यान उन की ओर दिया जाए। इसका मतलब यह नहीं है कि पश्चिमी जिलों की कीमत पर इन पूर्वी जिलों का विकास किया जाए या पश्चिमी जिलों से जो पैसा मिलता है उसको ले कर पूर्वी जिलों का विकास किया जाए। उत्तर प्रदेश एक है। उसके जितने भी साधन हैं उनके अन्तर्गत रहते हुए जनता के हित में उनका सही-सही इस्तेमाल होना चाहिये और मैं समझता हूं कि इस तरह का उपयोग करने का यत्न भी आज हम लोग कर रहे हैं।

कई माननीय सदस्यों ने कई प्रकार के आरोप लगाये हैं और कहा है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अधिकारीगण बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहे हैं, जिला प्रशासन खत्म होता जा रहा है। मैं बड़े ही विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि कहीं कहीं ऐसा हुआ हो पर इस तरह का जनरल आरोप लगाना यह बहुत अच्छी बात नहीं है। यदि इस तरह के आरोप सब अधिकारियों के लिए लगाये जाते हैं तो जो अधिकारीगण थाड़ा बहुत अच्छा काम भी कर रहे होते हैं वे भी हतोत्साहित होते हैं। बहुत से अधिकारी आप जानते हैं ईमानदार हैं, देश सेवा की भावना से काम करते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो बेईमानी भी करते होंगे या गलत ढंग से काम करते होंगे। मेरा निवेदन है कि जब भी इस तरह का कोई आरोप लगाया जाए तो वह स्पेसिफिक होना चाहिये। किस अधिकारी के बारे में है यह बताया जाना चाहिये। नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सारी चीज को आप हमारे पास भेज सकते हैं, हम लोग उस पर विचार कर सकते हैं, उसकी विस्तृत रूप से जांच करा सकते हैं और अगर उस में सच्चाई पाई गई तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। जब जनरल आरोप लगाये जाते हैं तो उससे न जनता का फायदा होता और न ही समस्याओं को हल करने में मदद मिलती है बल्कि कटु भावना और गलत ढंग की भावना फैलती है, भ्रम फैलता है और भ्रम के वातावरण में और आरोपों प्रत्यारोपों के वातावरण में जो काम ठीक होना चाहिये, उसमें बाधा पड़ती है और जो हमारे मन में है कि जनता की तकलीफें दूर हों, उस में भी बड़ी बाधा पहुंचती है। इस वास्ते जनरल आरोप लगाने के बजाय विशेष रूप से बतायें कि कहां पर कौन सी गड़बड़ी हो रही है.....

**श्री रामावतार शास्त्री** (पटना) : अभी श्री रामजी राम ने आपको बताया है कि वह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास जब बात करने के लिए जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि तुम तो चमार के चमार हो, तुम्हारी क्या बात है।

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : इसका पूर्ण विवरण मुझे दिया जाएगा तो मैं इसकी जांच करा लूंगा और कोई आपत्तिजनक बात सामने आई उस जांच में तो आवश्यक कार्रवाई करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई जाएगी।

जिला परिषद के अधिकारियों और अध्यक्षों के बारे में भी बातें कही गई हैं और आरोप लगाये गये हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से जनरल आरोप नहीं लगाये जाने चाहियें। अगर कोई स्पेसिफिक बात किसी माननीय सदस्य के पास हो तो उसे वह हमारे पास भेजें और हम उसके ऊपर उचित कार्रवाई करने को तैयार हैं।

माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों के बारे में, स्थानीय मांगों के बारे में कहा है। हम उनके ऊपर भी ध्यान देंगे और जो कुछ हमारी शक्ति में है और जो थोड़ा सा समय हमारे पास है, उस में हम लोग जो कुछ भी कर सकते हैं करने का यत्न करेंगे। माननीय सदस्य जानते ही है कि राष्ट्रपति जी का शासन थोड़े से समय के लिए है और हम लोग ऐसा कोई बड़ा कार्य वहां शुरू नहीं कर सकते हैं कि बाद में बहुत सा वित्तीय भार आने वाली सरकार पर पड़े। हम लोग चाहते हैं कि ठोस ढंग से जन हित का कार्य राष्ट्रपति शासन के दौरान वहां चले और काम चलाऊ सरकार के रूप में ही काम न चले! लेकिन यह भी सोचन

[श्री विद्याचरण शुक्ल]

है कि आने वाली जो लोकतंत्रीय सरकार है, उसके लिए हम इतने बड़े बड़े वित्तीय भार आज न पैदा कर दें कि आगे चल कर उनको सम्भाल पाना उसके लिए मुश्किल हो, उनको काम में लाना, उसके लिए मुश्किल हो।

कई माननीय सदस्यों ने संविद सरकार के गुण गाने की कोशिश की। मैं यह नहीं कहता कि कौन सी सरकार अच्छी है और कौन सी सरकार बुरी है। मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता अहना निर्णय कुछ ही महीनों में देगी। उत्तर प्रदेश की जनता स्वयं यह निर्णय करेगी कि उसे किस प्रकार का शासन पसन्द है और उस निर्णय की प्रतीक्षा माननीय सदस्य करें, यह मेरा उन से अनुरोध हैं।

माननीय सदस्य, श्री ग़यूर अली ख़ां ने यह आरोप लगाया कि केन्द्रीय सरकार ने संविद सरकार को गिराया। इस तरह की बातें सुन सुन कर लोग परेशान हो गये हैं। इस तरह की बातें करने से न उन का फ़ायदा है, न उन के दल का फ़ायदा है और न देश का फ़ायदा है। यह बात सब के सामने साफ़ है कि संविद सरकार किस तरह गिरी। अगर वह इस तरह वास्तविकता से आंख मूंद कर राजनीति में चलने की कोशिश करेंगे, तो न उन का और न उन के दल का फ़ायदा होगा। अगर वह वास्तविकता को समझें, अपनी कमजोरियों को दूर करें और जिम्मेदारी से आगे बढ़ने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि उन की पार्टी कुछ आगे बढ़े, जनता के लिए कुछ काम कर सके और उसका समर्थन प्राप्त कर सके। लेकिन इस तरह की नारेबाजी से न जनता का फ़ायदा होता है और न हमारा फ़ायदा होता है।

मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस तरह की बातें न करें। इस बात में केन्द्रीय सरकार की कोई रुचि नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार चले और कौन सी सरकार गिरे। वह तो स्थानीय विधायकगण और नेताओं का मसला था। जब यह देखा गया कि वहां पर संवैधानिक ढंग से सरकार चलना असम्भव है, तभी हमें इस प्रकार का कदम उठाना पड़ा, जिस से वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ और नया चुनाव करने की आवश्यकता पड़ी। अगर ऐसा करने की आवश्यकता न पड़ती, तो हम लोगों को बड़ी खुशी होती। हमें इस में ज़रा भी खुशी नहीं है कि इतने राज्य राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत आ गये हैं। हम लोगों को इस बात से दुख होता है कि जिस तरह का प्रजातंत्र हमारे देश में अब तक चलता रहा है, उस में इस प्रकार की कठिनाइयां पैदा हो रही हैं। हमारी कोशिश यही है कि इस तरह की कठिनाइयां हमारे राज्यों के सामने पैदा न हों, हमारा संवैधानिक ढांचा ठीक तरह से काम करे और राजनैतिक स्थिरता बनी रहे, जिस से जनहित के कार्य ठीक तरह से चलते रहें।

जब इस प्रकार का राजनैतिक अस्थिरता होती है और सरकारें बदलती हैं, तो जनता का बहुत नुक्सान होता हैं। राजनीतिज्ञ तो कभी सरकार में रहेंगे और कभी बाहर, कभी वे फ़ायदा उठायेंगे और कभी नुक्सान, लेकिन इस तरह की राजनैतिक अस्थिरता से जनता का तो निरन्तर नुक्सान होता है। किसी भी माननीय सदस्य के मन में यह बात नहीं आनी चाहिए कि केन्द्रीय सरकार इस बात में रुचि लेती है कि कौन सी सरकार कहां रहे और कौन सी सरकार कहां गिरे।

जैसाकि मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में कहा है, हम लोग चाहते हैं कि फ़रवरी

में चुनाव अवश्य हो जायें। चूंकि इन छः महीनों में चुनाव होना सम्भव नहीं होगा, इसी लिए हमें राष्ट्रपति की उद्घोषणा को छः महीने और बढ़ाने के लिए माननीय सदस्यों के सामने आना पड़ा। जो बातें मैंने यहां पर रखी हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि उन पर विचार कर के माननीय सदन इस उद्घोषणा को छः महीने और बढ़ाने में अपनी सम्मति देगा।

**श्री शारदानन्द** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि जिला परिषदों और उन के अध्यक्षों पर इस प्रकार के अस्पष्ट चार्ज न लगाये जायें। मैं ने तो एक निश्चित चार्ज लगाया है और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात की खुफ़िया जांच करायें कि सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बदायूं, पीलीभीत, बरेली आदि जिलों में वहां के प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों से इस प्रकार का चन्दा वसूल किया जाता है या नहीं। अगर मंत्री महोदय किसी भी जिले में इस की एन्क्वायरी करायेंगे, तो वह इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि उन के साथ ज्यादती की जा रही है।

**श्री बाल गोविन्द वर्मा** (खेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, सीतापुर के बारे में तो मैं नहीं जानता। वहां जो कुछ भी होता हो। लेकिन लखीमपुर खीरी में ऐसी कोई बात नहीं हुई है। इस लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है।

**श्री शारदानन्द** : तो लखीमपुर खीरी के बारे में ही एन्क्वायरी कराई जाये।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Hon. Members should remember that the Hon. Minister has already given an assurance in his reply that if a specific charge is made and evidence is given, he will certainly institute an inquiry, but vague charges cannot be enquired into.

Now I will put the amendment of SHRI S. M. BANERJEE to the vote of the House. The question is:

'That in the Resolution,—*for* "six months" *substitute*—"three months." (1)

*The motion was negatived.*

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

> "That this House approves the continuance in force of the Proclamation dated the 25th February 1968, in respect of Uttar Pradesh issued under article 356 of the Constitution by the President, as varied by subsequent Proclamation dated the 15th April, 1968, for a further period of six months with effect from the 25th September, 1968."

*The motion was adopted.*

18-16 HRS.

## STATUTORY RESOLUTION RE: CONTINUANCE OF PRESIDENT'S PROCLAMATION IN RESPECT OF WEST BENGAL.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up the Resolution regarding West Bengal.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): I beg to move:

> "That this House approves the continuance in force of the Proclamation dated the 20th February, 1968, in respect of West Bengal issued under article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 22nd September, 1968."

MR. DEPUTY-SPEAKER: Motion moved:

> "That this House approves the continuance in force of the Proclamation dated the 20th February,

[Mr. Deputy Speaker]

1968, in respect of West Bengal issued under article 356 of the Constitution by the President, for a further period of six months with effect from the 22nd September, 1968."

There are some amendments. Shri S. M. Banerjee is not here. So also Shri Deven Sen. What about Shri Jyotirmoy Basu ?

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour): I am moving my amendment. I beg to move:

That in the Resolution,—

*for* "six months" *substitute*—

"eighty-five days" (3)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Is Shri Ganesh Ghosh moving his amendment ?

SHRI GANESH GHOSH (CALCUTTA SOUTH): Yes, Sir. I beg to move:

That in the Resolution,—

*for* "six months" *substitute*—

"ten weeks" (4)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Both the Resolution and the amendment are before the House. Dr. Ranen Sen.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, I would like to speak first while moving the Resolution.

MR. DEPUTY-SPEAKER: All right.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Mr. Deputy Speaker, the circumstances under which President's Rule was promulgated in West Bengal are common knowledge and I do not want to go into the sordid history of what happened in West Bengal after the general elections. Many attempts were made in West Bengal by many political parties, I assume to give good governance but, as I was saying in the earlier speech of mine when I was referring to President's Rule in UP, the alliance which was functioning in West Bengal probably was not single-minded, as far as political programme was concerned, and that is why all kinds of difficulties arose. But, in stead of solving those difficulties, the Central Government was sought to be blamed for many things that happened there and, ultimately, the political wrangling went to an unmanageable extent and in public interest and in the interest of continuance of constitutional government in West Bengal it was necessary that President's Rule should be imposed and mid-term elections ordered.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): You skipped over something very important in-between. You tried to do something else in-between but did not succeed.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: The Central Government had nothing to do with all that. I included all that in "sordid history". It is not the responsibility of the Central Government. As I said earlier, what the local politicians did in West Bengal cannot be the responsibility of the Central Government.

After the introduction of President's Rule in West Bengal, several measures have been taken to redress the grievances of the people and to improve the administrative machinery.

It was a hard task but we had to fulfil our responsibility because we do not consider President's rule as only a caretaker government. It is easy to treat it as a caretaker government and just bide for time until elections are held and a responsible government is formed. But it is our intention to see that positive programmes of public good and public welfare are launched during the period of the President's rule.

Moreover, we also want that many schemes which were sanctioned earlier for which financial allocations were made and which were not making proper progress or which were not being implemented with the speed that was needed, we should take them out of the mire and try to see that

those were properly implemented. In a general way we are making this attempt in West Bengal.

SHRI GANESH GHOSH : What are they ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I will give you the details.

Here we face a lot of difficulties. One of the main difficulties that we are facing in conducting this programme is our anxiety not to burden the forthcoming popular government which, we expect, will be formed after the mid-term elections with financial responsibility and burden. We do not want to initiate anything which will give all this burden to the government which will be formed after the elections. Within this policy framework, which I have explained, we want to do within the few months available to us as much work of public good as is possible to be done.

Recently there was a serious situation created in West Bengal because of the floods. Only this morning we met hon. Members from West Bengal belonging to both Houses and this matter was extensively discussed. The relief measures that have been taken have already been explained and I do not think I should go into that again. But I want to mention one thing, namely, that no efforts within our means will be spared to see that prompt and needed relief is given to the stricken people there. We are sorry that such a calamity should have befallen the people of West Bengal. It is really heartbreaking to see that those poor peasants of West Bengal, who have been doing their best to increase agricultural production and to improve their standard of life, have been subjected to such natural calamities.

SHRI JYOTIRMOY BASU : So you have given a drop in the ocean.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : As far as the law and order situation is concerned, I have to report that after the imposition of President's rule there has been considerable improvement in the law and order situation in West Bengal. We can find it out from the regular reports that come to us and the reports that appear in the newspapers. It is not as though we have had to do any special effort to bring back the law and order position to normalcy. The only thing that the State Government under President's rule had to do was to become absolutely impartial. As soon as impartiality was restored to the State administration the law and order situation came back to normal. There have been instances where we were a little worried, but whenever any such instances occurred they were because of political rivalry and political considerations. Still, I must congratulate the local administration for dealing with these cases with the outmost consideration and with the utmost impartiality.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Under the command of your emissary, Shri Dharma Vira.

SHRI GANESH GHOSH : Shri Shukla.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : As far as the labour front is concerned, I would say that there has been considerable improvement in the labour situation also. A good many factories and industrial establishments, which had ceased to work during the period immediately preceding President's rule, have now resumed production. The labour unrest is much less and the effort of the Government is to see that the problems of labour are dealt with in a sympathetic manner and that they are given a fair treatment.

AN HON. MEMBER : What about gherao ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Hon. Members know that after the President's rule came we have not heard of any gheraos as far as West Bengal is concerned. The situation is not yet normal but if it is not normal it is not because of the local administration but because it is

the general economic situation in the country. Since the general economic situation is improving, I am sure that within a short time normalcy will come back as far as the industrial and labour fields there are concerned.

There have been certain complaints and some misgivings in the minds of the people regarding the forthcoming elections. An allegation has been made that efforts are being made to postpone the elections. We have made it clear, more than once, in the House that the Government of India is not at all interested this way or that. The dates of the elections are determined by the Chief Election Commissioner, by the Election Commission, in consultation with the major political parties. The Chief Election Commissioner visited Calcutta, consulted major political parties and, with their consultation, fixed a tentative date in November. Now, as far as the situation goes today, that date has not been changed. If at all it is changed, it will be changed by the Chief Election Commissioner with the consultation of the major political parties.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Do you really apprehend that the date would be changed ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : No; I am not apprehending that. I am only making the statement that in case the Chief Election Commissioner thinks it necessary that because of flood situation or any other reason, the change in the date is required, I presume, he will again consult the major political parties in West Bengal and, with their consultation, he will take a decision. As far as the Government of India is concerned, we are not at all interested this way or that. We are only interested in fair and impartial elections so that the people in every part of West Bengal get a chance to vote in the elections. If there are some parts of West Bengal where the people cannot travel to polling booths, cannot exercise their franchise, and the Election Commission thinks that it would not be possible to hold elections there, it is their look-out and the political parties will have to advise them whether the information is correct or not. So far as the Government of India is concerned, we are not at all interested either to postpone the elections or to say that the elections will be held at a certain date. It is absolutely for the Election Commission to fix the date. I would request the hon. Members not to entertain any doubts as far as this matter is concerned.

SHRI JYOTIRMOY BASU : Since you came to know that you are divided within the party.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : The Government of India is completely united as far as this question is concerned.

SHRI JYOTIRMOY BASU : You are divided in the Congress Party.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Probably, your party has greater divisions than our party. We are not considering that matter at present.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I suppose, you will take some more time.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Then you may continue tomorrow.

---

18.28 HRS.

## DISCUSSION *RE*: RENEWAL OF LEASE OF CALCUTTA ELECTRICITY SUPPLY CORPORATION.

MR. DEPUTY SPEAKER : There are a number of Members who want to participate in the discussion. So, there must be some time-limit fixed.

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour) : This is a very important subject.

MR. DEPUTY-SPEAKER: You may take 10 minutes; others will have 5 minutes.

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): Let him take 15 minutes.

SHRI JYOTIRMOY BASU: May be 20 minutes, with your permission, Sir. This is a very important subject.

Sir, this is about the renewal of lease of Calcutta Electricity Supply Corporation which we call it as C.S.C. —the people in the north may not be acquainted with this name. This is a British monopoly concern having monopoly rights over distribution and little production also of power in the whole of Calcutta, its industrial belt, in 24-Parganas, Hubli and Howrah, the ammunition and rifle factories, all defence installations, airports, railway marshalling yards, ports, petroleum installations and all that for about half a century. They have created an empire by, gradually, acquiring 13 electric supply undertakings in and around Calcutta. They do not generate much power. The D.V.C., the public sector enterprise, which is running at a loss sells about 100 MW of power per year to C.S.C. at 5 p. per unit and they re-sell upto a price of 17 p. per unit, that is, over 3½ times. On the one hand, the public sector loses while the British private sector, operating in the old colony in India, makes hay while the sun shines.

The hon. Minister, Dr. K. L. Rao, once told me, generation is the job and distribution is nothing very much. The C.S.C. generates only a part of the need which was 4,62,675 KW in 1966. The C.S.C. managed a lease extension in the year 1951 and the then Chief Minister, late Dr. B. C. Roy, said that this will be the last. Is this going to be the last?

Because I have an apprehension in my mind that the CSC have very powerful public relations; they have a man, who was a former Finance Minister, Mr. Sachin Choudhury, the master of devaluation in this country, in their Board of Directors. He is not sitting idle; I have no doubt about it.

I come to rise in business. In 1958, they sold 1,501 million units and in 1967 it was 2,520 million units, a rise of about 60 per cent. The number of consumers in 1958 was 3,11,274, and in 1967 it was about 5,41,841. The CSC is more of a trading concern now, trades with the bulk of Indian capital and the public sector power and has generated loss to the exchequer. According to the balance sheet, which according to me and many others conceals more than it reveals, in the last ten years, by way of dividends they have paid about 86 per cent of the ordinary share capital and built a reserve of a fantastic sum of Rs. 132.3 millions. And their profit also, as compared with the previous years, rose by 20 per cent. You are going towards socialism very soon! By investing and using Indian money, they got fabulous returns during the last decade. How did they get this Indian money and how much is it? They drew a loan from the State Bank of India which amounts to Rs. 4.7 crores. This was said in reply to a question here: consumers deposit—those who pay at the rate of 17 paise per unit which you sell at 5 paise. Their money is to the tune of Rs. 2½ crores and they are being invested in the business fetching fabulous profits. The rupee debenture is more than Rs. 1.37 crores.

Another most interesting thing which the watch-dogs in the Government have to watch is this. Their profits are in excess of the reasonable return as laid down in the Electricity Act. Till 1952 it was a crore of rupees and now—I have not got the actual figure; I must confess that—it is not less than Rs. 2 crores. That is also utilised. You, stooges of the British imperialism in this country, have allowed them to misappropriate this money for reaping more profit for them. Out of a total capital of Rs. 12 crores—I say this to Dr. Rao, a Minister in the dominion of the British Government as they call it, a

dominion Minister even today after 20 years of Independence; it ought to be a shameful thing for every Indian in this country—the Indian holding is Rs. 4,02,49,584 and in London book it is Rs. 7,07,78,000, out of which a big bulk of shares are held by Indians and that money will not have to be paid outside this country. Dr. Rao has not confirmed this; he very cleverly, very tactfully, very diplomatically, shirks it. I asked this question; have you extended the lease, have you signed the contract? Very politely he shirks it. Although Dr. Rao has not confirmed, we can see the conspiracy of the British contact-men—plenty of them in Delhi and Calcutta and very powerful—and the bureaucrats all over; the election subscription collectors are busy in getting an extension for Calcutta Electricity Supply Corporation in spite of the fact that the State Electricity Board had informed the West Bengal Government of their willingness and ability to run it and take it over. I would warn the Government of this. If the extension is granted, it would mean that you would be allowing them another term for plunder—you have been a party to it for the last 20 years; you are very fond of British Government and white men are patting you at your back—ignoring the question of security. You have got to bear that fact in mind. You cannot allow a foreign company to have any hand in a matter which controls marshal yards, airports, ports and ammunition factories.

18.33 HRS.

[SHRI R. D. BHANDARE *in the Chair*]

They cannot allow them to come anywhere near them. One man who is bad enough can sabotage the whole thing, if they want. This is a very important consideration. Government talk about many other things. But they dare not touch this.

I am reminding Government about the holy industrial policy resolution which the Congress Government had drafted in 1956. What did they say there?

"In the first category will be industries the future development of which will be the exclusive responsibility of the State".

In the first category — please look at schedule A — they will find listed the generation and distribution of electricity. In order to please their British masters, surrendering to the contact-men, they are violating the Resolution which they themselves had drafted and adopted with great pomp and grandeur.

I will not take more time. I would strongly advise Government to take it over. This is not a political issue; it is pure and simple a question of national prestige, whether we, Indians, can run ourselves an institution as good as they can. Let them take it over on the first day of 1970, form a good, autonomous body and hand it over to that body. I would suggest they do not disturb the internal arrangements. They will remain efficient. Let them appoint an expert body of good, honest people, if they can find them — they are a rare commodity now-a-days,—to assess the quantum of compensation that should be given, although in my party we do not believe in it, because they have taken enough money back and we do not believe in paying compensation. But their Constitution is there, the Bible that is there with all the facilities for them to plunder.

SHRI RANGA (Srikakulam): He does not believe in compensation being given to anybody?

SHRI JYOTIRMOY BASU: I will deal with that on a later occasion.

As regards money, they can find as much rupee as they want. The LIC has invested no less than Rs. 70 crores in the private sector, in ten big business houses alone. If they cannot wangle money from LIC, which has gone into this kind of unholy affair with private big business, they can float debentures or loans and I can assure them that they will be subscribed on the very first day. So there is no dearth of Indian rupee.

As regards the foreign exchange part of it, we have gone into the matter very dispassionately and we find that it will not exceed Rs. 12 crores.

Therefore, I would appeal to Dr. K. L. Rao not to be guided by other considerations but go straightforward and take it over and manage it as I have suggested.

SHRI N. DANDEKER (Jamnagar): I would like to confine myself to the terms in which this discussion has been notified on the order paper, namely, "a discussion on the renewal of lease, by the West Bengal Government, of the Calcutta Electricity Supply Corporation, a British monopoly concern, in contravention of the Industrial Policy Resolution."

Stated in these terms, I am sorry I am quite unable to support the proposition put forward by Shri Basu. In the first place, the question is whether there is here any contravention of the Industrial Policy Resolution. Shri Basu read only one sentence out of it, which was to the effect that "In the first category", that is, category A, will be industries, the future development of which will be the exclusive responsibility of the State." The industries listed in the first category include the generation and distribution of electricity. But the Resolution also says that "all new units in these industries, save where their establishment in the private sector has already been aproved, will be set up only by the State". The reference here is to *all new units*. "This does not preclude the expansion of existing privately-owned units, or the possibility of the State securing the co-operation of private enterprise in the establishment of new units when the national interests so require."

On the subject of the continuance of the existing units in Schedule A which includes the generation and distribution of electricity, where these are foreign concerns, the Industrial Policy Resolution goes on to say in para 19: "the Prime Minister, in his statement in Parliament of April 6, 1949 has enunciated the policy of the State in regard to foreign capital." I shall, therefore, now read from the Prime Minister's statement of 6 April 1949. After the introduction, he says:

> "In the first place, I should like to state that the Government would expect all undertakings, Indian or foreign, to conform to the general requirements of their industrial policy. As regards existing foreign interests, Government do not intend to place any restrictions or impose any conditions which are not applicable to simliar Indian enterprise. Government would also so frame their policy as to enable further foreign capital to be invested in India on terms and conditions that are mutually advantageous.
>
> Secondly, foreign interests would be permitted to earn profits, subject only to regulations common to all. We do not foresee any difficulty in continuing the existing facilities for remittance of profits..... If..... any foreign concern come to be compulsorily acquired Government would provide reasonable facilities for the remittance of proceeds.
>
> Thirdly, if and when foreign enterprises are compulsorily acquired, compensation will be paid on a fair and equitable basis as already announced in Government's statement of policy."

There is also here a statement that on compulsory acquisition the proceeds would be remittable. Therefore, in so far as this discussion is concerned with objecting to the extension of the licence in the context of the Industrial Policy Resolution, as well as in the context of the Prime Minister's statement in 1949 in relation to foreign interests, I regret that the argument cannot be sustained on the basis on which Mr. Basu has put it.

Secondly, Sir, I should like to turn to the merits of the matter. I have no information whether the licence has been extended or not. The information that I have is this. Whereas

the option to purchase the enterprise could have been exercised only in 1990, the period has now been reduced to 1980. In other words, the period within which this enterprise could be acquired by the Government,— if on merits it were the proper thing to do in the interest of the country,—has been advanced by ten years.

On the merits of the matter, I know that the State Electricity Board in West Bengal,—I am perfectly certain upto a point—could manage this enterprise. I do not like to doubt their competence. But I should like to add that the West Bengal State Electricity Board has its hands full with the work that it has already got. Secondly, its resources are under considerable strain. Thirdly, the acquisition of this enterprise would in the aggregate cost us something of the order of Rs. 46 to 47 crores in accordance with the terms of acquisition that are embodied in the Electricity Act. I have not got the detailed figures before me; but I think Mr. Basu is probably right in saying that out of this, about one-third, may be Rs. 13 or 15 crores would be the amount that would be payable in terms of foreign exchange and the balance would be the amount payable in rupees. The plain question is : are spare resources of that magnitude available with either the West Bengal Government or the Central Government, in terms of rupees as well as foreign exchange, to enable them to acquire this enterprise if on merits the enterprise ought to be acquired, which is a different question altogether? Fourthly, if resources of that magnitude are available, are there not better uses to which they could be put than merely acquiring this particular enterprise that is being run very competently. I am not here concerned with any difference of opinion as between public sector and private sector enterprise or nationalisation of public utility enterprise or anything of the sort. I am merely enquiring: whether resources of that magnitude are available?—and if available, could they not be better deployed in other directions than merely for acquiring a perfectly competently run concern. If not then looking into the matter on merits, I should like to say this : I do not think the discussion can be sustained either on merits, or on the grounds on which Mr. Basu has urged it, namely, that the action of the West Bengal Government contravenes the Industrial Policy Resolution *per se* because it is a British monopoly. All public utilities have to be monopolies; you cannot have more than one concern operating to generate or distribute electricity in a given area. They have to be monopolies. The question whether it is British monopoly and therefore it should have been acquired should be irrelevant, in terms of the Prime Minister's statement.

Therefore, Sir, the observations that I have made are to this effect: whether on public grounds and on merits of the matter, it is desirable to acquire the enterprise is one question; whether it should be acquired before 1980 is also another question; but whether in the terms in which this discussion has been brought forward, it is sustainable in those terms, my submission is that it is clearly not so.

SHRI S. S. KOTHARI (Mandsaur): We are of the definite opinion that the country's infra-structure must not be allowed to be dominated in any field by foreigners, particularly in a crucial field like electricity in a sensitive region like Calcutta and its outskirts. As my friend Shri Basu has pointed out, the Calcutta Electric Supply Corporation is obtaining power at a cheap rate from the DVC which has built up that complex with public money and is supplying power to the consumers at an exorbitant cost, about 17 paise per unit. The important point is that profits are remitted abroad and the foreign exchange is being lost. As Mr. Dandeker pointed out, a certain amount of foreign exchange would be necessary to nationalise it or to take it over; it is true. But then it would save the existing recurring loss of

foreign exchange. That is very relevant.

Besides, I feel that profits which are being earned in excess of a reasonable return on capital employed belong to the public and the State and not to the company. These profits should be utilised for providing reduced rates to the consumers in the years to come, that is, in the years 1969-70 and 1970-71 so long as the concern remains in the hands of the British monopolists. Besides, in my opinion, once a decision is taken that the CESC has to be taken over, the resources can be found. There cannot be two opinions about it. It is the will that is lacking. If the determination is there, the funds can be found, and the Central Government can come to the aid of the State Government with regard to the garnering of resources for taking over the Calcutta Electric Supply Corporation.

Another point that I would like to make is that every effort would have to be made for the maintenance of the efficiency of the concern after it is taken over. I believe that there is only one foreigner, the man at the apex, who is there, but after him the whole hierarchy is constituted of Indian technicians, Indian engineers, who in my opinion are no less competent than any of their foreign counterparts in any country in the world. Therefore, our engineers can successfully run the concern, and in any case you can hire the foreigners from any part of the world, if at all they are needed. So, I feel, as far as the personnel is concerned, there is going to be no difficulty, to maintain the efficiency.

As regards finance, if the Central Government decides to assist the West Bengal Government, the money could be found and the CESC can be taken over. Calcutta, as I have already said, is a very sensitive region. In that way, its borders are quite close to East Pakistan border; and so, in a crucial field like electricity, the policy decisions cannot be left in the hands of foreigners, who may take policy decisions to suit their own needs. And decisions are taken probably somewhere in London head office and not in Calcutta by the Board. They are dictates given from London and they are just obeyed here. Therefore, I firmly emphasise and request the Minister, the West Bengal Governor and the Government of West Bengal that they must take over the concern by 1971 and the contract should not be allowed to be renewed under any circumstances.

**श्री शशि भूषण** (खारगोन) : यह एक ऐसा प्रश्न है, चाहे बिजली का हो या पेट्रोल का हो, आपको याद होगा कि जिस समय कच्छ पर पाकिस्तान ने हमला किया था तो हिन्दुस्तान में जो जो विदेशी कम्पनियां पेट्रोल को कन्ट्रोल करती हैं उन्होंने नार्दर्न इन्डिया में पेट्रोल की आर्टिफिशल स्केयरसिटी क्रिएट कर दी थी। पाकिस्तान हमारे करीब में है और अगर कल कोई खतरा होता है तो हम ब्रिटिशर्स पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आजतक ब्रिटन में जो पुराने लोग मौजूद हैं वे यह महसूस करते हैं कि हिन्दुस्तान में उनका इतना बड़ा साम्राज्यवाद खत्म हो गया। सारे पड़ोसी राष्ट्र आज़ाद होते चले गये। उन के दिल में फ़ीलिंग है और यही कारण है कि उन्होंने पाकिस्तान को हथियार दिये। हर एक षड़यन्त्र में वह शामिल रहते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि क्या हमारे पास इतना पैसा नहीं होगा कि हम इस कम्पनी को ले सकें? आज उस के हाथ में पैट्रोल भी दे रक्खा है, चाय व रबड़ भी दे रक्खा है। इस के साथ ही शिपिंग दे रक्खी है और बिजली तो दे ही रक्खी है। इस कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन, जो एक ब्रिटिश एकाधिकारी समवाय है, उसे नेशनलाइज कर देना चाहिए। उस को किसी से हमदर्दी नहीं है। यह राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है और ज़रूरी हो तो उस के लिए पैसा इकट्ठा किया जा सकता है और अगर

इस काम के लिए जनता से सरकार पैसा मांगे तो वह देने को तैयार हो जायेगी ।

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore): Sir, I would like to draw the attention of the House to one or two aspects of this question which have not been referred to by others. It is not a coincidence to my mind that the only Indian Director on the Board of Directors of this company is the former Finance Minister of the Congress Government, Mr. Sachindra Chowdhury. It should be remembered that he was the only Indian Director prior to 1966. Because he became Finance Minister, he had to resign from that. Immediately after his Finance Ministership came to an end, he has been re-appointed. He is not only a Director. He is a very eminent lawyer. He has been dealing in company law for a long time in Calcutta, from where we come. We know that for many years, he has been one of the most trusted lawyers working on behalf of the British concerns like the Calcutta Tramways Company and so on. I want to raise this question: What advice is this gentleman giving to this concern and is it in the interests of the country or of the British shareholders?

MR. CHAIRMAN: That is not the point under discussion.

SHRI INDRAJIT GUPTA: The point is, whether the takeover of the company should be in the nation's interests or not. I am not interested whether it is going to be done in 1970, 1980 or 1990; we do not know the position. But my contention is, every day that passes is being utilised by this company, acting on somebody's advice, to see to it that when that day, which it considers to be an evil day, comes, it will be possible to have the take-over done on terms most favourable to itself. We have the example of the Calcutta Tramways Company, whose management and control only were taken over by the United Front Government. But that company had known for a long time that its licence was going to expire and it would not be renewed. So, it allowed all its assets, rolling stock, tram cars, maintenance of track, etc. to go to rack and ruin. Anybody who travels by those tram cars knows the condition. No repairs were carried out, so that when the time came for the take-over, the whole thing would be reduced to junk. The Calcutta Electric Supply Company is following the same tactics. Huge amounts are appropriated every year in the name of renewals and replacements but the money is not spent for those purposes.

I hope the Minister knows that for the last six months, what was supposed to be a very new and modern turbo-generator at the New Cossipore plant suffered a mysterious breakdown. It is still lying in that condition and no repairs have been carried out. We are told that it will take several months. At the Mulajore power station, an incinerator which is used for removing soot and dust is out of order for many months. All the inhabitants in that area have to suffer from soot and dust. No repairs are being carried out. I submit that a high-powered enquiry should be carried out to see whether the plant and equipment of this company are being properly maintained and repaired or not. If that enquiry is carried out, you will find that there is a deliberate policy behind it.

If you study the Chairman's speech at the annual general meeting of this company, you will find this : After the devaluation of the rupee, we have naturally written down our sterling assets. In the normal course, we would be entitled to write down only the post-devaluation assets. But we have been advised that in the peculiar circumstances obtaining here in the case of this company, even the pre-devaluation assets should be written down : It is there in his speech black and white. I have not brought that speech unfortunately today.

I would like to know whether this matter has been inquired into. This is a very peculiar practice, a very un-

precedented practice I would say. This is being carried out on the advice of people like Shri Sachin Choudhuri with an eye to future takeover so that the fixed assets are reduced to junk through neglect of repairs and renewals and other assets are being devalued—even assets prior to 1965—so that when the time comes for take-over they hope it will be on most favourable terms to them. Therefore, I would say that this is a very serious matter. We should not be caught napping as in the case of the tramways. In the interest of the nation the date should not be delayed and the take-over should be done as soon as possible.

**श्री रवि राय** (पुरी) : सभापति महोदय, नियम 193 के अन्तर्गत यह कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन, जो एक ब्रिटिश एकाधिकारी समवाय है, के राष्ट्रीयकरण करने के सिलसिले में चर्चा चलाने की अनुमति प्रदान की उस के लिए हम आप का आभार मानते हैं।

सभापति महोदय, मैं श्री शशि भूषण का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सदन के सामने इस सवाल को एक अच्छे ढंग से रक्खा। खास कर मैं आप के सामने यह चीज़ लाना चाहता हूं कि कलकत्ता इस तरह का एक स्थान है जोकि हिन्दुस्तान में विदेशी पूंजी का गढ़ है। जो आदमी कलकत्ता जायेगा उस के सामने विदेशी गवर्नरों और वायसरायों की प्रतिभाएं देखने में आयेंगीं और उन प्रतिभाओं को देख कर मन में ऐसा लगेगा कि शायद अभी तक हम लोग आज़ाद ही नहीं हैं। हम ने आज़ाद होने के बाद, ब्रिटिश सरकार से मुक्ति पाने के बाद ऐसा सोचा था कि अंग्रजी पूंजी जो हमारे देश में है उस का राष्ट्रीयकरण कर दिया जायगा लेकिन वैसा नहीं किया गया। खास करके विदेशी पूंजीपतियों के चलते और उन के कारखनों के चलते जैसे कि यह कलकत्ता इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन वहां चल रही है उस में बड़ी मनमानी, भ्रष्टाचार और अंधेरगर्दी चल रही है। वहां पर यह गड़बड़ चलती है कि कम्पनी इंजीनियर्स के रैकुटमैंट के लिए ऐडवरटाइज़ नहीं करती है लेकिन बड़े बिजनैसमैन, अफसरान और स्टेट मिनिस्टर्स के लड़कों और रिश्तेदारों में से नियुक्त कर लेती है ताकि वह सब उन के हाथ में खेलते रहें। उन को अच्छी अच्छी तनख्वाहें देकर रख रही है ताकि भ्रष्टाचार का बोलबाला चलता रह सके।

मैं आप का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन भ्रष्टाचार का केन्द्र है। मैं डा० के० एल० राव से विनती करूंगा कि वह इस के बारे में जांच करें।

मैं ऐसे कुछ इंजीनियर्स के नाम गिनाना चाहता हूं जिनके लिए कोई ऐडवरटाइज़मैंट नहीं हुआ और जिन्हें कि बगैर किसी टैस्ट या इंटरव्यु के बतौर इंजीनियर्स के कम्पनी में रख लिया गया। ऐसा इसलिए किया गया कि वह लोग बड़े बड़े नेताओं, स्टेट मिनिस्टर्स और अफसरान के लड़के या भाई भतीजे थे और कम्पनी ने उन्हें बगैर किसी ऐडवरटिजमैंट के इंजीनियर्स नियुक्त कर लिया। मैं उन में से कुछ के नाम गिनाना चाहता हूं...

MR. CHAIRMAN: They are not here to defend themselves or to give an explanation.

SHRI JYOTIRMOY BASU: Shri Kantilal Desai was not here to defend himself.

**श्री रवि राय** : जैसे कि दिलीप कुमार पौल, आर० सी० दत्त, ए० एन० फ्रडम्जी, एन० एस० ठाकर, यह वह ठाकर साहब के भतीजे हैं जिनके कि बारे में यहां

चर्चा हुई थी। श्री वी० के० सिंह, श्री के० ऐ० गांगुली और मि० एस० मुकर्जी आदि बगैर ऐडवरटाइजमैंट के डाइरैक्टली कम्पनी द्वारा नियुक्त कर लिये गये। इस तरह से इस कम्पनी में भ्रष्टाचार और अंधेरगर्दी चल रही है।

एक चीज़ मैं और बतलाना चाहता हूं कि यहां और कैसी चोरी होती है? एक मिस्टर वैन, जोकि कम्पनी के एजेंट के फ्रैंड है, वह ट्रान्सपोर्ट सैक्शन के इनचार्ज नियुक्त किये गये थे। उन महाशय ने बहुत सी नयी कारें मंगाई और उन्होंने यह किया उन की इंटरनल मशीनरी निकाल कर बेच दी और पुरानी मशीनरी उन की जगह पर रिप्लेस कर दी।

इसी तरह से एक मि० जयदेव गुप्त जोकि सेंट्रल स्टोर्स के सुपरिनटेंडैंट थे वह भी वहां पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे है। वह तीन ड्रम्स 33 केवी गैस फिल्ड केबिल्स दुर्गापुर को बेचते हुए पकड़ो गये। इस तरह का वहां पर भ्रष्टाचार चल रहा है....

MR. CHAIRMAN: You can write to the Minister and he will make enquiries.

**श्री रवि राय** वह सुपरिन्टेंडेंट, सेंट्रल स्टोर्स थे। उन्होंने 33 के वी गैस से भरे हुए केबल्स के तीन ड्रम दुर्गापुर भेज दिये। मैं एक और मजेदार बात आप को बतलाना चाहता हूं। आप ने सुना होगा कि सी इ एस सी के मेन्स डिपार्टमैंट में हर मजदूर 10 या 12 घंटे का ओवरटाइम करता है, जिस के कारण लोगों को 800 से 1200 रु० तक महीने में मिलते हैं। इस तरह का जो ढंग चलता है, मैं कहना चाहता हूं कि उस के कारण भ्रष्टाचार का बोलबाला है।

19 HRS.

मैं आप को एक और चीज बतलाना चाहता हूं। यह कम्पनी जो मीटर रेंट लेती है और जो सिक्योरिटी मनी कंज्यूमर्स से लिया जाता है उस के तीन चार करोड़ रुपये का हिसाब कम्पनी के पास नहीं है। इस तरह से बिना हिसाब किताब के कम्पनी चलती है। इस तरह के काम में मदद करने वाले कोई सी० आर० पाल हैं, जिन को इस के लिये 1,000 रु० का इन्क्रीमैंट दिया गया है।

यह चीजें मैं आप के सामने इस लिये रख रहा हूं कि कलकत्ता एलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन में इस तरह से भ्रष्टाचार का बोलवाला है और कहना चाहता हूं कि फौरन सरकार को इस का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये।

एक चीज मैं और भी कहना चाहता हूं। यह अंग्रेजों की कम्पनी रही है। आप को यह भी मालूम है कि हमारे देश में जो बड़े बड़े नौकरशाह अब भी हैं, संविधान के अन्तर्गत उन की नौकरी की रक्षा की गई है। जो हमारे यहां बड़े बड़े पूंजीपति हैं, खासकर पूर्वोत्तर भारत में, असम और बंगाल के चाय बागानों में और आयल कम्पनी में, एलेक्ट्रिसिटी कारपोरेशन में यह लोग उन के यहां रह कर विदेशों के लिये जासूसी कर रहे हैं, जिस के कारण हमारी सिक्योरिटी पर खतरा पैदा हो रहा है। इस सिक्योरिटी पर खतरे को देखते हुए मैं डा० राव से विनती करूंगा कि वह इस को सब से पहले सरकार के हाथ में ले लें ताकि उन लोगों का जो एकाधिपत्य इस कारोबार पर है वह खत्म हो जाये।

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): Mr. Chairman, Sir, I should thank the various hon. Members who have participated in this debate. The mover, Shri Jyotirmoy Basu has made out a very moderate and reasoned case and I am thankful to him for the suggestion that he has

made. Now, one or two points I would like to mention here. The first question was whether not taking over the undertaking is not contradictory to the Industrial Policy Resolution. The hon. Member, Shri Dandeker has already shown that it is not so, and I would not go into that.

SHRI JYOTIRMOY BASU : His Majesty's loyal opposition!

DR. K. L. RAO : I would like to cover only the main points. As I submitted already, the hon. Member, Shri Basu has made out a very good case. There is a lot of good points in his speech, but I will come to the practical aspect of his suggestion. When this country attained independence we had 316 private electricity undertakings which generated and distributed power. Now the number has come down to 164 from 316. Out of these 164 undertakings there are three which generate 90 per cent of the power in the private sector, and they are the Calcutta Electricity Supply Undertaking, Tatas at Bombay and the Ahmedabad Electricity Undertaking. We should recognise that 14 per cent of the total power generated in this country is generated by the private sector.

Therefore, the Calcutta Electricity Supply Corporation is contributing something to the power system of the country. But I am not so much worried about that, because we have developed the technique of generation, technique of distribution and we have got very good, able engineers in this country who are fully capable of taking up an installation of this type. But the practical difficulty is this. If we want to acquire these private undertakings, we have got to pay them money according to the particular rules.

These three installations alone come to about Rs. 120 crores of which this may be something like Rs. 40 crores to Rs. 50 crores.

SHRI JYOTIRMOY BASU : This is the only British one.

DR. K. L. RAO : The question is of finding out these Rs. 40 crores of which Rs. 14 crores has got to be in foreign exchange. If we have the money—money is very constrained and limited for us—I would rather use it for acquiring the 161 private undertakings which come in the way of our rural electrification. They are merely small units spread all over practically except four States, Orissa, Andhra Pradesh, Jammu and Kashmir and one more. Every other State has got these private undertakings which are not generating. They are not big ones, only small ones which, naturally—I do not say anything against them—cannot exist when we are doing electrical generation and transmission in the country on a very vast scale.

SHRI RABI RAY : The result will be nothing. It is the question of security.

DR. RANEN SEN (Barasat): In this particular case you can take over the management to begin with without any compensation. What is the difficulty ?

**श्री शशि भूषण** : बर्मा और तिब्बत ने उस पूंजी को नेशनलाइज कर दिया अपने देश में तब आप क्यों नहीं करते ?

**श्री रवि राय** : सितम्बर के महीने में वह चार्जेज बढ़ाने जा रहे हैं। उस के बारे में आप क्या कर रहे हैं। उन्हें करोड़ों रुपयों का प्राफिट हो रहा है। उस का कोई अकाउंट नहीं है। दूसरी तरफ वह सितम्बर से चार्जेज बढ़ाने जा रहे हैं।

DR. K. L. RAO : It is a question of realities. If we have Rs. 40 crores or Rs. 50 crores we can take over the small inefficient undertakings all over the country.

SHRI JYOTIRMOY BASU : No; you must take it over. Do not try to dilute it.

DR. K. L. RAO : It is a question involving finances, as I have submitted. There is no other consideration in this case. The Bengal

Government has been able to bring it down to 1980 instead of 20 years hence, that is, 1990. I would appeal to the West Bengal Electricity Board and the West Bengal Government that in these ten years they try to save the money and set it by with a view to purchasing it at least in 1980.

SHRI JYOTIRMOY BASU: It will be now or never.

DR. K. L. RAO: As to getting a loan from the LIC and so on.....

SHRI JYOTIRMOY BASU: You have given Rs. 70 crores to the private sector, to ten big business houses. Why can you not get money for electricity? Why can you not float debentures and loans?

DR. K. L. RAO: If you can show me some source of money, I can use it for rural electrification.

SHRI JYOTIRMOY BASU: I will.

DR. K. L. RAO: I know, Shri Jyotirmoy Basu knows very thoroughly where the money is available and I shall be very happy if he gives me some money for the more important works.

It also involves, as I said, Rs. 14 crores of foreign exchange. At the moment, our financial condition being what it is, it is not possible to take it over. The only point that we should be careful about and see is that the company is not taking too much profit or is not going beyond a reasonable return. On that, of course, we are having a very careful watch.

SHRI S. S. KOTHARI: The consumer should be charged reasonably. The company must get only a reasonable return on capital employed as in the case of other electricity companies and any excess that they obtain should be given back to the consumer in the form of rebate.

DR. K. L. RAO: We have got a control over that. The rate that they fix is entirely under continual review of the Central Water and Power Commission and the Ministry. If we find at any time that they are going beyond what is stipulated in the Sixth Schedule of the Electricity Act, we will take action. There is no difficulty about that. We can assure about that.

Hon. Member, Shri Gupta, pointed out that the maintenance is not so good or some units have gone off. I will make inquiries. I have not gone into that aspect. I would also look into the devaluation aspect. They have made some good points; I do not deny that. The debate has been useful that way.

The rates of the Calcutta Electricity Supply Corporation are also lower than for example in Delhi. For domestic heat and power they charge 9 paise per kilowatt hour.

**श्री रवि राय**: कलकत्ता में कास्ट आफ लिविंग अलग है।

SHRI JYOTIRMOY BASU: At what price do you sell it? I am asking about the D.V.C. Why don't you tell that?

DR. K. L. RAO: But the reason for the Project is that they started in the beginning of the century and at that time the things were very cheap .... *(Interruption)*.

**श्री शशि भूषण**: कितना कैपिटल लगा था और कितना प्राफिट आज तक वे ले जा चुके हैं?

DR. K. L. RAO: Naturally, I submit, they started in 1897 and at that stage, the things were very cheap in those days.

MR. CHAIRMAN: Don't enter into arguments.

DR. K. L. RAO: What is happening is this.....

SHRI JYOTIRMOY BASU: May I point out that they have taken 86 per cent of the paid-up capital, the ordinary share capital, in the last 10 years?

DR. K. L. RAO: What is happening now is that, gradually, they are

taking more and more power from us. They are actually buying from the D.V.C. and from the West Bengal State Electricity Board. They are buying as much as 1000 Kw hours a year.

It is because Calcutta is consuming more and more. They are not able to cope up with that. They are not expanding their units. They are making use of the undertakings in the neighbourhood. I would submit that on account of the financial restraint that we have, on account of the fact that we have got to stretch our finances in the best advantage possible, while it is desirable that we should have the electricity supply undertakings, not only this but in general.....

**श्री रवि राय** : नैशनल सिक्योरिटी का सवाल भी उठाया गया है। असम में जो अंग्रेज पूंजीपति हैं वे नैशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? साथ ही कुरप्शन चार्ज के बारे में आप क्या कर रहे हैं?

DR. K. L. RAO : I would say that taking the finances into account, I regret, it will not be possible to acquire this undertaking in the next one year. But, as I said earlier, it is very necessary to plan out even now and see that we try to acquire it in the next 10 years.

With regard to the other question about security, I can assure the hon. Members that we have sufficient amount to mechanism to see that there is no difficulty on account of that.

MR. CHAIRMAN : The House stands adjourned to meet again tomorrow at 11 A.M.

19.13 HRS.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, August, 28, 1968/Bhadra 6, 1890 (Saka).*

MGIPCBE—S2—5/LSD/68—28-1-69—1010+4 Copies.